रजिस्ट्री सं॰ डी॰-221 REGISTERED NO. D.-221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16082021-229029
CG-DL-E-16082021-229029

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग 2 — अनुभाग 1क
PART II — Section 1A
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 3] नई दिल्ली, गुरुवार, 17 सितम्बर, 2020/26 भाद्रपद, 1942(शक) [खंड LVI
No. 3] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 17, 2020/BHADRAPADA 26, 1942 (SAKA) [VOL. LVI

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

विधि और न्याय मंत्रालय
(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 2020/26 भाद्रपद, 1942 (शक)

दि बैंनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपाजिट स्कीम्स एक्ट, 2019; (2) दि फाइनेंस (नम्बर 2) एक्ट, 2019; (3) दि एयरपोर्ट्स इकोनोमिक रेगुलेटरी अथोरिटी ऑफ इंडिया (अमेंडमेंट) एक्ट, 2019; (4) दि अनलाफुल एक्टिविटीज (प्रिवेंशन)अमेंडमेंट एक्ट, 2019; (5) दि रिपीलिंग एंड अमेंडिंग एक्ट, 2019; (6) दि आरबिट्रेशन एंड कन्सिलिएशन (अमेंडमेंट) एक्ट, 2019; (7) दि पब्लिक प्रेमिसिस (इक्विशन ऑफ अनअथोराइज्ड ओकुपेन्टस) अमेंडमेंट एक्ट, 2019; (8) दि सुप्रीम कोर्ट (नम्बर ऑफ जजेस) अमेंडमेंट एक्ट, 2019; (9) दि जलियांवाला बाग नेशनल मेमोरियल (अमेंडमेंट) एक्ट, 2019; (10) दि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप (अमेंडमेंट) एक्ट, 2019; (11) दि दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव (मर्जर ऑफ यूनियन टेरिटेरीज) एक्ट, 2019; (12) दि आर्म्स (अमेंडमेंट) एक्ट, 2019; और (13) दि कांस्टिट्यूशन (शिड्यूल्ड ट्राइब्स) आर्डर (अमेंडमेंट) एक्ट, 2020 के निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद राष्ट्रपति के प्राधिकार से प्रकाशित किए जाते हैं और ये राजभाषा अधिनियम 1963 (1963 का 19) की धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन उनके हिन्दी में प्राधिकृत पाठ समझे जाएंगे:

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(Legislative Department)

New Delhi, September 17, 2020/Bhadrapada 26, 1942 (Saka)

The tranlation in Hindi of the following namely:—The Banning of Unregulated Deposit Schemes Act, 2019; (2) The finance (Number 2) Act; 2019; (3) The Airports Economic Regulatory Authority of India (Amendment) Act, 2019; (4) The Unlawful Activities (Prevention) Amendment Act, 2019; (5) The Repealing and Amending Act, 2019; (6) The Arbitration and Concilation (Amendment) Act, 2019; (7) The Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Amendment Act, 2019; (8) The Supreme Court (Number of Judges) Amendment Act, 2019; (9) The Jallianwala Bagh National Memorial (Amendment) Act, 2019; (10) The Special Protection Group (Amendment) Act, 2019; (11) The Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu (Merger of Union Territories) Act, 2019; (12) The Arms (Amendment) Act, 2019 and (13) The Constitution (Scheduled Tribes) order (Amendment) Act, 2020 are hereby published under the authority of the President and shall be deemed to be the authoritative text thereof in Hindi under clause (a) of sub-section (*1*) of section 5 of the Official Languages Act, 1963 (19 of 1963):—

पृष्ठ

अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी अधिनियम, 2019 (2019 का अधिनियम संख्यांक 21) 71
The Banning of Unregulated Deposit Schemes Act, 2019

वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2019 (2019 का अधिनियम संख्यांक 23) 89
The Finance (No. 2) Act, 2019

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2019 (2019 का अधिनियम संख्यांक 27) 203
The Airports Economic Regulatory Authority of India (Amendment) Act, 2019

विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन अधिनियम, 2019 (2019 का अधिनियम संख्यांक 28) 205
The Unlawful Activities (Prevention) Amendment Act, 2019

निरसन और संशोधन अधिनियम, 2019 (2019 का अधिनियम संख्यांक 31) 209
The Repealing and Amending Act, 2019

माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2019 (2019 का अधिनियम संख्यांक 33) 215
The Arbitration and Conciliation (Amendment) Act, 2019

सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) संशोधन अधिनियम 2019 (2019 का अधिनियम संख्यांक 36) 225
The Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Amendment Act, 2019

उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीश संख्या) संशोधन अधिनियम, 2019 (2019 का अधिनियम संख्यांक 37) 227
The Supreme Court (Number of Judges) Amendment Act, 2019

जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक (संशोधन) अधिनियम, 2019 (2019 का अधिनियम संख्यांक 39) 229
The Jallianwala Bagh National Memorial (Amendment) Act, 2019

विशेष संरक्षा ग्रुप (संशोधन) अधिनियम, 2019 (2019 का अधिनियम संख्यांक 43) 231
The Special Protection Group (Amendment) Act, 2019

दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव (संघ राज्यक्षेत्रों का विलयन) अधिनियम, 2019 (2019 का अधिनियम संख्यांक 44) 233
The Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu (Merger of Union Territories) Act, 2019

आयुध (संशोधन) अधिनियम, 2019 (2019 का अधिनियम संख्यांक 48) 239
The Arms (Amendment) Act, 2019

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2020 (2020 का अधिनियम संख्यांक 4) 243
The Constitution (Scheduled Tribes) Order (Amendment) Act, 2020

अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी अधिनियम, 2019

(2019 का अधिनियम संख्यांक 21)

[31 जुलाई, 2019]

कारबार के सामान्य अनुक्रम में लिए गए निक्षेपों से भिन्न अविनियमित निक्षेप स्कीमों पर पाबंदी के लिए एक व्यापक तंत्र का उपबंध करने के लिए और निक्षेपकर्ताओं के हितों की संरक्षा के लिए तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी अधिनियम, 2019 है।

(2) इसका विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है।

(3) यह 21 फरवरी, 2019 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(1) "समुचित सरकार" से,—

(i) विधान-मंडल रहित संघ राज्यक्षेत्र से संबंधित मामलों की बाबत केन्द्रीय सरकार अभिप्रेत है;

(ii) पुडुचेरी संघ राज्यक्षेत्र से संबंधित मामलों की बाबत उस संघ राज्यक्षेत्र की सरकार अभिप्रेत है;

(iii) दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र से संबंधित मामलों की बाबत उस संघ राज्यक्षेत्र की सरकार अभिप्रेत है;

(iv) राज्य से संबंधित मामलों की बाबत राज्य सरकार अभिप्रेत है;

(2) "कंपनी" का वही अर्थ होगा, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (20) में उसका है; 2013 का 18

(3) "सक्षम प्राधिकारी" से धारा 7 के अधीन समुचित सरकार द्वारा नियुक्त प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(4) "निक्षेप" से किसी निक्षेप लेने वाले के द्वारा ब्याज, बोनस, लाभ या किसी अन्य रूप में किसी फायदे सहित या उसके बिना चाहे किसी विनिर्दिष्ट अवधि के पश्चात् या अन्यथा या तो नकद या वस्तु रूप में या किसी विनिर्दिष्ट सेवा के रूप में या तो वापस करने के वचन के साथ अग्रिम या ऋण के माध्यम से या किसी अन्य रूप में प्राप्त धन की रकम अभिप्रेत है किन्तु इसके अंतर्गत निम्नलिखित नहीं हैं—

(क) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5 में यथा परिभाषित किसी अनुसूचित बैंक या सहकारी बैंक या किसी अन्य बैंककारी कंपनी से ऋण के रूप में प्राप्त रकमें; 1949 का 10

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से अधिसूचित लोक वित्तीय संस्थाओं से या भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झ के खंड (च) में यथा परिभाषित किसी गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी और जो भारतीय रिजर्व बैंक के पास रजिस्ट्रीकृत है, से या किन्हीं क्षेत्रीय वित्तीय संस्थाओं या बीमा कंपनियों से ऋण या वित्तीय सहायता के रूप में प्राप्त रकमें; 1934 का 2

(ग) समुचित सरकार से प्राप्त रकमें या किसी अन्य स्रोत से प्राप्त ऐसी रकम, जिसका प्रतिसंदाय समुचित सरकार द्वारा प्रत्याभूत है या संसद् अथवा किसी राज्य विधान-मंडल के किसी अधिनियम के अधीन गठित किसी कानूनी प्राधिकरण से प्राप्त कोई रकम;

(घ) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के उपबंधों के अध्यधीन विदेशी सरकारों, विदेशी या अंतरराष्ट्रीय बैंकों, बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाओं, विदेशी सरकार के स्वामित्व वाली विकास वित्तीय संस्थाओं, विदेशी निर्यात प्रत्यय सहयोगकारों, विदेशी निगमित निकायों, विदेशी नागरिकों, विदेशी प्राधिकारियों या भारत के बाहर निवासी व्यक्तियों से प्राप्त रकमें; 1999 का 42

(ङ) किसी भागीदारी फर्म या किसी सीमित दायित्व भागीदारी के भागीदारों द्वारा पूंजी के मद्दे अभिदायों के माध्यम से प्राप्त रकमें;

(च) किसी व्यष्टि द्वारा उसके नातेदारों से ऋण के माध्यम से प्राप्त रकमें या किसी फर्म द्वारा उसके किसी भागीदार के नातेदारों से ऋण के माध्यम से प्राप्त रकमें;

(छ) किसी संपत्ति (चाहे जंगम हो या स्थावर हो) के विक्रय पर किसी विक्रेता से किसी क्रेता द्वारा प्रत्यय के रूप में प्राप्त रकमें;

(ज) किसी ऐसी आस्ति पुनर्गठन कंपनी द्वारा, जो वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 3 के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक के पास रजिस्ट्रीकृत है, प्राप्त रकमें; 2002 का 54

(झ) धारा 34 के अधीन किया गया कोई भी निक्षेप या लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ख के अधीन किसी राजनीतिक दल द्वारा स्वीकार की गई रकम; 1951 का 43

(ञ) ऐसी अधिकतम सीमाओं के भीतर, जो राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र की सरकार द्वारा विहित की जाएं, प्रचालन करने वाले स्वसहायता समूहों के सदस्यों द्वारा किया गया कोई भी आवधिक संदाय;

(ट) ऐसे प्रयोजनों के लिए और ऐसी अधिकतम सीमाओं के भीतर, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएं, संगृहीत कोई अन्य रकम;

(ठ) कारबार और ऐसे कारबार से वास्तविक संबंध रखने के दौरान या कारबार के प्रयोजन के लिए प्राप्त रकम, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित आते हैं:—

(i) माल की पूर्ति या भाड़े पर देने या सेवाएं प्रदान करने और जो माल या सेवाओं के वास्तव में नहीं बेचे जाने, भाड़े पर नहीं देने या अन्यथा उपलब्ध नहीं कराने की दशा में प्रतिसंदेय है, के लिए संदाय, अग्रिम या भागत: संदाय;

(ii) किसी करार या ठहराव के अधीन किसी स्थावर संपत्ति के प्रतिफल के संबंध में ऐसी शर्त के अध्यधीन प्राप्त अग्रिम, कि ऐसा अग्रिम करार या ठहराव के निबंधनों में यथा विनिर्दिष्ट ऐसी स्थावर संपत्ति के विरुद्ध समायोजित किया जाता है;

(iii) माल की पूर्ति या सेवाएं प्रदान करने के लिए संविदा के पालन के लिए जमा की गई प्रतिभूति या डीलरशिप; या

(iv) पूंजी माल की पूर्ति के लिए उनके सिवाय, जो मद (ii) में विनिर्दिष्ट हैं, दीर्घकालीन परियोजनाओं के अधीन अग्रिम:

परंतु यदि मद (i) से (iv) के अधीन प्राप्त रकमें प्रतिदेय हो जाती हैं, तो ऐसी रकमों का उस तारीख से, जिसको वे प्रतिदाय के लिए शोध्य हो जाती हैं, पन्द्रह दिन की समाप्ति पर निक्षेप समझा जाएगा:

परंतु यह और कि जहां उक्त रकमें निक्षेप लेने वाले के द्वारा माल या संपत्तियों या सेवाओं के संबंध में, जिसके लिए धन लिया गया है, तत्समय प्रवृत्त अधिनियम के अधीन आवश्यक अनुज्ञा या अनुमोदन, जहां-कहीं अपेक्षित हो, अभिप्राप्त नहीं करने के कारण प्रतिदेय हो जाती हैं, वहां ऐसी रकमों को निक्षेप समझा जाएगा।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए,—

(i) किसी कंपनी की बाबत "निक्षेप" पद का अर्थ वही होगा, जो कंपनी अधिनियम, 2013 में है; 2013 का 18

(ii) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी की बाबत "निक्षेप" पद का अर्थ वही होगा, जो उक्त अधिनियम की धारा 45झ के खंड (खख) में है; 1934 का 2

(iii) "भागीदार" और "फर्म" पदों के वही अर्थ होंगे, जो भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 में क्रमश: उनके हैं; 1932 का 9

(iv) किसी सीमित दायित्व भागीदारी की बाबत "भागीदार" पद का अर्थ वही होगा, जो सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (थ) में है; 2009 का 6

(v) "नातेदार" पद का अर्थ वही होगा, जो कंपनी अधिनियम, 2013 में है; 2013 का 18

(5) "निक्षेपकर्ता" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो इस अधिनियम के अधीन कोई निक्षेप करता है;

(6) "निक्षेप लेने वाले" से निक्षेप प्राप्त करने वाला या उसकी याचना करने वाला—

(i) कोई भी व्यष्टि या व्यष्टियों का समूह;

(ii) कोई स्वत्वधारी समुत्थान;

(iii) कोई भागीदारी फर्म (चाहे रजिस्ट्रीकृत हो या नहीं);

(iv) सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई सीमित दायित्व भागीदारी; 2009 का 6

(v) कोई कंपनी;

(vi) व्यक्तियों का कोई संगम;

(vii) कोई न्यास (जो भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 के उपबंधों के अधीन शासित कोई प्राइवेट न्यास है या कोई पब्लिक न्यास है, चाहे रजिस्ट्रीकृत हो या नहीं); 1882 का 2

(viii) कोई सहकारी सोसाइटी या कोई बहुराज्यिक सहकारी सोसाइटी; या

(ix) कोई अन्य ठहराव, किसी भी प्रकृति का हो, अभिप्रेत है, किन्तु इसके अंतर्गत निम्नलिखित नहीं हैं—

(i) संसद् या किसी राज्य विधान-मंडल के किसी अधिनियम के अधीन निगमित कोई निगम;

(ii) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 में यथापरिभाषित कोई बैंककारी कंपनी, कोई तत्स्थानी नया बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, कोई समनुषंगी बैंक, कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कोई सहकारी बैंक या कोई बहुराज्यिक सहकारी बैंक; 1949 का 10

(7) "अभिहित न्यायालय" से धारा 8 के अधीन समुचित सरकार द्वारा गठित अभिहित न्यायालय अभिप्रेत है;

(8) "बीमाकर्ता" का वही अर्थ होगा, जो बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 2 के खंड (9) में है; 1938 का 4

(9) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित कोई अधिसूचना अभिप्रेत है तथा "अधिसूचित करना" पद का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा;

(10) "व्यक्ति" के अंतर्गत निम्नलिखित आते हैं—

(i) कोई व्यष्टि;

(ii) कोई हिन्दू अविभक्त कुटुंब;

(iii) कोई कंपनी;

(iv) कोई न्यास;

(v) कोई भागीदारी फर्म;

(vi) सीमित दायित्व भागीदारी;

(vii) व्यक्तियों का कोई संगम;

(viii) सहकारी सोसाइटियों से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई सहकारी सोसाइटी; या

(ix) प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति जो पूर्ववर्ती उपखंडों में से किसी के भीतर नहीं आता है;

(11) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(12) "संपत्ति" से हर भांति की कोई भी संपत्ति या आस्ति अभिप्रेत है, चाहे जड़ हो या चेतन, जंगम हो या स्थावर, मूर्त या अमूर्त और इसके अंतर्गत ऐसी संपत्ति या आस्ति, जहां-कहीं भी स्थित हो, में हक या हित दर्शाने वाले विलेख और लिखित भी हैं;

2013 का 18 (13) "लोक वित्तीय संस्था" का वही अर्थ होगा, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (72) में है;

(14) "विनियमित निक्षेप स्कीम" से पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट स्कीम अभिप्रेत है;

(15) "विनियामक" से पहली अनुसूची के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट विनियामक अभिप्रेत है;

(16) "अनुसूची" से इस अधिनियम से संलग्न अनुसूचियां अभिप्रेत हैं;

(17) "अविनियमित निक्षेप स्कीम" से ऐसी कोई स्कीम या ठहराव अभिप्रेत है, जिसके अधीन किसी निक्षेप लेने वाले के द्वारा कारबार के माध्यम से निक्षेप स्वीकार किए जाते हैं या उनकी याचना की जाती है और जो पहली अनुसूची के स्तंभ (3) के अधीन यथा विनिर्दिष्ट कोई विनियमित निक्षेप स्कीम नहीं है।

अध्याय 2

अविनियमित निक्षेप स्कीमों पर पाबंदी

अविनियमित निक्षेप स्कीमों पर पाबंदी।

3. इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से ही—

(क) अविनियमित निक्षेप स्कीमों पर पाबंदी होगी; और

(ख) कोई भी निक्षेप लेने वाला, किसी अविनियमित निक्षेप स्कीम के अनुसरण में निक्षेपों में भाग लेने या नामांकन करने या उसे स्वीकार करने की याचना करने वाला कोई भी विज्ञापन प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: प्रोन्नत नहीं करेगा, प्रचालित नहीं करेगा, जारी नहीं करेगा।

विनियमित निक्षेप स्कीमों में कपटपूर्ण व्यतिक्रम।

4. किसी विनियमित जमा स्कीम के अनुसरण में कोई भी निक्षेप लेने वाला निक्षेप स्वीकार करते समय निक्षेप की परिपक्वता पर उसको प्रतिसंदत्त या वापस करने में या ऐसे निक्षेप के बारे मे वचन में दी गई किसी विनिर्दिष्ट सेवा को देने में कोई भी कपटपूर्ण व्यतिक्रम नहीं करेगा।

अविनियमित जमा स्कीमों के संबंध में सदोष उत्प्रेरण।

5. कोई भी व्यक्ति, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, किसी भी अविनियमित निक्षेप स्कीम में विनिधान करने या उसका सदस्य अथवा सहभागी बनने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को उत्प्रेरित करने के लिए जानते हुए ऐसा कोई कथन, वचन या भविष्यवाणी नहीं करेगा, जिसके सारवान् तथ्य मिथ्या, प्रवंचक या भ्रामक हों या जानबूझकर कोई भी सारवान् तथ्य नहीं छिपाएगा।

1978 का 43

कतिपय स्कीम का अविनियमित निक्षेप स्कीम होना।

6. इनामी चिट और धन परिचालन स्कीम (पाबंदी) अधिनियम, 1978 के उपबंधों के अधीन पाबंद की गई इनामी चिट या धन परिचालन स्कीम को इस अधिनियम के अधीन अविनियमित निक्षेप स्कीम होना समझा जाएगा।

अध्याय 3

प्राधिकारी

सक्षम प्राधिकारी।

7. (1) समुचित सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उस सरकार के सचिव की पंक्ति से अनिम्न एक या अधिक अधिकारियों को अधिसूचना द्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में नियुक्त करेगी।

(2) समुचित सरकार, इस अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों के निर्वहन में उसकी सहायता करने के लिए अधिसूचना द्वारा ऐसे अन्य अधिकारी या अधिकारियों को, जो वह ठीक समझे, नियुक्त कर सकेगी।

(3) जहां सक्षम प्राधिकारी या उपधारा (2) के अधीन नियुक्त अधिकारियों का इस धारा के प्रयोजनों के लिए ऐसी सूचना और विशिष्टियों के आधार पर, जो विहित की जाएं, यह विश्वास करने का कारण है (ऐसे विश्वास करने के कारण को लेखबद्ध किया जाएगा) कि कोई निक्षेप लेने वाला धारा 3 के उल्लंघन में निक्षेपों की याचना कर रहा है, तो वह लिखित आदेश द्वारा, आदेश की तारीख से ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, निक्षेप लेने

वाले द्वारा धारित निक्षेपों तथा निक्षेप लेने वाले के नाम से या जमा लेने वाले की ओर से किसी अन्य व्यक्ति के नाम से अर्जित धन या अन्य संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क कर सकेगा।

(4) उपधारा (3) के प्रयोजनों के लिए सक्षम प्राधिकारी के पास वही शक्तियां होंगी, जो अन्वेषण या जांच करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन किसी सिविल न्यायालय में निम्नलिखित विषयों की बाबत निहित होती हैं, अर्थात्:— 1908 का 5

(क) प्रकटन और निरीक्षण;

(ख) किसी व्यक्ति को हाजिर कराना, जिसके अंतर्गत रिपोर्ट करने वाली सत्ता का कोई अधिकारी भी है और उसकी शपथ पर परीक्षा करना;

(ग) अभिलेखों को पेश करने के लिए विवश करना;

(घ) शपथ-पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना;

(ङ) साक्षियों और दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना; और

(च) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाए।

(5) सक्षम प्राधिकारी को किसी ऐसे व्यक्ति को समन करने की शक्ति होगी, जिसकी हाजिरी वह इस धारा के अधीन किसी भी अन्वेषण या कार्यवाही के दौरान साक्ष्य देने या किसी दस्तावेज को पेश करने के लिए आवश्यक समझता है।

(6) इस प्रकार समन किए गए सभी व्यक्ति, स्वयं या ऐसे प्राधिकृत अभिकर्ताओं के माध्यम से, जो ऐसा अधिकारी निदेश दे, उपस्थित होने के लिए आबद्ध होंगे और किसी ऐसे विषय पर सत्य कथन करने के लिए जिसकी बाबत उनकी परीक्षा की गई है या उन्होंने कथन किए हैं और ऐसे अन्य दस्तावेजों को, जो अपेक्षित हों, पेश करने के लिए आबद्ध होंगे।

(7) उपधारा (4) और उपधारा (5) के अधीन प्रत्येक कार्यवाही को भारतीय दंड संहिता की धारा 193 और धारा 228 के अर्थांतर्गत न्यायिक कार्यवाही समझा जाएगा। 1860 का 45

(8) केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए गए किन्हीं नियमों के अध्यधीन उपधारा (2) में निर्दिष्ट कोई भी अधिकारी इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों में उसके समक्ष पेश किए गए किन्हीं अभिलेखों को ऐसी अवधि के लिए जो वह उचित समझे, अपनी अभिरक्षा में परिबद्ध या प्रतिधारित कर सकेगा:

परंतु उपधारा (2) में निर्दिष्ट अधिकारी—

(क) ऐसे किन्हीं अभिलेखों को परिबद्ध करने के कारणों को लेखबद्ध किए बिना परिबद्ध नहीं करेगा; या

(ख) सक्षम प्राधिकारी का पूर्व अनुमोदन अभिप्राप्त किए बिना ऐसे किन्हीं अभिलेखों को तीन मास से अधिक की अवधि के लिए अपनी अभिरक्षा में प्रतिधारित नहीं करेगा।

अभिहित न्यायालय।

8. (1) समुचित सरकार, संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से अधिसूचना द्वारा ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों के लिए अथवा ऐसे मामले या मामलों के लिए, जो ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं, अभिहित न्यायालयों के रूप में ज्ञात एक या अधिक न्यायालयों का गठन कर सकेगी, जिसका पीठासीन न्यायाधीश, जिला और सेशन न्यायाधीश या अपर जिला और सेशन न्यायाधीश की पंक्ति से अनिम्न कोई न्यायाधीश होगा।

(2) अभिहित न्यायालय से भिन्न किसी भी न्यायालय को किसी ऐसे विषय की बाबत अधिकारिता नहीं होगी, जिसको इस अधिनियम के उपबंध लागू होते हैं।

(3) इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण करते समय अभिहित न्यायालय, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध से भिन्न किसी ऐसे अपराध का विचारण कर सकेगा, जिसके लिए अभियुक्त को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन उसी विचारण में आरोपित किया जा सके। 1974 का 2

अध्याय 4

निक्षेप लेने वालों पर सूचना

केंद्रीय डाटाबेस।

9. (1) केंद्रीय सरकार किसी ऐसे प्राधिकारी को, चाहे विद्यमान हो या जिसका गठन किया जाना हो, पदाभिहित कर सकेगी, जो भारत में प्रचालन कर रहे निक्षेप लेने वालों पर सूचना के लिए आनलाइन डाटाबेस सृजित, अनुरक्षित और प्रचालित करेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन पदाभिहित प्राधिकारी, किसी विनियामक या सक्षम प्राधिकारी से निक्षेप लेने वालों पर ऐसी सूचना, जो विहित की जाए, साझा करने की अपेक्षा कर सकेगा।

निक्षेप लेने वाले के द्वारा कारबार की सूचना।

10. (1) प्रत्येक निक्षेप लेने वाला, जो इस अधिनियम के प्रारंभ पर या उसके पश्चात् उस रूप में अपना कारबार प्रारंभ करता है या चलाता है, अपने कारबार के बारे में ऐसे रूप और रीति में और ऐसे समय के भीतर, जो विहित की जाए, धारा 9 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्राधिकारी को सूचना देगा।

(2) सक्षम प्राधिकारी, यदि उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि अविनियमित निक्षेप स्कीम के अनुसरण में निक्षेपों की याचना की जा रही है या उनको स्वीकार किया जा रहा है, तो वह किसी निक्षेप लेने वाले को, ऐसा निक्षेप लेने वाले द्वारा प्राप्त निक्षेपों के संबंध में या संबद्ध ऐसे विवरण, सूचना या विशिष्टियां देने का निदेश दे सकेगा, जो वह आवश्यक समझे।

स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि—

(क) उपधारा (1) के अधीन सूचना की अपेक्षा धारा 2 खंड (4) में यथा परिभाषित निक्षेपों को स्वीकार करने या याचना करने वाले निक्षेप लेने वालों को लागू होती है; और

(ख) उपधारा (1) के अधीन सूचना की अपेक्षा कंपनी को लागू होती है, यदि कंपनी, कंपनी
2013 का 18 अधिनियम, 2013 के अध्याय 5 के अधीन निक्षेप स्वीकार करती है।

सूचना का साझा किया जाना।

11. (1) सक्षम प्राधिकारी, धारा 29 के अधीन प्राप्त समस्त सूचना केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो और ऐसे प्राधिकारी से, जिसे धारा 9 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा पदाभिहित किया जाए, साझा करेगा।

(2) समुचित सरकार, कोई भी विनियामक, आय-कर प्राधिकारी या इस अधिनियम के अधीन पुलिस अथवा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा अन्वेषण किए गए अपराध की बाबत कोई भी सूचना या दस्तावेज रखने वाला कोई भी अन्य अन्वेषण अभिकरण, पुलिस अथवा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के साथ ऐसी समस्त सूचना या दस्तावेज साझा करेंगे।

(3) जहां किसी बैंककारी कंपनी, किसी तत्स्थानी नए बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, किसी समनुषंगी बैंक, किसी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, किसी सहकारी बैंक या किसी बहुराज्यिक सहकारी बैंक के प्रधान अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि कोई मुवक्किल कोई निक्षेप लेने वाला है और वह इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में कार्य कर रहा है, तो वह उसकी सूचना तुरंत सक्षम प्राधिकारी को देगा।

अध्याय 5

निक्षेपकर्ताओं को वापस करना

निक्षेपकर्ताओं के दावों की पूर्विकता।

12. जैसा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम,
2002 का 54 2002 या दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 में उपबंधित है, उसके सिवाय किसी निक्षेप लेने वाले से
2016 का 31 निक्षेपकर्ताओं को देय किसी भी रकम के संदाय को, समुचित सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकारी को संदेय, अन्य सभी ऋणों और सभी राजस्वों, करों उपकरों तथा अन्य दरों पर पूर्विकता दी जाएगी।

कुर्की को अधिमान।

13. (1) जैसा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम,
2002 का 54 2002 या दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 में उपबंधित है, उसके सिवाय सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित
2016 का 31 अनंतिम कुर्की के किसी भी आदेश को समुचित सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकारी को संदेय, अन्य ऋणों, राजस्वों, करों, उपकरों तथा अन्य दरों के प्रतिसंदाय के लिए संपत्ति कुर्क करने के लिए किसी भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी अन्य कुर्की पर निक्षेपकर्ताओं के दावों की सीमा तक अधिमानता और पूर्विकता दी जाएगी।

(2) जहां सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनंतिम कुर्की का कोई आदेश पारित किया है, वहां—

(क) ऐसी कुर्की तब तक जारी रहेगी, जब तक कि अभिहित न्यायालय द्वारा धारा 15 की उपधारा (3) या उपधारा (5) के अधीन आदेश पारित न कर दिया जाए;

(ख) निक्षेप लेने वाले और उस आदेश में उल्लिखित व्यक्तियों का कुर्क किया गया समस्त धन या संपत्ति सक्षम प्राधिकारी में निहित होगी और अभिहित न्यायालय के अग्रिम आदेश तक इस प्रकार निहित रहेगी।

(3) सक्षम प्राधिकारी, इस अधिनियम के अधीन वसूल किए गए धन को जमा करने या व्यौहार करने के प्रयोजनों के लिए किसी अनुसूचित बैंक में एक खाता खोलेगा, जिसका उपयोग अभिहित न्यायालय के अनुदेशों के अधीन ही किया जाएग अन्यथा नहीं।

(4) सक्षम प्राधिकारी, कुर्क की गई संपत्ति या धन का व्ययन या अन्य संक्रामण धारा 15 की उपधारा (3) या उपधारा (5) के अधीन अभिहित न्यायालय के आदेश के अनुसार ही करेगा अन्यथा नहीं।

(5) उपधारा (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी सक्षम प्राधिकारी, यदि वह समीचीन समझता है, तो विनश्वर मदों या आस्तियों के तुरंत विक्रय का आदेश कर सकेगा और विक्रय के आगमों का उपयोग उसी रीति में किया जाएगा, जो अन्य संपत्ति के लिए उपबंधित है।

संपत्ति की कुर्की और विक्रय की पुष्टि के लिए आवेदन।

14. (1) सक्षम प्राधिकारी, अनंतिम कुर्की के आदेश की तारीख से तीस दिन की अवधि, जिस लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से साठ दिन तक बढ़ाया जा सकेगा, के भीतर अभिहित न्यायालय के समक्ष अनंतिम कुर्की को आत्यंतिक करने के लिए तथा इस प्रकार कुर्क की गई संपत्ति को लोक नीलामी द्वारा या यदि आवश्यक हो, तो प्राइवेट विक्रय द्वारा विक्रय करने की अनुज्ञा के लिए ऐसी विशिष्टियों के साथ, जो विहित की जाएं, आवेदन करेगा।

(2) ऐसी दशा में, जहां धन या संपत्ति को किसी अन्य राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में किसी अभिहित न्यायालय द्वारा मंजूर की गई अनुज्ञा पर कुर्क किया गया है, वहां ऐसी कुर्की की पुष्टि के लिए आवेदन उस न्यायालय में फाइल किया जाएगा।

अभिहित न्यायालय द्वारा कुर्की की पुष्टि।

15. (1) धारा 14 के अधीन किसी आवेदन की प्राप्ति पर अभिहित न्यायालय एक नोटिस—

(क) निक्षेप लेने वाले को; और

(ख) ऐसे अन्य व्यक्ति को, जिसकी संपत्ति धारा 14 के अधीन कुर्क की गई है को,

जारी किए जाने की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर यह हेतुक दर्शित करने के लिए जारी करेगा कि कुर्की के आदेश को क्यों न आत्यंतिक कर दिया जाए तथा इस प्रकार कुर्क की गई संपत्तियों का क्यों न विक्रय कर दिया जाए।

(2) अभिहित न्यायालय, उसके समक्ष संपत्ति में किसी हित या हक का दावा करने या ऐसा होने के लिए संभाव्य होने का प्रतिनिधित्व करने वाले अन्य सभी व्यक्तियों को भी संपत्ति की कुर्की पर आक्षेप करने के लिए, यदि वे ऐसे करने की वांछा करते हैं, उसी तारीख को उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी करेगा।

(3) अभिहित न्यायालय, ऐसी प्रक्रिया को अंगीकृत करते हुए, जो विहित की जाएं,—

(क) कुर्की के अनंतिम आदेश को आत्यंतिक करने वाला; या

(ख) संपत्ति के किसी भाग को कुर्की से मुक्त करके उसमें फेरफार करने वाला; या

(ग) कुर्की के अनंतिम आदेश को रद्द करने वाला,

आदेश पारित करेगा और खंड (क) या खंड (ख) के अधीन किसी आदेश की दशा में सक्षम प्राधिकारी को इस प्रकार कुर्क की गई संपत्ति को लोक नीलामी द्वारा अथवा, यदि आवश्यक हो, तो प्राइवेट विक्रय द्वारा विक्रय करने तथा विक्रय आगमों को वसूल करने का निदेश देगा।

(4) अभिहित न्यायालय, कुर्की के अनंतिम आदेश में फेरफार करने या उसे रद्द करने पर किसी संपत्ति को कुर्की से तब तक मुक्त नहीं करेगा, जब तक उसका यह समाधान नहीं हो जाता है कि—

(क) निक्षेप लेने वाले या उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति का ऐसी संपत्ति में हित है; और

(ख) ऐसे निक्षेप लेने वाले के निक्षेपकर्ताओं को प्रतिसंदाय करने के लिए पर्याप्त रकम या संपत्ति बची रहेगी।

(5) अभिहित न्यायालय ऐसा आदेश पारित करेगा या ऐसे निदेश जारी करेगा, जो कुर्क किए गए या विक्रय से वसूल किए गए धन के निक्षेपकर्ताओं के बीच साम्यापूर्ण वितरण के लिए आवश्यक हों।

(6) अभिहित न्यायालय, इस धारा के अधीन कार्यवाहियों को उपधारा (1) में निर्दिष्ट आवेदन की प्राप्ति की तारीख से एक सौ अस्सी दिन की अवधि के भीतर पूरा करने का प्रयास करेगा।

असद्भाविक अंतरितियों की संपत्ति की कुर्की।

16. (1) जहां अभिहित न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि निक्षेप लेने वाले ने किसी संपत्ति को सद्भावपूर्वक अंतरित करने से भिन्न और उसके अनुरूप प्रतिफल लिए बिना अंतरित कर दिया है तो वह नोटिस द्वारा ऐसी संपत्ति के किसी अंतरिती से, चाहे उसने निक्षेप लेने वाले से संपत्ति प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त की हो या नहीं, नोटिस में विनिर्दिष्ट तारीख को उपस्थित होने और यह हेतुक दर्शित करने की अपेक्षा कर सकेगा कि अंतरिती की उतनी संपत्ति, जो अंतरित संपत्ति के उचित मूल्य के बराबर है, कुर्क क्यों न कर दी जानी चाहिए।

(2) जहां उक्त अंतरिती विनिर्दिष्ट तारीख को उपस्थित नहीं होता है तथा हेतुक दर्शित नहीं करता है या जहां अभिहित न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि उक्त अंतरिती को संपत्ति का अंतरण सद्भावपूर्वक अंतरण नहीं था और अनुरूप प्रतिफल के लिए अंतरण नहीं किया था, तो वह उक्त अंतरिती की उतनी संपत्ति की कुर्की का आदेश करेगा, जो उसकी राय में अंतरित संपत्ति के उचित मूल्य के बराबर है।

कुर्की के बदले संदाय।

17. (1) धारा 15 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई निक्षेप लेने वाला या कोई व्यक्ति या धारा 16 में निर्दिष्ट अंतरिती, जिसकी संपत्ति इस अधिनियम के अधीन कुर्क की ही जाने वाली है या अनंतिम रूप से कुर्क कर दी गई है, कुर्की की पुष्टि से पहले किसी भी समय अभिहित न्यायालय को कुर्की के बदले का उचित मूल्य जमा करने की अनुज्ञा के लिए आवेदन कर सकेगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट निक्षेप लेने वाले या व्यक्ति या अंतरिती को उपधारा (1) के अधीन निक्षेप करने की अनुज्ञा देते समय अभिहित न्यायालय ऐसे निक्षेप लेने वाले या व्यक्ति या अंतरिती को लागत के मद्दे ऐसी राशि का संदाय करने का आदेश दे सकेगा, जो लागू हो।

अभिहित न्यायालय की शक्तियां।

18. (1) अभिहित न्यायालय निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करेगा, अर्थात्:—

(क) निक्षेप लेने वाले के विभिन्न ऋणियों से देय शोध्यों के कथन का अनुमोदन करने की शक्ति;

(ख) निक्षेप लेने वाले की आस्तियों का मूल्य निर्धारित करने और निक्षेपकर्ताओं और उनके अपने-अपने शोध्यों की सूची को अंतिम रूप देने की शक्ति;

(ग) सक्षम प्राधिकारी को निक्षेप लेने वाले से संबंधित या उसके नियंत्रणाधीन सभी आस्तियों का कब्जा लेने और लोक नीलामी द्वारा या प्राइवेट विक्रय द्वारा, जो वह आस्तियों की प्रकृति पर निर्भर करते हुए ठीक समझे, कुर्क की गई आस्तियों का विक्रय, अंतरण या वसूल करने तथा अपने बैंक खाते में उसके विक्रय आगमों में जमा करने का निदेश देने की शक्ति;

(घ) निक्षेप लेने वाले की आस्तियों को कब्जे में लेने और वसूल करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा उपगत किए जाने वाले आवश्यक व्यय का अनुमोदन करने की शक्ति;

(ङ) सक्षम प्राधिकारी द्वारा निक्षेपकर्ताओं को पूर्ण संदाय करने या का आदेश पारित करने की या उस दशा में, जब इस प्रकार वसूल किया गया धन संपूर्ण निक्षेप दायित्व को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है, वहा निक्षेपकर्ताओं को आनुपतिक संदाय करने का आदेश पारित करने की शक्ति;

(च) किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसने इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में किए गए किसी संव्यवहार या क्रियाकलाप में लिप्त होकर लाभ लिया है या हानि होने से बचा है, ऐसे उल्लंघन के द्वारा लिए गए सदोष अभिलाभ या हानि होने से बचाई गई रकम के बराबर रकम को वापस करने का निदेश देने की शक्ति; और

(छ) कोई ऐसा आदेश पारित करने की शक्ति, जो अभिहित न्यायालय निक्षेप लेने वाले की आस्तियों को वसूल करने और ऐसे निक्षेप लेने वाले के निक्षेपकर्ताओं को उसका प्रतिसंदाय करने के लिए या उसके आनुषंगिक किसी अन्य विषय या विवाद्यक पर ठीक समझे।

(2) इस अधिनियम के अधीन कुर्क की गई और सक्षम प्राधिकारी में निहित किसी संपत्ति में हितबद्ध किसी व्यक्ति के आवेदन पर और ऐसे सक्षम प्राधिकारी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् अभिहित न्यायालय निम्नलिखित के लिए ऐसा आदेश कर सकेगा जो न्यायोचित और युक्तियुक्त समझे—

(क) कुर्क की गई और सक्षम प्राधिकारी में निहित ऐसी संपत्ति से जिसमें आवेदक हित का दावा करता है, ऐसी राशि उपलब्ध कराना, जो आवेदक और उसके कुटुंब के भरण-पोषण के लिए तथा उस स्थिति में आवेदक के बचाव से संबंधित खर्चों के लिए जहां इस अधिनियम के अधीन उसके विरुद्ध अभिहित न्यायालय में दांडिक कार्यवाहियां आरंभ की गई हो युक्तियुक्त रूप से आवश्यक हो;

(ख) कुर्की से प्रभावित किसी कारबार के हित का यथासाध्य सुरक्षोपाय करना।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए "निक्षेप लेने वाले" के अंतर्गत उक्त स्थापन के निदेशक, प्रवर्तक, प्रबंधक या सदस्य या ऐसा अन्य व्यक्ति, जिसकी संपत्ति का आस्ति इस अधिनियम के अधीन कुर्क की गई है, सम्मिलित हैं।

उच्च न्यायालय को अपील।

19. कोई भी व्यक्ति, जिसके अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी भी है,यदि इस अध्याय के अधीन अभिहित न्यायालय के किसी अंतिम आदेश से व्यथित है तो ऐसे आदेश की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर उच्च न्यायालय को अपील कर सकेगा:

परंतु उच्च न्यायालय उक्त साठ दिन की अवधि के अवसान के पश्चात् भी अपील ग्रहण कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी को समय पर अपील करने से पर्याप्त कारणों से रोका गया था।

स्पष्टीकरण—"उच्च न्यायालय" पद से किसी ऐसे राज्य या संघ राज्यक्षेत्र का उच्च न्यायालय अभिप्रेत है, जहां अभिहित न्यायालय स्थित है।

उच्चतम न्यायालय की मामलों को अंतरित करने की शक्ति।

20. (1) जब कभी उच्चतम न्यायालय को यह प्रतीत कराया जाता है कि धारा 30 में निर्दिष्ट प्रकृति की किसी निक्षेप स्कीम या निक्षेप स्कीमों में कोई दोष है तो उच्चतम न्यायालय आदेश द्वारा यह निदेश दे सकेगा कि कोई विशिष्ट मामला एक अभिहित न्यायालय से दूसरे अभिहित न्यायालय को अंतरित कर दिया जाए।

(2) उच्चतम न्यायालय इस धारा के अधीन केवल सक्षम प्राधिकारी या किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा फाइल किए गए आवेदन पर ही कार्रवाई कर सकेगा और ऐसा प्रत्येक आवेदन शपथपत्र द्वारा समर्थित होगा।

(3) जहां इस धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग के लिए किसी आवेदन को खारिज किया जाता है, वहां उच्चतम न्यायालय, यदि उसकी यह राय है कि आवेदन तुच्छ या तंग करने वाला था, तो वह आवेदक को किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसने आवेदन का विरोध किया है, प्रतिकर के रूप में पचास हजार रुपए से अनधिक की ऐसी राशि का, जो वह मामले की परिस्थितियों में उचित समझे, संदाय करने का आदेश दे सकेगा।

अध्याय 6

अपराध और दंड

धारा 3 का उल्लंघन करने के लिए दंड।

21. (1) कोई निक्षेप लेने वाला, जो धारा 3 के उल्लंघन में निक्षेप की याचना करता है, ऐसी अवधि के कारावास से, जो एक वर्ष से कम नहीं होगी किंतु जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो दो लाख रुपए से कम नहीं होगा किंतु जो दस लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

(2) कोई निक्षेप लेने वाला, जो धारा 3 के उल्लंघन में निक्षेप स्वीकार करता है, ऐसी अवधि के कारावास से, जो दो वर्ष से कम नहीं होगी किंतु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो तीन लाख रुपए से कम नहीं होगा किंतु जो दस लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

(3) कोई निक्षेप लेने वाला, जो धारा 3 के उल्लंघन में निक्षेप स्वीकार करता है और ऐसे निक्षेप के प्रतिदाय में या किन्हीं विनिर्दिष्ट सेवाओं के परिदान में कपटपूर्वक व्यक्तिक्रम करता है, ऐसी अवधि के कारावास से, जो तीन वर्ष से कम नहीं होगी किंतु जो दस वर्ष तक की हो सकेगी और ऐसे जुर्माने से, जो पांच लाख रुपए से कम नहीं होगा किंतु जो अविनियमित निक्षेप स्कीम के ग्राहकों, सदस्यों या उसमें भाग लेने वाले व्यक्तियों से एकत्रित की गई सकल निधियों की रकम से दुगुनी रकम तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

स्पष्टीकरण—इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए,—

1860 का 45

(i) "कपटपूर्वक" पद का वही अर्थ होगा, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 25 में उसका है;

(ii) जहां निक्षेप स्कीम के निबंधन पूर्ण रूप से असाध्य या अव्यवहार्य है, वहां ऐसे निबंधन कपटवचन के आशय को प्रदर्शित करने हेतु सुसंगत तथ्य होंगे।

धारा 4 का उल्लंघन करने के लिए दंड।

22. कोई निक्षेप लेने वाला, जो धारा 4 के उपबंधों का उल्लंघन करता है, ऐसे अवधि के कारावास से, जो सात वर्ष तक की हो सकेगी या ऐसे जुर्माने से, जो पांच लाख रुपए से कम नहीं होगा किंतु जो पच्चीस करोड़ रुपए का उक्त धारा में निर्दिष्ट कपटपूर्वक व्यतिक्रम के द्वारा प्राप्त किए गए अभिलाभों की रकम से तीन गुना, इनमें से जो भी अधिक हो, तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडनीय होगा।

धारा 5 का उल्लंघन करने के लिए दंड।

23. कोई व्यक्ति, जो धारा 5 के उपबंधों का उल्लंघन करता है, ऐसी अवधि के कारावास से, जो एक वर्ष से कम नहीं होगी किंतु जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी और ऐसे जुर्माने से, जो दस लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

पुनः अपराध करने वालों के लिए दंड।

24. जो कोई व्यक्ति, जिसे इस अध्याय के अधीन, धारा 26 के अधीन अपराध को छोड़कर, दंडनीय किसी अपराध के लिए पूर्व में सिद्धदोष ठहराया गया है, तत्पश्चात् किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया जाता है तो वह ऐसी अवधि के कारावास से, जो पांच वर्ष से कम नहीं होगी किंतु जो दस वर्ष तक की हो सकेगी और ऐसे जुर्माने से, जो दस लाख रुपए से कम नहीं होगा किंतु जो पचास करोड़ रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

व्यष्टियों से भिन्न निक्षेप लेने वालों द्वारा अपराध।

25. (1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध व्यष्टि से भिन्न किसी निक्षेप लेने वाले द्वारा किया गया है, वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो अपराध किए जाने के समय निक्षेप लेने वाले के लिए उसके कारबार के संचालन का प्रभारी था या उसके लिए उत्तरदायी था और साथ ही निक्षेप लेने वाले को भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और वह उनके विरुद्ध तद्नुसार कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के लिए दायी होगा।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट कोई बात ऐसे किसी व्यक्ति को इस अधिनियम में उपबंधित किसी दंड का दायी नहीं बनाएगी, यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या यह कि उसने ऐसे अपराध को रोकने के लिए सभी सम्यक् तत्परता बरती थी।

(3) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध व्यष्टि से भिन्न किसी निक्षेप लेने वाले द्वारा किया गया है और यह साबित कर दिया जाता है कि अपराध—

(क) निक्षेप लेने वाले की सहमति या मोनानुकूलता के साथ किया गया है; या

(ख) निक्षेप लेने वाले के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव, संप्रवर्तक, भागीदार, कर्मचारी या अन्य अधिकारी के भाग पर किसी उपेक्षा के कारण हुआ है,

वहां ऐसे व्यक्ति को उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और वह उसके विरुद्ध तद्नुसार कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के लिए दायी होगा।

धारा 10 का उल्लंघन करने के लिए दंड।

26. जो कोई व्यक्ति, धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन अपेक्षित संसूचना देने में असफल रहता है या उस धारा की उपधारा (2) के अधीन यथा अपेक्षित विवरण, सूचना या विशिष्टियां प्रस्तुत करने में असफल रहता है, ऐसे जुर्माने से, जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

अपराधों का संज्ञान।

27. धारा 4 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई अभिहित न्यायालय विनियामक द्वारा परिवाद किए जाने के सिवाय उस धारा के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा:

परंतु धारा 4 और इस धारा के उपबंध ऐसे किसी निक्षेप लेने वाले को, जो कोई कंपनी है, लागू नहीं होंगे।

अध्याय 7

अन्वेषण, तलाशी और अभिग्रहण

अपराधों का संज्ञेय और अजमानतीय होना।

28. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, धारा 22 और धारा 26 के अधीन अपराधों के सिवाय इस अधिनियम के अधीन दंडनीय प्रत्येक अपराध संज्ञेय और अजमानतीय होगा। 1974 का 2

सक्षम प्राधिकारी को अपराधों की सूचना का दिया जाना।

29. पुलिस अधिकारी, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के होने के बारे में सूचना अभिलिखित किए जाने पर, उसकी सूचना सक्षम प्राधिकारी को देगा।

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा अपराधों का अन्वेषण।

30. (1) धारा 29 के अधीन या अन्यथा सूचना की प्राप्ति पर, यदि सक्षम प्राधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि अपराध किसी ऐसी निक्षेप स्कीम या स्कीमों से संबंधित है, जिसमें,—

(क) संलिप्त निक्षेपकर्त्ता, निक्षेप लेने वाले या अंतर्वलित संपत्तियां भारत में एक से अधिक राज्यों या संघ राज्यक्षेत्रों में या भारत से बाहर अवस्थित है; और

(ख) अंतर्वलित रकम का कुल मूल्य इतना अधिक है कि वह महत्वपूर्ण रूप से लोकहित को प्रभावित करती है,

वहां सक्षम प्राधिकारी उस मामले को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा अन्वेषण कराए जाने के लिए केन्द्रीय सरकार को निर्दिष्ट करेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किए गए प्रतिनिर्देश को दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 की धारा 6 के अधीन राज्य सरकार की सहमति से लिया गया समझा जाएगा। 1946 का 25

(3) उपधारा (1) के अधीन प्रतिनिर्देश की प्राप्ति पर केन्द्रीय सरकार अपराध के अन्वेषण को दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 की धारा 5 के अधीन केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को अंतरित कर सकेगी। 1946 का 25

बिना वारंट के प्रवेश, तलाशी और अभिग्रहण करने की शक्ति।

31. (1) जब भी किसी पुलिस अधिकारी, जो किसी पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी से निम्न पंक्ति का नहीं है, के पास यह विश्वास करने का कारण है कि इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का अन्वेषण करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक कोई चीज उस पुलिस थाने के, जिसका वह प्रभारी है या जिससे वह सम्बद्ध है, सीमाओं के भीतर किसी स्थान में पाई जा सकती है, तब ऐसा अधिकारी पुलिस अधीक्षक से अनिम्न पंक्ति के किसी अधिकारी के लिखित प्राधिकार के साथ और यथासंभव रूप से उस चीज के बारे में, जिसके लिए तलाशी ली जानी है, लिखित में अभिलिखित करने के पश्चात् और इस निमित बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए उससे अधीनस्थ किसी अधिकारी को निम्नलिखित के लिए प्राधिकृत कर सकेगा,—

(क) सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच की अवधि में किसी ऐसे भवन, वाहन या स्थान में, जिसके लिए उसके पास यह संदेह करने का कारण है कि उसका उपयोग इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में किसी निक्षेप लेने वाली स्कीम या ऐसे किसी ठहराव के संप्रवर्तन या संचालन के प्रयोजनों के लिए किया जा रहा है, प्रवेश करने और उसकी तलाशी लेने;

(ख) प्रतिरोध किए जाने की दशा में, किसी दरवाजे को तोड़ने और ऐसे प्रवेश में आने वाली किसी बाधा को हटाने के लिए और यदि आवश्यक हो तो बल का प्रयोग करके और ऐसी सहायता के साथ जिसे वह खंड (क) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करने के लिए आवश्यक समझता हो;

(ग) उक्त भवन, वाहन या स्थान, जिनका आशयित रूप से उपयोग इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में किसी निक्षेप लेने वाली स्कीम या ऐसे किसी ठहराव के संबंध में किया जा रहा है या इस प्रकार के उपयोग के लिए युक्तियुक्त संदेह है, की तलाशी के परिणामस्वरूप पाए गए किसी अभिलेख या संपत्ति का अभिग्रहण करने; और

(घ) ऐसे किसी व्यक्ति को, जिसके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि उसने इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया है, निरुद्ध करने और उसकी तलाशी लेने और यदि वह उचित समझता है तो उसे अभिरक्षा में लेने और किसी अभिहित न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने:

परंतु यदि ऐसे अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि उक्त लिखित प्राधिकार को साक्ष्य को छिपाए जाने के लिए या अपराधी को भाग जाने का अवसर दिए बिना अभिप्राप्त नहीं किया जा सकता है तो वह उक्त लिखित प्राधिकार के बिना ही लिखित में आधारों को अभिलिखित करने के पश्चात्, सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच की अवधि के किसी भी समय किसी ऐसे भवन, वाहन या स्थान में प्रवेश कर सकेगा और उसकी तलाशी ले सकेगा।

(2) जहां अभिलेख या संपत्ति का अभिग्रहण करना व्यवहार्य नहीं है, वहां उपधारा (1) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी किसी निक्षेप लेने वाले, जिसके बारे में कोई शिकायत की गई है या कोई विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई है या इस बात का कोई युक्तियुक्त संदेह विद्यमान है कि वह इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में किसी निक्षेप लेने वाली स्कीम या ऐसे किसी ठहराव के संप्रवर्तन या संचालन से जुड़ा है, की ऐसी संपत्ति, उसके द्वारा बनाए रखे गए खातों, निक्षेपों या मूल्यवान प्रतिभूतियों पर रोक लगाने के लिए लिखित में आदेश कर सकेगा और संबद्ध बैंक या वित्तीय या बाजार स्थापन के लिए उक्त आदेश का अनुपालन आबद्धकार होगा:

परंतु कोई बैंक या वित्तीय या बाजार स्थापन किसी ऐसे खाते, निक्षेप या मूल्यवान प्रतिभूतियों पर तब तक तीस दिन की अवधि के परे रोक नहीं लगाएगा जब तक कि उसे किसी अभिहित न्यायालय के आदेश द्वारा प्राधिकृत न कर दिया जाए:

परंतु यह और कि यदि किसी समय रोकी गई संपत्ति का अभिग्रहण साध्य हो जाता है तो उपधारा (1) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी ऐसी संपत्ति का अभिग्रहण कर सकेगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(i) "खातों पर रोक लगाने" पद से यह अभिप्रेत होगा कि उक्त खाते में किसी भी संव्यवहार, चाहे वह जमा करना हो या खाते से धन निकालना हो, को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा; और

(ii) "संपत्ति पर रोक लगाने" पद से यह अभिप्रेत होगा कि संपत्ति का अंतरण, परिवर्तन, व्ययन या उसके संचलन को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(3) जहां कोई अधिकारी लिखित में कोई सूचना प्राप्त करता है या अपने विश्वास के लिए आधारों को अभिलिखित करता है या उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन कोई लिखित आदेश करता है तो वह ऐसा करने के बहत्तर घंटे के भीतर उसकी एक प्रति एक सीलबंद लिफाफे में अभिहित न्यायालय को भेजेगा और भवन, वाहन या स्थान का स्वामी या अधिभोगी आवेदन किए जाने पर उसकी एक प्रति निःशुल्क अभिहित न्यायालय द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।

1974 का 2 (4) इस धारा के अधीन सभी तलाशियां, अभिग्रहण और गिरफ्तारियां दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबंधों के अनुसार की जाएंगी।

अभिहित न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों पर दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 का लागू होना।

32. (1) अभिहित न्यायालय अभियुक्त को विचारण हेतु भेजे बिना इस अधिनियम के अधीन अपराधों का संज्ञान ले सकेगा।

1974 का 2 (2) धारा 31 में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबंध निम्नलिखित के संबंध में लागू होंगे,—

(क) इस अधिनियम के अधीन की गई सभी गिरफ्तारियों, तलाशियों और अभिग्रहणों;

(ख) इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों और उक्त उपबंधों के प्रयोजनों के लिए, अभिहित न्यायालय को एक सत्र न्यायालय समझा जाएगा और अभिहित न्यायालय के समक्ष अभियोजन का संचालन करने वाले व्यक्तियों को लोक अभियोजक समझा जाएगा।

अध्याय 8

प्रकीर्ण

अविनियमित निक्षेप स्कीमों के विज्ञापन का प्रकाशन।

33. जहां कोई समाचारपत्र या किसी भी प्रकृति के अन्य प्रकाशन में ऐसा कोई कथन, सूचना या विज्ञापन अंतर्विष्ट है, जो किसी अविनियमित निक्षेप स्कीम में निक्षेपों का संवर्धन, निक्षेपों की याचना करता है या किसी व्यक्ति को ऐसी किसी स्कीम का सदस्य बनने के लिए उत्प्रेरित करता है, वहां समुचित सरकार ऐसे समाचारपत्र को या प्रकाशन को यह निदेश दे सकेगी कि वह उक्त कथन या विज्ञापन को पूर्ण और उचित रूप से वापस लेते हुए, निःशुल्क रूप से उसी रीति में और ऐसे समाचारपत्र या प्रकाशन में उसी स्थान पर कोई प्रकाशन करे, जो विहित किया जाए।

अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना।

34. इस अधिनियम से अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इस अधिनियम के उपबंधों का तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में, जिसके अंतर्गत किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र द्वारा बनाई गई विधि भी है, अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी प्रभाव होगा।

अन्य विधियों का लागू होना, वर्जित न होना।

35. इस अधिनियम के उपबंध, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे और न कि उनके अल्पीकरण में।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण।

36. समुचित सरकार या सक्षम प्राधिकारी या समुचित सरकार के किसी अधिकारी के विरुद्ध, ऐसे किसी कार्य के लिए, जो उसके द्वारा इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन सद्भावपूर्वक किया गया है या किया जाना आशयित है, कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां नहीं लाई जाएंगी।

केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति।

37. (1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी विषयों या उनमें से किसी के लिए उपबंध किए जा सकेंगे, अर्थात्:—

(क) धारा 7 की उपधारा (3) के अधीन कोई आदेश जारी करने से पूर्व विचार में ली जाने वाली सूचना और अन्य विशिष्टयां तथा कुर्की की रीति;

(ख) धारा 9 की उपधारा (2) के अधीन साझा की जाने वाली सूचना;

(ग) वह प्ररूप और रीति जिसमें तथा वह समय जिसके भीतर धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन संसूचना दी जाएगी;

(घ) सक्षम प्राधिकारी द्वारा 14 की उपधारा (1) के अधीन अभिहित न्यायालय के समक्ष फाइल किए जाने वाले आवेदन में अंतर्विष्ट विशिष्टियां;

(ङ) धारा 15 की उपधारा (3) के अधीन कोई आदेश जारी करने से पूर्व अभिहित न्यायालय द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया;

(च) धारा 31 की उपधारा (1) के अधीन नियम;

(छ) धारा 33 के अधीन विज्ञापन प्रकाशित करने की रीति; और

(ज) ऐसा कोई अन्य विषय, जिसे विहित करना अपेक्षित हो या जो विहित किया जाए।

राज्य सरकार, आदि की नियम बनाने की शक्ति।

38. (1) यथास्थिति, राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र की सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए केन्द्रीय सरकार के परामर्श से, अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी विषयों या उनमें से किसी के लिए उपबंध हो सकेंगे, अर्थात्:—

(क) धारा 2 की उपधारा (4) के खंड (ज) के अधीन स्व-सहायता समूहों के लिए अधिकतम सीमा;

(ख) धारा 2 की उपधारा (4) के खंड (ट) के अधीन प्रयोजन और अधिकतम सीमा;

(ग) धारा 7 की उपधारा (3) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा संपत्ति की अनंतिम कुर्की की रीति;

(घ) धारा 7 की उपधारा (4) के खंड (च) के अधीन अन्य विषय;

(ङ) धारा 7 की उपधारा (8) के अधीन अभिलेखों को परिबद्ध करने और उनकी अभिरक्षा से संबंधित नियम;

(च) ऐसा कोई अन्य विषय, जिसे विहित करना अपेक्षित हो या जो विहित किया जाए।

नियमों का रखा जाना।

39. (1) इस अधिनियम के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, उसके बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह ऐसी कुल तीस दिन की अवधि के लिए सत्र में हो, जो एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकती है, रखा जाएगा और यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकती है, रखा जाएगा और यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन, उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं या दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो, यथास्थिति, तत्पश्चात् वह नियम ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा या उसका कोई प्रभाव नहीं होगा; तथापि नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(2) यथास्थिति, राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र की सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, उसके बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, यथास्थिति राज्य विधान-मंडल या संघ राज्यक्षेत्र विधान-मंडल के प्रत्येक सदन के, जहां वह दो सदनों से मिलकर बना है या जहां ऐसे विधान-मंडल में केवल एक ही सदन है, वहां उस सदन के समक्ष रखा जाएगा।

पहली अनुसूची को संशोधित करने की शक्ति।

40. (1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए और यदि वह ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझती है तो वह अधिसूचना द्वारा पहली अनुसूची में, यथास्थिति, किसी स्कीम या ठहराव को जोड़ सकेगी या उसका लोप कर सकेगी और इस प्रकार जोड़े जाने या लोप किए जाने पर, यथास्थिति, ऐसी स्कीम या ठहराव एक विनियमित निक्षेप स्कीम बन जाएगी या वह एक विनियमित निक्षेप स्कीम नहीं रहेगी।

(2) इस धारा के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना की एक प्रति को, उसे जारी किए जाने के तुरंत पश्चात् संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

कतिपय निक्षेपों को अधिनियम का लागू नहीं होना।

41. इस अधिनियम के उपबंध कारबार के सामान्य अनुक्रम में लिए गए निक्षेपों को लागू नहीं होंगे।

कतिपय अधिनियमितियों का संशोधन।

42. दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियों को इसमें विनिर्दिष्ट रीति में संशोधित किया जाएगा।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।

43. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केंद्रीय सरकार, ऐसे आदेश द्वारा, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, उस कठिनाई को दूर कर सकेगी:

परंतु ऐसा कोई आदेश, इस अधिनियम के प्रारंभ से तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2)इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसे किए जाने के तुरंत पश्चात् संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

2019 का अध्यादेश संख्यांक 7

निरसन और व्यावृत्ति।

44. (1) अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी अध्यादेश, 2019 को इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के अधीन किया गया या की गई समझी जाएगी।

पहली अनुसूची

[धारा 2(15) देखिए]

विनियमित निक्षेप स्कीमें

(1) विनियामक और विनियमित निक्षेप स्कीमें, निम्नलिखित सारणी में सूचीबद्ध विनियामकों और स्कीमों तथा ठहरावों को निर्दिष्ट करती हैं, अर्थात्:—

सारणी

क्रम सं॰	विनियामक	विनियमित निक्षेप स्कीम
(1)	(2)	(3)
1.	भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड	(i) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के पास भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सामूहिक निवेश स्कीम) विनियम, 1999 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सामूहिक निवेश प्रबंध कंपनी द्वारा प्रारंभ की गई, प्रायोजित या क्रियान्वित कोई स्कीम या ठहराव [जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 11कक के अधीन यथा परिभाषित है]। (ii) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के पास भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (वैकल्पिक निवेश निधियां) विनियम, 2012 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई स्कीम या ठहराव। (iii) ऐसे कोई स्कीम या ठहराव, जिसके अनुसरण में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पोर्टफोलियो प्रबंधक) विनियम, 1993 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी पोर्टफोलिया प्रबंधक द्वारा निधियों का प्रबंध किया जा रहा है। (iv) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी फायदे) विनियम, 2014 के अधीन विनियमित या कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के अधीन यथा अनुमोदित कर्मचारी फायदों का उपबंध करने वाली कोई स्कीम या ठहराव। (v) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) या तद्धीन बनाए गए विनियमों के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई अन्य स्कीम या ठहराव। (vi) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के पास भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (परस्पर निधि) विनियम, 1996 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी पारस्परिक निधि में अभिदानों की प्रकृति की, अभिदायों के रूप में प्राप्त कोई अन्य रकम।
2.	भारतीय रिजर्व बैंक	(i) ऐसी कोई स्कीम, जिसके अधीन भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45झ के खंड (च) में यथा परिभाषित किन्हीं गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों द्वारा निक्षेप स्वीकार किए जाते हैं, या भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई अन्य स्कीम या ठहराव । (ii) ऐसी कोई स्कीम या ठहराव, जिसके अधीन बैंकों द्वारा कारबार सम्पर्की और सुविधा प्रदाताओं के रूप में नियोजित व्यष्टियों या अस्तित्वों द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों और परिपत्रों के अधीन रहते हुए निधियां स्वीकार की जाती है। (iii) ऐसी कोई स्कीम या ठहराव, जिसके अधीन संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (2007 का 51) के अधीन एक प्राधिकृत संदाय प्रणाली के रूप में प्रचालन करने वाले किसी प्रणाली प्रदाता द्वारा निधियां स्वीकार की जाती हैं।

(1)	(2)	(3)
		(iv) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों और परिपत्रों के अधीन विनियमित कोई अन्य स्कीम या ठहराव।
3.	भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण	बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) के अनुसार अभिप्राप्त किसी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के अनुसरण में कोई बीमा संविदा।
4.	राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र सरकार	(i) सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1912 (1912 का 2) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सहकारी सोसाइटी या किसी ऐसी सोसाइटी, जो किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में तत्समय प्रवृत्त सहकारी सोसाइटियों से संबंधित किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत है या रजिस्ट्रीकृत समझी गई है, द्वारा तैयार की गई या प्रस्थापित कोई स्कीम या ठहराव। (ii) चिट फंड अधिनियम, 1982 (1982 का 40) के उपबंधों के अनुसार राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से किसी चिट कारबार के रूप में आरंभ की गई या संचालित कोई स्कीम या ठहराव। (iii) किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में ऋण देने से संबंधित तत्समय प्रवृत किसी अधिनियमिति द्वारा विनियमित कोई स्कीम या ठहराव। (iv) इनामी चिट और धन परिचालन स्कीम (पाबंदी) अधिनियम, 1978 (1978 का 43) की धारा 11 के अधीन किसी इनामी चिट या धन परिचालन स्कीम के अधीन कोई स्कीम या कोई ठहराव।
5.	राष्ट्रीय आवास बैंक	राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 (1987 का 53) के अधीन निक्षेपों को स्वीकार करने के लिए रजिस्ट्रीकृत कोई स्कीम या ठहराव।
6.	पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण	पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का 23) के अधीन कोई स्कीम या ठहराव।
7.	कर्मचारी भविष्य निधि संगठन	कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के अधीन विरचित कोई स्कीम, पेंशन स्कीम या बीमा स्कीम।
8.	केन्द्रीय रजिस्ट्रार, बहुराज्य सहकारी सोसाइटी	बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 (2002 का 39) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी द्वारा मतदान करने वाले सदस्यों से निक्षेपों को स्वीकार करने की कोई स्कीम या ठहराव।
9.	कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार	(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के अध्याय 5 के उपबंधों के अधीन स्वीकार किए जाने वाले या अनुज्ञात निक्षेप। (ii) ऐसी कोई स्कीम या ठहराव, जिसके अधीन कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 406 के अधीन किसी निधि या परस्पर फायदा सोसाइटी के रूप में घोषित किसी कंपनी द्वारा निक्षेप स्वीकार किए जाते हैं।

(2) निम्नलिखित को भी इस अधिनियम के अधीन विनियमित निक्षेप स्कीमें माना जाएगा, अर्थात्:—

(क) किसी कानून के अधीन गठित या स्थापित किसी विनियामक निकाय के पास रजिस्ट्रीकृत किसी स्कीम या ठहराव के अधीन स्वीकृत निक्षेप; और

(ख) कोई अन्य स्कीम, जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन अधिसूचित किया जाए।

दूसरी अनुसूची

(धारा 42 देखिए)

कतिपय अधिनियमितियों का संशोधन

भाग 1

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 का संशोधन

1934 के अधिनियम संख्यांक 2 की धारा 45झ का संशोधन।

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झ के खंड (खख) में स्पष्टीकरण 2 के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"**स्पष्टीकरण 3**—किसी सहकारी सोसाइटी द्वारा सदस्यों या शेयर धारकों से, जिस भी नाम से ज्ञात हों, स्वीकार की गई रकमों को, किंतु जिसके अंतर्गत शेयर पूंजी के रूप में प्राप्त रकमें नहीं हैं, इस खंड के प्रयोजनों के लिए निक्षेप समझा जाएगा यदि ऐसे सदस्य या शेयर धारक नाममात्र के या सहबद्ध सदस्य हैं, चाहे जिस भी नाम से ज्ञात हों, जो ऐसी सहकारी सोसाइटी की बैठकों में पूर्ण मताधिकार नहीं रखते हैं।"।

भाग 2

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 का संशोधन

1992 के अधिनियम संख्यांक 15 की धारा 11 का संशोधन।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 में,—

(i) धारा 11 की उपधारा (4) में खंड (ङ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(ङ) प्रतिभूति बाजार से सहबद्ध किसी मध्यवर्ती या किसी व्यक्ति के बैंक खाते या अन्य संपत्ति को, जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के किसी उपबंध के अतिक्रमण में किसी भी रीति में सहयुक्त हैं, नब्बे दिन से अनधिक की किसी अवधि के लिए कुर्क करना:

परंतु बोर्ड, उक्त कुर्की के नब्बे दिन के भीतर धारा 26क के अधीन स्थापित, अधिकारिता रखने वाले विशेष न्यायालय से उक्त कुर्की की पुष्टि अभिप्राप्त करेगा और ऐसी पुष्टि पर ऐसी कुर्की पूर्वोक्त कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान जारी रहेगी तथा उक्त कार्यवाहियों के समापन पर धारा 28क के उपबंध लागू होंगे:

परंतु यह और कि केवल संपत्ति, बैंक खाता या खाते या उसमें किए गए किसी संव्यवहार को, जहां तक वह इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के किसी उपबंध के अतिक्रमण में वास्तविक रूप से अंतर्वलित आगमों से संबंधित है, को कुर्क किए जाने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा।";

(ii) धारा 28क में स्पष्टीकरण 3 के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"**स्पष्टीकरण 4**—आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 220 में निर्दिष्ट ब्याज उस तारीख से प्रारंभ होगा जिसको व्यक्ति द्वारा रकम संदेय हुई थी।"। 1961 का 43

भाग 3

बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 का संशोधन

2002 के अधिनियम संख्यांक 39 की धारा 67 का संशोधन।

बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 की धारा 67 की उपधारा (1) में,—

(क) "सहकारी सोसाइटी बाह्य स्रोतों से निक्षेप" शब्दों के स्थान पर "सहकारी सोसाइटी अपने मत देने वाले सदस्यों से निक्षेप, बाह्य स्रोतों से" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"**स्पष्टीकरण**—शंकाओं को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि कोई बहुराज्य सहकारी सोसाइटी मत देने वाले सदस्यों से भिन्न व्यक्तियों से निक्षेप प्राप्त करने की हकदार नहीं होगी।"।

वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम 2019

(2019 का अधिनियम संख्यांक 23)

[1 अगस्त 2019]

वित्तीय वर्ष 2019-2020 के लिए केन्द्रीय सरकार की वित्तीय प्रस्थापनाओं को प्रभावी करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2019 है ।

(2) इस अधिनियम में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय,—

(क) धारा 2 से धारा 69 तक 1 अप्रैल, 2019 को प्रवृत्त हुई समझी जाएंगी;

(ख) धारा 92 से धारा 112 और धारा 114 उस तारीख को प्रवृत्त होंगी जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

अध्याय 2

आय-कर की दरें

आय-कर ।

2. (1) उपधारा (2) और उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, 1 अप्रैल, 2019 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए आय-कर, पहली अनुसूची के भाग 1 में विनिर्दिष्ट दरों से प्रभारित किया जाएगा और ऐसे कर में, प्रत्येक दशा में, उसमें उपबंधित रीति से, परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा।

(2) उन दशाओं में, जिनमें पहली अनुसूची के भाग 1 का पैरा क लागू होता है, जहां निर्धारिती की, पूर्ववर्ष में, कुल आय के अतिरिक्त, पांच हजार रुपए से अधिक कोई शुद्ध कृषि-आय है, और कुल आय दो लाख पचास हजार रुपए से अधिक हो जाती है वहां,—

(क) शुद्ध कृषि-आय को, कुल आय के संबंध में केवल आय-कर प्रभारित करने के प्रयोजन के लिए, खंड (ख) में उपबंधित रीति से हिसाब में लिया जाएगा [अर्थात्, मानो शुद्ध कृषि-आय कुल आय के प्रथम दो लाख पचास हजार रुपए के पश्चात् कुल आय में समाविष्ट हो, किंतु कर के दायित्वाधीन न हो]; और

(ख) प्रभार्य आय-कर निम्नलिखित रीति से परिकलित किया जाएगा, अर्थात् :—

(i) कुल आय और शुद्ध कृषि-आय को संकलित कर दिया जाएगा और संकलित आय के संबंध में आय-कर की रकम, उक्त पैरा क में विनिर्दिष्ट दरों से ऐसे अवधारित की जाएगी मानो ऐसी संकलित आय कुल आय हो;

(ii) शुद्ध कृषि-आय में दो लाख पचास हजार रुपए की राशि बढ़ा दी जाएगी और इस प्रकार बढ़ाई गई शुद्ध कृषि-आय के संबंध में आय-कर की रकम, उक्त पैरा क में विनिर्दिष्ट दरों से ऐसे अवधारित की जाएगी, मानो इस प्रकार बढ़ाई गई शुद्ध कृषि-आय कुल आय हो;

(iii) उपखंड (i) के अनुसार अवधारित आय-कर की रकम में से उपखंड (ii) के अनुसार अवधारित आय-कर की रकम घटा दी जाएगी और इस प्रकार प्राप्त राशि, कुल आय के संबंध में आय-कर होगी :

परंतु यह और कि पहली अनुसूची के भाग 1 के पैरा क की मद (II) में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी है और पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय साठ वर्ष का या उससे अधिक, किंतु अस्सी वर्ष से कम आयु का है, इस धारा के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे मानो "दो लाख पचास हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर, "तीन लाख रुपए" शब्द रखे गए हों :

परंतु यह और कि पहली अनुसूची के भाग 1 के पैरा क की मद (III) में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी है और पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय अस्सी वर्ष या अधिक आयु का है, इस उपधारा के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे मानो "दो लाख पचास हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर, "पांच लाख रुपए" शब्द रखे गए हों ।

(3) उन दशाओं में, जिनमें आय-कर अधिनियम, 1961 (जिसे इसमें इसके पश्चात् आय-कर अधिनियम कहा गया है) के अध्याय 12 या अध्याय 12क या धारा 115ञख या धारा 115ञग या अध्याय 12चक या अध्याय 12चख या धारा 161 की उपधारा (1क) या धारा 164 या धारा 164क या धारा 167ख के उपबंध लागू होते हैं, प्रभार्य कर का अवधारण, उस अध्याय या उस धारा में यथा उपबंधित रीति से, और, यथास्थिति, उपधारा (1) द्वारा अधिरोपित दरों के या उस अध्याय या उस धारा में विनिर्दिष्ट दरों के प्रति निर्देश से किया जाएगा : 1961 का 43

परंतु आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, पहली अनुसूची के भाग 1 के, यथास्थिति, पैरा क, पैरा ख, पैरा ग, पैरा घ या पैरा ङ में यथा उपबंधित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु यह और कि किसी ऐसी आय के संबंध में, जो आय-कर अधिनियम की धारा 115क, धारा 115कख, धारा 115कग, धारा 115कगक, धारा 115कघ, धारा 115ख, धारा 115खक, धारा 115खख, धारा 115खखक, धारा 115खखग, धारा 115खखघ, धारा 115खखघक, धारा 115खखच, धारा 115खखछ,

धारा 115ङ, धारा 115ञख या धारा 115ञग के अधीन कर से प्रभार्य है, इस उपधारा के अधीन संगणित आय-कर की रकम में,—

(क) प्रत्येक व्यष्टि या हिंदू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे निगमित हो या न हो, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जहां,—

(i) कुल आय पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से;

(ii) कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के पन्द्रह प्रतिशत की दर से;

(ख) प्रत्येक सहकारी सोसाइटी या फर्म या स्थानीय प्राधिकारी की दशा में, जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से;

(ग) प्रत्येक देशी कंपनी की दशा में,—

(i) जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के सात प्रतिशत की दर से;

(ii) जहां कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से;

(घ) देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में,—

(i) जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के दो प्रतिशत की दर से;

(ii) जहां कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के पांच प्रतिशत की दर से,

परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु यह भी कि उपरोक्त (क) में वर्णित व्यक्तियों की दशा में, जिनकी कुल आय आय-कर अधिनियम की धारा 115ञग के अधीन कर से प्रभार्य है और ऐसी आय,—

(i) पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और उस पर अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम पचास लाख रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो पचास लाख रुपए से अधिक है;

(ii) एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और उस पर अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है :

परंतु यह भी कि उपरोक्त (ख) में वर्णित व्यक्तियों की दशा में, जिनकी कुल आय आय-कर अधिनियम की धारा 115ञग के अधीन कर से प्रभार्य है और ऐसी आय पर आय-कर और उस पर अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है :

परंतु यह भी कि प्रत्येक ऐसी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय आय-कर अधिनियम की धारा 115ञख के अधीन कर से प्रभार्य है और ऐसी आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और उस पर अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है :

परंतु यह भी कि प्रत्येक ऐसी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय आय-कर अधिनियम की धारा 115ञख के अधीन कर से प्रभार्य है और ऐसी आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और उस पर अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम दस करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो दस करोड़ रुपए से अधिक है :

परंतु यह भी कि आय-कर अधिनियम की धारा 115खखङ की उपधारा (1) के खंड (i) के अधीन कर से प्रभार्य किसी आय के संबंध में, इस उपधारा द्वारा संगणित आय-कर की रकम को ऐसे कर के पच्चीस प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा ।

(4) उन दशाओं में, जिनमें कर, आय-कर अधिनियम की धारा 92गङ की उपधारा (2क) या धारा 115ण या धारा 115थक या धारा 115द की उपधारा (2) या धारा 115नक या धारा 115नघ के अधीन प्रभारित और संदत्त किया जाना है, उन धाराओं में यथा विनिर्दिष्ट दर से प्रभारित और संदत्त किया जाएगा और उसमें ऐसे कर के बारह प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा ।

(5) उन दशाओं में, जिनमें कर, आय-कर अधिनियम की धारा 193, धारा 194, धारा 194क, धारा 194ख, धारा 194खख, धारा 194घ, धारा 194ठखक, धारा 194ठखख, धारा 194ठखग और धारा 195 के अधीन प्रवृत्त दरों से काटा जाना है, उनमें कटौतियां पहली अनुसूची के भाग 2 में विनिर्दिष्ट दरों से की जाएंगी और उन मामलों में, जहां कहीं विहित किया गया हो, उसमें उपबंधित रीति से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

(6) उन दशाओं में, जिनमें कर, आय-कर अधिनियम की धारा 192क, धारा 194ग, धारा 194घक, धारा 194ङ, धारा 194ङङ, धारा 194च, धारा 194छ, धारा 194ज, धारा 194झ, धारा 194झक, धारा 194झख, धारा 194झग, धारा 194ञ, धारा 194ठक, धारा 194ठख, धारा 194ठखक, धारा 194ठखख, धारा 194ठखग, धारा 194ठग, धारा 194ठघ, धारा 194ड, धारा 194ढ, धारा 196ख, धारा 196ग और धारा 196घ के अधीन काटा जाना है, कटौतियां उन धाराओं में विनिर्दिष्ट दरों से की जाएंगी और उसमें,—

(क) प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय की, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति, जो अनिवासी है, की दशा में,—

(i) जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का योग और जो कटौतियों के अधीन रहते हुए पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से;

(ii) जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का योग और जो कटौतियों के अधीन रहते हुए एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के पंद्रह प्रतिशत की दर से;

(iii) जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का योग और जो कटौतियों के अधीन रहते हुए दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के पच्चीस प्रतिशत की दर से;

(iv) जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का योग और जो कटौतियों के अधीन रहते हुए, पांच करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के सैंतीस प्रतिशत की दर से;

(ख) प्रत्येक सहकारी सोसाइटी या फर्म, जो अनिवासी है, की दशा में, जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का योग और जो कटौतियों के अधीन रहते हुए एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के बारह प्रतिशत की दर से;

(ग) देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में,—

(i) जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का योग और जो कटौतियों के अधीन रहते हुए एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के दो प्रतिशत की दर से;

(ii) जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का योग और जो कटौतियों के अधीन रहते हुए दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के पांच प्रतिशत की दर से,

परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

(7) उन दशाओं में, जिनमें कर का संग्रहण, आय-कर अधिनियम की धारा 194ख के परंतुक के अधीन किया जाना है, ऐसा संग्रहण, पहली अनुसूची के भाग 2 में विनिर्दिष्ट दरों से किया जाएगा और उन दशाओं में, जहां-कहीं विहित किया गया हो, उसमें उपबंधित रीति से परिकलित अधिभार संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

(8) उन दशाओं में, जिनमें कर का संग्रहण, आय-कर अधिनियम की धारा 206ग के अधीन किया जाना है, ऐसा संग्रहण, उस धारा में विनिर्दिष्ट दरों से किया जाएगा और उसमें,—

(क) प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि निकाय की, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में,—

(i) संगृहीत और संग्रहण के अधीन रकम या ऐसी रकमों का योग पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से;

(ii) संगृहीत और संग्रहण के अधीन रकम या ऐसी रकमों का योग एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के पंद्रह प्रतिशत की दर से;

(iii) जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का योग और संग्रहण के अधीन रहते हुए दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के पच्चीस प्रतिशत की दर से;

(iv) जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का योग और संग्रहण के अधीन रहते हुए, पांच करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के सैंतीस प्रतिशत की दर से;

(ख) प्रत्येक सहकारी सोसाइटी या फर्म, जो अनिवासी है, की दशा में, जहां संगृहीत और संग्रहण के अधीन रकम या ऐसी रकमों का योग एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के बारह प्रतिशत की दर से;

(ग) देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में,—

(i) जहां संगृहीत और संग्रहण के अधीन रकम या ऐसी रकमों का योग एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के दो प्रतिशत की दर से;

(ii) जहां संगृहीत और संग्रहण के अधीन रकम या ऐसी रकमों का योग दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के पांच प्रतिशत की दर से,

परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

(9) उपधारा (10) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उन दशाओं में, जिनमें आय-कर, प्रवृत्त दर या दरों से, आय-कर अधिनियम की धारा 172 की उपधारा (4) या धारा 174 की उपधारा (2) या धारा 174क या धारा 175 या धारा 176 की उपधारा (2) के अधीन प्रभारित किया जाना है या उक्त अधिनियम की धारा 192 के अधीन "वेतन" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय में से काटा जाना है, या उस पर संदत्त किया जाना है अथवा उक्त अधिनियम के अध्याय 17ग के अधीन संदेय "अग्रिम कर" की संगणना की जानी है, यथास्थिति, ऐसा आय-कर या "अग्रिम कर", पहली अनुसूची के भाग 3 में विनिर्दिष्ट दर या दरों से इस प्रकार प्रभारित किया जाएगा, काटा जाएगा या संगणित किया जाएगा और ऐसे कर में, प्रत्येक दशा में, उसमें उपबंधित रीति से, परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु उन दशाओं में, जिनमें आय-कर अधिनियम के अध्याय 12 या अध्याय 12क या धारा 115ञख या धारा 115ञग या अध्याय 12चक या अध्याय 12चख या धारा 161 की उपधारा (1क) या धारा 164 या धारा 164क या धारा 167ख के उपबंध लागू होते हैं, "अग्रिम कर" की संगणना, यथास्थिति, इस उपधारा द्वारा अधिरोपित दरों के या उस अध्याय या धारा में विनिर्दिष्ट दरों के प्रति निर्देश से की जाएगी :

परंतु यह और कि आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 या धारा 112क के उपबंधों के अनुसार संगणित "अग्रिम कर" की रकम में, पहली अनुसूची के भाग 3 के, यथास्थिति, पैरा क, पैरा ख, पैरा ग, पैरा घ या पैरा ङ में यथा उपबंधित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु यह भी कि आय-कर अधिनियम की धारा 115क, धारा 115कख, धारा 115कग, धारा 115कगक, धारा 115कघ, धारा 115ख, धारा 115खक, धारा 115खख, धारा 115खखक, धारा 115खखग, धारा 115खखघ, धारा 115खखघक, धारा 115खखच, धारा 115खखछ, धारा 115ङ, धारा 115ञख या धारा 115ञग के अधीन कर से प्रभार्य किसी आय के संबंध में पहले परंतुक के अधीन संगणित "अग्रिम कर" में,—

(क) प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि निकाय की, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, —

(i) जहां कुल आय पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे "अग्रिम कर" के दस प्रतिशत की दर से;

(ii) जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे "अग्रिम कर" के पंद्रह प्रतिशत की दर से;

(iii) जहां कुल आय दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे "अग्रिम कर" के पच्चीस प्रतिशत की दर से;

(iv) जहां कुल आय पांच करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे "अग्रिम कर" के सैंतीस प्रतिशत की दर से;

(ख) प्रत्येक सहकारी सोसाइटी या फर्म या स्थानीय प्राधिकारी की दशा में, जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे "अग्रिम कर" के बारह प्रतिशत की दर से;

(ग) प्रत्येक देशी कंपनी की दशा में,—

(i) जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे "अग्रिम कर" के सात प्रतिशत की दर से;

(ii) जहां कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे "अग्रिम कर" के बारह प्रतिशत की दर से;

(घ) देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में,—

(i) जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे "अग्रिम कर" के दो प्रतिशत की दर से;

(ii) जहां कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे "अग्रिम कर" के पांच प्रतिशत की दर से,

परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु यह भी कि उपरोक्त (क) में वर्णित व्यक्तियों की दशा में, जिनकी आय-कर अधिनियम की धारा 115ञग के अधीन कर से प्रभार्य कुल आय है और ऐसी आय,—

(क) पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर "अग्रिम कर" के रूप में संदेय कुल रकम और उस पर अधिभार की रकम पचास लाख रुपए की कुल आय पर "अग्रिम कर" के रूप में संदेय कुल रकम पर आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो पचास लाख रुपए से अधिक है;

(ख) एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर "अग्रिम कर" के रूप में संदेय कुल रकम और उस पर अधिभार की रकम एक करोड़ रुपए की कुल आय पर "अग्रिम कर" के रूप में संदेय कुल रकम पर आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है;

(ग) दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर "अग्रिम कर" के रूप में संदेय कुल रकम और उस पर अधिभार की रकम दो करोड़ रुपए की कुल आय

पर "अग्रिम कर" के रूप में संदेय कुल रकम पर आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो दो करोड़ रुपए से अधिक है;

(घ) पांच करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर "अग्रिम कर" के रूप में संदेय कुल रकम और उस पर अधिभार की रकम पांच करोड़ रुपए की कुल आय पर "अग्रिम कर" के रूप में संदेय कुल रकम पर आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो पांच करोड़ रुपए से अधिक है :

परंतु उपरोक्त (ख) में वर्णित व्यक्तियों की दशा में, जिनकी आय-कर अधिनियम की धारा 115ञग के अधीन कर से प्रभार्य कुल आय है और ऐसी आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर "अग्रिम कर" के रूप में संदेय कुल रकम और उस पर अधिभार की रकम एक करोड़ रुपए की कुल आय पर "अग्रिम कर" के रूप में संदेय कुल रकम पर आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है :

परंतु यह भी कि ऐसी प्रत्येक कंपनी की दशा में, जिसकी आय-कर अधिनियम की धारा 115ञख के अधीन कर से प्रभार्य कुल आय है और ऐसी आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर "अग्रिम कर" के रूप में संदेय कुल रकम और उस पर अधिभार की रकम एक करोड़ रुपए की कुल आय पर "अग्रिम कर" के रूप में संदेय कुल रकम पर आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है :

परंतु यह भी कि ऐसी प्रत्येक कंपनी की दशा में, जिसकी आय-कर अधिनियम की धारा 115ञख के अधीन कर से प्रभार्य कुल आय है और ऐसी आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर "अग्रिम कर" के रूप में संदेय कुल रकम और उस पर अधिभार की रकम दस करोड़ रुपए की कुल आय पर "अग्रिम कर" के रूप में संदेय कुल रकम पर आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो दस करोड़ रुपए से अधिक है :

परंतु यह भी कि आय-कर अधिनियम की धारा 115खखङ की उपधारा (1) के खंड (i) के अधीन कर से प्रभार्य पहले परंतुक के अधीन संगणित "अग्रिम कर" को ऐसे कर के पच्चीस प्रतिशत की दर से, परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा ।

(10) उन दशाओं में, जिनमें पहली अनुसूची के भाग 3 का पैरा क लागू होता है, जहां निर्धारिती की पूर्ववर्ष में या यदि आय-कर अधिनियम के किसी उपबंध के आधार पर आय-कर पूर्ववर्ष से भिन्न किसी अवधि की आय के संबंध में प्रभारित किया जाना है, ऐसी अन्य अवधि में कुल आय के अतिरिक्त पांच हजार रुपए से अधिक कोई शुद्ध कृषि-आय भी है और कुल आय दो लाख पचास हजार रुपए से अधिक है, वहां प्रवृत्त दर या दरों से, उक्त अधिनियम की धारा 174 की उपधारा (2) या धारा 174क या धारा 175 या धारा 176 की उपधारा (2) के अधीन आय-कर प्रभारित करने में अथवा उक्त अधिनियम के अध्याय 17ग के अधीन संदेय "अग्रिम कर" की संगणना करने में,—

(क) शुद्ध कृषि-आय को, कुल आय के संबंध में, केवल, यथास्थिति, ऐसा आय-कर या "अग्रिम कर" प्रभारित या संगणित करने के प्रयोजन के लिए, खंड (ख) में उपबंधित रीति से हिसाब में लिया जाएगा, अर्थात्, मानो शुद्ध कृषि-आय कुल आय के प्रथम दो लाख पचास हजार रुपए के पश्चात् कुल आय में समाविष्ट हो, किंतु कर के दायित्वाधीन न हो; और

(ख) यथास्थिति, ऐसा आय-कर या "अग्रिम कर" निम्नलिखित रीति से प्रभारित या संगणित किया जाएगा, अर्थात्:—

(i) कुल आय और शुद्ध कृषि-आय को संकलित किया जाएगा और संकलित आय के संबंध में आय-कर या "अग्रिम कर" की रकम, उक्त पैरा क में विनिर्दिष्ट दरों से ऐसे अवधारित की जाएगी मानो ऐसी संकलित आय कुल आय हो;

(ii) शुद्ध कृषि-आय में दो लाख पचास हजार रुपए की राशि बढ़ा दी जाएगी और इस प्रकार बढ़ाई गई शुद्ध कृषि-आय के संबंध में आय-कर या "अग्रिम कर" की रकम, उक्त पैरा क में विनिर्दिष्ट दरों से ऐसे अवधारित की जाएगी, मानो शुद्ध कृषि-आय कुल आय हो;

(iii) उपखंड (i) के अनुसार अवधारित आय-कर या "अग्रिम कर" की रकम में से उपखंड (ii) के अनुसार अवधारित, यथास्थिति, आय-कर या "अग्रिम कर" की रकम घटा दी जाएगी और इस प्रकार प्राप्त राशि, कुल आय के संबंध में, यथास्थिति, आय-कर या "अग्रिम कर" होगी :

परंतु ऐसे प्रत्येक व्यष्टि की दशा में, जो पहली अनुसूची के भाग 3 के पैरा क की मद (II) में निर्दिष्ट भारत में निवासी है और पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय साठ वर्ष या उससे अधिक, किंतु अस्सी वर्ष से कम की

आयु का है, इस उपधारा के उपबंध ऐसे प्रभावी होंगे मानो "दो लाख पचास हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर, "तीन लाख रुपए" शब्द रखे गए हों :

परंतु यह और कि ऐसे प्रत्येक व्यष्टि की दशा में, जो पहली अनुसूची के भाग 3 के पैरा क की मद (III) में निर्दिष्ट भारत में निवासी है और पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय अस्सी वर्ष या उससे अधिक की आयु का है, इस उपधारा के उपबंध ऐसे प्रभावी होंगे मानो "दो लाख पचास हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर, "पांच लाख रुपए" शब्द रखे गए हों :

परंतु यह भी कि इस प्रकार संकलित आय-कर या "अग्रिम कर" की रकम पर, प्रत्येक दशा में परिकलित अधिभार, उसमें उपबंधित रीति में, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

(11) उपधारा (1) से उपधारा (3) में यथा विनिर्दिष्ट और उसमें उपबंधित रीति से परिकलित, संघ के प्रयोजनों के लिए, अधिभार द्वारा बढ़ाई गई आय-कर की रकम को, ऐसे आय-कर और अधिभार पर चार प्रतिशत की दर से परिकलित "आय-कर पर स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर" नाम से ज्ञात, अतिरिक्त अधिभार द्वारा संघ के प्रयोजनों के लिए और बढ़ा दिया जाएगा, जिससे क्वालिटी स्वास्थ्य सेवाएं और सार्वत्रिक स्तर की क्वालिटी की प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक तथा उच्चतर शिक्षा उपलब्ध कराने और उसका वित्तपोषण करने की सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा किया जा सके ।

(12) उपधारा (4) से उपधारा (10) में यथा विनिर्दिष्ट और उसमें उपबंधित रीति से परिकलित, संघ के प्रयोजनों के लिए, अधिभार द्वारा बढ़ाई गई आय-कर की रकम को, ऐसे आय-कर और अधिभार पर चार प्रतिशत की दर से परिकलित "आय-कर पर स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर" नाम से ज्ञात, अतिरिक्त अधिभार द्वारा संघ के प्रयोजनों के लिए और बढ़ा दिया जाएगा, जिससे सार्वत्रिक स्तर की क्वालिटी की स्वास्थ्य सेवाओं और माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपलब्ध कराने और उसका वित्तपोषण करने की सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा किया जा सके :

परंतु इस उपधारा की कोई बात उन दशाओं में लागू नहीं होगी जिनमें उपधारा (5), उपधारा (6), उपधारा (7) और उपधारा (8) में उल्लिखित आय-कर अधिनियम की धाराओं के अधीन कर की कटौती या संग्रहण किया जाना है, यदि स्रोत पर कर की कटौती या स्रोत पर कर के संग्रहण के अधीन रहते हुए आय को देशी कंपनी और किसी अन्य व्यक्ति को, जो भारत में निवासी है, संदत्त किया जाता है ।

(13) इस धारा और पहली अनुसूची के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "देशी कंपनी" से कोई भारतीय कंपनी या कोई अन्य ऐसी कंपनी अभिप्रेत है, जिसने 1 अप्रैल, 2019 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए, आय-कर अधिनियम के अधीन आय-कर के दायित्वाधीन अपनी आय के संबंध में ऐसी आय में से संदेय लाभांशों (जिनके अंतर्गत अधिमानी शेयरों पर लाभांश भी है) की घोषणा और भारत में उनके संदाय के लिए इंतजाम कर लिए हैं;

(ख) "बीमा कमीशन" से बीमा कारबार की याचना करने या उसे उपाप्त करने के लिए (जिसके अन्तर्गत बीमा पालिसियों को जारी रखने, उनका नवीकरण या उन्हें पुनरुज्जीवित करने से संबंधित कारबार भी है) कमीशन के रूप में या अन्यथा कोई पारिश्रमिक या इनाम अभिप्रेत है;

(ग) किसी व्यक्ति के संबंध में, "शुद्ध कृषि-आय" से, पहली अनुसूची के भाग 4 में अंतर्विष्ट नियमों के अनुसार संगणित, उस व्यक्ति की किसी भी स्रोत से व्युत्पन्न कृषि-आय की कुल रकम अभिप्रेत है;

(घ) अन्य सभी शब्दों या पदों के, जो इस धारा में या पहली अनुसूची में प्रयुक्त हैं, किन्तु इस उपधारा में परिभाषित नहीं हैं और आय-कर अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे, जो उनके उस अधिनियम में हैं ।

अध्याय 3

प्रत्यक्ष कर

आय-कर

धारा 2 का संशोधन।

3. आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (19क) के उपखंड (iii) में निम्नलिखित परंतुक 1 अप्रैल, 2020 से रखा जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु इस उपखंड के उपबंध उस दशा में लागू नहीं होंगे, जहां परिणामी कंपनी ने कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 के उपाबंध में विनिर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों की अनुपालना में

निर्विलीन कंपनी की लेखा-बहियों में निर्विलयन से ठीक पहले प्रकट होने वाले मूल्य से भिन्न मूल्य पर उपक्रम या उपक्रमों की संपत्ति और दायित्वों का मूल्य अभिलिखित किया है ।"।

धारा 9 का संशोधन ।

4. आय-कर अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (vii) के पश्चात् निम्नलिखित खंड 1 अप्रैल, 2020 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(viii) भारत से बाहर उद्भूत होने वाली कोई आय, जो धारा 2 के खंड 24 के उपखंड (xviiक) में निर्दिष्ट कोई धनराशि है, जिसे 5 जुलाई, 2019 को या उसके पश्चात् भारत में निवासी किसी व्यक्ति द्वारा किसी अनिवासी को, जो कंपनी या कोई विदेशी कंपनी नहीं है, संदत्त किया गया है ।"।

धारा 9क का संशोधन ।

5. आय-कर अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (3) में,—

(i) खंड (ञ) के पहले परंतुक में, "ऐसे पूर्ववर्ष के अंत में" शब्दों के स्थान पर, "इसके स्थापित या निगमित किए जाने के मास के अंत से छह मास की अवधि के अंत में या ऐसे पूर्ववर्ष के अंत में, जो भी पश्चात्वर्ती हो," शब्द रखे जाएंगे;

(ii) खंड (ड) में, "उक्त क्रियाकलाप की सन्निकट कीमत" शब्दों के स्थान पर, "ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, संगणित रकम" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 10 का संशोधन ।

6. आय-कर अधिनियम की धारा 10 में,—

(I) खंड (4ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(4ग) 17 सितंबर, 2018 से प्रारंभ होने वाली और 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान, धारा 194ठग की उपधारा (2) के खंड (iक) में यथानिर्दिष्ट रुपए में अंकित मूल्य के बंधपत्र के निर्गमन द्वारा भारत के बाहर किसी स्रोत से उधार ली गई धनराशियों के संबंध में किसी ऐसे अनिवासी को, जो कोई कंपनी नहीं है या भारतीय कंपनी या कारबार न्यास द्वारा किसी विदेशी कंपनी को ब्याज के रूप में संदेय कोई आय ;";

(II) इस प्रकार अंतःस्थापित खंड (4ग) के पश्चात् निम्नलिखित 1 अप्रैल, 2020 से अंतःस्थापित किया जाएगा अर्थात्:—

"(4घ) किसी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र में अवस्थित किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में धारा 47 के खंड (viiकख) में निर्दिष्ट किसी पूंजी आस्ति के अंतरण के परिणामस्वरूप किसी विनिर्दिष्ट निधि को व्युत्पन्न या उद्भूत या उसके द्वारा प्राप्त की गई कोई आय और जहां ऐसे संव्यवहार के लिए प्रतिफल को संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में, किसी अनिवासी द्वारा धारित यूनिटों के संबंध में व्युत्पन्न या उद्भूत या प्राप्त ऐसी आय की सीमा तक संदत्त किया गया है या संदेय है ।";

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा" से ऐसी विदेशी मुद्रा अभिप्रेत है, जिसे तत्समय भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 और तद्धीन बनाए गए नियमों के प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा के रूप में माना जाता है; 1999 का 42

(ख) "प्रबंधक" का वही अर्थ होगा, जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के अधीन बनाए गए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (वैकल्पिक विनिधान निधि) विनियम, 2012 के विनियम 2 के उपविनियम (1) के खंड (थ) में उसका है; 1992 का 15

(ग) "विनिर्दिष्ट निधि" से किसी न्यास या कंपनी या सीमित दायित्व भागीदारी या किसी निगम निकाय के रूप में भारत में स्थापित या निगमित ऐसी निधि अभिप्रेत है,—

(i) जिसे प्रवर्ग 3 की वैकल्पिक विनिधान निधि के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र मंजूर किया गया है और जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के अधीन बनाए गए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (वैकल्पिक विनिधान निधि) विनियम, 2012 के अधीन विनियमित है; 1992 का 15

(ii) जो किसी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र में अवस्थित है;

(iii) जिसके किसी प्रायोजक या प्रबंधक द्वारा धारित यूनिटों से भिन्न सभी यूनिट अनिवासियों द्वारा धारण किए गए हैं;

(घ) "प्रायोजक" का वही अर्थ होगा, जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के अधीन बनाए गए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (वैकल्पिक विनिधान निधि) विनियम, 2012 के विनियम 2 के उपविनियम (1) के खंड (ब) में उसका है; 1992 का 15

(ङ) "न्यास" से भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन स्थापित कोई न्यास अभिप्रेत है; 1882 का 2

(च) "यूनिट" से किसी विनिधानकर्ता का किसी निधि में कोई फायदाग्राही हित अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत शेयर या भागीदारी हित भी हैं;';

(III) 1 अप्रैल, 2020 से,—

(क) खंड (12क) में, "चालीस प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर "साठ प्रतिशत" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) खंड (15) में, उपखंड (viii) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'(ix) किसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में अवस्थित किसी इकाई द्वारा किसी अनिवासी को, उसके द्वारा 1 सितंबर, 2019 को या उसके पश्चात् उधार ली गई रकम के संबंध में संदेय ब्याज के रूप में कोई आय।

स्पष्टीकरण—इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र" का वही अर्थ होगा, जो उसका विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 2 के खंड (थ) में है; 2005 का 28

(ख) "इकाई" का वही अर्थ होगा, जो उसका विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 2 के खंड (यग) में है;'; 2005 का 28

(IV) खंड (23ग) में 1 सितम्बर, 2019 से,—

(क) दूसरे परंतुक में "आवश्यक समझे और विहित प्राधिकारी" शब्दों के स्थान पर, "आवश्यक समझे और, यथास्थिति, ऐसी निधि या न्यास या संस्था या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन ऐसी अपेक्षाओं का अनुपालन, जो उसके उद्देश्यों की पूर्ति के प्रयोजनों के लिए सारवान् है और विहित प्राधिकारी" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) पन्द्रहवें परंतुक में", (ii) ऐसी निधि या न्यास से "प्रारंभ होने वाले" और भी अनुमोदित किया गया था" शब्दों पर समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(ii) ऐसी निधि या संस्था या न्यास या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था के क्रियाकलाप—

(अ) प्रमाणित नहीं है; या

(आ) ऐसी सभी या किन्हीं शर्तों के अनुसार नहीं किए जा रहे हैं, जिनके अधीन उसे अधिसूचित या अनुमोदित किया गया था; या

(iii) ऐसी निधि या संस्था या न्यास या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था ने तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि की किसी अपेक्षा का अनुपालन नहीं किया है और ऐसे आदेश, निदेश या डिक्री के संबंध में, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, जिसके द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि ऐसा अननुपालन हुआ है, या तो विवाद नहीं किया गया है या उसने अंतिमता प्राप्त कर ली है;";

(V) खंड (34क) में, "(जो किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं है)" कोष्ठकों और शब्दों का 5 जुलाई, 2019 से लोप किया जाएगा ।

धारा 12कक का संशोधन ।

7. आय-कर अधिनियम की धारा 12कक में, 1 सितंबर, 2019 से—

(I) उपधारा (1) में,—

(i) खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(क) न्यास या संस्था से ऐसे दस्तावेज या जानकारी मंगा सकेगा, जिन्हें वह स्वयं का निम्नलिखित के बारे में समाधान करने के लिए आवश्यक समझे,—

(i) न्यास या संस्था के क्रियाकलापों की असलियत; और

(ii) न्यास या संस्था द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी ऐसी अन्य विधि का अनुपालन, जिसका अनुपालन इस कारण से अपेक्षित है कि वह उसके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए तात्विक है,

और वह ऐसी जांच भी कर सकेगा, जो वह इस निमित्त आवश्यक समझे; और";

(ii) खंड (ख) में, "उसके क्रियाकलापों की असलियत" शब्दों के स्थान पर, "खंड (क) के उपखंड (i) के अधीन यथा अपेक्षित असलियत और उक्त खंड के

उपखंड (ii) के अधीन अपेक्षाओं के अनुपालन" शब्द, अक्षर, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे;

(II) उपधारा (4) में "न्यास या संस्था के क्रियाकलापों" से आरंभ होने वाले और "ऐसे न्यास या संस्था के रजिस्ट्रीकरण को लिखित आदेश द्वारा रद्द कर सकेगा" शब्दों पर समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(क) न्यास या संस्था द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलाप ऐसी रीति में किए जा रहे हैं कि धारा 11 और धारा 12 के उपबंध इस प्रकार लागू नहीं होते हैं कि ऐसे न्यास या संस्था की संपूर्ण आय या उसके किसी भाग को धारा 13 की उपधारा (1) के प्रवर्तन के कारण अपवर्जित किया जाए; या

(ख) न्यास या संस्था ने किसी अन्य विधि की अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं किया है, जैसा कि उपधारा (1) के खंड (क) के उपखंड (ii) में निर्दिष्ट है और आदेश, निदेश या डिक्री, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, जो यह धारित करती है कि ऐसा अननुपालन हुआ है, को या तो विवाद नहीं किया गया है या उसने अंतिमता प्राप्त कर ली है,

तब, प्रधान आयुक्त या आयुक्त लिखित आदेश द्वारा ऐसे न्यास या संस्था के रजिस्ट्रीकरण को रद्द कर सकेगा;"।

धारा 13क का संशोधन ।

8. आय-कर अधिनियम की धारा 13क के पहले परंतुक के खंड (घ) में, "बैंक खाते के माध्यम से" शब्दों के स्थान पर "बैंक खाते के माध्यम से या किसी अन्य ऐसी इलैक्ट्रानिक पद्धति के माध्यम से, जो विहित की जाए," शब्द 1 अप्रैल, 2020 से रखे जाएंगे ।

धारा 35कघ का संशोधन ।

9. आय-कर अधिनियम की धारा 35कघ की उपधारा (8) के खंड (च) में, "बैंक खाते के माध्यम से" शब्दों के स्थान पर "बैंक खाते के माध्यम से या किसी अन्य इलैक्ट्रानिक पद्धति के माध्यम से, जो विहित की जाए," शब्द 1 अप्रैल, 2020 से अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 40 का संशोधन ।

10. आय-कर अधिनियम की धारा 40 के खंड (क) में, 1 अप्रैल, 2020 से,—

(क) उपखंड (i) के पहले परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परंतु यह और कि जहां कोई निर्धारिती, किसी ऐसी राशि पर अध्याय 17ख के उपबंधों के अनुसार संपूर्ण कर या उसके किसी भाग की कटौती करने में असफल रहता है, किंतु उसे धारा 201 की उपधारा (1) के पहले परंतुक के अधीन व्यतिक्रमी निर्धारिती नहीं समझा जाता है, वहां इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए, यह समझा जाएगा कि निर्धारिती ने, उक्त परंतुक में निर्दिष्ट आदाता द्वारा आय की विवरणी प्रस्तुत करने की तारीख को उस राशि पर कर की कटौती कर ली है और उसका संदाय कर दिया है ;";

(ख) उपखंड (ic) के दूसरे परंतुक में, "निवासी" शब्द का लोप किया जाएगा ।

धारा 40क का संशोधन ।

11. आय-कर अधिनियम की धारा 40क में 1 अप्रैल, 2020 से,—

(i) "इलैक्ट्रानिक निकासी पद्धति के उपयोग से" शब्दों के स्थान पर, जहां कहीं वे आते हैं, "या किसी अन्य इलैक्ट्रानिक पद्धति के माध्यम से, जो विहित की जाए," शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उपधारा (4) में, "ऐसे चेक या ड्राफ्ट या किसी बैंक खाते के माध्यम से इलैक्ट्रानिक निकासी पद्धति" शब्दों के पश्चात् "या ऐसी इलैक्ट्रानिक पद्धति, जो विहित की जाए" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 43 का संशोधन ।

12. आय-कर अधिनियम की धारा 43 के खंड (1) के दूसरे परंतुक में, "इलैक्ट्रानिक प्रणाली का उपयोग करके" शब्दों के स्थान पर "इलैक्ट्रानिक प्रणाली का उपयोग करके या किसी अन्य इलैक्ट्रानिक पद्धति के माध्यम से, जो विहित की जाए" शब्द 1 अप्रैल, 2020 से रखे जाएंगे ।

धारा 43ख का संशोधन ।

13. आय-कर अधिनियम की धारा 43ख में, 1 अप्रैल, 2020 से,—

(i) खंड (घ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(घक) किसी ऐसी राशि की बाबत, जो निर्धारिती द्वारा ऐसे ऋण या उधार को शासित करने वाले करार के निबंधनों और शर्तों के अनुसार किसी निक्षेप लेने वाली गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी या किसी सुव्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण निक्षेप न लेने वाली गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय है; या";

(ii) स्पष्टीकरण 3क के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"स्पष्टीकरण 3कक—शंकाओं को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि जहां खंड (घक) में निर्दिष्ट किसी राशि की बाबत कोई कटौती, उस पूर्ववर्ती वर्ष की (जो 1 अप्रैल, 2019 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष या किसी पूर्वत्तर निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ती वर्ष है) धारा 28 में निर्दिष्ट आय की संगणना में अनुज्ञात की जाती है, जिसमें निर्धारिती द्वारा ऐसी राशि

का संदाय करने का दायित्व उपगत किया गया था, वहां निर्धारिती उस पूर्ववर्ती वर्ष की, जिसमें राशि का उसके द्वारा वस्तुतः संदाय किया गया है, आय की संगणना करने में इस धारा के अधीन ऐसी राशि की बाबत किसी कटौती का हकदार नहीं होगा ।";

(iii) स्पष्टीकरण 3ग के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"स्पष्टीकरण 3गक—शंकाओं को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि किसी ऐसी राशि की कटौती, जो खंड (घक) के अधीन संदेय ब्याज है, तभी अनुज्ञात होगी यदि ऐसे ब्याज का वस्तुतः संदाय किया गया है और उक्त उपखंड में निर्दिष्ट ऐसा ब्याज, जिसे ऋण या उधार में संपरिवर्तित कर दिया गया है, वस्तुतः संदाय किया हुआ नहीं समझा जाएगा।";

(iv) स्पष्टीकरण 4 में खंड (घ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

'(ङ) "निक्षेप लेने वाली गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी" से कोई गैर–बैंककारी वित्तीय कंपनी अभिप्रेत है, जो लोक निक्षेप ग्रहण या धारित करती है और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के उपबंधों के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक में रजिस्ट्रीकृत है; 1934 का 2

(च) "गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी" का वही अर्थ होगा, जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झ के खंड (च) में उसका है; 1934 का 2

(छ) "सुव्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण निक्षेप न लेने वाली गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी" से ऐसी गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी अभिप्रेत है जो लोक निक्षेप ग्रहण या धारित नहीं करती है और जिसकी कुल आस्तियां अंतिम संपरीक्षित तुलनपत्र के अनुसार पांच अरब रुपए से कम नहीं है तथा जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के उपबंधों के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक में रजिस्ट्रीकृत है ।'। 1934 का 2

धारा 43गक का संशोधन ।

14. आय-कर अधिनियम की धारा 43गक की उपधारा (4) में, "इलैक्ट्रानिक निकासी प्रणाली का उपयोग करके" शब्दों के स्थान पर "इलैक्ट्रानिक निकासी प्रणाली का उपयोग करके या किसी अन्य इलैक्ट्रानिक पद्धति के माध्यम से, जो विहित की जाए" शब्द 1 अप्रैल, 2020 से रखे जाएंगे ।

धारा 43घ का संशोधन ।

15. आय-कर अधिनियम की धारा 43घ में, 1 अप्रैल, 2020 से,—

(i) खंड (क) में, "राज्य औद्योगिक विनिधान निगम" शब्दों के पश्चात्, "या निक्षेप लेने वाली गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी या सुव्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण निक्षेप न लेने वाली गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ii) दीर्घ पंक्ति में, "राज्य औद्योगिक विनिधान निगम या" शब्दों के पश्चात्, "कोई निक्षेप लेने वाली गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी या सुव्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण निक्षेप न लेने वाली गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी या" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(iii) स्पष्टीकरण में, खंड (छ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'(ज) "निक्षेप लेने वाली गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी", "गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी" और "सुव्यवस्थित महत्वपूर्ण निक्षेप न लेने वाली गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी" पदों का वही अर्थ होगा, जो धारा 43ख के स्पष्टीकरण 4 के खंड (ङ), खंड (च) और खंड (छ) में उनका है ।'।

धारा 44कघ का संशोधन ।

16. आय-कर अधिनियम की धारा 44कघ की उपधारा (1) के परंतुक में "इलैक्ट्रानिक प्रणाली का उपयोग करके" शब्दों के पश्चात् "या किसी अन्य इलैक्ट्रानिक पद्धति के माध्यम से, जो विहित की जाए" शब्द 1 अप्रैल, 2020 से अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 47 का संशोधन ।

17. आय-कर अधिनियम की धारा 47 के खंड (viiकख) में और दीर्घ पंक्ति के पहले 1 अप्रैल, 2020 से,—

(अ) उपखंड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखंड रखे जाएंगे, अर्थात्:—

"(ग) व्युत्पन्नियां ; या

(घ) अन्य ऐसी प्रतिभूतियां, जो इस निमित्त केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाएं।";

(आ) स्पष्टीकरण में, खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

'(घ) "प्रतिभूति" का वही अर्थ होगा, जो प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (ज) में उसका है;'। 1956 का 32

धारा 50ग का संशोधन ।

18. आय-कर अधिनियम की धारा 50ग की उपधारा (1) के दूसरे परंतुक में "समाशोधन प्रणाली के उपयोग द्वारा" शब्दों के पश्चात् "या किसी अन्य इलैक्ट्रानिक पद्धति के माध्यम से, जो विहित की जाए" शब्द 1 अप्रैल, 2020 से अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 50गक का संशोधन ।

19. आय-कर अधिनियम की धारा 50गक में, स्पष्टीकरण से पूर्व निम्नलिखित परंतुक 1 अप्रैल, 2020 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु इस धारा के उपबंध प्राप्त या प्रोद्भावी किसी ऐसे प्रतिफल को लागू नहीं होंगे, जो व्यक्तियों के ऐसे वर्ग द्वारा अंतरण के परिणामस्वरूप और ऐसी शर्तों के, जो विहित किए जाएं, अध्यधीन है ।"।

धारा 54छख का संशोधन ।

20. आय-कर अधिनियम की धारा 54छख में, 1 अप्रैल, 2020 से,—

(i) उपधारा (4) में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'परंतु उपधारा (6) के खंड (घ) के परंतुक में निर्दिष्ट किसी पात्र स्टार्ट-अप द्वारा अर्जित किसी नई आस्ति की दशा में, जो कम्प्यूटर या कम्प्यूटर साफ्टवेयर है, इस उपधारा के उपबंध ऐसे प्रभावी होंगे मानो "पांच वर्ष" शब्दों के स्थान पर "तीन वर्ष" शब्द रख दिए गए हों :';

(ii) उपधारा (5) के परंतुक में, "2019" अंकों के स्थान पर, "2021" अंक रखे जाएंगे;

(iii) उपधारा (6) के खंड (ख) के उपखंड (iii) में, "पचास" शब्द के स्थान पर, दोनों स्थानों पर, जहां-जहां वह आता है, "पच्चीस" शब्द रखा जाएगा ।

धारा 56 का संशोधन ।

21. आय-कर अधिनियम की धारा 56 की उपधारा (2) में,—

(i) खंड (viiख) में 1 अप्रैल, 2020 से,—

(क) परंतुक के खंड (i) में "जोखिम पूंजी निधि" शब्दों के स्थान पर, "जोखिम पूंजी निधि या कोई विनिर्दिष्ट निधि" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यह और कि जहां इस खंड के उपबंधों को, पहले परंतुक के खंड (ii) के अधीन जारी की गई अधिसूचना में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने के मद्दे लागू नहीं किया गया है और कंपनी ऐसी शर्तों में से किसी शर्त का अनुपालन करने में असफल रहती है, वहां शेयर के पुरोधरण के लिए प्राप्त किया गया कोई प्रतिफल, जो ऐसे शेयर के उचित बाजार मूल्य से अधिक है, उस वित्तीय वर्ष के लिए, जिसमें उक्त शर्तों में से किसी शर्त का पालन करने की असफलता हुई है, उस कंपनी की आय–कर से प्रभार्य आय समझा जाएगा और यह भी समझा जाएगा कि कंपनी ने उक्त पूर्ववर्ष के लिए धारा 270क की उपधारा (8) और उपधारा (9) में निर्दिष्ट गलत रिपोर्ट दिए जाने के परिणामस्वरूप उक्त आय को कम रिपोर्ट किया है;";

(ग) स्पष्टीकरण के खंड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

'(कक) "विनिर्दिष्ट निधि" से ऐसी निधि अभिप्रेत है, जिसे किसी न्यास या कंपनी या सीमित दायित्व भागीदारी या निगमित निकाय के रूप में भारत में स्थापित किया गया है या निगमित किया गया है और जिसे प्रवर्ग 1 या प्रवर्ग 2 की वैकल्पिक विनिधान निधि के रूप में रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र दिया गया है और जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के अधीन बनाए गए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (वैकल्पिक विनिधान निधि) विनियम, 2012 द्वारा विनियमित है;

1992 का 15

1882 का 2

(कख) "न्यास" से भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन स्थापित कोई न्यास अभिप्रेत है ।';

(ii) खंड (viii) में "धारा 145क के खंड (ख) में" शब्दों, अंकों, अक्षरों और कोष्ठकों के स्थान पर "धारा 145ख की उपधारा (1) में" शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक रखे जाएंगे और 1 अप्रैल, 2017 से रखे गए समझे जाएंगे;

(iii) खंड (x) में,—

(अ) उपखंड (ख) के दूसरे परंतुक में "इलैक्ट्रानिक निकासी प्रणाली का उपयोग करते हुए" शब्दों के स्थान पर, "इलैक्ट्रानिक निकासी प्रणाली का उपयोग करते हुए या किसी ऐसी अन्य इलैक्ट्रानिक पद्धति से, जो विहित की जाए," शब्द 1 अप्रैल, 2020 से रखे जाएंगे;

(आ) परंतुक में, खंड (X) के पश्चात्, 1 अप्रैल, 2020 से निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(XI) व्यक्तियों के ऐसे वर्ग से और ऐसी शर्तों, जो विहित की जाएं, के अधीन रहते हुए ।"।

धारा 79 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

22. आय-कर अधिनियम की धारा 79 के स्थान पर निम्नलिखित धारा 1 अप्रैल, 2020 से रखी जाएगी, अर्थात् :—

कतिपय कंपनियों की दशा में हानियों का अग्रनीत किया जाना और उनका मुजरा किया जाना ।

'79. (1) इस अध्याय में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी कंपनी की दशा में, जो ऐसी कंपनी नहीं है, जिसमें जनता सारवान् रूप से हितबद्ध है, पूर्ववर्ष में शेयरधृति में कोई परिवर्तन हुआ है, वहां किसी भी ऐसी हानि को, जो उस पूर्ववर्ष से किसी पूर्ववर्ष में उपगत हुई थी, तब तक अग्रनीत नहीं किया जाएगा या पूर्ववर्ष की आय के प्रति उसका मुजरा तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक कि पूर्ववर्ष के अंतिम दिन को कंपनी के वे शेयर, जो इक्यावन प्रतिशत से अन्यून मतदान शक्ति वाले थे, ऐसे व्यक्तियों द्वारा फायदाप्रद रूप से धारित हैं, न रहे हों, जो उस वर्ष या उन वर्षों के, जिसमें या जिनमें हानि उपगत हुई थी, अंतिम दिन कंपनी के ऐसे शेयरों को फायदाप्रद रूप से धारण करते थे, जो इक्यावन प्रतिशत से अन्यून मतदान शक्ति वाले थे :

परंतु यदि धारा 80झकग में यथानिर्दिष्ट किसी पात्र स्टार्ट-अप की दशा में पूर्वोक्त शर्त को पूरा भी नहीं किया जाता है, पूर्ववर्ती वर्ष से पूर्व किसी वर्ष में उपगत हानि को फिर भी पूर्ववर्ती वर्ष की आय के विरुद्ध अग्रनीत करने और मुजरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, यदि ऐसी कंपनी के सभी शेयरधारक, जो उस वर्ष या वर्षों के, जिनमें हानि उपगत हुई थी, अंतिम दिन मतदान शक्ति वाले शेयर धारण करते थे, ऐसे पूर्ववर्ती वर्ष के अंतिम दिन और यदि ऐसी हानि उस वर्ष, जिसमें ऐसी कंपनी निगमित हुई है, से प्रारंभ होने वाले सात वर्ष के दौरान ऐसी हानि उपगत हुई है, उन शेयरों को धारण करना जारी रखेंगे ।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट कोई बात,—

(क) उस दशा में लागू नहीं होगी, जहां उक्त मतदान शक्ति और शेयर धारण में कोई परिवर्तन किसी शेयरधारक की मृत्यु के परिणामस्वरूप या शेयरधारक के किसी नातेदार को उपहार के माध्यम से शेयरों के अंतरण के मद्दे हुआ हो;

(ख) किसी भारतीय कंपनी, जो किसी विदेशी कंपनी के समामेलन या निर्विलयन के परिणामस्वरूप किसी विदेशी कंपनी की समनुषंगी है, इस शर्त के अधीन रहते हुए कि समामेलित या निर्विलियत विदेशी कंपनी के इक्यावन प्रतिशत शेयर समामेलित या पारिणामिक विदेशी कंपनी के शेयरधारक बने रहेंगे, के शेयरधारण में किसी परिवर्तन को लागू नहीं होगी ;

(ग) किसी कंपनी को लागू नहीं होगी, जहां अधिकारिता रखने वाले प्रधान आयुक्त या आयुक्त को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अधीन अनुमोदित संकल्प योजना के अनुसरण में किसी पूर्ववर्ष में शेयरधारण में कोई परिवर्तन होता है ; 2016 का 31

(घ) इस धारा में अंतर्विष्ट कोई बात किसी कंपनी को और उसकी समनुषंगियों को और ऐसी समनुषंगी की समनुषंगी को लागू नहीं होगी, जहां,—

(i) केंद्रीय सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 241 के अधीन किए गए आवेदन पर अधिकरण ने ऐसी कंपनी के निदेशक बोर्ड को निलंबित कर दिया है और नए निदेशकों की नियुक्ति की है, जिन्हें केंद्रीय सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 242 के अधीन नामनिर्दिष्ट किया गया है; और 2013 का 18

(ii) ऐसी कंपनी और उसकी समनुषंगियों तथा ऐसी समनुषंगी की समनुषंगी कंपनी के शेयरधारण में कोई परिवर्तन पूर्ववर्ष में अधिकारिता रखने वाले प्रधान आयुक्त या आयुक्त को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 242 के अधीन अधिकरण द्वारा अनुमोदित संकल्प योजना के अनुसरण में हुआ है । 2013 का 18

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(i) कोई कंपनी किसी अन्य कंपनी की समनुषंगी होगी यदि ऐसी अन्य कंपनी, कंपनी की साम्या शेयर पूंजी के आधे से अधिक अभिहित मूल्य को धारण करती है;

2013 का 18

(ii) "अधिकरण" का वही अर्थ होगा, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (90) में उसका है ।'।

धारा 80ग का संशोधन ।

23. आय-कर अधिनियम की धारा 80ग की उपधारा (2) में, खंड (xxiv) के पश्चात् निम्नलिखित खंड 1 अप्रैल, 2020 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(xxv) केंद्रीय सरकार का कोई कर्मचारी होते हुए, धारा 80गगघ में निर्दिष्ट पेंशन स्कीम के विनिर्दिष्ट खाते में अभिदाय के रूप में,—

(क) कम से कम तीन वर्ष की नियत अवधि के लिए; और

(ख) जो ऐसी स्कीम के अनुसार है, जो केंद्रीय सरकार द्वारा, इस खंड के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में अधिसूचित की जाए ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "विनिर्दिष्ट खाते" से पेंशन निधि विनियामक और विकास

2013 का 23

प्राधिकरण अधिनियम, 2013 की धारा 20 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट कोई अतिरिक्त खाता अभिप्रेत है ।'।

धारा 80गगघ का संशोधन ।

24. आय-कर अधिनियम की धारा 80गगघ की उपधारा (2) में, 1 अप्रैल, 2020 से "पूर्ववर्ष में उसके वेतन के दस प्रतिशत से अधिक न हो" शब्दों के स्थान पर "पूर्ववर्ष में उसके वेतन के,—

(क) चौदह प्रतिशत से, जहां ऐसा अभिदाय केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाता है;

(ख) दस प्रतिशत, जहां ऐसा अभिदाय किसी अन्य नियोक्ता द्वारा किया जाता है,

से अधिक न हो" शब्द, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे।

नई धारा 80ङङक और धारा 80 ङङख का अंतःस्थापन।

25. आय-कर अधिनियम की धारा 80ङङ के पश्चात्, निम्नलिखित धाराएं 1 अप्रैल, 2020 से, अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

कतिपय गृह संपत्ति के लिए, लिए गए उधार पर ब्याज की बाबत कटौती ।

'80ङङक. (1) किसी ऐसे निर्धारिती की, जो धारा 80ङङ के अधीन कटौती का दावा करने का पात्र कोई व्यष्टि नहीं है, कुल आय की संगणना करने में, इस धारा के उपबंधों के अनुसार और उनके अधीन रहते हुए, उसके द्वारा किसी आवासीय गृह संपत्ति के अर्जन के प्रयोजन के लिए किसी वित्तीय संस्था से लिए गए उधार पर संदेय ब्याज की कटौती की जाएगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन कटौती एक लाख पचास हजार रुपए से अधिक नहीं होगी और यह व्यष्टि की 1 अप्रैल, 2020 को आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष और पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के लिए कुल आय की संगणना करने में अनुज्ञात की जाएगी ।

(3) उपधारा (1) के अधीन कटौती निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी, अर्थात् :—

(i) उधार, वित्तीय संस्था द्वारा 1 अप्रैल, 2019 को आरंभ और 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान मंजूर किया गया है;

(ii) आवासीय गृह संपत्ति का स्टांप शुल्क मूल्य पैंतालीस लाख रुपए से अधिक नहीं है;

(iii) निर्धारिती के स्वामित्व में, उधार मंजूर किए जाने की तारीख को कोई आवासीय गृह संपत्ति नहीं है ।

(4) जहां इस धारा के अधीन कोई कटौती उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी ब्याज के लिए अनुज्ञात की जाती है, वहां ऐसे ब्याज की बाबत कटौती, अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन उसी या किसी अन्य निर्धारण वर्ष के लिए अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।

(5) इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "वित्तीय संस्था" पद का वही अर्थ होगा जो उसका धारा 80ङङ की उपधारा (5) के खंड (क) में है;

(ख) "स्टांप शुल्क मूल्य" पद से किसी स्थावर संपत्ति की बाबत स्टांप शुल्क के संदाय के प्रयोजन के लिए केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के किसी प्राधिकारी द्वारा अंगीकृत या निर्धारित या निर्धारणीय कोई मूल्य अभिप्रेत है ।

वैद्युत यान के क्रय के संबंध में कटौती ।

80ङङख. (1) किसी निर्धारिती, जो व्यष्टि है, की कुल आय की संगणना करने में इस धारा के उपबंधों के अनुसार और उनके अधीन रहते हुए उसके द्वारा वैद्युत यान के क्रय के प्रयोजन के लिए किसी वित्तीय संस्था से लिए गए ऋण पर संदेय ब्याज की कटौती की जाएगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन कटौती एक लाख पचास हजार रुपए से अधिक नहीं होगी और 1 अप्रैल, 2020 से प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष और पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में व्यष्टि की कुल आय की संगणना करने में अनुज्ञात की जाएगी ।

(3) उपधारा (1) के अधीन कटौती इन शर्तों के अधीन रहते हुए होगी कि ऋण वित्तीय संस्था द्वारा 1 अप्रैल, 2019 से प्रारंभ होने वाले और 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान स्वीकृत किया गया है ।

(4) जहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी ब्याज के लिए इस धारा के अधीन कोई कटौती अनुज्ञात की जाती है, वहां उसी या किसी अन्य निर्धारण वर्ष के लिए इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन ऐसे ब्याज के संबंध में कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।

(5) इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "वैद्युत यान" से ऐसा यान अभिप्रेत है, जिसे अनन्य रूप से किसी वैद्युत मोटर द्वारा शक्ति प्रदान की जाती है, जिसकी कर्षण ऊर्जा की अनन्य रूप से यान में प्रतिष्ठापित कर्षण बैटरी द्वारा पूर्ति की जाती है, और जिसमें वैद्युत पुनर्योजित ब्रेकिंग प्रणाली है जिससे ब्रेक लगाने पर यान की गतिज ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में संपरिवर्तित करने की व्यवस्था हो जाती है;

(ख) "वित्तीय संस्था", से ऐसी कोई बैंककारी कंपनी, जिसे बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 लागू होता है या उस अधिनियम की धारा 51 में निर्दिष्ट कोई भी बैंक या बैंककारी संस्था अभिप्रेत है और जिसके अंतर्गत कोई निक्षेप लेने वाली गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी या सुव्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण कोई निक्षेप न ग्रहण करने वाली गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी अभिप्रेत है, जैसा धारा 43ख के स्पष्टीकरण 4 के खंड (ङ) और खंड (छ) में परिभाषित है ।'। 1949 का 10

धारा 80झखक का संशोधन ।

26. आय-कर अधिनियम की धारा 80झखक में, 1 अप्रैल, 2020 से,—

(अ) उपधारा (2) के खंड (झ) के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'परंतु 1 सितंबर, 2019 को या उसके पश्चात् अनुमोदित परियोजनाओं के लिए इस उपधारा के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे, मानो खंड (घ) से खंड (झ) के लिए निम्नलिखित खंड रख दिए गए हों, अर्थात् :—

"(घ) परियोजना निम्नलिखित से अन्यून माप वाले भूखंड पर है,—

(i) एक हजार वर्गमीटर, जहां परियोजना बैंगलूरू, चैन्नेई, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद तक सीमित), हैदराबाद, कोलकाता और मुम्बई (संपूर्ण मुम्बई महानगर क्षेत्र) महानगरों के भीतर अवस्थित है; या

(ii) दो हजार वर्गमीटर, जहां परियोजना किसी अन्य स्थान में अवस्थित है;

(ङ) परियोजना, खंड (घ) में यथा विनिर्दिष्ट भूखंड पर केवल गृह निर्माण परियोजना ही है;

(च) गृह निर्माण परियोजना में समाविष्ट निवासी इकाई का कारपेट क्षेत्र निम्नलिखित से अधिक नहीं है,—

(i) साठ वर्गमीटर, जहां परियोजना बैंगलूरू, चैन्नेई, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद तक सीमित),

हैदराबाद, कोलकाता और मुम्बई (संपूर्ण मुम्बई महानगर क्षेत्र) महानगरों के भीतर अवस्थित है; या

(ii) नब्बे वर्गमीटर, जहां परियोजना किसी अन्य स्थान में अवस्थित है;

(छ) गृह निर्माण परियोजना में किसी निवासी इकाई का स्टांप शुल्क मूल्य पैंतालीस लाख रुपए से अधिक नहीं है;

(ज) जहां गृह निर्माण परियोजना की कोई आवासीय इकाई किसी व्यष्टि को आबंटित की जाती है, वहां उस व्यक्ति को या ऐसे व्यष्टि के पति अथवा पत्नी या अवयस्क बच्चों को किसी गृह निर्माण परियोजना में कोई अन्य आवासीय इकाई आबंटित नहीं की जाएगी;

(झ) परियोजना में—

(I) जहां ऐसी परियोजना, बैंगलूरू, चैन्नेई, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद तक सीमित), हैदराबाद, कोलकाता और मुम्बई (संपूर्ण मुम्बई महानगर क्षेत्र) महानगरों में अवस्थित है, वहां, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा बनाए जाने वाले नियमों के अधीन भूखंड के संबंध में अनुज्ञेय फर्श क्षेत्र अनुपात का नब्बे प्रतिशत से अन्यून क्षेत्र का उपयोग किया जाता है; या

(II) जहां ऐसी परियोजना उपखंड (I) में निर्दिष्ट स्थान से भिन्न किसी स्थान में अवस्थित है, वहां ऐसे फर्श क्षेत्र अनुपात के अस्सी प्रतिशत से अन्यून क्षेत्र का उपयोग किया जाता है; और

(ञ) निर्धारिती गृह परियोजनाओं के संबंध में पृथक् लेखा बहियां रखता है।"।';

(आ) उपधारा (6) के खंड (ङ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(च) "स्टांप शुल्क मूल्य" से किसी स्थावर संपत्ति की बाबत स्टांप शुल्क के संदाय के प्रयोजन के लिए केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के किसी प्राधिकारी द्वारा अंगीकृत या निर्धारित या निर्धारणीय मूल्य अभिप्रेत है ।'।

धारा 80ञ्ञकक का संशोधन ।

27. आय-कर अधिनियम की धारा 80ञ्ञकक के स्पष्टीकरण के खंड (i) के पहले परंतुक के उपखंड (ख) में "समाशोधन प्रणाली के उपयोग से" शब्दों के स्थान पर "समाशोधन प्रणाली के उपयोग से या किसी अन्य इलैक्ट्रानिक पद्धति से, जो विहित की जाए" शब्द 1 अप्रैल, 2020 से रखे जाएंगे ।

धारा 80ठक का संशोधन ।

28. आय-कर अधिनियम की धारा 80ठक में, 1 अप्रैल, 2020 से,—

(i) उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"(1) जहां किसी निर्धारिती की, जो कोई अनुसूचित बैंक या भारत से बाहर किसी विदेश की विधियों द्वारा या उनके अधीन निगमित कोई बैंक है और जिसकी कोई विदेशी बैंककारी यूनिट विशेष आर्थिक जोन में अवस्थित है, सकल कुल आय में उपधारा (2) में निर्दिष्ट कोई आय सम्मिलित है, वहां इस धारा के उपबंधों के अनुसार और उनके अधीन रहते हुए, आय से निम्नलिखित रकम के बराबर की कटौती अनुज्ञात की जाएगी,—

1949 का 10
1992 का 15

(क) उस पूर्ववर्ष से, जिसमें बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन अनुज्ञा या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 या किसी अन्य सुसंगत विधि के अधीन अनुज्ञा या रजिस्ट्रीकरण प्राप्त किया गया था, सुसंगत निर्धारण वर्ष से आरंभ होने वाले पांच क्रमवर्ती निर्धारण वर्षों के लिए ऐसी आय के सौ प्रतिशत और तत्पश्चात्;

(ख) पांच क्रमवर्ती निर्धारण वर्षों के लिए ऐसी आय के पचास प्रतिशत ।

(1क) जहां किसी निर्धारिती की, जो किसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र की कोई यूनिट है, सकल कुल आय में उपधारा (2) में निर्दिष्ट कोई आय सम्मिलित है, वहां इस धारा के उपबंधों के अनुसार और उनके अधीन रहते हुए, निर्धारिती के विकल्प पर आय से, उस पूर्ववर्ष से, जिसमें बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23 की उपधारा (1) के खंड (क) के

1949 का 10

अधीन अनुज्ञा या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 या किसी अन्य सुसंगत विधि के अधीन अनुज्ञा प्राप्त की गई थी, सुसंगत निर्धारण वर्ष से आरंभ होने वाली पन्द्रह वर्ष की अवधि में से किन्हीं दस क्रमवर्ती निर्धारण वर्षों के लिए ऐसी आय के सौ प्रतिशत रकम के बराबर की कटौती अनुज्ञात की जाएगी ।"; 1992 का 15

(ii) उपधारा (2) के आरंभिक भाग में, "उपधारा (1)" शब्द, कोष्ठकों और अंक के स्थान पर, "उपधारा (1) और उपधारा (1क)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ।

धारा 92गघ का संशोधन ।

29. आय-कर अधिनियम की धारा 92गघ में, 1 सितंबर, 2019 से,—

(क) उपधारा (3) में, "सुसंगत निर्धारण वर्ष की कुल आय का निर्धारण या पुनः निर्धारण या उसकी पुनः संगणना करने की कार्यवाही करेगा", शब्दों के स्थान पर, "यथास्थिति, ऐसे निर्धारण या पुनः निर्धारण में अवधारित सुसंगत निर्धारण वर्ष की कुल आय को उपांतरित करते हुए आदेश पारित करेगा" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उपधारा (5) के खंड (क) में, "कुल आय के निर्धारण, पुनः निर्धारण या उसकी पुनः संगणना का" शब्दों का लोप किया जाएगा ।

धारा 92गङ का संशोधन ।

30. आय-कर अधिनियम की धारा 92गङ में,—

(क) उपधारा (1) में,—

(i) खंड (iii) में, "धारा 92गग के अधीन किए गए" शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर "धारा 92गग के अधीन 1 अप्रैल 2017 को या उसके पश्चात् किए गए" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे और 1 अप्रैल, 2018 से रखे गए समझे जाएंगे;

(ii) परंतुक के खंड (i) में, "एक करोड़ रुपए; और" शब्दों के स्थान पर "एक करोड़ रुपए; या" शब्द रखे जाएंगे और 1 अप्रैल, 2018 से रखे गए समझे जाएंगे;

(iiii) परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा और 1 अप्रैल, 2018 से अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यह और कि इस उपधारा के, जैसी कि वह वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम 2019 द्वारा उसके संशोधन से पूर्व विद्यमान थी, उपबंधों के अधीन संदत्त कर, यदि कोई हो, के किसी प्रतिदाय का दावा और उसे अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।";

(ख) उपधारा (2) में,—

(i) "अतिरिक्त धन" शब्दों के स्थान पर ",यथास्थिति, अतिरिक्त धन या उसके भाग" शब्द रखे जाएंगे और 1 अप्रैल, 2018 से रखे गए समझे जाएंगे;

(ii) निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा और 1 अप्रैल, 2018 से अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

"**स्पष्टीकरण**—शंकाओं को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त धन या उसके किसी भाग को निर्धारिती के किसी ऐसे सहयुक्त उद्यमों में से किसी उद्यम से, जो भारत में निवासी नहीं है, संप्रत्यावर्तित किया जा सकेगा।";

(ग) उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं 1 सितंबर, 2019 से अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"(2क) उपधारा (2) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उस दशा में, जहां अतिरिक्त धन या उसका भाग विहित समय के भीतर संप्रत्यावर्तित नहीं किया गया है, वहां निर्धारिती अपने विकल्प पर, यथास्थिति, ऐसे अतिरिक्त धन या उसके भाग पर अठारह प्रतिशत की दर से अतिरिक्त आय-कर का संदाय कर सकेगा ।

(2ख) निर्धारिती द्वारा उपधारा (2क) के अधीन इस प्रकार संदत्त अतिरिक्त धन या उसके भाग पर कर को, संप्रत्यावर्तित नहीं किए गए अतिरिक्त धन या उसके भाग की बाबत कर के अंतिम संदाय के रूप में समझा जाएगा और इस प्रकार संदत्त कर की रकम की बाबत निर्धारिती द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसके लिए किसी अतिरिक्त प्रत्यय का दावा नहीं किया जाएगा।

(2ग) उस रकम की बाबत, जिस पर उपधारा (2क) के उपबंधों के अनुसार कर संदत्त किया गया है, निर्धारिती को इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।

(2घ) जहां उपधारा (2क) में निर्दिष्ट अतिरिक्त कर निर्धारिती द्वारा संदत्त किया गया है, वहां उससे उपधारा (1) के अधीन द्वितीय समायोजन करने की और ऐसे कर के संदाय की तारीख से उपधारा (2) के अधीन ब्याज की संगणना करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी ।"।

धारा 92घ के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

31. आय-कर अधिनियम की धारा 92घ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा 1 अप्रैल, 2020 से रखी जाएगी, अर्थात् :—

कतिपय व्यक्तियों द्वारा जानकारी और दस्तावेज का रखा जाना और उनका प्रस्तुत किया जाना।

'92घ. (1) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति,—

(i) जिसने कोई अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार किया है, उसकी बाबत ऐसी जानकारी और दस्तावेज रखेगा और बनाए रखेगा, जो विहित किए जाएं;

(ii) जो किसी अंतर्राष्ट्रीय समूह का कोई घटक अस्तित्व है, किसी अंतर्राष्ट्रीय समूह के संबंध में ऐसी जानकारी और दस्तावेज रखेगा और बनाए रखेगा, जो विहित किए जाएं ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए,—

(अ) "घटक अस्तित्व" का वही अर्थ होगा, जो धारा 286 की उपधारा (9) के खंड (घ) में उसका है;

(आ) "अंतर्राष्ट्रीय समूह" का वही अर्थ होगा, जो धारा 286 की उपधारा (9) के खंड (छ) में उसका है ।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना बोर्ड, वह अवधि विहित कर सकेगा, जिसके लिए जानकारी और दस्तावेज उस उपधारा के अधीन रखे और बनाए रखे जाएंगे ।

(3) निर्धारण अधिकारी या आयुक्त (अपील) इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के अनुक्रम में उपधारा (1) के खंड (i) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति से, यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह इस संबंध में जारी की गई सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर, उसमें निर्दिष्ट कोई जानकारी या दस्तावेज प्रस्तुत करे :

परंतु निर्धारण अधिकारी या आयुक्त (अपील) ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए आवेदन पर तीस दिन की अवधि को तीस दिन से अनधिक की और अवधि के लिए बढ़ा सकेगा ।

(4) उपधारा (1) के खंड (ii) में निर्दिष्ट व्यक्ति उसमें निर्दिष्ट जानकारी और दस्तावेज को धारा 286 की उपधारा (1) के अधीन विहित प्राधिकारी को ऐसी रीति में उस तारीख को या उसके पूर्व, जो विहित की जाए, प्रस्तुत करेगा ।'।

धारा 111क का संशोधन ।

32. आय-कर अधिनियम की धारा 111क के स्पष्टीकरण के खंड (क) में, "धारा 10 के खंड (38) के स्पष्टीकरण" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर, "धारा 112क के स्पष्टीकरण के खंड (क)" शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर, 1 अप्रैल, 2020 से रखे जाएंगे ।

धारा 115क का संशोधन ।

33. आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (4) के खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक, 1 अप्रैल, 2020 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु इस उपधारा की कोई बात, धारा 80ठक के अधीन किसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र की यूनिट को अनुज्ञात किसी कटौती को लागू नहीं होगी ।"।

धारा 115ञख का संशोधन ।

34. आय-कर अधिनियम की धारा 115ञख की उपधारा (2) के स्पष्टीकरण 1 की दीर्घ पंक्ति में, खंड (iiज) के स्थान पर निम्नलिखित खंड 1 अप्रैल, 2020 से रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(iiज) निम्नलिखित की दशा में शेष अवक्षयण और हानि की अग्रनीत की गई सकल रकम,—

(अ) कंपनी और उसकी समनुषंगी और ऐसी समनुषंगी की समनुषंगी, जहां अधिकरण ने केंद्रीय सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 241 के अधीन किए गए आवेदन पर

2013 का 18

ऐसी कंपनी के निदेशक बोर्ड को निलंबित कर दिया है और नए निदेशकों को नियुक्त किया है, जिन्हें केंद्रीय सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 242 के अधीन नामनिर्दिष्ट किया गया है;

(आ) कंपनी, जिसके विरुद्ध दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 7 या धारा 9 या धारा 10 के अधीन न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए आवेदन को ग्रहण कर लिया गया है। 2016 का 31

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए,—

(i) "न्यायनिर्णायक प्राधिकारी" का वही अर्थ होगा, जो दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 5 के खंड (1) में उसका है; 2016 का 31

(ii) "अधिकरण" का वही अर्थ होगा, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (90) में उसका है; 2013 का 18

(iii) कोई कंपनी, किसी अन्य कंपनी की समनुषंगी उस समय होगी, यदि ऐसी अन्य कंपनी, उस कंपनी की साम्या शेयर पूंजी के अंकित मूल्य के आधे से अधिक को धारण करती है;

(iv) "हानि" में अवक्षयण सम्मिलित नहीं होगा; या'।

धारा 115ण का संशोधन ।

35. आय-कर अधिनियम की धारा 115ण की उपधारा (8) में, 1 सितंबर, 2019 से "वर्तमान आय" शब्दों के स्थान पर, "वर्तमान आय या 1 अप्रैल, 2017 को या उसके पश्चात् अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र की इकाई के रूप में संचित आय" शब्द और अंक रखे जाएंगे ।

धारा 115थक का संशोधन ।

36. आय-कर अधिनियम की धारा 115थक की उपधारा (1) में, "(जो किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध शेयर नहीं है)" कोष्ठक और शब्दों का 5 जुलाई 2019 से लोप किया जाएगा ।

धारा 115द का संशोधन ।

37. आय-कर अधिनियम की धारा 115द की उपधारा (2) में, 1 सितंबर, 2019 से,—

(अ) दूसरे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यह भी कि 1 सितंबर, 2019 को या उसके पश्चात् किसी भी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में अवस्थित किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में किए गए संव्यवहारों से किसी विनिर्दिष्ट पारस्परिक निधि द्वारा व्युत्पन्न अपनी आय और जहां ऐसे संव्यवहार का प्रतिफल संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में संदत्त किया जाता है या संदेय है, में से वितरित आय की किसी रकम की बाबत कोई अतिरिक्त आय-कर प्रभार्य नहीं होगा :";

(आ) स्पष्टीकरण में,—

(क) खंड (i) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(iक) "संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा" से ऐसी विदेशी मुद्रा अभिप्रेत है, जिसे रिजर्व बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 और तद्धीन बनाए गए नियमों के प्रयोजनों के लिए तत्समय संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा के रूप में माना गया है;'; 1999 का 42

(ख) खंड (ii) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

'(iii) "अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र" का वही अर्थ होगा, जो विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 2 के खंड (थ) में उसका है; 2005 का 28

(iv) "मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज" का वही अर्थ होगा, जो धारा 43 के खंड (5) के स्पष्टीकरण (1) के खंड (ii) में उसका है;

(v) "विनिर्दिष्ट पारस्परिक निधि" से धारा 10 के खंड (23घ) के अधीन विनिर्दिष्ट कोई पारस्परिक निधि अभिप्रेत है और,—

(क) जो किसी भी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में अवस्थित है;

(ख) जिसकी सभी इकाइयां अनिवासियों द्वारा धारित हैं;

(vi) "इकाई" से निधि में किसी विनिधानकर्ता का फायदाप्रद हित अभिप्रेत है;'।

धारा 115पख का संशोधन ।

38. आय-कर अधिनियम की धारा 115पख की उपधारा (2) में, 1 अप्रैल, 2020 से—

(क) खंड (i) और खंड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :—

'(i) ऐसी हानियों में से, "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन संगणना के परिणामस्वरूप विनिधान निधि को हुई हानि को, यदि कोई हो,—

(क) अग्रनीत किए जाने की अनुज्ञा दी जाएगी और उसका मुजरा विनिधान निधि द्वारा अध्याय 6 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा; और

(ख) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए उसकी अनदेखी की जाएगी;

(ii) खंड (i) में निर्दिष्ट हानि से भिन्न किसी अन्य हानि की, यदि कोई हो, उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए अनदेखी की जाएगी, यदि ऐसी हानि किसी ऐसी यूनिट की बाबत उद्भूत हुई है, जिसे यूनिट धारक द्वारा न्यूनतम बारह मास की अवधि के लिए धारित नहीं किया गया है।';

(ख) उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

'(2क) "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन हानि से भिन्न किसी हानि को, यदि कोई हो, जो 31 मार्च, 2019 को विनिधान निधि के स्तर पर संचित हुई है,—

(i) उसी रीति में, जो उपधारा (1) में उपबंधित की गई है, यूनिट धारक द्वारा विनिधान निधि में किए गए विनिधानों की बाबत ऐसे यूनिट धारक की हानि के रूप में समझा जाएगा, जो 31 मार्च, 2019 को ऐसी यूनिट को धारण कर रहा था; और

(ii) ऐसे यूनिट धारक को, उस वर्ष से, जिसमें प्रथम बार हानि उद्भूत हुई थी, उस वर्ष को प्रथम वर्ष के रूप में मानते हुए संगणित शेष अवधि के लिए अग्रनीत करने की अनुज्ञा दी जाएगी और हानि का मुजरा उसके द्वारा अध्याय 6 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा :

परंतु इस उपधारा के अधीन इस प्रकार समझी गई हानि 1 अप्रैल, 2019 को या उसके पश्चात् विनिधान निधि को उपलब्ध नहीं होगी ।'।

धारा 139 का संशोधन ।

39. आय-कर अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (1) में, 1 अप्रैल, 2020 से,—

(क) छठे परंतुक में "धारा 10खक या" शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, "धारा 10खक या धारा 54 या धारा 54ख या धारा 54घ या धारा 54ङग या धारा 54च या धारा 54छ या धारा 54छक या धारा 54छख या" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ख) छठे परंतुक के पश्चात् और स्पष्टीकरण 1 के पूर्व निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यह भी कि खंड (ख) में विनिर्दिष्ट ऐसा कोई व्यक्ति, जिससे इस उपधारा के अधीन कोई विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं है और जो पूर्ववर्ष के दौरान,—

(i) किसी बैंककारी कंपनी या किसी सहकारी बैंक के साथ रखे गए एक या अधिक चालू खातों में एक करोड़ रुपए से अधिक किसी रकम या कुल रकमों को जमा करता है; या

(ii) किसी विदेश यात्रा के लिए स्वयं हेतु या किसी अन्य व्यक्ति के लिए दो लाख रुपए से अधिक किसी रकम या कुल रकमों का व्यय उपगत करता है; या

(iii) विद्युत के उपभोग के मद्दे एक लाख रुपए से अधिक रकम या कुल रकमों का व्यय उपगत करता है; या

(iv) ऐसी अन्य शर्तों को पूरा करता है, जो विहित की जाएं,

नियत तारीख को या उसके पूर्व ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में सत्यापित, जो विहित की जाए, और ऐसी अन्य विशिष्टियों का, जो विहित की जाए, वर्णन करते हुए अपनी आय की विवरणी प्रस्तुत करेगा।";

(ग) स्पष्टीकरण 5 के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'**स्पष्टीकरण 6**—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "बैंककारी कंपनी" का वही अर्थ होगा, जो धारा 269धध के स्पष्टीकरण के खंड (i) में उसका है;

(ख) "सहकारी बैंक" का वही अर्थ होगा, जो धारा 269धध के स्पष्टीकरण के खंड (ii) में उसका है ।'।

धारा 139क का संशोधन ।

40. आय-कर अधिनियम की धारा 139क में, 1 सितंबर, 2019 से,—

(i) उपधारा (1) के खंड (vi) में "खंड (v) में निर्दिष्ट व्यक्ति की ओर से कार्य करने के लिए सक्षम कोई व्यक्ति है" शब्दों, कोष्ठकों और अंक के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"खंड (v) में निर्दिष्ट व्यक्ति की ओर से कार्य करने के लिए सक्षम कोई व्यक्ति है; या

(vii) जो ऐसा संव्यवहार करने का आशय रखता है, जो राजस्व के हित में बोर्ड द्वारा विहित किया जाए,";

(ii) उपधारा (5घ) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(5ङ) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिससे इस अधिनियम के अधीन अपना स्थायी खाता संख्यांक देने या सूचित करने या उसका उत्कथन करने की अपेक्षा की जाती है, और—

(क) जिसे स्थायी खाता संख्यांक नहीं दिया गया है किन्तु वह आधार संख्यांक रखता है, स्थायी खाता संख्यांक के बदले में अपना आधार संख्यांक प्रस्तुत कर सकेगा या उसकी सूचना दे सकेगा या उसका हवाला दे सकेगा और ऐसे व्यक्ति को ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, स्थायी खाता संख्यांक दिया जाएगा;

(ख) जिसे स्थायी खाता संख्यांक दे दिया गया है और जिसने धारा 139कक की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार अपना आधार संख्यांक सूचित कर दिया है, और वह स्थायी खाता संख्यांक के बदले अपनी आधार संख्या दे सकेगा या सूचित कर सकेगा या उसका हवाला दे सकेगा ।";

(iii) उपधारा (6) में, "साधारण सूचकांक रजिस्टर संख्यांक" शब्दों के स्थान पर, "यथास्थिति, साधारण सूचकांक रजिस्टर संख्यांक या आधार संख्यांक" शब्द रखे जाएंगे;

(iv) उपधारा (6) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"(6क) ऐसा संव्यवहार, जो विहित किया जाए, करने वाला प्रत्येक व्यक्ति ऐसे संव्यवहारों से संबंधित दस्तावेजों में अपने, यथास्थिति, स्थायी खाता संख्यांक या आधार संख्यांक का हवाला देगा और ऐसे स्थायी खाता संख्यांक या आधार संख्यांक को ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, अधिप्रमाणित भी करेगा।

(6ख) उपधारा (6क) में निर्दिष्ट विहित संव्यवहारों से संबंधित किसी दस्तावेज को प्राप्त करने वाला प्रत्येक व्यक्ति यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे दस्तावेज में, यथास्थिति, स्थायी खाता संख्यांक या आधार संख्यांक का सम्यक् रूप से हवाला दिया गया है और यह भी सुनिश्चित करेगा कि ऐसा स्थायी खाता संख्यांक या आधार संख्यांक इस प्रकार अधिप्रमाणित है।";

(v) उपधारा (8) के खंड (ख) और खंड (च) में, "साधारण सूचकांक रजिस्टर संख्यांक" शब्दों के स्थान पर, "यथास्थिति, साधारण सूचकांक रजिस्टर संख्यांक या आधार संख्यांक" शब्द रखे जाएंगे;

(vi) स्पष्टीकरण में, खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :—

'(क) "आधार संख्यांक" का वही अर्थ होगा जो उसका आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 2 के खंड (क) में है; 2016 का 18

(कक) "निर्धारण अधिकारी" के अंतर्गत आय-कर प्राधिकारी भी है, जिसे स्थायी खाता संख्यांक आबंटित करने का कर्तव्य सौंपा गया है;

(कख) "अधिप्रमाणन" से ऐसी प्रक्रिया अभिप्रेत है, जिसके द्वारा किसी व्यक्ति की जनसांख्यिकी सूचना या बायोमैट्रिक सूचना के साथ स्थायी खाता संख्यांक या आधार संख्यांक, उसके सत्यापन के लिए आय-कर प्राधिकारी या ऐसे अन्य प्राधिकारी या अभिकरण को, जो विहित किया जाए, प्रस्तुत किया जाता है और ऐसा प्राधिकारी या अभिकरण, उसके पास उपलब्ध सूचना के आधार पर, उसकी परिशुद्धता या कमी का सत्यापन करता है;'।

41. आय-कर अधिनियम की धारा 139कक की उपधारा (2) के परंतुक में, "स्थायी खाता संख्यांक को अविधिमान्य समझा जाएगा और इस अधिनियम के अन्य उपबंध इस प्रकार लागू होंगे, मानो उस व्यक्ति ने स्थायी खाता संख्यांक आबंटित करने के लिए आवेदन नहीं किया था" शब्दों के स्थान पर, "स्थायी खाता संख्यांक को, ऐसी तारीख के पश्चात्, जो अधिसूचित की जाए, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, प्रभावहीन अप्रवर्तनीय कर दिया जाएगा" शब्द 1 सितंबर, 2019 से रखे जाएंगे । धारा 139कक का संशोधन ।

42. आय-कर अधिनियम की धारा 140क में,— धारा 140क का संशोधन ।

(i) उपधारा (1) में, खंड (ii) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा और 1 अप्रैल, 2007 से अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

"(iiक) धारा 89 के अधीन दावा की गई कर की कोई राहत;";

(ii) उपधारा (1क) के खंड (i) में, उपखंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किया जाएगा और 1 अप्रैल, 2007 से अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा,—

"(खक) धारा 89 के अधीन दावा की गई कर की कोई राहत;";

(iii) उपधारा (1ख) के स्पष्टीकरण में खंड (i) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किया जाएगा और 1 अप्रैल, 2007 से अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा,—

"(iक) धारा 89 के अधीन दावा की गई कर की कोई राहत;"।

43. आय-कर अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (1) के खंड (ग) में, "संदत्त किसी अग्रिम कर," शब्दों के पश्चात्, "धारा 89 के अधीन अनुज्ञेय कर की कोई राहत," शब्द और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे और 1 अप्रैल, 2007 से अंतःस्थापित किए गए समझे जाएंगे । धारा 143 का संशोधन ।

44. आय-कर अधिनियम की धारा 194घक में, "उस पर एक प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर, "उसमें समाविष्ट आय की रकम के पांच प्रतिशत" शब्द, 1 सितंबर, 2019 से रखे जाएंगे । धारा 194घक का संशोधन ।

45. आय-कर अधिनियम की धारा 194झक के स्पष्टीकरण में, खंड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खंड 1 सितंबर, 2019 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— धारा 194झक का संशोधन ।

'(कक) "किसी स्थावर संपत्ति के अंतरण के लिए प्रतिफल" में क्लब की सदस्यता फीस, कार पार्किंग फीस, विद्युत या जल सुविधा फीस, रखरखाव फीस, अग्रिम फीस की प्रकृति के सभी प्रभार या समान प्रकृति के कोई ऐसे अन्य प्रभार, जो स्थावर संपत्ति के अंतरण के अनुषंगी हैं, सम्मिलित होंगे;'।

नई धारा 194ङ और धारा 194ढ का अंतःस्थापन ।

46. आय-कर अधिनियम की धारा 194ठघ के पश्चात् निम्नलिखित धारा 1 सितंबर, 2019 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

कतिपय व्यष्टियों या हिन्दू अविभक्त कुटुंब द्वारा कतिपय राशियों का संदाय।

'194ङ. (1) कोई व्यक्ति, जो व्यष्टि या कोई हिन्दू अविभक्त कुटुंब है (उनसे भिन्न, जिनसे धारा 194ग का धारा 194ज या धारा 194ञ के उपबंधों के अनुसार आय-कर की कटौती करना अपेक्षित है) और जो वित्तीय वर्ष के दौरान किसी संविदा के अनुसरण में किसी संकर्म (जिसके अंतर्गत किसी संकर्म को करने के लिए श्रम की आपूर्ति भी है) को करने के लिए या किसी कमीशन (जो धारा 194घ में निर्दिष्ट बीमा संबंधी कमीशन नहीं है) के माध्यम से या दलाली के माध्यम से या वृत्तिक सेवाओं हेतु फीस के माध्यम से किसी निवासी को किसी राशि का संदाय करने के लिए उत्तरदायी है, ऐसी राशि को जमा करते समय या ऐसी राशि का नकद में या चेक या मांगदेय पत्र द्वारा या किसी अन्य पद्धति द्वारा संदाय करते समय, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, उस पर आय-कर के रूप में ऐसी राशि के पांच प्रतिशत के बराबर रकम की कटौती करेगा :

परंतु इस धारा के अधीन उस समय कोई कटौती नहीं की जाएगी, यदि किसी वित्तीय वर्ष के दौरान निवासी को संदत्त, यथास्थिति, ऐसी राशि या ऐसी राशियों का योग पचास लाख रुपए से अधिक नहीं है ।

(2) धारा 203क के उपबंध ऐसे किसी व्यक्ति को लागू नहीं होंगे, जिससे इस धारा के उपबंधों के अनुसार कर की कटौती करना अपेक्षित है ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "संविदा" का वही अर्थ होगा, जो धारा 194ग के स्पष्टीकरण के खंड (iii) में उसका है;

(ख) "कमीशन या दलाली" का वही अर्थ होगा, जो धारा 194ज के स्पष्टीकरण के खंड (i) में उनका है;

(ग) "वृत्तिक सेवाओं" का वही अर्थ होगा, जो धारा 194ञ के स्पष्टीकरण के खंड (क) में उसका है;

(घ) "संकर्म" का वही अर्थ होगा, जो धारा 194ग के स्पष्टीकरण के खंड (iv) में उसका है।

नकद रूप में कतिपय रकमों का संदाय ।

194ढ. प्रत्येक व्यक्ति जो,—

(i) ऐसी कोई बैंककारी कंपनी है, जिसको बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (जिसके अंतर्गत इस अधिनियम की धारा 51 में निर्दिष्ट कोई बैंक या बैंककारी संस्था भी है) लागू होता है; 1949 का 10

(ii) ऐसी कोई सहकारी समिति है, जो बैंककारी कारबार चलाने में लगी हुई है; या

(iii) कोई ऐसा डाकघर है,

जो किसी व्यक्ति को (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् प्राप्तिकर्ता कहा गया है) ऐसी किसी बैंककारी कंपनी या सहकारी सोसाइटी या डाकखाने के पास प्राप्तिकर्ता द्वारा धारित एक या अधिक खातों से पूर्ववर्ष के दौरान एक करोड़ रुपए से अधिक, यथास्थिति, राशि या कुल राशि का नकद रूप में संदाय करने के लिए उत्तरदायी है, ऐसी राशि के संदाय के समय, ऐसी राशि जो एक करोड़ रुपए से अधिक है, के दो प्रतिशत के बराबर रकम की आय-कर के रूप में कटौती करेगा :

परंतु इस उपधारा के उपबंध निम्नलिखित को किसी संदाय के संबंध में लागू नहीं होंगे,—

(i) सरकार;

(ii) बैंककारी या डाकखाने के कारबार को चलाने में लगी कोई बैंककारी कंपनी, सहकारी सोसाइटी;

(iii) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस संबंध में जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार बैंककारी कारबार चलाने में लगी किसी बैंककारी कंपनी या सहकारी सोसाइटी की ओर से कोई कारबार सम्पर्की; 1934 का 2

(iv) संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी प्राधिकार के अनुसार बैंककारी कारबार चलाने में लगी हुई किसी बैंककारी कंपनी या सहकारी सोसाइटी द्वारा कोई श्वेत लेबल स्वचालित टेलर मशीन ऑपरेटर; 2007 का 51

(v) ऐसे अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग, जो केंद्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात् राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे ।"।

धारा 195 का संशोधन ।

47. आय-कर अधिनियम की धारा 195 में, 1 नवंबर, 2019 से,—

(क) उपधारा (2) में, "वह निर्धारण अधिकारी से आवेदन कर सकेगा कि वह साधारण या विशेष आदेश द्वारा, ऐसी राशि का" शब्दों के स्थान पर, "वह निर्धारण अधिकारी से, ऐसे प्ररूप और रीति में आवेदन कर सकेगा कि वह राशि का ऐसी रीति में जो विहित की जाए," शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उपधारा (7) में, "निर्धारण अधिकारी को वह साधारण या विशेष आदेश द्वारा, प्रभार्य राशि के समुचित अनुपात का अवधारण करने के लिए" शब्दों के स्थान पर, "निर्धारण अधिकारी को ऐसे प्ररूप और रीति में प्रभार्य राशि का ऐसी रीति में समुचित अनुपात का अवधारण करने के लिए, जो विहित की जाए" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 197 का संशोधन ।

48. आय-कर अधिनियम की धारा 197 की उपधारा (1) में, "धारा 194ठखग" शब्द, अंकों और अक्षरों के स्थान पर "धारा 194ठखग, धारा 194ड" शब्द, अंक और अक्षर, 1 सितंबर, 2019 से रखे जाएंगे ।

धारा 198 का संशोधन ।

49. आय-कर अधिनियम की धारा 198 में, पहले परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक 1 सितंबर, 2019 से अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परंतु यह और कि किसी निर्धारिती की आय की संगणना के प्रयोजन के लिए धारा 194ढ के उपबंधों के अनुसार कटौती की गई राशि को प्राप्त की गई आय नहीं समझा जाएगा।"।

धारा 201 का संशोधन ।

50. आय-कर अधिनियम की धारा 201 में, 1 सितंबर, 2019 से,—

(क) उपधारा (1) के पहले परंतुक में, "निवासी" शब्द के स्थान पर, जहां-जहां वह आता है, "आदाता" शब्द रखा जाएगा;

(ख) उपधारा (1क) के परंतुक में, "निवासी" शब्द के स्थान पर, जहां-जहां वह आता है, "आदाता" शब्द रखा जाएगा;

(ग) उपधारा (3) में, "अन्त से सात वर्ष" शब्दों के स्थान पर, "अन्त से सात वर्ष या उस वित्तीय वर्ष, जिसमें धारा 200 की उपधारा (3) के परंतुक के अधीन संशोधन विवरण परिदत्त किया जाता है, के अंत से दो वर्ष, जो भी पश्चात्वर्ती हो" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे ।

धारा 206क के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

51. आय-कर अधिनियम की धारा 206क के स्थान पर, निम्नलिखित धारा 1 सितंबर, 2019 से रखी जाएगी, अर्थात्:—

कर की कटौती के बिना निवासियों को किसी आय के संदाय के संबंध में विवरण प्रस्तुत किया जाना ।

"206क. (1) धारा 194क की उपधारा (3) के खंड (i) के परंतुक में निर्दिष्ट कोई बैंककारी कंपनी या सहकारी सोसाइटी या पब्लिक कंपनी, जो किसी निवासी को ब्याज (प्रतिभूतियों पर ब्याज से भिन्न) के माध्यम से उस दशा में, जहां संदायकर्ता कोई बैंककारी कंपनी या सहकारी सोसाइटी है, चालीस हजार रुपए से अनधिक और किसी अन्य दशा में पांच हजार रुपए से अनधिक किसी आय का संदाय करने के लिए उत्तरदायी है, ऐसी अवधि के लिए, जो विहित की जाए, ऐसे विवरण तैयार करेगा और विहित आय-कर प्राधिकारी या ऐसे प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को ऐसे विवरण परिदत्त करेगा या परिदत्त कराएगा और ऐसे विवरण, ऐसे प्ररूप में होंगे और ऐसी रीति में सत्यापित होंगे और उनमें ऐसी विशिष्टियां दी जाएंगी और उन्हें ऐसे समय के भीतर परिदत्त किया जाएगा, जैसा विहित किया जाए।

(2) बोर्ड यह अपेक्षा कर सकेगा कि कोई व्यक्ति, जो उपधारा (1) में वर्णित व्यक्ति से भिन्न है और जो किसी निवासी को ऐसी किसी आय का संदाय करने के लिए उत्तरदायी है, जो अध्याय 17 के अधीन स्रोत पर कर की कटौती के लिए उत्तरदायी है, ऐसी अवधि के लिए, जो विहित की जाए, ऐसे विवरण तैयार करेगा और उपधारा (1) में निर्दिष्ट आय-कर प्राधिकारी या प्राधिकृत व्यक्ति को उक्त विवरण परिदत्त करेगा या परिदत्त कराएगा और ऐसे विवरण, ऐसे प्ररूप में होंगे और ऐसी रीति में सत्यापित होंगे और उनमें ऐसी विशिष्टियां दी जाएंगी और उन्हें ऐसे समय के भीतर परिदत्त किया जाएगा, जैसा विहित किया जाए ।

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी भी आय का किसी निवासी को संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति, उपधारा (1) में निर्दिष्ट आय–कर प्राधिकारी को उक्त उपधाराओं के अधीन परिदत्त विवरण में प्रस्तुत की गई किसी त्रुटि का सुधार करने या उसमें दी गई जानकारी में कुछ अभिवृद्धि करने या उसमें से कुछ हटाने या उसे अद्यतन करने के लिए ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में सत्यापित करते हुए संशोधन विवरण भी परिदत्त कर सकेगा, जैसा विहित किया जाए ।"।

धारा 228क का संशोधन ।

52. आय-कर अधिनियम की धारा 228क में, 1 सितंबर, 2019 से,—

(क) उपधारा (1) में,—

(i) "भारत में संपत्ति वाले" शब्दों के स्थान पर "भारत में संपत्ति रखने वाले किसी निवासी या" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) "प्रत्येक ऐसा प्रमाणपत्र ऐसे कर वसूली अधिकारी को अग्रेषित कर सकता है जिसकी अधिकारिता में ऐसी संपत्ति स्थित है" शब्दों के स्थान पर "प्रत्येक ऐसा प्रमाणपत्र ऐसे निवासी पर अधिकारिता रखने वाले या जिसकी अधिकारिता में ऐसी संपत्ति स्थित है, कर वसूली अधिकारी को अग्रेषित कर सकता है" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उपधारा (2) में,—

"निर्धारिती की भारत के बाहर देश में (जो ऐसा देश है, जिसके साथ केंद्रीय सरकार ने इस अधिनियम और उस देश में प्रवृत्त तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन आय-कर की वसूली के लिए करार किया जाना है) संपत्ति है" शब्दों के स्थान पर "निर्धारिती किसी देश का निवासी है या उस देश में कोई संपत्ति रखता है (जो ऐसा देश है, जिसके साथ केंद्रीय सरकार ने इस अधिनियम और उस देश में तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन आय-कर की वसूली के लिए करार किया जाना है)" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 234क का संशोधन ।

53. आय-कर अधिनियम की धारा 234क की उपधारा (1) के खंड (ख) के पश्चात् दीर्घ पंक्ति में, उपखंड (ii) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किया जाएगा और 1 अप्रैल, 2007 से अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

"(iiक) धारा 89 के अधीन अनुज्ञात कर की कोई राहत;"।

धारा 234ख का संशोधन ।

54. आय-कर अधिनियम की धारा 234ख की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण 1 में, खंड (i) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा और 1 अप्रैल, 2007 से अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात्:—

"(iक) धारा 89 के अधीन अनुज्ञात कर की कोई राहत;"।

धारा 234ग का संशोधन ।

55. आय-कर अधिनियम की धारा 234ग की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण में, खंड (i) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा और 1 अप्रैल, 2007 से अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात्:—

"(iक) धारा 89 के अधीन अनुज्ञात कर की कोई राहत;"।

धारा 239 का संशोधन ।

56. आय-कर अधिनियम की धारा 239 में 1 सितंबर, 2019 से,—

(क) उपधारा (1) में, "विहित प्ररूप में होगा और विहित रीति से सत्यापित किया जाएगा" शब्दों के स्थान पर, "धारा 139 के उपबंधों के अनुसार विवरणी देकर प्रस्तुत किया जाएगा" शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(ख) उपधारा (2) का लोप किया जाएगा ।

धारा 246क का संशोधन ।

57. आय-कर अधिनियम की धारा 246क की उपधारा (1) के खंड (खख) में, "निर्धारण या पुनःनिर्धारण का" शब्दों के स्थान पर "किया गया" शब्द, 1 सितंबर, 2019 से रखे जाएंगे ।

धारा 269धध का संशोधन ।

58. आय-कर अधिनियम की धारा 269धध की दीर्घ पंक्ति में, "इलैक्ट्रानिक समाशोधन प्रणाली का उपयोग करके" शब्दों के स्थान पर "इलैक्ट्रानिक निकासी प्रणाली का उपयोग करके या किसी अन्य इलैक्ट्रानिक पद्धति का उपयोग करके, जो विहित की जाए," शब्द 1 सितंबर, 2019 से रखे जाएंगे ।

धारा 269धन का संशोधन ।

59. आय-कर अधिनियम की धारा 269धन की दीर्घ पंक्ति में, "इलैक्ट्रानिक निकासी प्रणाली के" शब्दों के स्थान पर "इलैक्ट्रानिक निकासी प्रणाली के या किसी अन्य इलैक्ट्रानिक पद्धति के, जो विहित की जाए," शब्द 1 सितंबर, 2019 से रखे जाएंगे ।

60. आय-कर अधिनियम की धारा 269धन के पश्चात् निम्नलिखित धारा 1 नवंबर, 2019 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :— नई धारा 269धप का अंतःस्थापन ।

"269धप. प्रत्येक व्यक्ति, जो कोई कारबार कर रहा है, यदि कारबार में, यथास्थिति, उसके कुल विक्रय, आवर्त या सकल प्राप्तियां पूर्ववर्ती वर्ष से ठीक पूर्ववर्ष के दौरान पचास करोड़ से अधिक हैं, तो वह, ऐसे व्यक्ति द्वारा उपलब्ध कराई जा रही संदाय की अन्य इलैक्ट्रानिक पद्धतियों की सुविधा के अतिरिक्त विहित इलैक्ट्रानिक पद्धतियों के माध्यम से संदाय को स्वीकार करने की सुविधा उपलब्ध कराएगा ।"। विहित इलैक्ट्रानिक पद्धतियों के माध्यम से संदाय का स्वीकार किया जाना ।

61. आय-कर अधिनियम की धारा 269न की दीर्घ पंक्ति में, "इलैक्ट्रानिक समाशोधन प्रणाली का उपयोग करके" शब्दों के स्थान पर "इलैक्ट्रानिक निकासी प्रणाली का उपयोग करके या किसी अन्य इलैक्ट्रानिक पद्धति का उपयोग करके, जो विहित की जाए," शब्द 1 सितंबर, 2019 से रखे जाएंगे । धारा 269न का संशोधन ।

62. आय-कर अधिनियम की धारा 270क में,— धारा 270क का संशोधन ।

(अ) "जहां आय की विवरणी प्रस्तुत नहीं की गई है" शब्दों के स्थान पर, दोनों स्थानों पर, जहां वे आते है, "जहां आय की विवरणी प्रस्तुत नहीं की गई है या जहां धारा 148 के अधीन पहली बार विवरणी प्रस्तुत की गई है" शब्द और अंक रखे जाएंगे और 1 अप्रैल, 2017 से रखे गए समझे जाएंगे;

(आ) उपधारा (2) के खंड (ङ) में, "जहां आय की कोई विवरणी फाइल नहीं की गई है" शब्दों के स्थान पर, "जहां आय की कोई विवरणी प्रस्तुत नहीं की गई है या जहां धारा 148 के अधीन पहली बार विवरणी प्रस्तुत की गई है" शब्द और अंक रखे जाएंगे और 1 अप्रैल, 2017 से रखे गए समझे जाएंगे;

(इ) उपधारा (3) के खंड (i) के उपखंड (ख) में, "जहां कोई विवरणी नहीं दी गई है" शब्दों के स्थान पर, "जहां आय की कोई विवरणी प्रस्तुत नहीं की गई है या जहां धारा 148 के अधीन पहली बार विवरणी प्रस्तुत की गई है" शब्द और अंक रखे जाएंगे और 1 अप्रैल, 2017 से रखे गए समझे जाएंगे ।

63. आय-कर अधिनियम की धारा 271घक के पश्चात् निम्नलिखित धारा 1 नवंबर, 2019 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :— नई धारा 271घख का अंतःस्थापन।

"271घख. (1) यदि कोई व्यक्ति, जिससे धारा 269धप में निर्दिष्ट विहित संदाय के इलैक्ट्रानिक पद्धति के माध्यम से संदाय ग्रहण करने की सुविधा प्रदान करने की अपेक्षा की जाती है, ऐसी सुविधा प्रदान करने में असफल रहता है, तो वह शास्ति के रूप में, प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, पांच हजार रुपए की राशि का संदाय करने का दायी होगा : धारा 269धप के उपबंधों का अनुपालन करने में असफलता के लिए शास्ति ।

परंतु ऐसी कोई शास्ति अधिरोपणीय नहीं होगी यदि ऐसा व्यक्ति यह साबित कर देता है कि ऐसी असफलता के लिए उपयुक्त और पर्याप्त कारण थे ।

(2) उपधारा (1) के अधीन अधिरोपणीय कोई शास्ति संयुक्त आय-कर आयुक्त द्वारा अधिरोपित की जाएगी ।"।

64. आय-कर अधिनियम की धारा 271चकक के आरंभिक भाग में "के खंड (ट)" शब्दों, कोष्ठकों और अक्षर का 1 सितंबर, 2019 से लोप किया जाएगा । धारा 271चकक का संशोधन ।

65. आय-कर अधिनियम की धारा 272ख में, 1 सितंबर, 2019 से,— धारा 272ख का संशोधन ।

(क) उपधारा (2) में,—

(i) "स्थायी खाता संख्यांक" शब्दों के स्थान पर "यथास्थिति, स्थायी खाता संख्यांक या आधार संख्यांक" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) "दस हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर "ऐसे प्रत्येक व्यतिक्रम के लिए दस हजार रुपए" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"(2क) यदि कोई व्यक्ति, जिससे धारा 139क की उपधारा (6क) में निर्दिष्ट दस्तावेजों में, अपना, यथास्थिति, स्थायी खाता संख्यांक या आधार संख्यांक उत्कथित करने या उक्त उपधारा के उपबंधों के अनुसार ऐसे संख्यांक को अधिप्रमाणित करने की अपेक्षा की जाती है, ऐसा करने में असफल रहता है, तो निर्धारण अधिकारी यह निदेश दे सकेगा कि ऐसा व्यक्ति शास्ति के रूप में ऐसे प्रत्येक व्यतिक्रम के लिए दस हजार रुपए की राशि का संदाय करेगा।

(2ख) यदि कोई व्यक्ति, जिससे यह सुनिश्चित करने की अपेक्षा की जाती है कि, यथास्थिति, स्थायी खाता संख्यांक या आधार संख्यांक,—

(i) धारा 139क की उपधारा (5) के खंड (ग) या उपधारा (6क) में विहित संव्यवहारों से संबंधित दस्तावेजों में सम्यक् रूप से उत्कथित किया गया हैं; या

(ii) उक्त धारा की उपधारा (6क) के अधीन निर्दिष्ट संव्यवहार की बाबत सम्यक् रूप से अधिप्रमाणित किया गया है,

ऐसा करने में असफल रहता है, तो निर्धारण अधिकारी यह निदेश दे सकेगा कि ऐसा व्यक्ति शास्ति के रूप में ऐसे प्रत्येक व्यतिक्रम के लिए दस हजार रुपए की राशि का संदाय करेगा।";

(ग) उपधारा (3) में, "उपधारा (2)" शब्दों, कोष्ठकों और अंक के स्थान पर "उपधारा (2) या उपधारा (2क) या उपधारा (2ख)" शब्द, कोष्ठक, अक्षर और अंक रखे जाएंगे ।

धारा 276गग का संशोधन ।

66. आय-कर अधिनियम की धारा 276गग के परंतुक के खंड (ii) में, उपखंड (ख) के स्थान पर, 1 अप्रैल, 2020 से निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(ख) नियमित निर्धारण पर अवधारित कुल आय पर, ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो कंपनी नहीं है, संदेय कर, जो निर्धारण वर्ष की समाप्ति से पूर्व संदत्त अग्रिम कर या स्व निर्धारण कर, यदि कोई हो, और स्रोत पर कटौती किए गए या संगृहित किए गए किसी कर को घटाकर आए, दस हजार रुपए से अधिक नहीं है ।"।

धारा 285खक का संशोधन ।

67. आय-कर अधिनियम की धारा 285खक में, 1 सितंबर, 2019 से,—

(i) उपधारा (1) में, खंड (ट) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"(ट) कोई रिपोर्ट करने वाली विहित संस्था; या

(ठ) खंड (क) से खंड (ट) में निर्दिष्ट व्यक्तियों से भिन्न कोई व्यक्ति, जो विहित किया जाए,";

(ii) उपधारा (3) के दूसरे परंतुक का लोप किया जाएगा;

(iii) उपधारा (4) में, "ऐसे विवरण को अविधिमान्य विवरण माना जाएगा और इस अधिनियम के उपबंध इस प्रकार लागू होंगे मानो ऐसा व्यक्ति विवरण प्रस्तुत करने में असफल रहा है" शब्दों के स्थान पर, "इस अधिनियम के उपबंध इस प्रकार लागू होंगे मानो ऐसे व्यक्ति ने विवरण में गलत जानकारी प्रस्तुत की थी" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 286 का संशोधन ।

68. आय-कर अधिनियम की धारा 286 की उपधारा (9) के खंड (क) के उपखंड (i) में, "या अनुकल्पी रिपोर्ट करने वाला अस्तित्व" शब्दों का लोप किया जाएगा और 1 अप्रैल, 2017 से लोप किया गया समझा जाएगा ।

दूसरी अनुसूची के नियम 68ख का संशोधन।

69. आय-कर अधिनियम की दूसरी अनुसूची के भाग 3 में, नियम 68ख के उपनियम (1) में 1 सितंबर, 2019 से, —

(क) "तीन वर्ष" शब्दों के स्थान पर, "सात वर्ष" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) "परंतु" शब्द के स्थान पर, "परंतु यह और कि" शब्द रखे जाएंगे;

(ग) इस प्रकार संशोधित परंतुक से पूर्व, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परंतु बोर्ड, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, पूर्वोक्त अवधि को तीन वर्ष से अनधिक की और अवधि के लिए विस्तारित कर सकेगा:"।

अध्याय 4

अप्रत्यक्ष कर

सीमाशुल्क

1962 का 52

धारा 41 का संशोधन ।

70. सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात् सीमाशुल्क अधिनियम कहा गया है) की धारा 41 की उपधारा (1) में, "निर्यातित माल या आयातित माल" शब्दों से आरंभ होने वाले और "संदाय करने का दायी होगा" शब्दों के साथ समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"निर्यातित माल या आयातित माल का वहन करने वाला किसी प्रवहण का भारसाधक व्यक्ति या कोई अन्य व्यक्ति, जो केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, सीमाशुल्क स्टेशन से प्रवहण के प्रस्थान से पहले किसी उचित अधिकारी को जलयान या वायुयान की दशा में इलैक्ट्रानिक रूप से प्रस्तुत करके प्रस्थान सूची या निर्यात सूची और किसी यान की दशा में निर्यात रिपोर्ट, ऐसे प्ररूप और रीति में देगा, जो विहित की जाए और यदि भारसाधक व्यक्ति या कोई अन्य व्यक्ति, प्रस्थान सूची या निर्यात सूची या निर्यात रिपोर्ट या उसके किसी भाग को ऐसे समय के भीतर देने में असफल रहता है और उचित अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि ऐसे विलंब के लिए कोई पर्याप्त कारण नहीं है, तो ऐसा भारसाधक व्यक्ति पचास हजार रुपए से अनधिक शास्ति का संदाय करने का दायी होगा ।"।

नए अध्याय 12ख का अंतःस्थापन ।

71. सीमाशुल्क अधिनियम के अध्याय 12क के पश्चात् निम्नलिखित अध्याय अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'अध्याय 12ख

पहचान का सत्यापन और अनुपालन

पहचान का सत्यापन और उसका अनुपालन।

99ख. (1) यथास्थिति, प्रधान सीमाशुल्क आयुक्त या सीमाशुल्क आयुक्त द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत उचित अधिकारी इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि का अनुपालन सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए, किसी ऐसे व्यक्ति से, जिसका सत्यापन करना वह राजस्व के हित की संरक्षा करने के लिए या तस्करी को रोकने के लिए आवश्यक समझता है, निम्नलिखित सभी या कोई कार्य करने की अपेक्षा कर सकेगा, अर्थात्:—

(क) ऐसी रीति में तथा ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, आधार संख्या का अधिप्रमाणन करना या उसे रखे जाने का सबूत प्रस्तुत करना; या

(ख) ऐसे अन्य दस्तावेज या जानकारी, जो विहित की जाए, ऐसी रीति में और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, प्रस्तुत करना :

परंतु यदि व्यक्ति को आधार संख्या समनुदेशित नहीं की गई या इस प्रकार समनुदेशित की गई है, किन्तु ऐसे व्यक्ति का अधिप्रमाणन तकनीकी कारणों या उसके नियंत्रण से परे कारणों से असफल हुआ है, तो उसे ऐसी रीति या समय-सीमा में, जो विहित की जाए, पहचान के ऐसे अन्य विकल्प या व्यवहार्य साधन प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाएगा।

(2) उपरोक्त उपधारा (1) के उपबंध ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग, जो विहित किए जाएं, को लागू नहीं होंगे ।

(3) इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां सीमाशुल्क प्रधान आयुक्त या सीमाशुल्क आयुक्त लिखित में लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों के आधार पर, इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति—

(i) उक्त उपधारा की अपेक्षाओं का अनुपालन करने में असफल रहा है या उसने उक्त उपधारा के अधीन गलत दस्तावेज या जानकारी प्रस्तुत की है, तो वह आदेश द्वारा—

(क) आयातित या निर्यातित माल की निकासी;

(ख) प्रतिदाय की मंजूरी;

(ग) वापसी की मंजूरी;

(घ) शुल्क से छूट;

(ङ) इस अधिनियम के अधीन अनुदत्त अनुज्ञप्ति या रजिस्ट्रीकरण; या

(च) कोई अन्य फायदा, मौद्रिक और अन्यथा, जो आयात या निर्यात से उद्भूत हो,

जो ऐसे व्यक्ति से ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, संबंधित है, निलंबित कर सकेगा;

(ii) उक्त उपधारा की अपेक्षानुसार अधिप्रमाणन में असफल हो गया है, तो आदेश द्वारा वह निदेश दे सकेगा कि ऐसा व्यक्ति खंड (i) के उपखंड (क) से उपखंड (च) में विनिर्दिष्ट किसी मद का फायदा नहीं लेगा ।

(4) उपधारा (3) के अधीन निलंबन का आदेश तब तक प्रवृत्त बना रहेगा जब तक संबद्ध व्यक्ति उपधारा (1) की अपेक्षाओं का पालन नहीं करता है या उसके अधीन सही दस्तावेज या जानकारी प्रस्तुत नहीं करता है ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए "आधार संख्या" पद का वही अर्थ होगा जो उसका आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों और फायदों तथा सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 2 के खंड (क) में है ।'। 2016 का 18

धारा 103 का संशोधन ।

72. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 103 में,—

(i) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(1) जहां उचित अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि धारा 100 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति ऐसा कोई माल रखता है जो ऐसे अधिहरण का दायी है जिसे उसने अपने शरीर के भीतर छिपाया है वहां वह ऐसे व्यक्ति को परिरुद्ध कर सकेगा; और —

(क) सीमाशुल्क उपायुक्त या सीमाशुल्क सहायक आयुक्त के पूर्व अनुमोदन से यथासाध्य शीघ्रता से ऐसे उपस्कर, जो सीमाशुल्क केंद्रों पर उपलब्ध हों, का प्रयोग करके ऐसे व्यक्ति की स्क्रीनिंग या उसे स्कैन करेगा, किन्तु ऐसे व्यक्ति के ऐसे अधिकारों के, जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन उपलब्ध हो, जिनके अंतर्गत ऐसी स्क्रीनिंग या स्कैनिंग के लिए उसकी सहमति भी है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना करेगा और यदि ऐसा माल उसके शरीर के अंदर छिपा हुआ पाया जाता है, तो ऐसी स्क्रीनिंग या स्कैनिंग की रिपोर्ट निकटतम मजिस्ट्रेट को, अग्रेषित करेगा; या

(ख) अनावश्यक विलंब के बिना उसे निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करेगा।";

(ii) उपधारा (6) में, "यदि" शब्द के पश्चात् "उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन उचित अधिकारी से या" शब्द, कोष्ठक, अक्षर और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 104 का संशोधन ।

73. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 104 में,—

(i) उपधारा (1) में, "भारत में या भारतीय सीमाशुल्क सागर खंड के भीतर" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ii) उपधारा (4) में,—

(अ) खंड (ख) में, "अपवंचन" शब्द के स्थान पर, "अपवंचन; या" शब्द रखे जाएंगे;

(आ) खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"(ग) इस अधिनियम के अधीन उपबंधित शुल्क से वापसी या किसी छूट को, यदि वापसी या शुल्क से छूट की रकम पचास लाख रुपए से अधिक है, कपटपूर्ण रूप से प्राप्त करने या प्राप्त करने का प्रयास करने; या

(घ) किसी लिखत के ऐसे उपयोग से संबंधित शुल्क पचास लाख रुपए से अधिक है और ऐसी लिखत का उपयोग इस अधिनियम के अधीन किया जाता है, वहां इस अधिनियम या विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 के प्रयोजनों के लिए कपटपूर्वक कोई लिखत प्राप्त करने "; 1992 का 22

(iii) उपधारा (6) में,—

(अ) खंड (घ) में, "प्रयास करने को" शब्दों के स्थान पर, "प्रयास करने के; या" शब्द रखे जाएंगे;

(आ) खंड (घ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(ङ) जहां लिखत के ऐसे उपयोग से संबंधित शुल्क पचास लाख रुपए से अधिक है और ऐसी लिखत का वहां इस अधिनियम या विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 के प्रयोजन के लिए, कपटपूर्वक कोई लिखत वहां अभिप्राप्त करने के,"; इस अधिनियम के अधीन उपयोग किया जाता है

1992 का 22

(iv) उपधारा (7) के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'**स्पष्टीकरण**—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "लिखत" पद का वही अर्थ होगा, जो धारा 28ककक के स्पष्टीकरण 1 में उसका है ।'।

74. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 110 में,— धारा 110 का संशोधन ।

(i) उपधारा (1) में परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"परंतु जहां किसी कारण से अभिगृहीत माल को हटाना, उसका परिवहन, भंडारण या वास्तविक कब्जा लेना साध्य नहीं है, वहां उचित अधिकारी, अभिगृहीत माल की अभिरक्षा, माल के स्वामी या हिताधिकारी स्वामी या ऐसे व्यक्ति को, जो स्वयं को आयातकर्ता बताता है या किसी अन्य ऐसे व्यक्ति को, जिसकी अभिरक्षा से ऐसे माल का अभिग्रहण किया गया है, ऐसे व्यक्ति द्वारा वचन निष्पादित करने पर कि वह ऐसे अधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना उस माल को नहीं हटाएगा, उसे अलग नहीं करेगा या अन्यथा व्यवहार नहीं करेगा, दे सकेगा :

परंतु यह और कि जहां ऐसे किसी माल को अभिगृहीत करना साध्य नहीं है, वहां उचित अधिकारी माल के स्वामी या हिताधिकारी स्वामी या किसी व्यक्ति, जो स्वयं को स्वामी बताता है या किसी अन्य व्यक्ति, जिसकी अभिरक्षा में ऐसा माल पाया गया है, पर यह निदेश देते हुए आदेश तामील कर सकेगा कि ऐसा व्यक्ति, ऐसे अधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के सिवाय ऐसा माल नहीं हटाएगा, उसे अलग नहीं करेगा या अन्यथा ऐसे माल का व्यवहार नहीं करेगा ।";

(ii) उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(5) जहां इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के दौरान उचित अधिकारी की यह राय है कि राजस्व के हित की संरक्षा करने या तस्करी को रोकने के लिए ऐसा करना आवश्यक है, वहां वह सीमाशुल्क प्रधान आयुक्त या सीमाशुल्क आयुक्त के अनुमोदन से लिखित में आदेश द्वारा अनंतिम रूप से किसी बैंक खाते को छह मास से अनधिक की अवधि के लिए कुर्क कर सकेगा :

परंतु सीमाशुल्क प्रधान आयुक्त या सीमाशुल्क आयुक्त उन कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएं, ऐसी अवधि को अतिरिक्त अवधि तक, जो छह मास से अधिक की नहीं होगी, बढ़ा सकेगा और इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पहले समय के ऐसे विस्तार की सूचना ऐसे व्यक्ति को दे सकेगा, जिसके बैंक खाते को अनंतिम रूप से कुर्क किया गया है ।"।

75. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 110क में,— धारा 110क का संशोधन ।

(i) पार्श्व शीर्ष में, "दस्तावेजों और वस्तुओं" शब्दों के पश्चात् "या अनंतिम रूप से कुर्क बैंक खाते" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे;

(ii) "दस्तावेजों या वस्तुओं" शब्दों के पश्चात् "या अनंतिम रूप से कुर्क बैंक खाते" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे;

(iii) "स्वामी को" शब्दों के पश्चात् "या बैंक खाता धारक को" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

नई धारा 114कख का अंतःस्थापन।

76. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 114कक के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

कपट, आदि द्वारा लिखत प्राप्त करने के लिए शास्ति ।

'114कख. जहां किसी व्यक्ति ने किसी लिखत को कपट द्वारा, दुरभिसंधि करके, जानबूझकर मिथ्या विवरण देकर या तथ्यों को छिपाकर अभिप्राप्त किया है और ऐसी लिखत का किसी व्यक्ति द्वारा कर्तव्यों के निर्वहन के लिए उपयोग किया गया है, वहां ऐसा व्यक्ति, जिसको लिखत जारी की गई थी, ऐसी लिखत के अंकित मूल्य से अनधिक की शास्ति के लिए दायी होगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "लिखत" पद का वही अर्थ होगा, जो धारा 28ककक के स्पष्टीकरण 1 में उसका है ।'।

धारा 117 का संशोधन ।

77. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 117 में, "एक लाख रुपए" शब्दों के स्थान पर, "चार लाख रुपए" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 125 का संशोधन ।

78. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 125 की उपधारा (1) के पहले परंतुक में, "इस धारा के उपबंध लागू नहीं होंगे" शब्दों के स्थान पर, "ऐसा जुर्माना अधिरोपित नहीं किया जाएगा" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 135 का संशोधन ।

79. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 135 में,—

(i) उपधारा (1) में,—

(क) खंड (घ) में, "प्रयास करेगा" शब्दों के स्थान पर "प्रयास करेगा; या" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) खंड (घ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(ङ) किसी प्राधिकारी से, कपट द्वारा, दुरभिसंधि द्वारा, जानबूझकर मिथ्या कथन द्वारा या तथ्यों को छिपाकर कोई लिखत अभिप्राप्त करेगा और ऐसी लिखत का ऐसे व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उपयोग किया जाएगा;";

(ग) मद (i) में,—

(I) उपमद (ई) में, "से अधिक है," शब्दों के स्थान पर "से अधिक है; या" शब्द रखें जाएंगें;

(II) उपमद (ई) के पश्चात् निम्नलिखित उपमद अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(उ) किसी प्राधिकारी से, कपट द्वारा, दुरभिसंधि द्वारा, जानबूझकर मिथ्या कथन द्वारा या तथ्यों को छिपाकर कोई लिखत अभिप्राप्त करना और ऐसी लिखत का किसी व्यक्ति द्वारा उपयोग किया जाना, यदि लिखत के उपयोग से संबंधित शुल्क पचास लाख रुपए से अधिक है,";

(ii) उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'**स्पष्टीकरण**—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "लिखत" पद का वही अर्थ होगा, जो धारा 28ककक के स्पष्टीकरण 1 में उसका है ।'।

धारा 149 का संशोधन ।

80. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 149 में, "पेश किए जाने के पश्चात्" शब्दों के पश्चात् "ऐसे प्ररूप और रीति में, ऐसे समय के भीतर, ऐसे निर्बंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 157 का संशोधन ।

81. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 157 की उपधारा (2) में,—

(i) खंड (ट) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(टक) अधिप्रमाणन की रीति और ऐसे अधिप्रमाणन के लिए समय-सीमा, प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज या जानकारी और ऐसे दस्तावेज या जानकारी प्रस्तुत करने की रीति और ऐसे प्रस्तुतीकरण के लिए समय-सीमा और पहचान के लिए वैकल्पिक साधन प्रस्तुत करने की रीति तथा ऐसी पहचान प्रस्तुत करने के लिए समय-सीमा, छूट दिए जाने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग, वे शर्तें, जिनके अधीन अध्याय 12ख के अधीन निलंबन किया जा सकेगा;";

(ii) खंड (ड) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(ढ) धारा 149 के अधीन किसी दस्तावेज के संशोधन के लिए प्ररूप और रीति, समय-सीमा तथा निर्बंधन और शर्तें।"।

धारा 158 का संशोधन ।

82. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 158 की उपधारा (2) के खंड (ii) में, "पचास हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर, "दो लाख रुपए" शब्द रखे जाएंगे ।

सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन जारी अधिसूचनाओं का भूतलक्षी रूप से संशोधन ।

1962 का 52

83. (1) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा जारी भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 423(अ), तारीख 1 जून, 2011, सा.का.नि. 499(अ), तारीख 1 जुलाई, 2011, सा.का.नि. 185(अ), तारीख 17 मार्च, 2012 का संशोधन हो जाएगा और दूसरी अनुसूची के स्तंभ (4) में उल्लिखित तत्स्थानी तारीख से ही उस अनुसूची में उनमें प्रत्येक के सामने यथाविनिर्दिष्ट रीति में भूतलक्षी रूप से संशोधित हुआ समझा जाएगा और तदनुसार किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में किसी बात के होते हुए भी उक्त अधिसूचना के अधीन की गई या किए जाने के लिए आशयित कोई कार्रवाई या कोई बात सभी प्रयोजनों के लिए विधिमान्य रूप में और प्रभावी रूप में इस प्रकार की गई और सदैव की गई समझी जाएगी मानो इस उपधारा द्वारा यथासंशोधित अधिसूचना सभी तात्विक समयों पर प्रवृत्त थी ।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, केंद्रीय सरकार के पास उक्त उपधारा में निर्दिष्ट अधिसूचनाओं का भूतलक्षी प्रभाव से इस प्रकार संशोधन करने की शक्ति होगी और होनी समझी जाएगी मानो केंद्रीय सरकार के पास सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन उक्त अधिसूचनाओं का भूतलक्षी रूप से संशोधन करने की शक्ति सभी तात्विक समयों पर थी।

सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (1) और सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (12) के अधीन जारी अधिसूचना का भूतलक्षी रूप से संशोधन ।

1962 का 52
1975 का 51

84. (1) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25 की उपधारा (1) और सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3 की उपधारा (12) के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा जारी भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 785(अ), तारीख 30 जून, 2017 संशोधित हो जाएगी और तीसरी अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट रीति में उस अनुसूची के स्तंभ (4) में उल्लिखित तारीख से ही संशोधित समझी जाएगी और सदैव संशोधित की हुई समझी जाएगी और तदनुसार किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी उक्त अधिसूचना के अधीन की गई कोई कार्रवाई या कोई बात या किए जाने के लिए तात्पर्यित कोई कार्रवाई या कोई बात सभी प्रयोजनों के लिए विधिमान्य रूप से और प्रभावी रूप से की हुई समझी जाएगी और सदैव की हुई समझी जाएगी मानो इस धारा के द्वारा यथासंशोधित अधिसूचना सभी तात्विक समयों पर प्रवृत्त रही हो।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए केंद्रीय सरकार के पास उक्त उपधारा में निर्दिष्ट अधिसूचना को भूतलक्षी रूप से इस प्रकार संशोधित करने की शक्ति होगी और उसके बारे में उसे संशोधित करने की शक्ति प्राप्त हुई समझी जाएगी मानो केंद्रीय सरकार को सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन और सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (12) के अधीन उक्त अधिसूचना को सभी तात्विक समयों पर संशोधित करने की शक्ति थी ।

सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (1) और सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (12) के अधीन जारी अधिसूचना का भूतलक्षी प्रभाव होना।

1962 का 52
1975 का 51

85. भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 665(अ), तारीख 2 अगस्त, 1976 का संशोधन करने वाली अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 1270(अ), तारीख 31 दिसंबर, 2018, जो सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25 की उपधारा (1) और सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3 की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी की गई थी, सभी प्रयोजनों के लिए 1 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त हुई और सदैव प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

सीमाशुल्क टैरिफ

धारा 9 का संशोधन ।

1975 का 51

86. सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे इसमें इसके पश्चात् सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम कहा गया है) की धारा 9 में उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

(1क) जहां केंद्रीय सरकार की, ऐसी जांच करने पर, जो वह आवश्यक समझे, यह राय है कि उपधारा (1) के अधीन अधिरोपित प्रतिशुल्क की प्रवंचना या तो उस वस्तु, जिस पर ऐसा शुल्क अधिरोपित किया गया है, का वर्णन या नाम या संरचना को बदलकर या ऐसी वस्तु के असंयोजित या गैर-संयोजित रूप में आयात द्वारा या उसके उद्भव के देश को बदलकर या किसी अन्य रीति में हुई है, जिसके परिणामस्वरूप इस प्रकार अधिरोपित प्रतिशुल्क निष्प्रभावी हो गया है, वहां वह ऐसी अन्य वस्तु पर भी प्रतिशुल्क का विस्तार कर सकेगी ।"।

धारा 9ग का संशोधन ।

87. सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9ग में उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(1) अवधारण के आदेश या उसके पुनर्विलोकन के विरुद्ध अपील, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 129 के अधीन गठित सीमाशुल्क, उत्पाद-शुल्क और सेवा कर अपील अधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् अपील अधिकरण कहा गया है) को निम्नलिखित की विद्यमानता, डिग्री और प्रभाव के संबंध में की जाएगी, अर्थात् :— 1962 का 52

(i) किसी वस्तु के आयात के संबंध में कोई सहायिकी या प्रतिपाटन; या

(ii) भारत में ऐसी वर्धित मात्राओं में और ऐसी अवस्था में किसी वस्तु का आयात, जिससे उस वस्तु के आयात के संबंध में सुरक्षा शुल्क के अधिरोपण की अपेक्षा करने वाले घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति पहुंच सके या पहुंचने की आशंका हो ।"।

पहली अनुसूची का संशोधन ।

88. सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची का,—

(क) चौथी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति से संशोधन किया जाएगा;

(ख) पांचवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति से भी संशोधन ऐसी तारीख से किया जाएगा जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

प्रतिपाटन शुल्क से उद्ग्रहणीय कतिपय माल के वर्गीकरण में उपांतरण का भूतलक्षी प्रभाव से विधिमान्यकरण ।

89. (1) सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर प्रतिपाटन की पहचान, निर्धारण और प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति का अवधारण) नियम, 1995 के नियम 18 और नियम 20 के साथ पठित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा (1) और उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की गई भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 186(अ), तारीख 22 फरवरी, 2016 द्वारा संशोधित अधिसूचना सं. सा.का.नि. 804(अ), तारीख 21 अक्तूबर, 2015, सभी प्रयोजनों के लिए 21 अक्तूबर, 2015 से ही प्रवृत्त हुई और सदैव प्रवृत्त हुई समझी जाएगी। 1975 का 51

(2) ऐसे सभी प्रतिपाटन शुल्क का प्रतिदाय किया जाएगा, जिसे संगृहित किया गया है किंतु जिसे इस प्रकार संगृहित नहीं किया गया होता यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिसूचना द्वारा किया गया संशोधन सभी तात्विक समयों पर प्रवृत्त हुआ होता ।

(3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्रतिपाटन शुल्क के प्रतिदाय के लिए आवेदन, उस तारीख से, जिसको वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2019 पर राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त होती है, छह मास की अवधि के भीतर किया जाएगा ।

माल के वर्णन में उपांतरण का भूतलक्षी प्रभाव से विधिमान्यकरण ।

90. (1) सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर प्रतिपाटन की पहचान, निर्धारण और प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति का अवधारण) नियम, 1995 के नियम 18 और नियम 20 तथा नियम 23 के साथ पठित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा (1) और उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की गई अधिसूचना सं. सा.का.नि. 285(अ), तारीख 5 जुलाई, 2011 द्वारा संशोधित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं.सा.का.नि. 665(अ), तारीख 8 मार्च, 2016, सभी प्रयोजनों के लिए 8 मार्च, 2016 से ही प्रवृत्त हुई और सदैव प्रवृत्त हुई समझी जाएगी । 1975 का 51

(2) ऐसे सभी प्रतिपाटन शुल्क का प्रतिदाय किया जाएगा, जिसे संगृहीत किया गया है किंतु जिसे इस प्रकार संगृहीत नहीं किया गया होता यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिसूचना सभी तात्विक समयों पर प्रवृत्त हुई होती।

(3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्रतिपाटन शुल्क के प्रतिदाय के लिए आवेदन, उस तारीख से, जिसको वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2019 पर राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त होती है, छह मास की अवधि के भीतर किया जाएगा ।

केंद्रीय उत्पाद-शुल्क

1944 का 1

चौथी अनुसूची का संशोधन ।

91. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की चौथी अनुसूची के अध्याय 27 में, टैरिफ मद 2709 20 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "एक रुपया प्रति टन" प्रविष्टि रखी जाएगी ।

केंद्रीय माल और सेवा कर

2017 का 12

धारा 2 का संशोधन ।

92. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 के खंड (4) में, "अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण," शब्दों के स्थान पर, "अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण, राष्ट्रीय अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण," शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 10 का संशोधन ।

93. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 10 में,—

(क) उपधारा (1) में दूसरे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"स्पष्टीकरण 1—दूसरे परंतुक के प्रयोजनों के लिए, जहां तक प्रतिफल को ब्याज या बट्टे के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, छूट प्राप्त सेवाओं की पूर्ति के मूल्य को, किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में आवर्त के मूल्य के अवधारण के लिए गणना में नहीं लिया जाएगा।";

(ख) उपधारा (2) में,—

(i) खंड (घ) के अन्त में आने वाले "और" शब्द का लोप किया जाएगा;

(ii) खंड (ङ) में "अधिसूचित किया जाए"; शब्दों के स्थान पर, "अधिसूचित किया जाए; और" शब्द रखे जाएंगे;

(iii) खंड (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(च) वह न तो कोई नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति है और न ही कोई अनिवासी कराधेय व्यक्ति है :";

(ग) उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(2क) इस विनियम में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, किन्तु धारा 9 की उपधारा (3) और उपधारा (4) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन कर के संदाय का विकल्प लेने के लिए पात्र नहीं है और जिसकी पूर्व वित्तीय वर्ष में सकल आवर्त पचास लाख रुपए से अधिक नहीं है, उसके द्वारा धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन संदेय कर के स्थान पर, विहित की जाने वाली दर पर, जो किसी राज्य में उसकी आवर्त या संघ राज्यक्षेत्र में उसकी आवर्त के तीन प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, संगणित कर की रकम का संदाय करने का विकल्प ले सकेगा, यदि वह,—

(क) किसी ऐसे माल या सेवाओं की पूर्ति करने में नहीं लगा है, जो इस अधिनियम के अधीन कर से उद्ग्रहणीय नहीं है;

(ख) माल या सेवाओं की अंतरराज्यीय जावक पूर्ति करने में नहीं लगा है;

(ग) किसी ऐसे इलैक्ट्रानिक वाणिज्यिक प्रचालक के माध्यम से माल या सेवाओं की ऐसी पूर्ति में नहीं लगा है, जिससे धारा 52 के अधीन स्रोत पर कर का संग्रहण करना अपेक्षित है;

(घ) ऐसे माल का विनिर्माता या ऐसी सेवाओं का पूर्तिकार नहीं है, जो सरकार द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचित की जाएं; और

(ङ) न तो कोई नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति है या न ही कोई अनिवासी कराधेय व्यक्ति है :

1961 का 43

परंतु जहां एक से अधिक रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का आय-कर अधिनियम, 1961 के अधीन जारी स्थायी खाता संख्यांक एक ही है, वहां ऐसा रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति इस

उपधारा के अधीन तब तक स्कीम के लिए विकल्प का चुनाव करने का पात्र नहीं होगा, जब तक ऐसे सभी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति इस उपधारा के अधीन कर का संदाय करने के विकल्प का चुनाव नहीं करते हैं ।";

(घ) उपधारा (3) में, "उपधारा (1)" शब्द, कोष्ठकों और अंक के स्थान पर, दोनों स्थानों पर, जहां वे आते हैं, "यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (2क)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ङ) उपधारा (4) में, "उपधारा (1)" शब्द, कोष्ठकों और अंक के स्थान पर, "यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (2क)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(च) उपधारा (5) में, "उपधारा (1)" शब्द, कोष्ठकों और अंक के स्थान पर, "यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (2क)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(छ) उपधारा (5) के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

'स्पष्टीकरण 1—इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति की कर संदाय करने की पात्रता का अवधारण करने के लिए उसके सकल आवर्त की संगणना करने के प्रयोजनों के लिए, "सकल आवर्त" पद के अंतर्गत किसी वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल से उस तारीख तक की पूर्तियां सम्मिलित होंगी, जिसको वह इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण का दायी बन जाता है, किन्तु जहां तक प्रतिफल को ब्याज या बट्टे के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, निक्षेपों, ऋणों या अग्रिमों को विस्तारित करके छूट प्राप्त सेवाओं की पूर्ति का मूल्य सम्मिलित नहीं होगा ।

स्पष्टीकरण 2—इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा संदेय कर का अवधारण करने के प्रयोजनों के लिए, "किसी राज्य में आवर्त या किसी संघ राज्यक्षेत्र में आवर्त" में निम्नलिखित पूर्तियों का मूल्य सम्मिलित नहीं होगा, अर्थात् :—

(i) किसी वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल से उस तारीख तक की पूर्तियां, जिसको वह इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण का दायी बन जाता है; और

(ii) जहां तक प्रतिफल को ब्याज या बट्टे के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, निक्षेपों, ऋणों या अग्रिमों को विस्तारित करके छूट प्राप्त सेवाओं की पूर्ति ।'।

धारा 22 का संशोधन ।

94. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (1) में, दूसरे परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यह भी कि सरकार, राज्य के अनुरोध पर और परिषद् की सिफारिशों पर बीस लाख रुपए के सकल आवर्त को ऐसी रकम तक बढ़ा सकेगी, जो किसी ऐसे पूर्तिकार की दशा में, जो माल की अनन्य पूर्ति में लगा है, चालीस लाख रुपए से अधिक नहीं होगी और यह ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए किया जाएगा, जो अधिसूचित की जाएं ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, किसी व्यक्ति के बारे में तब भी यह समझा जाएगा कि वह माल की अनन्य पूर्ति में लगा है, यदि वह निक्षेपों, ऋणों या अग्रिमों को विस्तारित करके छूट प्राप्त सेवाओं की पूर्ति में लगा हुआ है, जहां तक प्रतिफल को ब्याज या बट्टे के रूप में प्रदर्शित किया जाता है ।"।

धारा 25 का संशोधन ।

95. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 25 में उपधारा (6) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

'(6क) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, विहित किए जाने वाले प्ररूप और रीति तथा समय के भीतर सत्यापन कराएगा या आधार संख्यांक रखे जाने का सबूत प्रस्तुत करेगा :

परंतु यदि किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को आधार संख्यांक समनुदेशित नहीं किया गया है, तो ऐसे व्यक्ति को ऐसी रीति में, जो परिषद् की सिफारिशों पर, सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, पहचान का कोई वैकल्पिक और व्यवहार्य साधन प्रस्थापित किया जाएगा :

परंतु यह और कि सत्यापन कराने या आधार संख्यांक रखे जाने का सबूत प्रस्तुत करने या पहचान का कोई वैकल्पिक और व्यवहार्य साधन प्रस्तुत करने में असफल रहने की दशा में ऐसे व्यक्ति को

आबंटित रजिस्ट्रीकरण अविधिमान्य समझा जाएगा और इस अधिनियम के अन्य उपबंध इस प्रकार लागू होंगे मानो ऐसे व्यक्ति के पास रजिस्ट्रीकरण नहीं है ।

(6ख) अधिसूचित की जाने वाली तारीख से ही प्रत्येक व्यष्टि, रजिस्ट्रीकरण की मंजूरी के लिए पात्र बनने हेतु, परिषद् की सिफारिशों पर सरकार द्वारा उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाने वाली रीति में सत्यापन कराएगा या आधार संख्यांक रखे जाने का सबूत प्रस्तुत करेगा :

परंतु जहां किसी व्यष्टि को आधार संख्यांक समनुदेशित नहीं किया गया है, वहां ऐसे व्यष्टि को पहचान का कोई ऐसा वैकल्पिक और व्यवहार्य साधन प्रस्थापित किया जाएगा, जो परिषद् की सिफारिशों पर, सरकार द्वारा उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए ।

(6ग) अधिसूचित की जाने वाली तारीख से ही, व्यष्टि से भिन्न प्रत्येक व्यक्ति, रजिस्ट्रीकरण की मंजूरी के लिए पात्र बनने हेतु, सत्यापन कराएगा या ऐसी रीति में, जो अधिसूचित की जाए, कर्ता, प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक, ऐसे भागीदारों, यथास्थिति, संगम की प्रबंध समिति, न्यासी बोर्ड के सदस्यों, प्राधिकृत प्रतिनिधियों, प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं और व्यक्तियों के ऐसे अन्य वर्गों द्वारा, ऐसी रीति में, जो परिषद् की सिफारिशों पर सरकार द्वारा उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, आधार संख्यांक रखे जाने का सबूत प्रस्तुत करेगा :

परंतु जहां ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के ऐसे अन्य वर्ग, जिन्हें आधार संख्यांक समनुदेशित नहीं किया गया है, उन्हें पहचान का कोई ऐसा वैकल्पिक और व्यवहार्य साधन प्रस्थापित किया जाएगा, जो परिषद् की सिफारिशों पर, सरकार द्वारा उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए ।

(6घ) उपधारा (6क) या उपधारा (6ख) या उपधारा (6ग) के उपबंध ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के ऐसे वर्ग या वर्गों या किसी राज्य या राज्य के किसी ऐसे भाग को लागू नहीं होंगे, जिसे परिषद् की सिफारिश पर सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए "आधार संख्यांक" पद का वही अर्थ होगा, जो आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, फायदों तथा सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 2 के खंड (क) में उसका है ।'। 2016 का 18

96. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 31 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:— नई धारा 31क का अंतःस्थापन ।

"31क. सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग को विहित कर सकेगी, जो उसके द्वारा की गई माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के प्राप्तिकर्ता को इलैक्ट्रानिक संदाय का विहित ढंग उपलब्ध कराएगा और ऐसे प्राप्तिकर्ता को ऐसी रीति और ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के, जो विहित किए जाएं, अधीन रहते हुए तदनुसार संदाय करने का विकल्प देगा।"। प्राप्तिकर्ता को डिजिटल संदाय की सुविधा ।

97. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 39 में,— धारा 39 का संशोधन ।

(क) उपधारा (1) और उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात्:—

"(1) किसी इनपुट सेवा वितरक या अनिवासी कराधेय व्यक्ति या धारा 10 या धारा 51 या धारा 52 के उपबंधों के अधीन कर का संदाय करने वाले व्यक्ति से भिन्न प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, प्रत्येक कलैंडर मास या उसके किसी भाग के लिए माल या सेवाओं या दोनों की आवक और जावक पूर्तियों, प्राप्त किए गए इनपुट कर प्रत्यय, संदेय कर और ऐसी अन्य विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए ऐसे प्ररूप, रीति और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, इलैक्ट्रानिक रूप से विवरणी प्रस्तुत करेगा :

परंतु सरकार, परिषद् की सिफारिश पर, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के कतिपय वर्ग को अधिसूचित कर सकेगी, जो ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के, जो उसमें विनिर्दिष्ट किए जाएं, अधीन रहते हुए, प्रत्येक तिमाही या उसके किसी भाग के लिए विवरणी प्रस्तुत करेगा ।

(2) धारा 10 के उपबंधों के अधीन कर का संदाय करने वाला कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, प्रत्येक वित्तीय वर्ष या उसके किसी भाग के लिए, माल या सेवाओं या दोनों की आवक पूर्तियों, संदेय कर, संदेत कर और ऐसी अन्य विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए ऐसे प्ररूप, रीति में और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, इलैक्ट्रानिक रूप से राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में आवर्त की विवरणी प्रस्तुत करेगा ।";

(ख) उपधारा (7) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(7) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिससे उपधारा (1) के अधीन विवरणी प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है और जो ऐसे व्यक्ति से भिन्न है, जिसे उसके परंतुक या उपधारा (3) या उपधारा (5) में निर्दिष्ट किया गया है, सरकार को, ऐसी विवरणी के अनुसार शोध्य कर का संदाय उस अन्तिम तारीख से पूर्व करेगा, जिसको उसके द्वारा ऐसी विवरणी प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है :

परंतु उपधारा (1) के परंतुक के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने वाला प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, किसी मास के दौरान, माल या सेवाओं या दोनों की आवक और जावक पूर्तियों, प्राप्त किए गए कर प्रत्यय, संदेय कर और ऐसी अन्य विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए, ऐसे प्ररूप, रीति और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, सरकार को शोध्य कर का संदाय करेगा :

परंतु यह और कि उपधारा (2) के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने वाला प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, किसी तिमाही के दौरान, राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में व्यापारावर्त माल या सेवाओं या दोनों की आवक पूर्तियों, संदेय कर और में ऐसी अन्य विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए, ऐसे प्ररूप, रीति में और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, सरकार को शोध्य कर का संदाय करेगा।"।

धारा 44 का संशोधन ।

98. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 44 की उपधारा (1) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"परंतु आयुक्त, परिषद् की सिफारिशों पर और लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से अधिसूचना द्वारा रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग के लिए, जो उसमें विनिर्दिष्ट किया जाए, वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने की समय-सीमा को बढ़ा सकेगा :

परंतु यह और कि राज्य कर आयुक्त या संघ राज्यक्षेत्र कर आयुक्त द्वारा अधिसूचित समय-सीमा के किसी विस्तारण को आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया गया समझा जाएगा ।"।

धारा 49 का संशोधन ।

99. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 49 में, उपधारा (9) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"(10) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, ऐसे प्ररूप और रीति में तथा ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, जो विहित किए जाएं, सामान्य पोर्टल पर, इस अधिनियम के अधीन इलैक्ट्रानिक नकद खाते में उपलब्ध किसी कर, ब्याज, शास्ति, फीस की किसी रकम या किसी अन्य रकम को एकीकृत कर, केंद्रीय कर, राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर या उपकर संबंधी इलैक्ट्रानिक नकद खाते में अंतरित कर सकेगा और ऐसे अंतरण को इस अधिनियम के अधीन इलैक्ट्रानिक नकद खाते से प्रतिसंदाय के रूप में समझा जाएगा ।

(11) जहां किसी रकम को इस अधिनियम के अधीन इलैक्ट्रानिक नकद खाते में अंतरित किया गया है, वहां उसे उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उक्त खाते में जमा किया गया समझा जाएगा।"।

धारा 50 का संशोधन ।

100. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 50 की उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु किसी कर अवधि के दौरान की गई पूर्तियों के संबंध में संदेय कर पर ब्याज को, जिसे धारा 39 के उपबंधों के अनुसार नियत तारीख के पश्चात् उक्त अवधि के लिए प्रस्तुत की गई विवरणी में घोषित किया गया है, सिवाय वहां के, जहां ऐसी विवरणी को उक्त अवधि के संबंध में धारा 73 या धारा 74 के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के प्रारंभ के पश्चात् प्रस्तुत किया जाता है, कर के उस भाग पर उद्गृहीत किया जाएगा, जिसका संदाय इलैक्ट्रानिक नकद खाते से राशि को निकालकर किया गया है ।"।

धारा 52 का संशोधन ।

101. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 52 में,—

(क) उपधारा (4) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"परंतु आयुक्त, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, अधिसूचना द्वारा रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग के लिए, जो उसमें विनिर्दिष्ट किया जाए, विवरण प्रस्तुत करने की समय-सीमा को विस्तारित कर सकेगा :

परंतु यह और कि राज्य कर आयुक्त या संघ राज्यक्षेत्र कर आयुक्त द्वारा अधिसूचित समय-सीमा के किसी विस्तारण को आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया गया समझा जाएगा ।";

(ख) उपधारा (5) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"परंतु आयुक्त, परिषद् की सिफारिशों पर और लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, अधिसूचना द्वारा रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग के लिए, जो उसमें विनिर्दिष्ट किया जाए, वार्षिक विवरण प्रस्तुत करने की समय-सीमा को विस्तारित कर सकेगा :

परंतु यह और कि राज्य कर आयुक्त या संघ राज्यक्षेत्र कर आयुक्त द्वारा अधिसूचित समय-सीमा के किसी विस्तारण को आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया गया समझा जाएगा ।"।

नई धारा 53क का अंतःस्थापन ।

102. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 53 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

कतिपय रकमों का अंतरण ।

"53क. जहां किसी रकम को इस अधिनियम के अधीन इलैक्ट्रानिक नकद खाते से राज्य माल और सेवा कर अधिनियम या संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन इलैक्ट्रानिक नकद खाते में अंतरित कर दिया गया है, वहां सरकार, राज्य कर खाते या संघ राज्यक्षेत्र कर खाते को, इलैक्ट्रानिक नकद खाते से अंतरित की गई रकम के बराबर रकम का ऐसी रीति और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, अंतरण करेगी"।

धारा 54 का संशोधन ।

103. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 54 में उपधारा (8) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(8क) सरकार, राज्य कर के प्रतिदाय का संवितरण ऐसी रीति में कर सकेगी, जो विहित की जाए ।"।

धारा 95 का संशोधन ।

104. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 95 में,—

(i) उपखंड (क) में,—

(क) "अपील प्राधिकरण" शब्दों के स्थान पर, "अपील प्राधिकरण या राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) "धारा 100 की उपधारा (1)" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर, "धारा 100 की उपधारा (1) या धारा 101ग" शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ii) उपखंड (ङ) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(च) "राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण" से धारा 101क में निर्दिष्ट राष्ट्रीय अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण अभिप्रेत है ।'।

नई धारा 101क, धारा 101ख और धारा 101ग का अंतःस्थापन ।

105. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 101 के पश्चात्, निम्नलिखित धाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

राष्ट्रीय अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण का गठन ।

"101क. (1) सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसी तारीख से, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाए, धारा 101ख के अधीन अपीलों की सुनवाई के लिए राष्ट्रीय अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण नामक प्राधिकरण का गठन करेगी ।

(2) राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण निम्नलिखित से मिलकर बनेगा—

(i) अध्यक्ष, जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रहा है या किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति है या रहा है या किसी उच्च न्यायालय का कम से कम पांच वर्ष की अवधि के लिए न्यायाधीश है या रहा है;

(ii) एक तकनीकी सदस्य (केंद्र), जो भारतीय राजस्व (सीमाशुल्क और केंद्रीय उत्पाद-शुल्क) सेवा, समूह क का सदस्य है या रहा है और जिसने समूह क में कम से कम पन्द्रह वर्ष की सेवा पूरी कर ली है;

(iii) एक तकनीकी सदस्य (राज्य), जो राज्य सरकार के मूल्यवर्धित कर अपर आयुक्त या राज्य कर अपर आयुक्त की श्रेणी से अनिम्न पंक्ति का कोई अधिकारी है या रहा है और जिसे किसी विद्यमान विधि या राज्य माल और सेवा कर अधिनियम या वित्त और कराधान के क्षेत्र में प्रशासन का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव है ।

(3) राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण का अध्यक्ष, सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायमूर्ति या उसके नामनिर्देशिती के परामर्श से नियुक्त किया जाएगा :

परंतु अध्यक्ष के पद की, उसकी मृत्यु, त्यागपत्र के कारण या अन्यथा हुई किसी रिक्ति की दशा में, राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण का ज्येष्ठतम सदस्य, उस तारीख तक अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा, जिसको ऐसी रिक्ति भरने के लिए इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार नियुक्त नया अध्यक्ष अपना पद ग्रहण करता है :

परंतु यह और कि जहां अध्यक्ष, अनुपस्थिति, रुग्णता या किसी अन्य कारण से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है, वहां राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण का ज्येष्ठतम सदस्य उस तारीख तक अध्यक्ष के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, जिसको अध्यक्ष अपना पदभार ग्रहण करता है ।''।

(4) राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण का तकनीकी सदस्य (केंद्र) और तकनीकी सदस्य (राज्य) ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनी चयन समिति की सिफारिशों पर और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा ।

(5) राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण के सदस्यों की कोई नियुक्ति केवल चयन समिति में किसी रिक्ति या उसके गठन में त्रुटि के कारण अविधिमान्य नहीं होगी ।

(6) राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण के अध्यक्ष या सदस्यों के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति से पहले सरकार अपना यह समाधान करेगी कि ऐसे व्यक्ति का ऐसा कोई वित्तीय या अन्य हित नहीं है, जिससे ऐसे अध्यक्ष या सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना संभाव्य है ।

(7) राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन, भत्ते और उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी, जो विहित की जाएं :

परंतु राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण के अध्यक्ष या सदस्यों के वेतन और भत्तों में या उनकी सेवा के अन्य निबंधनों और शर्तों में उनकी नियुक्ति के पश्चात् कोई अलाभकारी फेरफार नहीं किया जाएगा ।

(8) राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण का अध्यक्ष, उस तारीख से, जिसको वह अपना पदग्रहण करता है, तीन वर्ष की अवधि के लिए या सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करेगा और पुनः नियुक्ति का पात्र होगा ।

(9) राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण का तकनीकी सदस्य (केंद्र) या तकनीकी सदस्य (राज्य) उस तारीख से, जिसको वह अपना पदग्रहण करता है, पांच वर्ष की अवधि के लिए या पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करेगा और पुनःनियुक्ति का भी पात्र होगा ।

(10) अध्यक्ष या कोई सदस्य, सरकार को संबोधित लिखित नोटिस द्वारा अपना पद त्याग सकेगा :

परंतु अध्यक्ष या सदस्य, सरकार द्वारा ऐसे नोटिस की प्राप्ति की तारीख से तीन मास के अवसान तक या उसके उत्तरवर्ती के रूप में सम्यक् रूप से नियुक्त व्यक्ति द्वारा पदग्रहण किए जाने तक या उसकी पदावधि के अवसान तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, पद पर बना रहेगा ।

(11) सरकार, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श के पश्चात् ऐसे अध्यक्ष या सदस्य को पद से हटा सकेगी,—

(क) जिसे दिवालिया न्यायनिर्णीत कर दिया गया है; या

(ख) जिसे किसी ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया है, जिसमें ऐसी सरकार की राय में नैतिक अधमता अंतर्वलित है; या

(ग) जो ऐसे अध्यक्ष या सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए शारीरिक या मानसिक रूप से असमर्थ हो गया है; या

(घ) जिसने ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित कर लिया है, जिससे ऐसे अध्यक्ष या सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना संभाव्य है; या

(ङ) उसने अपने पद का ऐसे दुरुपयोग किया है, जिससे उसका पद पर बने रहना लोक हित के प्रतिकूल है :

परंतु अध्यक्ष या सदस्य को खंड (घ) और खंड (ङ) में विनिर्दिष्ट किसी आधार पर तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक उसे उसके विरुद्ध आरोपों की सूचना न दे दी गई हो और उसे सुनवाई का अवसर न दे दिया गया हो ।

(12) उपधारा (11) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण के अध्यक्ष और तकनीकी सदस्यों को, सरकार द्वारा किए गए निर्देश पर भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नामनिर्देशित उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश द्वारा की गई जांच के पश्चात्, सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर तथा ऐसे अध्यक्ष या सदस्य को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् सरकार द्वारा किए गए किसी आदेश के सिवाय, पद से नहीं हटाया जाएगा ।

(13) सरकार, राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण के ऐसे अध्यक्ष या तकनीकी सदस्यों को, जिसकी बाबत उपधारा (12) के अधीन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को निर्देश किया गया है, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से पद से निलंबित कर सकेगी ।

(14) संविधान के अनुच्छेद 220 के उपबंधों के अधीन रहते हुए राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण का अध्यक्ष या सदस्य, पद पर न रहने पर, उस राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण के समक्ष, जहां वह, यथास्थिति, अध्यक्ष या कोई सदस्य था, उपस्थित होने, कार्य करने या अभिवाक् करने के लिए पात्र नहीं होगा ।

राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण को अपील ।

101ख. (1) जहां धारा 97 की उपधारा (2) में यथानिर्दिष्ट प्रश्नों के संबंध में, धारा 101 की उपधारा (1) के अधीन या उपधारा (3) के अधीन दो या अधिक राज्यों या संघ राज्यक्षेत्रों या दोनों के अपील प्राधिकरणों द्वारा विरोधाभासी अग्रिम विनिर्णय दिए जाते हैं, वहां आयुक्त द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी या कोई आवेदक, जो ऐसे अग्रिम विनिर्णय से व्यथित, धारा 25 में निर्दिष्ट सुभिन्न व्यक्ति है, राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण को अपील कर सकेगा :

परंतु अधिकारी उन राज्यों से होगा, जहां ऐसे अग्रिम विनिर्णय दिए गए हैं।

(2) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील, उस तारीख से, जिसको वह विनिर्णय, जिसके विरुद्ध अपील चाही गई है, आवेदक, संबंधित अधिकारी और अधिकारिता रखने वाले अधिकारियों को संसूचित किया गया है, तीस दिन की अवधि के भीतर फाइल की जाएगी :

परंतु आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, उस तारीख से, जिसको वह विनिर्णय, जिसके विरुद्ध अपील चाही गई है, संबंधित अधिकारी और अधिकारिता रखने वाले अधिकारियों को संसूचित किया गया है, नब्बे दिन की अवधि के भीतर अपील फाइल कर सकेगा :

परंतु यह और कि राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी को, यथास्थिति, उक्त तीस दिन या नब्बे दिन के भीतर अपील प्रस्तुत करने से पर्याप्त कारण से निवारित किया गया था, तो वह ऐसी अपील को तीस दिन से अनधिक और अवधि के भीतर प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा ।

स्पष्टीकरण—शंकाओं के निराकरण के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि, यथास्थिति, तीस दिन या नब्बे दिन की अवधि की गणना, उस तारीख से की जाएगी, जिसको अंतिम विरोधाभासी विनिर्णय को, जिसके विरुद्ध अपील चाही गई है, संसूचित किया गया था ।

(3) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील ऐसे प्ररूप में होगी, उसके साथ ऐसी फीस होगी और उसे ऐसी रीति में सत्यापित किया जाएगा, जो विहित की जाए।

राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण का आदेश ।

101ग. (1) राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण, आवेदक, आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, केंद्रीय कर के सभी प्रधान मुख्य आयुक्त और मुख्य आयुक्त तथा सभी राज्यों के राज्य कर मुख्य आयुक्त और आयुक्त

और सभी संघ राज्यक्षेत्रों के संघ राज्यक्षेत्र कर के मुख्य आयुक्त और आयुक्त को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, उस विनिर्णय को, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, पुष्ट या उपांतरित करने वाला ऐसा आदेश पारित कर सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

(2) यदि राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण के सदस्यों की किसी बिन्दु या बिन्दुओं पर भिन्न राय है, तो उसका विनिश्चय बहुमत की राय के अनुसार किया जाएगा ।

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट आदेश धारा 101ख के अधीन अपील फाइल करने की तारीख से यथासंभव नब्बे दिन की अवधि के भीतर पारित किया जाएगा ।

(4) राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण द्वारा सुनाए गए अग्रिम विनिर्णय की प्रति को सदस्यों द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित और ऐसी रीति में प्रमाणित किया जाएगा, जो विहित की जाए, और उसे सुनाए जाने के पश्चात्, यथास्थिति, आवेदक, आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, बोर्ड, सभी राज्यों के राज्य कर मुख्य आयुक्त और आयुक्त तथा सभी संघ राज्यक्षेत्रों के संघ राज्यक्षेत्र कर मुख्य आयुक्त और आयुक्त को और प्राधिकरण या अपील प्राधिकरण को भेजा जाएगा ।''।

धारा 102 का संशोधन ।

106. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 102 में,—

(क) "अपील प्राधिकरण" शब्दों के पश्चात् दोनों स्थानों पर, जहां वे आते हैं, "या राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ख) "धारा 98 या धारा 101" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "क्रमशः, धारा 98 या धारा 101 या धारा 101ग" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ग) "या अपीलार्थी" शब्दों के स्थान पर ", अपीलार्थी, प्राधिकरण या अपील प्राधिकरण" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 103 का संशोधन ।

107. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 103 में,—

(i) उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(1क) राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण द्वारा इस अध्याय के अधीन सुनाया गया अग्रिम विनिर्णय निम्नलिखित पर आबद्धकर होगा—

(क) आवेदक, जो सुभिन्न व्यक्ति हैं, जिन्होंने धारा 101ख की उपधारा (1) के अधीन विनिर्णय चाहा है और वे सभी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिनका (आय-कर अधिनियम, 1961 के अधीन जारी किया गया) वही स्थायी खाता संख्यांक है ; 1961 का 43

(ख) खंड (क) में निर्दिष्ट आवेदकों और ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों, जिनका आय-कर अधिनियम, 1961 के अधीन जारी किया गया वही स्थायी खाता संख्यांक है, की बाबत संबंधित अधिकारी और अधिकारिता रखने वाले अधिकारी ।''; 1961 का 43

(ii) उपधारा (2) में "उपधारा (1)" शब्द, कोष्ठकों और अंक के पश्चात् "और उपधारा (1क)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 104 का संशोधन ।

108. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 104 में,—

(क) उपधारा (1) में, "अपील प्राधिकरण" शब्दों के स्थान पर "प्राधिकरण या अपील प्राधिकरण या राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उपधारा (1) में, "धारा 101 की उपधारा (1) के अधीन" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के पश्चात् "या धारा 101ग के अधीन" शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 105 का संशोधन ।

109. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 105 में,—

(क) पार्श्व शीर्ष के स्थान पर निम्नलिखित पार्श्व शीर्ष रखा जाएगा, अर्थात् :—

"प्राधिकरण, अपील प्राधिकरण और राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण की शक्तियां";

(ख) उपधारा (1) में, "अपील प्राधिकरण" शब्दों के पश्चात् "या राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ग) उपधारा (2) में, "अपील प्राधिकरण" शब्दों के पश्चात् "या राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 106 का संशोधन ।

110. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 106 में,—

(क) पार्श्व शीर्ष के स्थान पर निम्नलिखित पार्श्व शीर्ष रखा जाएगा, अर्थात् :—

"प्राधिकरण, अपील प्राधिकरण और राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण की प्रक्रिया";

(ख) "अपील प्राधिकरण" शब्दों के पश्चात् "या राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 168 का संशोधन ।

111. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 168 की उपधारा (2) में "धारा 39" शब्दों और अंकों के पश्चात् "धारा 44 की उपधारा (1), धारा 52 की उपधारा (4) और उपधारा (5)" शब्द, अंक और कोष्ठक अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 171 का संशोधन ।

112. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 171 की उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(3क) जहां उक्त उपधारा की अपेक्षानुसार जांच करने के पश्चात् उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्राधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने उपधारा (1) के अधीन मुनाफाखोरी की है, वहां ऐसा व्यक्ति इस प्रकार मुनाफाखोरी की गई रकम के दस प्रतिशत के बराबर शास्ति का संदाय करने का दायी होगा :

परंतु ऐसी कोई शास्ति उद्ग्रहणीय नहीं होगी यदि मुनाफाखोरी की रकम को प्राधिकरण द्वारा आदेश पारित किए जाने की तारीख से तीस दिन के भीतर जमा करा दिया गया है ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजन के लिए "मुनाफाखोरी" पद से ऐसी रकम अभिप्रेत है, जिसे माल या सेवा या दोनों के प्रदाय पर कर की दर में कमी का फायदा या इनपुट कर प्रत्यय का फायदा माल या सेवा या दोनों की कीमत में कमी के अनुपात में प्राप्तिकर्ता को नहीं देने के कारण अवधारित किया गया है ।'।

2017 का 12

केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन जारी अधिसूचना सं. सा.का.नि.674(अ) का भूतलक्षी रूप से संशोधन ।

113. (1) केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन परिषद् की सिफारिशों पर केंद्रीय सरकार द्वारा जारी भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 674(अ), तारीख 28 जून, 2017 की अनुसूची में क्रम सं. 103 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी और 1 जुलाई, 2017 से भूतलक्षी रूप से अंतःस्थापित की हुई समझी जाएंगी, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)
"103क	26	यूरेनियम अयस्क सांद्र"।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए केंद्रीय सरकार के पास उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिसूचना का भूतलक्षी रूप से इस प्रकार संशोधन करने की शक्ति होगी और होनी समझी जाएगी मानो केंद्रीय सरकार के पास उक्त अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन उक्त अधिसूचना का भूतलक्षी रूप से संशोधन करने की शक्ति सभी तात्विक समयों पर थी।

(3) कोई प्रतिदाय सभी ऐसे करों, जिन्हें संगृहीत किया गया है, किंतु जो संगृहीत नहीं किए गए होते यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिसूचना सभी तात्विक समयों पर प्रवृत्त हुई होती, में से नहीं किया जाएगा ।

एकीकृत माल और सेवा कर

2017 का 13

नई धारा 17क का अंतःस्थापन ।

114. एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 17 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

कतिपय रकमों का अंतरण ।

"**17क. जहां कोई रकम**, इस अधिनियम के अधीन इलैक्ट्रानिक नकद खाता से राज्य माल और सेवा कर अधिनियम या संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम के इलैक्ट्रानिक नकद खाता में अंतरित की गई है, वहां सरकार, ऐसी रीति में और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, इलैक्ट्रानिक नकद खाता से अंतरित रकम के बराबर रकम को राज्य कर लेखा या संघ राज्यक्षेत्र कर लेखा को अंतरित कर देगी ।"।

एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन जारी अधिसूचना सं. सा.का.नि. 667(अ) का भूतलक्षी रूप से संशोधन ।

115. (1) एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन परिषद् की सिफारिशों पर केंद्रीय सरकार द्वारा जारी भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 667(अ), तारीख 28 जून, 2017 की अनुसूची में क्रम सं. 103 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी और 1 जुलाई, 2017 से भूतलक्षी रूप से अंतःस्थापित की हुई समझी जाएंगी, अर्थात् :— 2017 का 13

(1)	(2)	(3)
"103क	26	यूरेनियम अयस्क सांद्र"।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए केंद्रीय सरकार के पास उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिसूचना का भूतलक्षी रूप से इस प्रकार संशोधन करने की शक्ति होगी और होनी समझी जाएगी मानो केंद्रीय सरकार के पास उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन उक्त अधिसूचना का भूतलक्षी रूप से संशोधन करने की शक्ति सभी तात्विक समयों पर थी ।

(3) कोई प्रतिदाय सभी ऐसे करों, जिन्हें संगृहीत किया गया है, किंतु जो संगृहीत नहीं किए गए होते यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिसूचना सभी तात्विक समयों पर प्रवृत्त हुई होती, में से नहीं किया जाएगा ।

संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर

संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन जारी अधिसूचना सं. सा.का.नि. 711(अ) का भूतलक्षी रूप से संशोधन ।

116. (1) संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन परिषद् की सिफारिशों पर केंद्रीय सरकार द्वारा जारी भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 711(अ), तारीख 28 जून, 2017 की अनुसूची में क्रम सं. 103 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी और 1 जुलाई, 2017 से भूतलक्षी रूप से अंतःस्थापित की हुई समझी जाएंगी, अर्थात् :— 2017 का 14

(1)	(2)	(3)
"103क	26	यूरेनियम अयस्क सांद्र"।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए केंद्रीय सरकार के पास उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिसूचना का भूतलक्षी रूप से इस प्रकार संशोधन करने की शक्ति होगी और होनी समझी जाएगी मानो केंद्रीय सरकार के पास उक्त अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन उक्त अधिसूचना का भूतलक्षी रूप से संशोधन करने की शक्ति सभी तात्विक समयों पर थी।

(3) कोई प्रतिदाय सभी ऐसे करों, जिन्हें संगृहीत किया गया है, किंतु जो संगृहीत नहीं किए गए होते यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिसूचना सभी तात्विक समयों पर प्रवृत्त हुई होती, में से नहीं किया जाएगा ।

सेवा कर

लिकर अनुज्ञप्ति मंजूर किए जाने के रूप में सेवा पर सेवा कर से, भूतलक्षी रूप से छूट के लिए विशेष उपबंध ।

117. (1) वित्त अधिनियम, 1994 के अध्याय 5 की (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अध्याय कहा गया है) धारा 66ख में, जैसी वह 1 जुलाई, 2017 से केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 173 द्वारा उसके लोप किए जाने के पूर्व विद्यमान थी, अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, 1 अप्रैल, 2016 से आरंभ होने वाली और 30 जून, 2017 को समाप्त होने वाली अवधि (जिसमें दोनों दिन सम्मिलित हैं) के दौरान, राज्य सरकार द्वारा अनुज्ञप्ति फीस या आवेदक फीस, चाहे जिस नाम से ज्ञात हो, के रूप में प्रतिफल के बदले लिकर अनुज्ञप्ति मंजूर किए जाने के रूप में, उपलब्ध कराई गई या उपलब्ध कराई जाने के लिए करार पाई गई कराधेय सेवाओं के संबंध में कोई सेवा कर उद्गृहीत या संगृहीत नहीं किया जाएगा । 1994 का 32 2017 का 12

(2) ऐसे समस्त सेवा कर का, जिसका संग्रहण किया गया है, किंतु इस प्रकार संग्रहण नहीं किया गया होता यदि उपधारा (1) सभी तात्विक समयों पर प्रवृत्त रही होती, प्रतिदाय किया जाएगा :

परंतु सेवा कर के प्रतिदाय के दावे के लिए कोई आवेदन, उस तारीख से, जिसको वित्त (सं0 2) विधेयक, 2019 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, छह मास की अवधि के भीतर किया जाएगा ।

(3) उक्त अध्याय का लोप होते हुए भी, उक्त अध्याय के उपबंध इस धारा के अधीन प्रतिदाय के लिए, भूतलक्षी रूप से इस प्रकार लागू होंगे, मानो उक्त अध्याय सभी तात्त्विक समयों पर प्रवृत्त था ।

1994 का 32

2017 का 12

118. (1) वित्त अधिनियम, 1994 के अध्याय 5 की (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अध्याय कहा गया है), धारा 66 में जैसी कि वह 1 जुलाई, 2012 के पूर्व विद्यमान थी या धारा 66ख में जैसी वह 1 जुलाई, 2017 से केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 173 द्वारा उसके लोप किए जाने के पूर्व विद्यमान थी, अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, 1 जुलाई, 2003 से आरंभ होने वाली और 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाली अवधि (जिसमें दोनों दिन सम्मिलित हैं) के दौरान केंद्रीय सरकार के मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार भारतीय प्रबंध सस्थानों द्वारा छात्रों को, कार्यपालक विकास कार्यक्रम के सिवाय निम्नलिखित शैक्षणिक कार्यक्रमों, अर्थात्:—

भारतीय प्रबंध संस्थानों द्वारा छात्रों को उपलब्ध कराई गई सेवाओं से संबंधित कतिपय मामलों में भूतलक्षी रूप से सेवा कर से छूट के लिए विशेष उपबंध ।

(क) प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के लिए प्रबंधन में दो वर्ष का पूर्णकालिक स्नातकोत्तर कार्यक्रम, जिसके लिए प्रवेश भारतीय प्रबंध संस्थान द्वारा संचालित सामान्य प्रवेश परीक्षा के आधार पर किए गए हैं;

(ख) प्रबंधन में अध्येता कार्यक्रम;

(ग) प्रबंधन में पांच वर्ष का एकीकृत कार्यक्रम,

के रूप में उपलब्ध कराई गई या उपलब्ध कराई जाने के लिए करार पाई गईं कराधेय सेवाओं के संबंध में कोई सेवा कर उद्गृहीत या संगृहीत नहीं किया जाएगा ।

(2) ऐसे सभी सेवा कर का, जिसका संग्रहण किया गया है, किंतु इस प्रकार संग्रहण नहीं किया गया होता यदि उपधारा (1) सभी तात्त्विक समयों पर प्रवृत्त रही होती, प्रतिदाय किया जाएगा :

परंतु सेवा कर के प्रतिदाय के दावे के लिए कोई आवेदन, उस तारीख से, जिसको वित्त (सं0 2) विधेयक, 2019 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, छह मास की अवधि के भीतर किया जाएगा ।

(3) उक्त अध्याय का लोप होते हुए भी, उक्त अध्याय के उपबंध इस धारा के अधीन प्रतिदाय के लिए भूतलक्षी रूप से इस प्रकार लागू होंगे, मानो उक्त अध्याय सभी तात्त्विक समयों पर प्रवृत्त था ।

1994 का 32

2017 का 12

119. (1) वित्त अधिनियम, 1994 के अध्याय 5 की (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अध्याय कहा गया है), जैसा वह केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 173 द्वारा उसके लोप किए जाने के पूर्व विद्यमान था, धारा 66ख में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, 1 अक्तूबर, 2013 से आरंभ होने वाली और 30 जून, 2017 को समाप्त होने वाली अवधि (जिसमें दोनों दिन सम्मिलित हैं) के दौरान किसी औद्योगिक या वित्तीय कारबार क्षेत्र के विकासकर्ताओं के लिए राज्य सरकार औद्योगिक विकास निगम या उपक्रमों द्वारा या केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र के पचास प्रतिशत या अधिक के स्वामित्व वाले अन्य अस्तित्व द्वारा उपलब्ध कराई गई या उपलब्ध कराई जाने के लिए करार पाई गई वित्तीय कारबार हेतु अवसंरचना के विकास के लिए प्लाटों का तीस वर्ष या अधिक का दीर्घकालिक पट्टा देने के रूप में सेवा के संबंध में संदेय बनाने, जो प्रीमियम, सलामी, लागत, कीमत, विकास प्रभार के रूप में या किसी अन्य नाम से ज्ञात हो, की रकम पर कोई सेवा कर उद्गृहीत या संग्रहीत नहीं किया जाएगा ।

वित्तीय कारबार के अवसंरचनात्मक विकास के लिए प्लाटों के दीर्घकालिक पट्टे से संबंधित कतिपय मामलों में भूतलक्षी रूप से सेवा कर से छूट के लिए विशेष उपबंध ।

(2) ऐसे सभी सेवा कर का, जिनका संग्रहण किया गया है, किंतु इस प्रकार संग्रहण नहीं किया गया होता यदि उपधारा (1) सभी तात्त्विक समयों पर प्रवृत्त रही होती, प्रतिदाय किया जाएगा :

परंतु सेवा कर के प्रतिदाय के दावे के लिए कोई आवेदन, उस तारीख से, जिसको वित्त (सं0 2) विधेयक, 2019 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, छह मास की अवधि के भीतर किया जाएगा ।

(3) उक्त अध्याय का लोप होते हुए भी, उक्त अध्याय के उपबंध इस धारा के अधीन प्रतिदाय के लिए भूतलक्षी रूप से इस प्रकार लागू होंगे, मानो उक्त अध्याय सभी तात्त्विक समयों पर प्रवृत्त था ।

अध्याय 5

सबका विश्वास (विरासत विवाद समाधान) स्कीम, 2019

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

120. (1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम सबका विश्वास (विरासत विवाद समाधान) स्कीम, 2019 (जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् "स्कीम" कहा गया है) है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगी, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

परिभाषाएं।

121. इस स्कीम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "घोषित रकम" से घोषणाकर्ता द्वारा धारा 125 के अधीन घोषित रकम अभिप्रेत है;

(ख) "प्राक्कलित रकम" से पदाभिहित समिति द्वारा धारा 127 के अधीन प्राक्कलित रकम अभिप्रेत है;

(ग) "बकाया रकम" से शुल्क की ऐसी रकम अभिप्रेत है, जो अप्रत्यक्ष कर अधिनियमिति के अधीन निम्नलिखित के मद्दे शुल्क के बकाया के रूप में वसूलनीय है,—

(i) घोषणाकर्ता द्वारा अपील फाइल करने की समयावधि के अवसान के पूर्व किसी आदेश या अपील में किए गए किसी आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल नहीं की गई है; या

(ii) घोषणाकर्ता से संबंधित किसी अपील में किसी आदेश को अंतिमता प्राप्त हो गई है; या

(iii) घोषणाकर्ता ने, 30 जून, 2019 को या उसके पहले, अप्रत्यक्ष कर अधिनियमिति के अधीन कोई विवरणी फाइल की है, जिसमें उसने कर दायित्व को स्वीकार किया है, किन्तु उसका संदाय नहीं किया है;

(घ) "शुल्क की रकम" से अप्रत्यक्ष कर अधिनियमिति के अधीन संदेय केंद्रीय उत्पाद-शुल्क, सेवा कर तथा उपकर की रकम अभिप्रेत है;

(ङ) "संदेय रकम" से घोषणाकर्ता द्वारा अंतिम रूप से संदेय ऐसी कोई रकम अभिप्रेत है, जिसे पदाभिहित समिति द्वारा अवधारित किया गया है और जिसे उसके द्वारा जारी विवरण में उपदर्शित किया गया है, जिससे वह इस स्कीम के अधीन फायदों के लिए पात्र बन सके और इसकी संगणना शोध्य कर की ऐसी रकम के रूप में की जाएगी, जिसमें कर की राहत की रकम को घटा दिया गया हो;

(च) "अपील मंच" से, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या सीमाशुल्क, उत्पाद-शुल्क और सेवा कर अपील अधिकरण या आयुक्त (अपील) अभिप्रेत है;

(छ) "संपरीक्षा" से अप्रत्यक्ष कर अधिनियमिति के अधीन किसी जांच या अन्वेषण से भिन्न की गई कोई संवीक्षा, सत्यापन और परीक्षण अभिप्रेत है और जो उस समय आरंभ होगी, जब केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी से संपरीक्षा करने संबंधी कोई लिखित संसूचना प्राप्त होती है;

(ज) "घोषणाकर्ता" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो धारा 125 के अधीन घोषणा करने के लिए पात्र है और जो ऐसी घोषणा फाइल करता है;

(झ) "घोषणा" से धारा 125 के अधीन फाइल की गई घोषणा अभिप्रेत है;

(ञ) "विभागीय अपील" से अप्रत्यक्ष कर अधिनियमिति के अधीन, ऐसा करने के लिए प्राधिकृत किसी केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी द्वारा अपील मंच के समक्ष फाइल की गई अपील अभिप्रेत है;

(ट) "पदाभिहित समिति" से धारा 126 में निर्दिष्ट समिति अभिप्रेत है;

(ठ) "उन्मोचन प्रमाणपत्र" से धारा 127 के अधीन पदाभिहित समिति द्वारा जारी कोई प्रमाणपत्र अभिप्रेत है;

(ड) किसी अप्रत्यक्ष कर अधिनियमिति के अधीन "जांच या अन्वेषण" के अंतर्गत, निम्नलिखित कार्रवाइयां सम्मिलित होंगी,—

(i) परिसरों की तलाशी;

(ii) समन जारी करना;

(iii) लेखाओं, दस्तावेजों या अन्य साक्ष्य प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना;

(iv) कथनों को लेखबद्ध करना;

(ढ) "अप्रत्यक्ष कर अधिनियमिति" से धारा 122 में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियां अभिप्रेत हैं;

(ण) "आदेश" से किसी अप्रत्यक्ष कर अधिनियमिति के अधीन अवधारण का कोई ऐसा आदेश अभिप्रेत है, जिसे ऐसी अप्रत्यक्ष कर अधिनियमिति के अधीन जारी कारण बताओ सूचना के संबंध में पारित किया गया है;

(त) "अपील में का आदेश" से अपील मंच द्वारा, उसके समक्ष फाइल की गई किसी अपील के संबंध में पारित कोई आदेश अभिप्रेत है;

(थ) "व्यक्ति" में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे—

(i) कोई व्यष्टि;

(ii) कोई हिन्दू अविभक्त कुटुंब;

(iii) कोई कंपनी;

(iv) कोई सोसाइटी;

(v) कोई सीमित दायित्व भागीदारी;

(vi) कोई फर्म;

(vii) व्यक्तियों का कोई संगम या व्यष्टियों का निकाय, चाहे निगमित हो अथवा नहीं;

(viii) सरकार;

(ix) कोई स्थानीय प्राधिकारी;

(x) केंद्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 2002 के नियम 2 में यथापरिभाषित कोई निर्धारिती;

(xi) प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति, जो पूर्ववर्ती किसी भी खंड के अंतर्गत नहीं आता है;

(द) "परिमाणन" से उसके सजातीय पदों सहित अप्रत्यक्ष कर अधिनियमिति के अधीन संदेय शुल्क की रकम की लिखित संसूचना अभिप्रेत है;

(ध) "विवरण" से पदाभिहित समिति द्वारा धारा 127 के अधीन जारी कोई विवरण अभिप्रेत है;

(न) "कर राहत" से धारा 124 के अधीन मंजूर की गई राहत की रकम अभिप्रेत है;

(प) उन सभी अन्य शब्दों और पदों के, जो इस स्कीम में प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ होंगे, जो अप्रत्यक्ष कर अधिनियमिति में उनका है और किसी अप्रत्यक्ष कर अधिनियमिति में दो या अधिक ऐसे अर्थों में किसी विरोध की दशा में, ऐसे अर्थ को अंगीकृत किया जाएगा, जो इस स्कीम के उपबंधों से अधिक संगत है।

स्कीम का अप्रत्यक्ष कर अधिनियमितियों को लागू होना।

122. यह स्कीम निम्नलिखित अधिनियमितियों को लागू होगी, अर्थात्:—

1944 का 1
1986 का 5
1994 का 32

(क) केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 या केंद्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 या वित्त अधिनियम, 1994 का अध्याय 5 और तद्धीन बनाए गए नियम;

(ख) निम्नलिखित अधिनियम, अर्थात् :—

1940 का 27

(i) कृषि उपज उपकर अधिनियम, 1940;

1942 का 7

(ii) काफी अधिनियम, 1942;

1946 का 22

(iii) अभ्रक खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1946;

1947 का 24

(iv) रबड़ अधिनियम, 1947;

1953 का 49

(v) नमक उपकर अधिनियम, 1953;

(vi) औषधीय और प्रसाधन निर्मितियां (उत्पाद-शुल्क) अधिनियम, 1955; 1955 का 16

(vii) अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957; 1957 का 58

(viii) खनिज उत्पाद (अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क) अधिनियम, 1958; 1958 का 57

(ix) चीनी (विशेष उत्पाद-शुल्क) अधिनियम, 1959; 1959 का 58

(x) टैक्सटाइल समिति अधिनियम, 1963; 1963 का 41

(xi) उपज उपकर अधिनियम, 1966; 1966 का 15

(xii) चूना-पत्थर और डोलोमाइट खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1972; 1972 का 62

(xiii) कोयला खान (संरक्षण और विकास) अधिनियम, 1974; 1974 का 28

(xiv) तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974; 1974 का 47

(xv) तंबाकू उपकर अधिनियम, 1975; 1975 का 26

(xvi) लौह अयस्क खान, मैंगनीज अयस्क खान और क्रोम अयस्क खान श्रम कल्याण उपकर अधिनियम, 1976; 1976 का 55

(xvii) बीड़ी कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1976; 1976 का 56

(xviii) अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (टैक्सटाइल और टैक्सटाइल वस्तु) अधिनियम, 1978 1978 का 40

(xix) चीनी उपकर अधिनियम, 1982; 1982 का 3

(xx) जूट विनिर्मिति उपकर अधिनियम, 1983; 1983 का 28

(xxi) कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात उपकर अधिनियम, 1985; 1986 का 2

(xxii) मसाला उपकर अधिनियम, 1986; 1986 का 11

(xxiii) वित्त अधिनियम, 2004; 2004 का 22

(xxiv) वित्त अधिनियम, 2007; 2007 का 17

(xxv) वित्त अधिनियम, 2015; 2015 का 20

(xxvi) वित्त अधिनियम, 2016; 2016 का 28

(ग) कोई अन्य अधिनियम, जिसे केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे ।

कर शोध्य । **123.** इस स्कीम के प्रयोजनों के लिए, "कर शोध्यों" से निम्नलिखित अभिप्रेत है,—

(क) जहां,—

(i) किसी आदेश से उद्भूत होने वाली कोई एकल अपील किसी अपील मंच के समक्ष 30 जून, 2019 को लंबित है, वहां शुल्क की वह कुल रकम, जो उक्त अपील में विवादित है;

(ii) किसी आदेश से उद्भूत होने वाली एक से अधिक अपीलों की दशा में, जिनमें से एक घोषणाकर्ता द्वारा फाइल की गई है तथा दूसरी विभागीय अपील है और जो अपील मंच के समक्ष 30 जून, 2019 को लंबित है, वहां शुल्क की ऐसी रकम, जो घोषणाकर्ता द्वारा उसकी अपील में विवादित है और शुल्क की ऐसी रकम, जो विभागीय अपील में विवादित है, का योग :

परंतु उपरोक्त खंडों में अंतर्विष्ट कोई बात उस दशा में लागू नहीं होगी, जहां किसी ऐसी अपील की सुनवाई 30 जून, 2019 को या उसके पूर्व अंतिम रूप से कर ली गई है।

दृष्टांत 1— किसी घोषणाकर्ता को 1000 रुपए की शुल्क की रकम और 100 रुपए की शास्ति की रकम के लिए कारण बताओ सूचना जारी की जाती है। 1000 रुपए की शुल्क की रकम और 100 रुपए की शास्ति की रकम के लिए आदेश किया जाता है।

घोषणाकर्ता ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील फाइल करता है। शुल्क की रकम, जिसके बारे में विवाद किया गया है, 1000 रुपए है और इस प्रकार शोध्य कर 1000 रुपए है।

दृष्टांत 2—किसी घोषणाकर्ता को 1000 रुपए की शुल्क की रकम और 100 रुपए की शास्ति की रकम के लिए कारण बताओ सूचना जारी की जाती है। 900 रुपए की शुल्क की रकम और 90 रुपए की शास्ति की रकम के लिए आदेश किया जाता है। घोषणाकर्ता इस आदेश के विरुद्ध अपील फाइल करता है। शुल्क की रकम, जिसके बारे में विवाद किया गया है, 900 रुपए है और इस प्रकार शोध्य कर 900 रुपए है।

दृष्टांत 3—किसी घोषणाकर्ता को 1000 रुपए की शुल्क की रकम और 100 रुपए की शास्ति की रकम के लिए कारण बताओ सूचना जारी की जाती है। 900 रुपए की शुल्क की रकम और 90 रुपए की शास्ति की रकम के लिए आदेश किया जाता है। घोषणाकर्ता अवधारण के इस आदेश के विरुद्ध अपील फाइल करता है। विभागीय अपील 100 रुपए के शुल्क और 10 रुपए की शास्ति के लिए है। विवादित शुल्क की रकम 900 रुपए धन 100 रुपए अर्थात् 1000 रुपए है।

दृष्टांत 4—किसी घोषणाकर्ता को 1000 रुपए की शुल्क की रकम के लिए कारण बताओ सूचना जारी की जाती है। 1000 रुपए की शुल्क की रकम के लिए आदेश किया जाता है। घोषणाकर्ता अवधारण के इस आदेश के विरुद्ध अपील फाइल करता है। पहले अपील प्राधिकारी ने शुल्क की रकम को कम करके 900 रुपए कर दिया। घोषणाकर्ता ने दूसरी अपील फाइल की। शुल्क की रकम, जिस पर विवाद है, 900 रुपए है और इस प्रकार शोध्य कर 900 रुपए है;

(ख) जहां घोषणाकर्ता द्वारा 30 जून, 2019 को या उससे पूर्व अप्रत्यक्ष कर अधिनियमिति के अधीन कारण बताओ सूचना प्राप्त की जाती है, वहां उक्त सूचना में घोषणाकर्ता द्वारा संदेय की जाने वाली कथित शुल्क की रकमः

परंतु यदि उक्त घोषणाकर्ता और अन्य व्यक्तियों को, उन्हें संयुक्त रूप से और पृथक्तः रकम के लिए दायी बनाते हुए सूचना जारी की गई है, तो उक्त सूचना में संयुक्त रूप से और पृथक्तः उपदर्शित संदेय रकम को घोषणाकर्ता द्वारा संदेय शुल्क की रकम माना जाएगा;

(ग) जहां घोषणाकर्ता के विरुद्ध जांच या अन्वेषण या लेखापरीक्षा लंबित है वहां किसी अप्रत्यक्ष कर अधिनियमिति के अधीन संदेय शुल्क की रकम, जिसका 30 जून, 2019 को या उससे पूर्व परिमाणन किया गया है;

(घ) जहां घोषणाकर्ता द्वारा रकम का स्वैच्छिक रूप से प्रकटन किया गया है, वहां घोषणा में कथित शुल्क की कुल रकम;

(ङ) जहां घोषणाकर्ता से संबंधित बकाया की रकम शोध्य है, वहां बकाया की रकम।

स्कीम के अधीन उपलब्ध अनुतोष।

124. (1) उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, इस स्कीम के अधीन किसी घोषणाकर्ता को उपलब्ध अनुतोष की संगणना नीचे दिए अनुसार की जाएगी:—

(क) जहां शोध्य कर कारण बताओ सूचना से या ऐसी सूचना से उद्भूत एक या अधिक अपीलों से संबद्ध है, जो 30 जून, 2019 को लंबित है और शुल्क की रकम,—

(*i*) पचास लाख रुपए या कम है वहां शोध्य कर का सत्तर प्रतिशत;

(*ii*) पचास लाख रुपए से अधिक है वहां शोध्य कर का पचास प्रतिशत;

(ख) जहां शोध्य कर केवल विलंब फीस या शास्ति के लिए कारण बताओ सूचना से संबद्ध है और उक्त सूचना में की शुल्क की रकम का संदाय कर दिया गया है या कुछ नहीं है, वहां विलंब फीस या शास्ति की संपूर्ण रकम;

(ग) जहां शोध्य कर बकाया की किसी रकम से संबद्ध है, और,—

(i) शुल्क की रकम पचास लाख रुपए या कम है वहां शोध्य कर का साठ प्रतिशत;

(ii) शुल्क की रकम पचास लाख रुपए से अधिक है वहां शोध्य कर का चालीस प्रतिशत;

(iii) अप्रत्यक्ष कर अधिनियमिति के अधीन किसी रिटर्न में, जिसमें घोषणाकर्ता ने किसी शुल्क की रकम को संदेय के रूप में उपदर्शित किया है, किन्तु संदत्त नहीं किया है और उपदर्शित शुल्क की रकम,—

(अ) पचास लाख रुपए या कम है वहां शोध्य कर का साठ प्रतिशत;

(आ) उपदर्शित रकम पचास लाख रुपए या अधिक है वहां शोध्य कर का चालीस प्रतिशत;

(घ) जहां शोध्य कर, घोषणाकर्ता के विरुद्ध किसी जांच, अन्वेषण या लेखापरीक्षा से संबद्ध है और 30 जून, 2019 को या उसके पूर्व परिमाणित रकम,—

(i) पचास लाख रुपए या कम है वहां शोध्य कर का सत्तर प्रतिशत;

(ii) पचास लाख रुपए से अधिक है वहां शोध्य कर का पचास प्रतिशत;

(ङ) जहां शोध्य कर, घोषणाकर्ता द्वारा स्वेच्छया किसी प्रकटन के कारण संदेय है, वहां शोध्य कर की बाबत कोई अनुतोष उपलब्ध नहीं होगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन संगणित अनुतोष इस शर्त के अध्यधीन होगा कि अप्रत्यक्ष कर अधिनियमिति के अधीन अपील कार्यवाहियों के किसी प्रक्रम पर पूर्व निक्षेप के रूप में या जांच, अन्वेषण या संपरीक्षा के दौरान निक्षेप के रूप में संदत्त रकम की कटौती घोषणाकर्ता द्वारा संदेय रकम को उपदर्शित करते हुए विवरण जारी करते समय की जाएगी:

परंतु यदि घोषणाकर्ता द्वारा पहले से संदत्त पूर्व निक्षिप्त या निक्षिप्त रकम पदाभिहित समिति द्वारा जारी विवरणी में यथा उपदर्शित घोषणाकर्ता द्वारा संदेय रकम से अधिक है, तो घोषणाकर्ता किसी प्रतिदाय के लिए हकदार नहीं होगा।

स्कीम के अधीन घोषणा।

125. (1) इस स्कीम के अधीन, निम्नलिखित के सिवाय, सभी व्यक्ति, घोषणा करने के लिए पात्र होंगे, अर्थात् :—

(क) जिसने किसी अपील मंच के समक्ष कोई अपील फाइल की है और ऐसी अपील पर 30 जून, 2019 को या उसके पूर्व अंतिम रूप से सुनवाई कर ली गई है;

(ख) जिसे अप्रत्यक्ष कर अधिनियमिति के किसी उपबंध के अधीन किसी ऐसे मामले के लिए, जिसके संबंध में वह घोषणा फाइल करने का आशय रखता है, दंडनीय किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है;

(ग) जिसे किसी अप्रत्यक्ष कर अधिनियमिति के अधीन कोई कारण बताओ सूचना जारी की गई है और जिसके संबंध में अंतिम सुनवाई 30 जून, 2019 को या उसके पूर्व पूरी कर ली गई है;

(घ) जिसे किसी अप्रत्यक्ष कर अधिनियमिति के अधीन, किसी त्रुटिपूर्ण प्रतिदाय या प्रतिदाय के लिए कोई कारण बताओ सूचना जारी की गई है;

(ङ) जो किसी जांच या अन्वेषण या संपरीक्षा के अध्यधीन है और उक्त जांच या अन्वेषण या संपरीक्षा में अंतर्वलित शुल्क की रकम को 30 जून, 2019 को या उससे पूर्व परिमाणित नहीं किया गया है;

(च) (i) किसी जांच या अन्वेषण या संपरीक्षा के अध्यधीन किए जाने के पश्चात् स्वेच्छया प्रकटन करने वाला कोई व्यक्ति; या

(ii) स्वेच्छया प्रकटन करने वाला कोई व्यक्ति, जिसने अप्रत्यक्ष कर अधिनियमिति के अधीन विवरणी फाइल की है, जिसमें उसने यथा संदेय शुल्क की किसी रकम को उपदर्शित किया है किन्तु उसका संदाय नहीं किया है;

(छ) जिसने किसी मामले के निपटान के लिए समझौता आयोग में कोई आवेदन फाइल किया है;

1944 का 1

(ज) केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की चौथी अनुसूची में उपवर्णित उत्पाद-शुल्क्य माल के संबंध में घोषणा करने की ईप्सा करने वाले व्यक्ति।

(2) उपधारा (1) के अधीन घोषणा ऐसे इलैक्ट्रानिक प्ररूप में की जाएगी जो विहित की जाए।

पदाभिहित समिति द्वारा घोषणा का सत्यापन।

126. (1) पदाभिहित समिति, घोषणाकर्ता द्वारा धारा 125 के अधीन की गई घोषणा की शुद्धता का सत्यापन, ऐसी रीति में करेगी, जो विहित की जाए:

परंतु उस दशा में, जहां घोषणाकर्ता द्वारा शुल्क की किसी रकम का स्वेच्छया प्रकटन किया गया है, वहां ऐसा कोई सत्यापन नहीं किया जाएगा।

(2) पदाभिहित समिति की संरचना और कार्यकरण वह होगा, जो विहित किया जाए।

पदाभिहित समिति द्वारा विवरण का जारी किया जाना।

127. (1) जहां घोषणाकर्ता द्वारा संदेय की जाने वाली प्राक्कलित रकम जो पदाभिहित समिति द्वारा प्राक्कलित है, घोषणाकर्ता द्वारा घोषित रकम के बराबर है, वहां पदाभिहित समिति उक्त घोषणा की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन के भीतर घोषणाकर्ता द्वारा संदेय रकम को उपदर्शित करने वाला विवरण इलैक्ट्रानिक प्ररूप में जारी करेगी।

(2) जहां घोषणाकर्ता द्वारा संदेय की जाने वाली प्राक्कलित रकम जो पदाभिहित समिति द्वारा प्राक्कलित है, घोषणाकर्ता द्वारा घोषित रकम से अधिक है, वहां पदाभिहित समिति घोषणा की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर घोषणाकर्ता द्वारा संदेय रकम का प्राक्कलन इलैक्ट्रानिक प्ररूप में जारी करेगी।

(3) उपधारा (2) के अधीन ऐसा प्राक्कलन जारी किए जाने के पश्चात्, पदाभिहित समिति घोषणाकर्ता को सुनवाई का अवसर प्रदान करेगी, यदि वह घोषणाकर्ता द्वारा संदेय रकम को उपदर्शित करने वाले विवरण के जारी करने से पूर्व ऐसी वांछा करता है :

परंतु घोषणाकर्ता द्वारा पर्याप्त कारण दर्शाए जाने पर, पदाभिहित समिति द्वारा केवल एक स्थगन मंजूर किया जा सकेगा।

(4) घोषणाकर्ता को सुनने के पश्चात् इलैक्ट्रानिक रूप में विवरण, जिसमें घोषणाकर्ता द्वारा संदेय रकम उपदर्शित हो, घोषणा की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर जारी की जाएगी।

(5) घोषणाकर्ता, ऐसा विवरण जारी किए जाने की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर पदाभिहित समिति द्वारा जारी विवरण में यथा उपदर्शित संदेय रकम का इंटरनेट बैंकिग के माध्यम से इलैक्ट्रानिक रूप से संदाय करेगा।

(6) जहां, घोषणाकर्ता ने उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय से भिन्न अपील मंच के समक्ष कर शोध्यों के परिणामस्वरूप किसी आदेश या नोटिस के विरुद्ध कारण बताओ सूचना के विरुद्ध कोई अपील या निर्देश या उत्तर फाइल किया है, वहां तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के किसी अन्य उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसी अपील या निर्देश या उत्तर वापस लिया गया समझा जाएगा।

(7) जहां घोषणाकर्ता ने कर शोध्यों की बाबत किसी आदेश के विरुद्ध किसी उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के समक्ष कोई रिट याचिका या अपील या निर्देश फाइल किया है वहां घोषणाकर्ता, ऐसी रिट याचिका, अपील या निर्देश को वापस लेने के लिए, ऐसे उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के समक्ष आवेदन फाइल कर सकेगा और न्यायालय की अनुमति से ऐसी रिट याचिका, अपील या निर्देश को वापस लेने के पश्चात् पदाभिहित समिति को ऐसे वापस लिए जाने का सबूत ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, उपखंड (5) में निर्दिष्ट संदाय के सबूत के साथ प्रस्तुत करेगा।

(8) पदाभिहित समिति के विवरण में उपदर्शित रकम के संदाय और अपील के वापस लिए जाने के सबूत के पेश किए जाने पर, जहां-कहीं लागू हो, पदाभिहित समिति, उक्त संदाय और सबूत पेश किए जाने के तीस दिन के भीतर इलैक्ट्रानिक रूप में उन्मोचन प्रमाणपत्र जारी करेगी।

त्रुटियों का परिशोधन।

128. घोषणाकर्ता द्वारा संदेय रकम को उपदर्शित करने वाले विवरण के जारी किए जाने की तारीख के तीस दिन के भीतर पदाभिहित समिति, ऐसी अंकगणितीय त्रुटि या लिपिकीय त्रुटि, जो अभिलेख को देखते हुए स्पष्ट है, का सुधार करने के लिए ही अपने आदेश को, घोषणाकर्ता द्वारा पदाभिहित समिति द्वारा ऐसी त्रुटि को इंगित किए जाने पर या स्वप्रेरणा से उपांतरित कर सकेगी।

उन्मोचन प्रमाणपत्र का जारी किया जाना, विषय और समय अवधि के बारे में निश्चायक होगा।

129. (1) इस स्कीम के अधीन संदेय रकम के संबंध में धारा 127 के अधीन जारी प्रत्येक उन्मोचन प्रमाणपत्र, उसमें कथित विषय और समयावधि के बारे में निश्चायक होगा, और,—

(क) घोषणाकर्ता, घोषणा के अंतर्गत आने वाले विषय और समय अवधि के संबंध में अतिरिक्त शुल्क, ब्याज या शास्ति का संदाय करने का दायी नहीं होगा;

(ख) घोषणाकर्ता, घोषणा के अंतर्गत आने वाले विषय और समय अवधि के संबंध में किसी अप्रत्यक्ष कर अधिनियमिति के अधीन अभियोजन के लिए दायी नहीं होगा;

(ग) ऐसी घोषणा के अंतर्गत किसी विषय और समय अवधि को अप्रत्यक्ष कर अधिनियमिति के अधीन किसी अन्य कार्यवाही में पुनः चालू नहीं किया जाएगा।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,—

(क) कोई व्यक्ति, जो अपील, आवेदन, पुनरीक्षण या निर्देश में पक्षकार है, यह प्रतिवाद नहीं करेगा कि केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी ने इस स्कीम के अधीन उन्मोचन प्रमाणपत्र जारी करके विवादित मुद्दे पर विनिश्चय में मौन स्वीकृति दे दी है;

(ख) किसी समय अवधि के लिए किसी विषय के संबंध में उन्मोचन प्रमाणपत्र का जारी किया जाना,—

(i) पश्चात्वर्ती समय अवधि के लिए उसी विषय के लिए; या

(ii) उसी समय अवधि के लिए किसी भिन्न विषय के लिए,

कारण बताओ सूचना जारी करने से निवारित नहीं करेगा;

(ग) स्वच्छेया प्रकटन के मामले में, जहां घोषणा में दी गई कोई तात्विक विशिष्टि बाद में उन्मोचन प्रमाणपत्र के जारी होने के एक वर्ष की अवधि के भीतर मिथ्या पाई जाती है, वहां यह उपधारणा की जाएगी कि मानो घोषणा कभी भी नहीं की गई थी और लागू अप्रत्यक्ष कर अधिनियमिति के अधीन कार्यवाहियां संस्थित की जाएंगी।

स्कीम के निर्बंधन।

130. (1) इस स्कीम के अधीन संदत्त कोई भी रकम,—

(क) अप्रत्यक्ष कर अधिनियमिति या किसी अन्य अधिनियम के अधीन इनपुट कर प्रत्यय खाते के माध्यम से संदत्त नहीं की जाएगी;

(ख) किन्हीं भी परिस्थितियों के अधीन प्रतिदेय नहीं होगी;

(ग) किसी अप्रत्यक्ष कर अधिनियमिति या किसी अन्य अधिनियम के अधीन—

(i) इनपुट कर प्रत्यय के रूप में नहीं मानी जाएगी; या

(ii) किसी व्यक्ति को, घोषणा के अंतर्गत आने वाले विषय और समयावधि के संबंध में उत्पाद-शुल्क्य माल या कराधेय सेवाओं के प्राप्तिकर्ता के रूप में हकदार नहीं बनाएगी है।

(2) पहले से ही संदत्त पूर्व निक्षेप या अन्य निक्षेप, पदाभिहित समिति के विवरण में यथा उपदर्शित संदेय रकम से अधिक होने की दशा में, अंतर का प्रतिदाय नहीं किया जाएगा।

शंकाओं का दूर किया जाना।

131. शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि धारा 124 की उपधारा (1) में अभिव्यक्त रूप से यथा उपबंधित के सिवाय, इस स्कीम में की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह घोषणाकर्ता को उस विषय और समयावधि के सिवाय, जिनके संबंध में घोषणा की गई है, इन कार्यवाहियों से भिन्न किसी कार्यवाही में कोई फायदा, रियायत या उन्मुक्ति प्रदान करती है।

नियम बनाने की शक्ति।

132. (1) केंद्रीय सरकार, इस स्कीम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी।

(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए नियम बनाए जा सकेंगे, अर्थात्:—

(क) वह प्ररूप, जिसमें कोई घोषणा की जा सकेगी और वह रीति, जिसमें ऐसी घोषणा का सत्यापन किया जा सकेगा;

(ख) पदाभिहित समिति के गठन की रीति और उसकी प्रक्रिया और कार्यकरण के नियम;

(ग) घोषणाकर्ता द्वारा संदेय रकम के प्राक्कलन का प्ररूप और रीति और उससे संबंधित प्रक्रिया;

(घ) घोषणाकर्ता द्वारा संदाय करने का प्ररूप और रीति तथा अपील वापस लेने के संबंध में सूचना;

(ङ) ऐसे उन्मोचन प्रमाणपत्र का प्ररूप और रीति, जो घोषणाकर्ता को दिया जा सकेगा;

(च) वह रीति, जिसमें अनुदेश जारी और प्रकाशित किए जा सकेंगे;

(छ) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाए या विहित किया जाना है या जिसके संबंध में नियमों द्वारा उपबंध किए जाने हैं।

(3) केंद्रीय सरकार, इस स्कीम के अधीन बनाए गए प्रत्येक नियम को बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखवाएगी। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं, तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए, तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किंतु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

आदेश, अनुदेश, आदि जारी करने की शक्ति।

133. (1) केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड, समय-समय पर, इस स्कीम के उचित प्रशासन के लिए प्राधिकारियों को ऐसे आदेश, अनुदेश और निदेश जारी कर सकेगा, जो वह ठीक समझे और ऐसे प्राधिकारी तथा इस स्कीम के निष्पादन में नियोजित सभी अन्य व्यक्ति ऐसे आदेशों, अनुदेशों और निदेशों का पालन और अनुसरण करेंगे:

परंतु ऐसे आदेश, अनुदेश या निदेश जारी नहीं किए जाएंगे, जिससे किसी भी पदाभिहित प्राधिकारी से किसी विशिष्ट मामले का किसी विशिष्ट रीति से निपटारा करने की अपेक्षा की जाए।

(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझता है तो वह स्कीम के उचित और दक्ष प्रशासन तथा राजस्व के संग्रहण के प्रयोजन के लिए किसी वर्ग या किन्ही वर्गों की बाबत स्कीम के प्रशासन और राजस्व के संग्रहण से संबंधित कार्य में प्राधिकारियों द्वारा अनुसरण किए जाने वाले मार्गदर्शक सिद्धांतों या प्रक्रियाओं के बारे में निदेश या अनुदेश वर्णित करते हुए साधारण या विशेष आदेश, समय-समय पर जारी कर सकेगा और यदि उक्त बोर्ड की यह राय है कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है तो ऐसा आदेश विहित रीति से प्रकाशित किया जा सकेगा।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।

134. (1) यदि इस स्कीम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केंद्रीय सरकार, ऐसे आदेश द्वारा, जो इस स्कीम के उपबंधों से असंगत न हों, उस कठिनाई को दूर कर सकेगी:

परंतु ऐसा कोई आदेश, ऐसी तारीख से, जिसको इस स्कीम के उपबंध प्रवृत्त होते हैं, दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश इसके किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

अधिकारियों को संरक्षण।

135. (1) केंद्रीय सरकार या केंद्रीय सरकार के किसी अधिकारी के विरुद्ध इस स्कीम या इसके अधीन बनाए गए नियम के अनुसरण में सद्भावपूर्वक किए गए या करने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां नहीं होंगी।

(2) केंद्रीय सरकार या केंद्रीय सरकार के किसी अधिकारी के विरुद्ध इस स्कीम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम के अनुसरण में किए गए या किए जाने के लिए तात्पर्यित किसी बात के लिए वाद से भिन्न कोई कार्यवाही, केंद्रीय सरकार या ऐसे अधिकारी को आशयित कार्यवाही और उसके कारण की लिखित में एक मास पूर्व की सूचना दिए बिना या ऐसे कारण के उद्भूत होने से तीन मास के अवसान के पश्चात् नहीं की जाएगी।

(3) किसी भी अधिकारी के विरुद्ध घोषणाकर्ता द्वारा संदेय शुल्क की रकम की संगणना में केवल किसी त्रुटि के बाद में पता चलने के आधार पर कोई कार्यवाही तब तक प्रारंभ नहीं की जाएगी, जब तक किसी कदाचार का कोई साक्ष्य न हो।

अध्याय 6

प्रकीर्ण

भाग 1

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 का संशोधन

इस भाग का प्रारंभ।

136. इस भाग के उपबंध, उस तारीख को प्रवृत्त होंगे, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

धारा 45झक का संशोधन।

137. भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (जिसे इस भाग में इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 45झक की उपधारा (1) के खंड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :— 1934 का 2

"(ख) उसके पास पच्चीस लाख रुपए की निधि या एक अरब रुपए से अनधिक ऐसी रकम है, जो बैंक, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे :

परंतु बैंक, गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों की विभिन्न श्रेणियों के लिए शुद्ध स्वामित्वाधीन विभिन्न रकमें अधिसूचित कर सकेगा ।"।

नई धारा 45झघ और धारा 45झङ का अंतःस्थापन।

138. मूल अधिनियम की धारा 45झग के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

रिजर्व बैंक की निदेशकों को पद से हटाने की शक्ति।

"45झघ. (1) जहां बैंक का लोक हित में या किसी गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी, जिसके कार्यकलाप निक्षेपकर्ताओं या लेनदारों के हित अथवा वित्तीय स्थायित्व के प्रति हानिकर रीति में संचालित किए जा रहे हों, को रोकने के लिए या ऐसी किसी कंपनी के उचित प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए, यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करना आवश्यक है, तो बैंक, उन कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएं, आदेश द्वारा, सरकार के स्वामित्वाधीन गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों से भिन्न ऐसी कंपनी के निदेशक (चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो) को आदेश द्वारा, उस तारीख से, जो उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, पद से हटा सकेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक संबद्ध निदेशक को प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध बैंक को अभ्यावेदन करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान नहीं कर दिया जाता :

परंतु यदि बैंक की राय में कोई विलंब उस कंपनी या इसके निक्षेपकर्ताओं के हित पर हानिकर होगा तो बैंक पूर्वोक्त अवसर देने के समय या तत्पश्चात् किसी भी समय आदेश द्वारा यह निदेश दे सकेगा कि अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचार किए जाने के लंबित रहने तक, निदेशक ऐसे आदेश की तारीख से,—

(क) उस कंपनी के ऐसे निदेशक (चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो) के रूप में कार्य नहीं करेगा;

(ख) वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उस कंपनी के प्रबंधन से किसी भी रूप में संबंधित नहीं होगा या उसमें भाग नहीं लेगा ।

(3) जहां उपधारा (1) के अधीन कंपनी के निदेशक के संबंध में कोई आदेश किया गया है वहां वह गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी के निदेशक के रूप में नहीं रहेगा और किसी भी गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी के प्रबंध से प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः किसी भी रूप में ऐसी अवधि के लिए, जो आदेश में एक बार में विनिर्दिष्ट पांच वर्ष से अधिक की नहीं होगी, संबद्ध नहीं रहेगा या उसमें भाग नहीं लेगा ।

(4) जहां उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश किया गया है वहां बैंक लिखित में आदेश द्वारा ऐसे निदेशक के स्थान पर, जिसे उस धारा के अधीन उसके पद से हटा दिया गया है, ऐसी तारीख से, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, किसी उपयुक्त व्यक्ति को नियुक्त कर सकेगा ।

(5) उपधारा (4) के अधीन नियुक्त कोई भी व्यक्ति,—

(क) बैंक के प्रसादपर्यंत और उसके अधीन रहते हुए तीन वर्ष से अनधिक अवधि या ऐसी और अवधि, जो एक बार में तीन वर्ष से अधिक की नहीं होगी, के लिए पद धारण करेगा;

(ख) निदेशक के रूप में उसके पद या उसके संबंध में कर्तव्यों के निष्पादन में सद्भावपूर्वक की गई किसी बात या किए जाने के लोप के कारण ही कोई बाध्यता या दायित्व उपगत नहीं करेगा ।

(6) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या किसी संविदा, ज्ञापन या संगम अनुच्छेदों में किसी बात के होते हुए भी, इस धारा के अधीन किसी निदेशक को पद से हटाए जाने पर, ऐसा निदेशक पद की हानि या पर्यवसान के लिए किसी प्रतिकर का दावा करने का हकदार नहीं होगा ।

गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी (सरकारी कंपनी से भिन्न) के निदेशक-मंडल का अधिक्रमण ।

45झङ (1) जहां बैंक का लोकहित में या गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी (सरकारी वित्तीय कंपनी से भिन्न) के लेनदारों/निक्षेपकर्ताओं के हितों के लिए हानिकर रीति से संचालित गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी को कार्यों के निवारण हेतु या वित्तीय स्थिरता या ऐसी कंपनी के उचित प्रबंध को सुनिश्चित करने के लिए यह समाधान हो जाए कि ऐसा करना आवश्यक है, उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करते हुए, बैंक, आदेश द्वारा, ऐसी कंपनी के निदेशक-बोर्ड को पांच वर्ष से अनधिक की ऐसी अवधि के लिए, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, जिसे समय-समय पर बढ़ाया जा सकेगा, यद्यपि ऐसी कुल अवधि पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी, अतिष्ठित कर सकेगा ।

(2) बैंक, उपधारा (1) के अधीन गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी के निदेशक-बोर्ड के अधिक्रमण पर, किसी उपयुक्त व्यक्ति को ऐसी अवधि के लिए, जो अवधारित की जाए, प्रशासक के रूप में नियुक्त कर सकेगा ।

(3) बैंक, प्रशासक को ऐसे निदेश जारी कर सकेगा, जैसा वह उचित समझे और प्रशासक ऐसे निदेशों का अनुसरण करने के लिए बाध्य होगा ।

(4) गैर-बैंककारी कंपनी के निदेशक-बोर्ड के अधिक्रमण का आदेश दिए जाने पर,—

(क) निदेशक-बोर्ड के अधिक्रमण की तारीख से अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक और अन्य निदेशक अपने पदों को रिक्त कर देंगे;

(ख) सभी शक्तियों, कृत्यों और कर्तव्यों का, जिनका इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त अन्य विधियों के उपबंधों के अधीन ऐसी गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी के निदेशक-बोर्ड द्वारा या उसकी ओर से या ऐसी गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी की साधारण बैठक में पारित संकल्प द्वारा प्रयोग और निर्वहन किया जाता है, जब तक ऐसी कंपनी के निदेशक-बोर्ड का पुनर्गठन नहीं कर दिया जाता है, उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्रशासक द्वारा प्रयोग और निर्वहन किया जाएगा ।

(5)(क) बैंक, प्रशासक को उसके कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता देने के लिए तीन या अधिक ऐसे व्यक्तियों, जिनके पास विधि, वित्त, बैंककारी, प्रशासन या लेखाकर्म का अनुभव हो, को मिलाकर एक समिति गठित कर सकेगा।

(ख) समिति ऐसे समयों और स्थानों पर बैठक करेगी और प्रक्रिया के ऐसे नियमों का पालन करेगी, जो बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

(6) प्रशासक और बैंक द्वारा गठित समिति के सदस्यों के वेतन और भत्ते वे होंगे, जैसा बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए और संबंधित गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी द्वारा संदेय होंगे ।

(7) उपधारा (1) के अधीन जारी आदेश में यथाविनिर्दिष्ट निदेशक बोर्ड के अधिक्रमण की अवधि के अवसान पर और उसके पहले, गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी का प्रशासक, गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी के निदेशक बोर्ड के पुनर्गठन को सुकर बनाएगा ।

(8) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या किसी संविदा में, अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई भी व्यक्ति उसके पद की समाप्ति या हानि के लिए किसी प्रतिकर के लिए दावा करने का हकदार नहीं होगा ।

(9) उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्रशासक, गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी के निदेशक-बोर्ड के पुनर्गठन के तुरंत पश्चात् अपने पद को रिक्त कर देगा ।"।

नई धारा 45डकक का अंतःस्थापन ।

139. मूल अधिनियम की धारा 45डक के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

लेखापरीक्षकों के विरुद्ध कार्रवाई करने की शक्ति ।

"45डकक. यदि कोई लेखापरीक्षक धारा 45डक के अधीन बैंक द्वारा दिए गए किसी निदेश या दिए गए किसी आदेश का पालन करने में असफल रहता है, तो बैंक, यदि उसका यह समाधान हो जाता है, विनियमित अस्तित्व के लेखापरीक्षक के रूप में कर्तव्यों का प्रयोग कर रहे किसी लेखापरीक्षक को हटा सकेगा या एक समय पर अधिकतम तीन वर्ष की अवधि के लिए विवर्जित कर सकेगा ।"।

नई धारा 45डखक का अंतःस्थापन ।

140. मूल अधिनियम की धारा 45डख के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी का समाधान ।

'45डखक. (1) इस अधिनियम या किसी अन्य विधि के किसी अन्य उपबंध पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बैंक, यदि किसी गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी की बहियों के निरीक्षण पर उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करना लोकहित या वित्तीय प्रणाली के कार्यकरण के लिए महत्वपूर्ण क्रियाकलापों को जारी रखने में समर्थ बनाने के लिए वित्तीय स्थायित्व के हित में है, स्कीमें बना सकेगा जो निम्नलिखित किसी एक या अधिक के लिए उपबंध कर सकेगी, अर्थात् :—

(क) किसी अन्य गैर-बैंककारी संस्था के साथ समामेलन;

(ख) गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी का पुनर्गठन;

(ग) गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी का विभिन्न इकाइयों या संस्थाओं में विभाजन और उस गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी, जो वित्तीय प्रणाली के कार्यकरण के लिए महत्वपूर्ण है, में क्रियाकलापों की निरंतरता को परिरक्षित करने के लिए पृथक् इकाइयों या संस्थाओं में व्यवहार्य और अव्यवहार्य कारबारों में निहित करना और ऐसे प्रयोजन के लिए 'सेतु संस्थाओं' के नाम से ज्ञात संस्थाएं स्थापित करना ।

स्पष्टीकरण— इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "सेतु संस्थाओं" से अस्थायी संस्थागत ठहराव अभिप्रेत है, जिसे गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी के वित्तीय प्रणाली के कार्यकरण के लिए महत्वपूर्ण क्रियाकलापों की निरन्तरता को परिरक्षित करने के लिए इस उपधारा में निर्दिष्ट स्कीम के अधीन किया गया है ।

(2) उपरोक्त उपबंध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उपधारा (1) में निर्दिष्ट स्कीम निम्नलिखित के लिए उपबंध कर सकेगी—

(क) गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी, प्रबंध निदेशक, अध्यक्ष या ज्येष्ठ प्रबंधन में किसी अन्य अधिकारी के वेतन और भत्तों में कमी;

(ख) गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी, प्रबंध निदेशक, अध्यक्ष या ज्येष्ठ प्रबंधन में किसी अन्य अधिकारी या उनके नातेदारों द्वारा धारित सभी या कुछ शेयरों को रद्द करना;

(ग) गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी की किसी आस्ति का विक्रय ।

(3) गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी, प्रबंध निदेशक, अध्यक्ष या ज्येष्ठ प्रबंधन में कोई अन्य अधिकारी, जिनके वेतन और भत्तों में कमी की गई या शेयर धारक, जिनके शेयर स्कीम के अधीन रद्द किए गए हैं, किसी प्रतिकर के लिए हकदार नहीं होंगे ।'।

नई धारा 45ढकक का अंतःस्थापन ।

141. मूल अधिनियम की धारा 45ढक के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

समूह कंपनियों की बाबत शक्ति ।

45ढकक. (1) बैंक, किसी भी समय किसी गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी को ऐसे समय के भीतर और ऐसे अंतरालों पर, जैसा कि बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी की किसी समूह कंपनी को कारबार या मामलों से संबंधित ऐसे विवरण या जानकारी, जैसा बैंक इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए प्राप्त करना आवश्यक या समीचीन समझे, अपने वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न करके या पृथक् रूप से इसे प्रस्तुत करने का निदेश दे सकेगा ।

2013 का 18

(2) कंपनी अधिनियम, 2013 में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, बैंक, किसी भी समय, किसी बैंककारी वित्तीय कंपनी की किसी समूह कंपनी और इसकी लेखा बहियों का निरीक्षण या लेखा परीक्षा करवा सकेगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "समूह कंपनी" से निम्नलिखित किसी संबंध के माध्यम से एक दूसरे से संबंधित दो या अधिक अस्तित्वों को अन्तर्वलित करने वाला कोई ठहराव अभिप्रेत है:—

(i) समनुषंगी—मूल (जो लेखांकन मानकों के अनुसार बैंक द्वारा अधिसूचित किया जाए);

(ii) संयुक्त उद्यम (जो लेखांकन मानकों के अनुसार बैंक द्वारा यथा अधिसूचित किया जाए);

(iii) सहबद्ध (जो लेखांकन मानकों के अनुसार बैंक द्वारा यथा अधिसूचित किया जाए);

(iv) संप्रवर्तक-संप्रवर्ती (सूचीबद्ध कंपनियों के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 या उसके अधीन बनाए गए नियम या विनियमों के अधीन);

1992 का 15

(v) संबंधित पक्षकार ;

(vi) सामान्य ब्रांड नाम (अर्थात् किसी अस्तित्व के रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम का किसी अन्य अस्तित्व द्वारा कारबार के प्रयोजनों के लिए उपयोग); और

(vii) किसी अस्तित्व में बीस प्रतिशत या उससे अधिक के साधारण शेयरों में विनिधान;

2013 का 18
1956 का 1

(ख) "लेखांकन मानक" से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 469 के साथ पठित धारा 133 और कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 210क की उपधारा (1) के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित लेखांकन मानक अभिप्रेत है ।'।

धारा 58ख का संशोधन ।

142. मूल अधिनियम की धारा 58ख में,—

(i) उपधारा (2) में, "दो हजार रुपए" और "एक सौ रुपए" शब्दों के स्थान पर, क्रमशः "एक लाख रुपए" और "पांच हजार रुपए" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उपधारा (4क) में, "पांच लाख रुपए" शब्दों के स्थान पर, "पच्चीस लाख रुपए" शब्द रखे जाएंगे;

(iii) उपधारा (4कक) में, "पांच हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर, "दस लाख रुपए" शब्द रखे जाएंगे;

(iv) उपधारा (4ककक) में, "पचास रुपए" शब्दों के स्थान पर, "पांच हजार रुपए" शब्द रखे जाएंगे;

(v) उपधारा (5) में,—

(अ) खंड (क) में, "कोई निक्षेप" शब्दों के स्थान पर, अध्याय 3ख के अधीन दिए गए किसी निदेश या आदेश के उल्लंघन में "ऐसा करने के लिए प्राधिकृत किए बिना या कोई निक्षेप" शब्द रखे जाएंगे;

(आ) खंड (ख) में, "धारा 45ढक" शब्द, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, "धारा 45ञ" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(vi) उपधारा (6) में, "दो हजार रुपए" और "एक सौ रुपए" शब्दों के स्थान पर, क्रमशः "एक लाख रुपए" और "दस हजार रुपए" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 58छ का संशोधन ।

143. मूल अधिनियम की धारा 58छ में, उपधारा (1) में,—

(अ) खंड (क) में "पांच हजार" शब्दों के स्थान पर, "पच्चीस हजार" शब्द रखे जाएंगे;

(आ) खंड (ख) में, "पांच लाख" और, "पच्चीस हजार" शब्दों के स्थान पर क्रमशः "दस लाख" और "एक लाख" शब्द रखे जाएंगे।

भाग 2

बीमा अधिनियम, 1938 का संशोधन

1938 के अधिनियम संख्यांक 4 का संशोधन।

144. बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 6 की उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(3) कोई बीमाकर्ता, जो विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 18 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में स्थापित किसी शाखा के माध्यम से पुनःबीमा कारबार में लगी विदेशी कंपनी है, तब तक रजिस्ट्रीकृत नहीं की जाएगी, जब तक उसकी शुद्ध स्वामित्वाधीन निधि कम से कम दस अरब रुपए न हो ।"। 2005 का 28

भाग 3

प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 का संशोधन

इस भाग का प्रारंभ।

145. इस भाग के उपबंध ऐसी तारीख को प्रवृत्त होंगे, जिसे केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

1956 के अधिनियम संख्यांक 42 का संशोधन।

146. प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 23क के खंड (क) में, "रिपोर्ट किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज को देने की अपेक्षा की जाती है, उस मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करार या शर्तों या उपविधियों में उनके लिए विनिर्दिष्ट" शब्दों के स्थान पर, "रिपोर्ट किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज या बोर्ड को देने की अपेक्षा की जाती है, उस मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करार या शर्तों या उपविधियों या अधिनियम अथवा तद्धीन बनाए गए नियमों में उनके लिए विनिर्दिष्ट" शब्द रखे जाएंगे ।

भाग 4

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 का संशोधन

इस भाग का प्रारंभ।

147. इस भाग के उपबंध ऐसी तारीख को प्रवृत्त होंगे, जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

1970 के अधिनियम संख्यांक 5 का संशोधन।

148. बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उपधारा (3) में खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

'(क) पांच से अनधिक पूर्णकालिक ऐसे निदेशक होंगे जो केंद्रीय सरकार द्वारा, रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात्, नियुक्त किए जाएंगे :

परन्तु केंद्रीय सरकार, रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात् राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा इस प्रकार नियुक्त किसी पूर्णकालिक निदेशक को किसी भी अन्य तत्स्थानी नए बैंक में तैनात कर सकेगी ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "तत्स्थानी नया बैंक" पद के अन्तर्गत बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 2 के खंड (ख) में यथापरिभाषित "तत्स्थानी नया बैंक" भी है;'। 1980 का 40

भाग 5

साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 का संशोधन

1972 के अधिनियम संख्यांक 57 का संशोधन।

149. साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 की धारा 16 की उपधारा (2) में, "केवल चार कंपनियां ही" शब्दों के स्थान पर "कंपनियों की संख्या चार तक ही" शब्द रखे जाएंगे ।

भाग 6

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 का संशोधन

इस भाग का प्रारंभ।

150. इस भाग के उपबंध ऐसी तारीख को प्रवृत्त होंगे, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

1980 के अधिनियम संख्यांक 40 का संशोधन।

151. बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 9 की उपधारा (3) में खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(क) पांच से अनधिक पूर्णकालिक ऐसे निदेशक होंगे जो केंद्रीय सरकार द्वारा, रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात्, नियुक्त किए जाएंगे :

परन्तु केंद्रीय सरकार, रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात् राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा इस प्रकार नियुक्त किसी पूर्णकालिक निदेशक को किसी भी अन्य तत्स्थानी नए बैंक में तैनात कर सकेगी।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "तत्स्थानी नया बैंक" पद के अन्तर्गत बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 2 के खंड (घ) में यथापरिभाषित "तत्स्थानी नया बैंक" भी है;'।

1970 का 5

भाग 7

राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 का संशोधन

इस भाग का प्रारंभ।

152. इस भाग के उपबंध ऐसी तारीख को प्रवृत्त होंगे, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

अध्याय 5 के शीर्ष का संशोधन ।

153. राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 (जिसे इस भाग में इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) के अध्याय 5 में, शीर्ष के स्थान पर निम्नलिखित शीर्ष रखा जाएगा, अर्थात् :—

1987 का 53

"आवास वित्त संस्थाओं से संबंधित उपबंध"; ।

धारा 29क का संशोधन ।

154. मूल अधिनियम की धारा 29क में,—

(क) उपधारा (1) और उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"(1) इस अध्याय में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई आवास वित्त संस्था, जो कोई कंपनी है, निम्नलिखित के बिना किसी आवास वित्त को अपने मुख्य कारबार के रूप में प्रारंभ नहीं करेगी या आवास वित्त को अपने मुख्य कारबार के रूप में नहीं चलाएगी,—

(क) इस अध्याय के अधीन जारी किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अभिप्राप्त किए बिना; और

(ख) दस करोड़ रुपए या ऐसी अन्य उच्चतर रकम, जो रिजर्व बैंक अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, की शुद्ध स्वामित्वाधीन निधि रखे बिना ।

(2) प्रत्येक ऐसी आवास वित्त संस्था, जो कोई कंपनी है, ऐसे प्ररूप में, जो रिजर्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, रिजर्व बैंक को रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करेगी :

परंतु किसी आवास वित्त संस्था द्वारा, जो कोई कंपनी है, राष्ट्रीय आवास बैंक को किया गया आवेदन, जो वित्त (सं0 2) अधिनियम, 2019 के अध्याय 6 के भाग 7 के उपबंधों के प्रारंभ होने की तारीख को राष्ट्रीय आवास बैंक के पास विचारार्थ लंबित है, राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा रिजर्व बैंक को अंतरित कर दिया जाएगा और तदुपरांत आवेदन इस उपधारा के उपबंधों के अधीन किया गया समझा जाएगा और उसका निपटान तदनुसार किया जाएगा :

परंतु यह और कि इस उपधारा के उपबंध ऐसी आवास वित्त संस्था को लागू नहीं होंगे, जो कोई कंपनी है और जिसके पास वित्त (सं02) अधिनियम, 2019 के अध्याय 6 के भाग 7 के प्रारंभ होने की तारीख को उपधारा (5) के अधीन अनुदत्त विधिमान्य रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र है और ऐसी आवास वित्त संस्था को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त किया गया समझा जाएगा।";

(ख) उपधारा (3) का लोप किया जाएगा ;

(ग) उपधारा (4) में,—

(i) दोनों स्थानों पर "राष्ट्रीय आवास बैंक" शब्दों के स्थान पर, जहां वे आते हैं, "रिजर्व बैंक" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) खंड (छ) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा :—

"परंतु रिजर्व बैंक, जब वह ऐसा करना आवश्यक समझे, राष्ट्रीय आवास बैंक से आवेदन पर विचार करने के प्रयोजन के लिए ऐसी आवास वित्तीय संस्था की लेखा बहियों का निरीक्षण करने की और रिजर्व बैंक को रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा।";

(घ) उपधारा (5) में, "राष्ट्रीय आवास बैंक" शब्दों, के स्थान पर, "रिजर्व बैंक" शब्द रखे जाएंगे;

(ङ) उपधारा (6) में,—

(i) प्रारंभिक भाग में "राष्ट्रीय आवास बैंक" शब्दों के स्थान पर "रिजर्व बैंक" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) खंड (iv) में, "राष्ट्रीय आवास बैंक" शब्दों, के स्थान पर, जहां-कहीं वे आते हैं, "रिजर्व बैंक या राष्ट्रीय आवास बैंक" शब्द रखे जाएंगे;

(iii) पहले परंतुक में,—

(अ) "आवास वित्त संस्था" शब्दों के स्थान पर, दोनों स्थानों पर जहां वे आते हैं, "आवास वित्त संस्था, जो कोई कंपनी है" शब्द रखे जाएंगे;

(आ) "राष्ट्रीय आवास बैंक" शब्दों के स्थान पर, दोनों स्थानों पर जहां वे आते हैं, "रिजर्व बैंक" शब्द रखे जाएंगे;

(च) उपधारा (7) में,—

(i) "राष्ट्रीय आवास बैंक" शब्दों के स्थान पर "रिजर्व बैंक" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) स्पष्टीकरण में,—

(अ) खंड (I) के उपखंड (ख) की मद (1) में, उपमद (iii) के स्थान पर निम्नलिखित उपमद रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(iii) सभी अन्य आवास वित्त कंपनियां; और";

(आ) खंड (II) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(II) "समनुषंगियों" और "उसी समूह की कंपनियों" का वही अर्थ है जो उनका कंपनी अधिनियम, 2013 में है : 2013 का 18

परंतु राष्ट्रीय आवास बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से उसी समूह में समझी जाने वाली कंपनियों को विनिर्दिष्ट करेगा ।'।

धारा 29ख का संशोधन ।

155. मूल अधिनियम की धारा 29ख में,—

(i) "आवास वित्त संस्था" शब्दों के स्थान पर, जहां-कहीं वे आते हैं, "आवास वित्त संस्था, जो कोई कंपनी है" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उपधारा (1) में "राष्ट्रीय आवास बैंक" शब्दों के स्थान पर "रिजर्व बैंक" शब्द रखे जाएंगे;

(iii) उपधारा (2) में, "ऐसे उच्चतर प्रतिशत, जो पच्चीस प्रतिशत से अधिक नहीं हों, जिसे राष्ट्रीय आवास बैंक, समय-समय पर, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे," शब्दों के स्थान पर "ऐसे उच्चतर प्रतिशत, जो पच्चीस प्रतिशत से अधिक नहीं हों, जिसे रिजर्व बैंक, समय-समय पर, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे," शब्द रखे जाएंगे;

(iv) उपधारा (3) में दोनों स्थानों पर, "राष्ट्रीय आवास बैंक" शब्दों के स्थान पर, जहां वे आते हैं, "रिजर्व बैंक" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 29ग का संशोधन ।

156. मूल अधिनियम की धारा 29ग की उपधारा (2) में,—

(क) "राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाए," शब्दों के स्थान पर "रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाए," शब्द रखे जाएंगे;

(ख) "रिपोर्ट राष्ट्रीय आवास बैंक को" शब्दों के स्थान पर "रिपोर्ट राष्ट्रीय आवास बैंक और रिजर्व बैंक को" शब्द रखे जाएंगे;

(ग) परंतुक में "परंतु राष्ट्रीय आवास बैंक" शब्दों के स्थान पर "परंतु राष्ट्रीय आवास बैंक या रिजर्व बैंक" शब्द रखे जाएंगे;

(घ) उपधारा (3) में "राष्ट्रीय आवास बैंक" शब्दों के स्थान पर "रिजर्व बैंक" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 30 का प्रतिस्थापन ।

157. मूल अधिनियम की धारा 30 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

धन के निक्षेप की याचना करने वाले प्रास्पेक्टस या विज्ञापन का रिजर्व बैंक द्वारा विनियमन या प्रतिषेध ।

"30. यदि रिजर्व बैंक लोकहित में ऐसा करना आवश्यक समझता है तो वह, साधारण या विशेष आदेश द्वारा,—

(क) जनता से धन के निक्षेपों की याचना करने वाले किसी प्रोस्पेक्टस या विज्ञापन के किसी आवास वित्त संस्था, जो कंपनी है, द्वारा निकाले जाने का विनियमन या प्रतिषेध कर सकेगा; और

(ख) वे शर्तें विनिर्दिष्ट कर सकेगा जिनके अधीन रहते हुए कोई ऐसा प्रोस्पेक्टस या विज्ञापन जिसे प्रतिषिद्ध नहीं किया गया है, निकाला जा सकेगा ।"।

धारा 30क का प्रतिस्थापन ।

158. मूल अधिनियम की धारा 30क के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

नीति निर्धारित करने और निदेश जारी करने की रिजर्व बैंक की शक्ति ।

"30क. (1) यदि रिजर्व बैंक का यह समाधान हो जाता है कि लोकहित में या देश की आवास वित्त प्रणाली को इसके फायदे के लिए विनियमित करने के लिए या किसी आवास वित्त संस्था, जो कंपनी है, के ऐसे कार्यकलापों को निवारित करने के लिए, जिनका संचालन ऐसी रीति से किया जा रहा है, जो निक्षेपकर्ताओं के हित के लिए हानिकर है या ऐसी रीति से किया जा रहा है जो आवास वित्त संस्था के हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला है और ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, नीति का निर्धारण कर सकेगा और सभी आवास वित्त संस्थाओं या उनमें से किसी की आय, मान्यता, लेखा मानकों, डूबंत और शंकास्पद ऋणों के लिए समुचित उपबंध करने, आस्तियों के लिए जोखिम भार पर आधारित पूंजी पर्याप्तता तथा इतर तुलन-पत्र मदों के लिए प्रत्यय संपरिवर्तन कारकों के संबंध में और, यथास्थिति, किसी आवास वित्त संस्था या किसी वर्ग की आवास वित्त संस्था या साधारणतया आवास वित्त संस्थाओं द्वारा निधियों के अभिनियोजन के संबंध में भी निदेश दे सकेगा और ऐसी आवास वित्त संस्थाएं इस प्रकार अवधारित नीति और इस प्रकार जारी किए गए निदेशों का अनुसरण करने के लिए आबद्ध होंगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन निहित शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, रिजर्व बैंक, आवास वित्त संस्थाओं को, जो कंपनियां हैं, साधारणतया या किसी समूह की आवास वित्त संस्थाओं को अथवा ऐसी अन्य आवास वित्त संस्था को, जो कोई कम्पनी है, विशिष्टतया निम्नलिखित के बारे में निदेश दे सकेगा :—

(क) वह प्रयोजन जिसके लिए अग्रिम या अन्य निधि आधारित या गैर-निधि आधारित सौकर्य नहीं किया जा सकेगा; और

(ख) वह अधिकतम रकम, जिसके अग्रिम या अन्य वित्तीय सौकर्य या शेयरों और अन्य प्रतिभूतियों के विनिधान जो आवास वित्त संस्था की समादत्त पूंजी, आरक्षितियों और निक्षेपों को तथा

अन्य सुसंगत बातों को ध्यान में रखते हुए उस आवास वित्त संस्था द्वारा किसी व्यक्ति या किसी कंपनी या कंपनियों के किसी समूह के लिए किए जा सकेंगे ।

(3) रिजर्व बैंक यदि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक समझता है, आवास वित्त संस्थाओं, जो कंपनियां हैं, जो धारा 31 में निर्दिष्ट निक्षेप या तो साधारणतया या ऐसी आवास वित्त संस्थाओं के समूह, जो निक्षेप स्वीकार कर रहे हैं और विशिष्टतया उनसे संबंधित या उससे संबद्ध किसी विषय में निक्षेपों की प्राप्ति, जिसके अंतर्गत आवास वित्त संस्था, जो निक्षेप स्वीकार करने वाली कंपनी है, की क्रेडिट रेटिंग भी है, ऐसे निक्षेपों पर संदेय ब्याज दर और वह अवधि, जिनके लिए निक्षेपं स्वीकार किए जा सकेंगे, के लिए निदेश जारी कर सकेगा ।"।

(4) यदि निक्षेप प्रतिगृहीत करने वाली कोई आवास वित्तीय संस्था, जो कोई कंपनी है, उपधारा (3) के अधीन जारी किसी निदेश का अनुपालन करने में असफल रहती है, तो रिजर्व बैंक उस आवास वित्त संस्था द्वारा निक्षेप स्वीकार करने को प्रतिषिद्ध कर सकेगा ।"।

धारा 31 का प्रतिस्थापन ।

159. मूल अधिनियम की धारा 31 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

राष्ट्रीय आवास बैंक की आवास वित्त संस्थाओं से निक्षेपों के संबंध में जानकारी संगृहीत करने की शक्ति ।

"31. (1) राष्ट्रीय आवास बैंक, किसी भी समय यह निदेश दे सकेगा कि निक्षेप प्रतिगृहीत करने वाली प्रत्येक आवास वित्त संस्था, जो कंपनी है, उस आवास वित्त संस्था द्वारा प्राप्त निक्षेपों से संबंधित या संसक्त ऐसे कथन, ऐसी जानकारी या विशिष्टियां राष्ट्रीय आवास बैंक और रिजर्व बैंक को, ऐसे प्ररूप में, ऐसे अंतरालों पर और इतने समय के भीतर दे, जो राष्ट्रीय आवास बैंक ने साधारण या विशेष आदेश द्वारा, विनिर्दिष्ट किया हो ।

(2) उपधारा (1) के अधीन राष्ट्रीय आवास बैंक में निहित शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कथन, जानकारी या विशिष्टियां, जो उपधारा (1) के अधीन दी जानी हैं, निम्नलिखित सभी या उनमें से किसी विषय से संबंधित हो सकेंगी, अर्थात् निक्षेपों की रकम, वे प्रयोजन और अवधियां जिनके लिए, तथा ब्याज की वे दरें और अन्य निबंधन और शर्तें, जिन पर ऐसे निक्षेप, प्राप्त किए जाते हैं।

(3) निक्षेप प्रतिगृहीत करने वाली प्रत्येक आवास वित्त संस्था, जो कंपनी है, राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा यह अपेक्षा की जाने पर, तथा उतने समय के भीतर जितना राष्ट्रीय आवास बैंक विनिर्दिष्ट करे, अपने वार्षिक तुलनपत्र की तथा लाभ-हानि लेखा की या अन्य वार्षिक लेखाओं की, उस रूप में, जिसमें कि वे उस वर्ष के अंतिम दिन हैं जिससे लेखा संबंधित है, एक प्रति अपने खर्चे पर प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को भिजवाएगी, जिससे उनके पास उतनी राशि से अधिक के निक्षेप हैं जितनी राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट की गई है ।"।

धारा 32 का प्रतिस्थापन ।

160. मूल अधिनियम की धारा 32 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

आवास वित्त संस्थाओं का इस अध्याय के अधीन कथन, आदि प्रस्तुत करने का कर्तव्य ।

"32. प्रत्येक आवास वित्तीय संस्था, जो कंपनी है, यथास्थिति, राष्ट्रीय आवास बैंक या रिजर्व बैंक द्वारा मांगा गया कथन, सूचना या विशिष्टियां प्रस्तुत करेगी और इस अध्याय के उपबंधों के अधीन उसे दिए गए किसी निदेश का अनुपालन करेगी ।"।

धारा 33 का संशोधन ।

161. मूल अधिनियम की धारा 33 में,—

(क) उपधारा (1) में,—

(i) "आवास वित्त संस्था" शब्दों के स्थान पर, जहां-कहीं वे आते हैं, "आवास वित्त संस्था, जो कोई कंपनी है," शब्द रखे जाएंगे;

(ii) दोनों स्थानों पर "राष्ट्रीय आवास बैंक" शब्दों के स्थान पर, जहां वे आते हैं, "राष्ट्रीय आवास बैंक और रिजर्व बैंक" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उपधारा (1क) में, "राष्ट्रीय आवास बैंक" शब्दों के स्थान पर "रिजर्व बैंक" शब्द रखे जाएंगे;

(ग) उपधारा (2) में, दोनों स्थानों पर "राष्ट्रीय आवास बैंक" शब्दों के स्थान पर, जहां वे आते हैं, "राष्ट्रीय आवास बैंक और रिजर्व बैंक" शब्द रखे जाएंगे;

(घ) उपधारा (3) में, "किसी भी समय, आदेश द्वारा, यह निदेश दे सकेगा" शब्दों के पश्चात् "और रिजर्व बैंक द्वारा ऐसा करने के लिए निदेश दिए जाने पर यह निदेश देगा" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 33क का प्रतिस्थापन ।

162. मूल अधिनियम की धारा 33क के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

निक्षेप प्रतिग्रहण करने और आस्तियों के अन्यसंक्रामण को प्रतिषिद्ध करने की रिजर्व बैंक की शक्ति ।

"33क. (1) यदि कोई आवास वित्त संस्था, जो कोई कंपनी है, किसी धारा के उपबंधों का अतिक्रमण करती है या इस अध्याय के उपबंधों में से किसी के अधीन राष्ट्रीय आवास बैंक या रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए किसी निदेश या आदेश का अनुपालन करने में असफल रहती है तो रिजर्व बैंक, ऐसी आवास वित्त संस्था को किसी निक्षेप का प्रतिग्रहण करने से प्रतिषिद्ध कर सकेगा ।

(2) किसी करार या लिखत या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, रिजर्व बैंक, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में या निक्षेपकों के हित में ऐसा करना आवश्यक है, ऐसी आवास वित्त संस्था का, जिसके विरुद्ध निक्षेप का प्रतिग्रहण करने से प्रतिषिद्ध करने वाला आदेश जारी किया गया है, यह निदेश दे सकेगा कि वह अपनी संपत्ति और आस्तियों का राष्ट्रीय आवास बैंक की पूर्व लिखित अनुज्ञा के बिना ऐसी अवधि तक, जो आदेश की तारीख से छह मास से अधिक न हो, विक्रय, अंतरण न करे, उनको भारित या बंधक न करे या उनके संबंध में किसी भी रीति से व्यौहार न करे।"।

धारा 33ख का संशोधन ।

163. मूल अधिनियम की धारा 33ख में,—

(i) उपधारा (1) के खंड (ग) में, "राष्ट्रीय आवास बैंक" शब्दों के स्थान पर "राष्ट्रीय आवास बैंक या रिजर्व बैंक" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उपधारा (3) में, "कंपनी रजिस्ट्रार" शब्दों के स्थान पर "कंपनी रजिस्ट्रार और रिजर्व बैंक" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 34 का संशोधन ।

164. मूल अधिनियम की धारा 34 में,—

(i) "प्रयोजन के लिए करा सकेगा" शब्दों के पश्चात् "या रिजर्व बैंक द्वारा ऐसा करने के लिए निदेश दिए जाने पर कराएगा" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ii) दोनों स्थानों पर, "निक्षेप प्रतिगृहीत करने वाली आवास वित्त संस्था" शब्दों के स्थान पर, जहां-कहीं वे आते हैं, "आवास वित्त संस्था, जो कोई कंपनी है" शब्द रखे जाएंगे;

(iii) उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(4) राष्ट्रीय आवास बैंक, उपधारा (1) में निर्दिष्ट निरीक्षण रिपोर्ट की एक प्रति रिजर्व बैंक को प्रस्तुत करेगा।"।

धारा 35 का संशोधन ।

165. मूल अधिनियम की धारा 35 में,—

(i) आरम्भिक भाग में "व्यक्ति किसी आवास संस्था की ओर से" शब्दों के स्थान पर, "कोई व्यक्ति किसी आवास वित्त संस्था, जो कोई कंपनी है, की ओर से" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) खंड (ख) में, "राष्ट्रीय आवास बैंक" शब्दों के स्थान पर जहां-कहीं वे आते हैं "रिजर्व बैंक" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 35क का संशोधन ।

166. मूल अधिनियम की धारा 35क में,—

(क) "आवास वित्त संस्था" शब्दों के स्थान पर, जहां-कहीं वे आते हैं, "आवास वित्त संस्था, जो कोई कंपनी है" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) "राष्ट्रीय आवास बैंक" शब्दों के स्थान पर, जहां-कहीं वे आते हैं, ", यथास्थिति, राष्ट्रीय आवास बैंक या रिजर्व बैंक" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 35ख का प्रतिस्थापन।

167. मूल अधिनियम की धारा 35ख के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

किसी आवास वित्त संस्था को छूट देने की रिजर्व बैंक की शक्ति ।

" 35ख. (1) रिजर्व बैंक, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना आवश्यक है, अधिसूचना द्वारा, यह घोषित कर सकेगा कि इस अध्याय का कोई या सभी उपबंध, किसी आवास वित्त संस्था, जो कोई कंपनी है या ऐसी आवास वित्त संस्थाओं का समूह है, को साधारणतया अथवा ऐसी किसी अवधि

के लिए, जो विनिर्दिष्ट की जाए, ऐसी शर्तों, परिसीमाओं या निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, जिन्हें वह अधिरोपित करना उचित समझे, लागू नहीं होंगे ।

(2) इस धारा के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना, इसके जारी किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी ।

धारा 44 का संशोधन ।

168. मूल अधिनियम की धारा 44 की उपधारा (1) में, दोनों स्थानों पर, "राष्ट्रीय आवास बैंक" शब्दों के स्थान पर, जहां-कहीं वे आते हैं, "यथास्थिति, राष्ट्रीय आवास बैंक या रिजर्व बैंक" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 46 का संशोधन ।

169. मूल अधिनियम की धारा 46 में, "राष्ट्रीय आवास बैंक" शब्दों के स्थान पर, जहां-कहीं वे आते हैं, "राष्ट्रीय आवास बैंक या रिजर्व बैंक" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 49 का संशोधन ।

170. मूल अधिनियम की धारा 49 में,—

(क) उपधारा (2ख) में, "राष्ट्रीय आवास बैंक" शब्दों के स्थान पर, "राष्ट्रीय आवास बैंक या रिजर्व बैंक" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उपधारा (2ग) में, "प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किए गए किसी आदेश" शब्दों के स्थान पर, "राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण द्वारा किए गए किसी आदेश" शब्द रखे जाएंगे;

(ग) उपधारा (3) के खंड (कक) में, "राष्ट्रीय आवास बैंक" शब्दों के स्थान पर, "राष्ट्रीय आवास बैंक या रिजर्व बैंक" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 51 का संशोधन ।

171. मूल अधिनियम की धारा 51 में "राष्ट्रीय आवास बैंक" शब्दों के स्थान पर, जहां-कहीं वे आते हैं "राष्ट्रीय आवास बैंक या रिजर्व बैंक" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 52क का प्रतिस्थापन ।

जुर्माना अधिरोपित करने की राष्ट्रीय आवास बैंक और रिजर्व बैंक की शक्ति ।

172. मूल अधिनियम की धारा 52क के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"52क. (1) धारा 49 में किसी बात के होते हुए भी, यदि उस धारा में उल्लिखित प्रकृति का कोई उल्लंघन या व्यतिक्रम ऐसी आवास वित्त संस्था द्वारा किया जाता है जो कंपनी है, तो, यथास्थिति, राष्ट्रीय आवास बैंक या रिजर्व बैंक, ऐसी कंपनी पर—

(क) पांच हजार रुपए से अनधिक की शास्ति अधिरोपित कर सकेगा; या

(ख) जहां उल्लंघन या व्यतिक्रम उस धारा की उपधारा (2क) या उपधारा (3) के खंड (क) या खंड (कक) के अधीन हो वहां पांच लाख रुपए से अनधिक की या ऐसे उल्लंघन या व्यतिक्रम में, जहां रकम अनुमान्य है, अंतर्वलित रकम के दोगुने की, इनमें से जो भी अधिक हो, शास्ति अधिरोपित कर सकेगा और जहां ऐसा उल्लंघन या व्यतिक्रम जारी रहने वाला है वहां प्रथम शास्ति के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसा उल्लंघन या व्यतिक्रम जारी रहता है, पच्चीस हजार रुपए तक की और शास्ति अधिरोपित कर सकेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन शास्ति अधिरोपित करने के प्रयोजन के लिए, यथास्थिति, राष्ट्रीय आवास बैंक या रिजर्व बैंक, आवास वित्त संस्था, जो कोई कंपनी है, पर सूचना की तामील करेगा जिसमें उससे इस बारे में कारण दर्शित करने की अपेक्षा की जाएगी कि सूचना में विनिर्दिष्ट रकम शास्ति के रूप में अधिरोपित क्यों न की जाए और ऐसी आवास वित्त संस्था को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर भी दिया जाएगा ।

(3) इस धारा के अधीन, यथास्थिति, राष्ट्रीय आवास बैंक या रिजर्व बैंक द्वारा अधिरोपित कोई शास्ति, उस तारीख से, जिसको, यथास्थिति, राष्ट्रीय आवास बैंक या रिजर्व बैंक द्वारा धनराशि के संदाय की मांग करते हुए जारी की गई सूचना की आवास वित्त संस्था, जो कोई कम्पनी है, पर तामील की जाती है, तीस दिन की अवधि के भीतर संदेय होगी और आवास वित्त संस्था के, ऐसी अवधि के भीतर उस धनराशि का संदाय करने में, असफल रहने की दशा में, उस क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाले प्रधान सिविल न्यायालय द्वारा दिए गए निदेश पर जहां आवास वित्त संस्था का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय या मुख्यालय स्थित है, शास्ति उद्गृहीत की जा सकेगी :

परन्तु प्रधान सिविल न्यायालय द्वारा ऐसा कोई निदेश इस निमित्त प्राधिकृत, यथास्थिति, राष्ट्रीय आवास बैंक या रिजर्व बैंक के किसी अधिकारी द्वारा किए गए आवेदन पर ही दिया जाएगा, अन्यथा नहीं।

(4) उपधारा (3) के अधीन निदेश जारी करने वाला न्यायालय, आवास वित्त संस्था, जो कंपनी है, द्वारा संदेय धनराशि को विनिर्दिष्ट करने वाला एक प्रमाणपत्र जारी करेगा और ऐसा प्रत्येक प्रमाणपत्र उसी रीति से प्रवर्तनीय होगा, मानो वह किसी सिविल वाद में न्यायालय द्वारा दी गई डिक्री हो ।

(5) ऐसे किसी उल्लंघन या व्यतिक्रम के संबंध में जिसकी बाबत इस धारा के अधीन, यथास्थिति, राष्ट्रीय आवास बैंक या रिजर्व बैंक द्वारा कोई शास्ति अधिरोपित की गई है, किसी आवास वित्त संस्था, जो कंपनी है, के विरुद्ध कोई भी परिवाद किसी न्यायालय में फाइल नहीं किया जाएगा ।

(6) जहां धारा 49 में निर्दिष्ट प्रकृति के उल्लंघन या व्यतिक्रम की बाबत किसी न्यायालय में आवास वित्त संस्था, जो एक कंपनी है, के विरुद्ध कोई परिवाद फाइल किया गया है, वहां उस आवास वित्त संस्था के विरुद्ध शास्ति अधिरोपित करने के लिए कोई कार्यवाही इस धारा के अधीन नहीं की जाएगी ।"।

भाग 8

बेनामी संपत्ति संव्यवहार प्रतिषेध अधिनियम, 1988 का संशोधन

1988 का 45

धारा 23 का संशोधन ।

173. बेनामी संपत्ति संव्यवहार प्रतिषेध अधिनियम, 1988 (जिसे इस भाग में इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 23 में निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा और 1 नवंबर, 2016 से अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

"**स्पष्टीकरण**—यहां शंकाओं को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि इस धारा में अंतर्विष्ट कोई बात वहां लागू नहीं होगी और कभी भी लागू हुई नहीं समझी जाएगी जहां किसी प्रारंभिक अधिकारी द्वारा धारा 24 की उपधारा (1) के अधीन नोटिस जारी किया गया है।"।

धारा 24 का संशोधन ।

174. मूल अधिनियम की धारा 24 में 1 सितंबर, 2019 से,—

(क) उपधारा (3) में, "उपधारा (1) के अधीन सूचना के जारी किए जाने की तारीख से" शब्दों, कोष्ठकों और अंक के स्थान पर, "उस मास के अंतिम दिन से, जिसमें उपधारा (1) के अधीन सूचना जारी की जाती है" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे;

(ख) उपधारा (4) में, "उपधारा (1) के अधीन सूचना जारी किए जाने की तारीख से" शब्दों, कोष्ठकों और अंक के स्थान पर, " उस मास के अंतिम दिन से, जिसमें उपधारा (1) के अधीन सूचना जारी की जाती है" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे;

(ग) निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"**स्पष्टीकरण**—इस धारा के प्रयोजन के लिए परिसीमा अवधि की संगणना में वह अवधि, जिसके दौरान किसी न्यायालय के किसी आदेश या व्यादेश द्वारा कार्यवाही रोक दी जाती है, छोड़ दी जाएगी :

परंतु जहां पूर्वोक्त अवधि को छोड़े जाने के तुरंत पश्चात् प्रारंभक अधिकारी के पास कुर्की का आदेश पारित करने के लिए उपधारा (4) में निर्दिष्ट परिसीमा की अवधि तीस दिन से कम है, वहां ऐसी शेष अवधि को तीस दिन तक बढ़ा हुआ समझा जाएगा :

परंतु यह और कि जहां पूर्वोक्त अवधि को छोड़े जाने के तुरंत पश्चात् प्रारम्भक अधिकारी के पास न्यायनिर्णायक प्राधिकारी का कुर्की का आदेश निर्दिष्ट करने के लिए उपधारा (5) में निर्दिष्ट परिसीमा की अवधि सात दिन से कम है, वहां ऐसी शेष अवधि को सात दिन तक बढ़ा हुआ समझा जाएगा ।"।

धारा 26 का संशोधन ।

175. मूल अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (7) में निम्नलिखित स्पष्टीकरण 1 सितंबर, 2019 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"**स्पष्टीकरण**—इस धारा के प्रयोजन के लिए परिसीमा अवधि की संगणना में वह अवधि, जिसके दौरान किसी न्यायालय के किसी आदेश या व्यादेश द्वारा कार्यवाहियां रोक दी जाती हैं, छोड़ दी जाएगी:

परंतु जहां पूर्वोक्त अवधि को छोड़े जाने के तुरंत पश्चात् न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के पास आदेश पारित करने के लिए निर्दिष्ट परिसीमा की अवधि साठ दिन से कम है, वहां ऐसी शेष अवधि को साठ दिन तक बढ़ा दिया जाएगा और पूर्वोक्त परिसीमा अवधि को तदनुसार बढ़ा हुआ समझा जाएगा ।"।

धारा 30 का संशोधन ।

176. मूल अधिनियम की धारा 30 में, "न्यायनिर्णायक प्राधिकारी" शब्दों के स्थान पर, "कोई प्राधिकारी" शब्द 1 सितंबर, 2019 से रखे जाएंगे।

धारा 46 का संशोधन ।

177. मूल अधिनियम की धारा 46 में, 1 सितंबर, 2019 से,—

(क) उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(1क) धारा 54क के अधीन प्राधिकरण द्वारा पारित किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति उक्त आदेश के विरुद्ध, उस आदेश की तारीख से पैंतालीस दिन की अवधि के भीतर, ऐसी फीस के साथ ऐसे प्ररूप में, जो विहित किए जाएं, अपील अधिकरण को अपील कर सकेगा।";

(ख) उपधारा (3) में, "उपधारा (1)" शब्द, कोष्ठकों और अंक के पश्चात् "या उपधारा (1क)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे।

धारा 47 का संशोधन ।

178. मूल अधिनियम की धारा 47 में, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा 1 सितंबर, 2019 से रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(1) अपील अधिकरण या कोई प्राधिकरण, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन उसके द्वारा पारित किसी आदेश का अभिलेख पर स्पष्ट त्रुटियों का सुधार करने के लिए उस मास के अंत से, जिसमें ऐसा आदेश पारित किया गया था, एक वर्ष की अवधि के भीतर संशोधन कर सकेगा।"।

नई धारा 54क और धारा 54ख का अंतःस्थापन।

179. मूल अधिनियम की धारा 54 के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं 1 सितंबर, 2019 से अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

सूचना की अनुपालना या इत्तिला देने में असफलता ।

"54क. (1) कोई व्यक्ति, जो—

(i) धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन जारी समनों की अनुपालना करने में; या

(ii) धारा 21 के अधीन यथापेक्षित इत्तिला देने में,

असफल होता है, तो वह ऐसे प्रत्येक व्यतिक्रम या असफलता के लिए पच्चीस हजार रुपए की शास्ति का संदाय करने का दायी होगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई भी शास्ति, उस प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित की जाएगी, जिसने समन जारी किया था या इत्तिला की मांग की थी ।

(3) उपधारा (2) के अधीन कोई भी आदेश, प्राधिकारी द्वारा तब तक पारित नहीं किया जाएगा, जब तक कि उस व्यक्ति को, जिस पर शास्ति अधिरोपित की जानी है, मामले में सुनवाई का अवसर न दे दिया गया हो :

परंतु ऐसी कोई शास्ति अधिरोपित नहीं की जाएगी यदि ऐसा व्यक्ति यह साबित कर देता है कि ऐसे समन की अनुपालना न करने या इत्तिला न दिए जाने के उपयुक्त और पर्याप्त कारण थे ।

अभिलेखों या दस्तावेजों में प्रविष्टियों का सबूत।

54ख. किसी प्राधिकारी की अभिरक्षा में अभिलेखों या दस्तावेजों की प्रविष्टियां, यथास्थिति, धारा 3 या इस अध्याय के अधीन किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति के अभियोजन की किन्हीं कार्यवाहियों में साक्ष्य में ग्रहण की जाएंगी और ऐसी सभी प्रविष्टियों को या तो,—

(i) प्राधिकारी की अभिरक्षा में ऐसी प्रविष्टियों वाले अभिलेखों और दस्तावेजों को पेश करके; या

(ii) ऐसे प्राधिकारी द्वारा, जिसकी अभिरक्षा में अभिलेख या दस्तावेज हैं, और यह कथन करते हुए कि यह मूल प्रविष्टियों की सत्य प्रति है और यह कि ऐसी मूल प्रविष्टियां उसकी अभिरक्षा में के अभिलेख या दस्तावेजों में अंतर्विष्ट हैं, अपने हस्ताक्षर से प्रमाणित प्रविष्टियों की प्रति पेश करके,

साबित की जा सकेंगी ।"।

धारा 55 का संशोधन ।

180. मूल अधिनियम की धारा 55 में, 1 सितंबर, 2019 से,—

(i) "बोर्ड" शब्द के स्थान पर, "सक्षम प्राधिकारी" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'**स्पष्टीकरण**—इस धारा के प्रयोजन के लिए, "सक्षम प्राधिकारी" से आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 2 के खंड (16), खंड (21), खंड (34ख) और खंड (34ग) में क्रमशः परिभाषित कोई आयुक्त, निदेशक, प्रधान आय-कर आयुक्त या कोई प्रधान आय-कर निदेशक अभिप्रेत है ।'।

1961 का 43

भाग 9

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 का संशोधन

इस भाग का प्रारंभ।

181. इस भाग के उपबंध उस तारीख को प्रवृत्त होंगे, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।

धारा 14 का संशोधन।

1992 का 15

182. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (जिसे इस भाग में इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है), की धारा 14 में,—

(i) उपधारा (2) में, खंड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(घ) बोर्ड और केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित वार्षिक पूंजी व्यय योजना के अनुसार पूंजी व्यय ।";

(ii) उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"(3) बोर्ड एक आरक्षित निधि का गठन करेगा और किसी वर्ष की साधारण निधि के वार्षिक अधिशेष के पच्चीस प्रतिशत को ऐसी आरक्षित निधि में जमा किया जाएगा और ऐसी निधि, पूर्ववर्ती दो वित्तीय वर्षों के वार्षिक व्ययों के योग से अधिक नहीं होगी ।

(4) उपधारा (2) में उल्लिखित सभी व्ययों को उपगत करने और उपधारा (3) में यथाविनिर्दिष्ट आरक्षित निधि को अंतरण करने के पश्चात्, साधारण निधि के अधिशेष को भारत की संचित निधि को अंतरित कर दिया जाएगा ।"।

धारा 15ग का संशोधन।

183. मूल अधिनियम की धारा 15ग में, "बोर्ड द्वारा लिखित रूप में मांग किए जाने के पश्चात्" शब्दों के स्थान पर, "बोर्ड द्वारा लिखित रूप में मांग, जिसके अंतर्गत इलैक्ट्रानिक सूचना के किसी साधन द्वारा की गई मांग भी है, किए जाने के पश्चात्" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 15च का संशोधन।

184. मूल अधिनियम की धारा 15च के खंड (क) में, "जो एक लाख रुपए से कम की नहीं होगी, किंतु जो उस रकम तक की हो सकेगी," शब्दों के स्थान पर, "जो एक लाख रुपए से कम की नहीं होगी, किंतु जो एक करोड़ रुपए तक की हो सकेगी" शब्द रखे जाएंगे ।

नई धारा 15जकक का अंतःस्थापन।

185. मूल अधिनियम की धारा 15जक के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

'15जकक. यदि कोई व्यक्ति, जो,—

बोर्ड के अभिलेखों में परिवर्तन, उन्हें नष्ट करने, आदि के लिए और इलैक्ट्रानिक डाटा बैस के संरक्षण में असफलता के लिए शास्ति ।

(क) जानबूझकर किसी ऐसी जानकारी, अभिलेख, दस्तावेज (जिसके अंतर्गत इलैक्ट्रानिक अभिलेख भी हैं), जो इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों या विनियमों के अधीन अपेक्षित है, में कोई परिवर्तन करता है, उसे नष्ट करता है, विकृत करता है, उसे छिपाता है, उसे मिथ्या ठहराता है या उसमें कोई मिथ्या प्रविष्टि करता है, जो बोर्ड की अधिकारिता के भीतर किसी मामले को बाधित करता है, उसमें रुकावट डालता है या किसी अन्वेषण, जांच, संपरीक्षा, निरीक्षण या उसके समुचित प्रशासन को प्रभावित करता है ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए किसी व्यक्ति के बारे में उस दशा में यह समझा जाएगा कि उसने ऐसी जानकारी, अभिलेख या दस्तावेज को परिवर्तित किया है, उसे छिपाया या नष्ट किया है, जब वह जानबूझकर बोर्ड को मामले के संबंध में तुरंत रिपोर्ट करने में असफल रहता है या उस समय तक उसका परिरक्षण करने में असफल रहता है, जब तक ऐसी

जानकारी किसी ऐसे अन्वेषण, जांच, संपरीक्षा, निरीक्षण या कार्यवाही के लिए सुसंगत बनी रहती है, जिसे बोर्ड द्वारा जारी किया गया हो और जब तक उसे पूरा न कर दिया जाए;

(ख) ऐसा करने के लिए प्राधिकृत किए बिना, डाटाबेस में विनियामक डाटा तक पहुंच बनाता है या पहुंच बनाने का प्रयास करता है या पहुंच को रोकता है या पहुंच संबंधी पैरामीटरों को उपांतरित करता है ;

(ग) ऐसा करने के लिए प्राधिकृत किए बिना, सिस्टम डाटाबेस में अनुरक्षित रखे गए विनियामक डाटा को डाउनलोड करता है, उससे उद्धरण लेता है, उसकी प्रतिलिपियां लेता है या उसे किसी रूप में पुनः उद्धृत करता है ;

(घ) जानबूझकर सिस्टम डाटाबेस में कोई कंप्यूटर वायरस या कोई अन्य कंप्यूटर संदूषण को प्रविष्ट करता है या व्यापार को रोक देता है ;

(ङ) बिना किसी प्राधिकार के सिस्टम डाटाबेस के कार्यकरण में व्यवधान उत्पन्न करता है ;

(च) जानबूझकर सिस्टम डाटाबेस में के किसी विनियामक डाटा को क्षति पहुंचाता है, उसे नष्ट करता है, उसका विलोप करता है, उसमें परिवर्तन करता है, उसके मूल्य या उसकी उपयोगिता को कम करता है या किसी भी माध्यम से प्रभावित करता है; या

(छ) जानबूझकर खंड (क) से खंड (च) में विनिर्दिष्ट किसी कार्य को करने में किसी व्यक्ति को सहायता उपलब्ध कराता है या उससे ऐसा कार्य करवाता है,

तो वह ऐसी शास्ति के लिए, जो एक लाख रुपए से कम नहीं होगी, किंतु जो अधिकतम दस करोड़ रुपए तक या ऐसे किसी कार्य से प्राप्त किए गए लाभ की रकम के तीन गुना तक इनमें से जो भी अधिक हो, की हो सकेगी, दायी होगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा में, "कंप्यूटर संदूषण", "कंप्यूटर वायरस" और "क्षति पहुंचाने" पदों का वही अर्थ होगा, जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 43 में क्रमशः उनका है ।'। 2000 का 21

भाग 10

केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि अधिनियम, 2000 का संशोधन

धारा 10 का संशोधन।

186. केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि अधिनियम, 2000 (जिसे इस भाग में इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 10 की उपधारा (1) में,— 2000 का 54

(क) खंड (iv) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(iv) राज्य सड़क परियोजनाओं, जिसके अंतर्गत अंतरराज्यिक और आर्थिक महत्व की परियोजनाएं भी हैं, के विकास और अनुरक्षण हेतु निधियों के आबंटन के लिए मानदंड तैयार करना;";

(ख) खंड (v) और खंड (vii) का लोप किया जाएगा ।

धारा 11 का संशोधन।

187. मूल अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(1) धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (iv) के अधीन तैयार किए गए मानदंड पर आधारित राज्य सड़कों के विकास और अनुरक्षण पर खर्च किए जाने वाली निधि का अंश ऐसी रीति में आबंटित किया जाएगा, जैसा कि धारा 7क में निर्दिष्ट समिति द्वारा विनिश्चय किया जाए।'।

धारा 12 का संशोधन।

188. मूल अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के खंड (ग) का लोप किया जाएगा।

भाग 11

वित्त अधिनियम, 2002 का संशोधन

2002 के अधिनियम सं0 20 का संशोधन।

189. वित्त अधिनियम, 2002 की आठवीं अनुसूची में,—

(क) मद सं0 1 के सामने स्तंभ (3) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "दस रुपए प्रति लीटर" **प्रविष्टि रखी** जाएगी;

(ख) मद सं0 2 के सामने स्तंभ (3) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "चार रुपए प्रति लीटर" प्रविष्टि रखी जाएगी।

भाग 12

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम का अंतरण और निरसन) अधिनियम, 2002 का संशोधन

2002 का 58

190. भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम का अंतरण और निरसन) अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उपधारा (1) में, "31 मार्च, 2019" अंकों और शब्द के स्थान पर, "31 मार्च, 2021" अंक और शब्द रखे जाएंगे और 1 अप्रैल, 2019 से रखे गए समझे जाएंगे । 2002 के अधिनियम संख्यांक 58 का संशोधन ।

भाग 13

धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 का संशोधन

191. धारा 187 का खंड (iii), धारा 187क, धारा 190क, धारा 190ख, धारा 190ग और धारा 190घ, 1 अगस्त, 2019 से प्रवृत्त होंगी। इस भाग का प्रारंभ।

2003 का 15

192. धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (जिसे इस भाग में इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 की उपधारा (1) में,— धारा 2 का संशोधन ।

(i) खंड (ढ) के उपखंड (i) में "उप दलाल" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ii) खंड (धक) के उपखंड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

1908 का 16

"(ii) रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 3 के अधीन नियुक्त रजिस्ट्रीकरण महानिरीक्षक, जो केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए;";

(iii) खंड (प) में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'**स्पष्टीकरण**—शंकाओं को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि "अपराध के आगम" के अंतर्गत न केवल अनुसूचित अपराध से व्युत्पन्न या अभिप्राप्त की गई संपत्ति है, बल्कि ऐसी कोई संपत्ति भी है, जो अनुसूचित अपराध से संबंधित किसी आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्युत्पन्न या अभिप्राप्त की गई है;'।

193. मूल अधिनियम की धारा 3 में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:— धारा 3 का संशोधन ।

"**स्पष्टीकरण**—शंकाओं को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि,—

(i) कोई व्यक्ति धन-शोधन के अपराध का दोषी होगा, यदि ऐसा व्यक्ति आगमों से संबंधित निम्नलिखित एक या अधिक प्रक्रियाओं या क्रियाकलापों में, अर्थात्—

(क) छिपाए जाने; या

(ख) कब्जा रखने; या

(ग) अर्जन करने; या

(घ) उपयोग करने; या

(ङ) निष्कलंक संपत्ति के रूप में प्रस्तुत करने; या

(च) निष्कलंक संपत्ति के रूप में दावा करने,

में, किसी भी रीति से, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः लिप्त होने का प्रयत्न करता है या जानते हुए सहायता करता है या जानते हुए उसका पक्षकार है या वास्तव में उसमें संलिप्त पाया जाता है;

(ii) अपराध के आगमों से संबंधित प्रक्रिया या क्रियाकलाप एक चालू रहने वाला क्रियाकलाप है और उस समय तक चालू रहता है, जब तक कोई व्यक्ति प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः किसी भी रीति में अपराध के आगमों को छिपा कर या कब्जा रखकर या उसका

अर्जन करके या उपयोग करके या निष्कलंक संपत्ति के रूप में प्रस्तुत करके या निष्कलंक संपत्ति के रूप में दावा करके अपराध के आगमों का उपयोग करता है।"।

धारा 12क का संशोधन ।

194. मूल अधिनियम की धारा 12क की उपधारा (1) में "धारा 12 की उपधारा (1)" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर "धारा 11क, धारा 12 की उपधारा (1), धारा 12कक की उपधारा (1)" शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक रखे जाएंगे ।

नई धारा 12कक का अंतःस्थापन ।

195. मूल अधिनियम की धारा 12क के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

वर्धित सम्यक् तत्परता।

"12कक. (1) प्रत्येक रिपोर्ट करने वाला अस्तित्व, प्रत्येक विनिर्दिष्ट संव्यवहार प्रारंभ करने से पूर्व,—

(क) आधार (वित्तीय और अन्य सहायकियां, फायदे और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 के अधीन अधिप्रमाणन द्वारा ऐसा विनिर्दिष्ट संव्यवहार करने वाले ग्राहकों की पहचान का, ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो विहित की जाएं, सत्यापन करेगा : 2016 का 18

परंतु जहां ऐसा सत्यापन किसी ऐसे व्यक्ति के अधिप्रमाणन की अपेक्षा करता है, जो उक्त अधिनियम के उपबंधों के अधीन आधार संख्यांक अभिप्राप्त करने के लिए हकदार नहीं है, वहां ऐसे विनिर्दिष्ट संव्यवहार करने वाले ग्राहक की पहचान के अधिप्रमाणन का सत्यापन ऐसी अन्य प्रक्रिया या ढंग द्वारा किया जाएगा, जिसे विहित किया जाए;

(ख) स्वामित्व और वित्तीय स्थिति, जिसके अंतर्गत ग्राहक की निधियों का स्रोत भी है, की जांच करने के लिए ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, अतिरिक्त उपाय करेगा;

(ग) विनिर्दिष्ट संव्यवहार संचालित करने के पीछे प्रयोजन को अभिलिखित करने और संव्यवहारकारी पक्षकारों के बीच संबंधों की आशयित प्रकृति के लिए अतिरिक्त उपाय करेगा, जो विहित किए जाएं ।

(2) जब ग्राहक उपधारा (1) के अधीन अधिकथित शर्तों को पूरा करने में असफल रहता है, तो रिपोर्ट करने वाला अस्तित्व विनिर्दिष्ट संव्यवहार का किया जाना अनुज्ञात नहीं करेगा ।

(3) जब ग्राहक द्वारा किए जाने वाले किसी भी विनिर्दिष्ट संव्यवहार को या विनिर्दिष्ट संव्यवहारों की श्रृंखला को संदेहास्पद समझा जाता है या उसमें अपराध के आगमों के अंतर्वलित होने की संभावना है, तो रिपोर्ट करने वाला अस्तित्व ग्राहक के साथ कारबार संबंध की भावी मानीटरी को बढ़ा देगा, जिसके अंतर्गत और अधिक संवीक्षा या संव्यवहार की ऐसी रीति भी है, जो विहित की जाएं ।

(4) उपधारा (1) के अधीन वर्धित सम्यक् तत्परता उपायों को लागू करते हुए अभिप्राप्त की गई सूचना को, ग्राहक और रिपोर्टकर्ता अस्तित्व के बीच हुए संव्यवहार की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए अनुरक्षित रखा जाएगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए "विनिर्दिष्ट संव्यवहार" से—

(क) ऐसी रकम से अधिक का नकद में निकाला जाना या जमा किया जाना, जो विहित की जाए;

(ख) ऐसी रकम से अधिक का विदेशी मुद्रा में कोई संव्यवहार, जो विहित की जाए;

(ग) ऐसे उच्च मूल्य का निर्यात या प्रेषण संबंधी कोई संव्यवहार, जो विहित किया जाए;

(घ) राजस्व के हित में या जहां धन–शोधन या आतंकवाद के वित्तपोषण का उच्च जोखिम है, वहां ऐसे अन्य संव्यवहार या संव्यवहारों का वर्ग, जो विहित किया जाए।

(5) उपधारा (1) के अधीन बढ़ी हुई सम्यक् तत्परता संबंधी उपायों को लागू करते समय अभिप्राप्त की गई जानकारी को, किसी ग्राहक और रिपोर्टिंग अस्तित्व के बीच संव्यवहार की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए अनुरक्षित रखा जाएगा ।"।

धारा 15 का संशोधन ।

196. मूल अधिनियम की धारा 15 में, "धारा 12 की उपधारा (1)" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर "धारा 11क, धारा 12 की उपधारा (1) और धारा 12कक की उपधारा (1)" शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक रखे जाएंगे ।

197. मूल अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के परंतुक का लोप किया जाएगा। धारा 17 का संशोधन ।

198. मूल अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (1) के परंतुक का लोप किया जाएगा। धारा 18 का संशोधन ।

199. मूल अधिनियम की धारा 44 की उपधारा (1) में,— धारा 44 का संशोधन ।

(i) खंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगाा, अर्थात् :—

"परंतु अन्वेषण के समाप्त हो जाने के पश्चात् यदि धन–शोधन का कोई अपराध ऐसे परिवाद के फाइल करने की अपेक्षा करते हुए नहीं बनता है, तो उक्त प्राधिकारी विशेष न्यायालय के समक्ष समापन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा; या";

(ii) खंड (घ) के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''**स्पष्टीकरण**—शंकाओं को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि,—

(i) इस अधिनियम के अधीन अन्वेषण, जांच या विचारण के दौरान इस अधिनियम के अधीन अपराध पर कार्रवाई करते समय विशेष न्यायालय की अधिकारिता अनुसूचित अपराध की बाबत पारित किसी आदेश पर निर्भर नहीं करेगी और उसी न्यायालय द्वारा अपराधों के दोनों सेटों के विचारण का संयुक्त विचारण के रूप में अर्थ नहीं लगाया जाएगा;

(ii) परिवाद के बारे में यह समझा जाएगा कि उसमें ऐसे और अन्वेषण की बाबत कोई पश्चात्वर्ती परिवाद सम्मिलित हैं, जो ऐसे अपराध, जिसके लिए परिवाद पहले से फाइल किया गया है, चाहे मूल परिवाद में नामित हो या नहीं, के संबंध में संलिप्त किसी अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध कोई और मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य लाने के लिए संचालित किया जाए।"।

200. मूल अधिनियम की धारा 45 की उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:— धारा 45 का संशोधन ।

'**स्पष्टीकरण**—शंकाओं को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि "अपराधों का संज्ञेय और अजमानतीय होना" पद से यह अभिप्रेत होगा और सदैव यह अभिप्रेत होना समझा जाएगा कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन सभी अपराध संज्ञेय और अजमानतीय अपराध होंगे, और तदनुसार, इस अधिनियम के अधीन प्राधिकृत अधिकारी धारा 19 के अधीन शर्तों के पूरा करने के अधीन रहते हुए और इस धारा के अधीन उल्लिखित शर्तों के अधीन रहते हुए वारंट के बिना किसी अभियुक्त को गिरफ्तार करने के लिए सशक्त होंगे।'। 1974 का 2

201. मूल अधिनियम की धारा 72 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतः स्थापित की जाएगी, अर्थात् :— नई धारा 72क का अंतःस्थापन ।

"72क. केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए अंतःविभागीय और अंतः अभिकरण समन्वय हेतु एक 'अंतः मंत्रालयीय समन्वयन समिति' का गठन करेगी, अर्थात् :— अंतःमंत्रालयीय समन्वयन समिति।

(क) सरकार, विधि प्रवर्तन अभिकरणों, भारतीय वित्तीय सतर्कता यूनिट और विनियामकों या पर्यवेक्षकों के बीच कार्यकरण संबंधी सहयोग;

(ख) सभी सुसंगत या सक्षम प्राधिकरणों के बीच नीति संबंधी सहयोग और समन्वय;

(ग) संबंधित प्राधिकारियों के बीच ऐसा परामर्श, वित्तीय सेक्टर और यथा उपयुक्त अन्य सेक्टरों, जो धन–शोधन निवारण या आतंकवाद के वित्तपोषण को रोकने संबंधी विधियों, विनियमों और दिशानिर्देशों से संबंधित हैं, के बीच परामर्श;

(घ) धन–शोधन निवारण या आतंकवाद के वित्तपोषण को रोकने संबंधी नीतियों का विकास और कार्यान्वयन; और

(ङ) ऐसा कोई अन्य विषय, जिसे केंद्रीय सरकार इस निमित्त अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे ।"।

धारा 73 का संशोधन ।

202. मूल अधिनियम की धारा 73 की उपधारा (2) में, खंड (ञञ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"(ञञक) वह रीति और शर्तें, जिनके अधीन धारा 12कक की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन रिपोर्टिंग अस्तित्वों द्वारा ग्राहकों की पहचान अधिप्रमाणित की जाएगी;

(ञञख) धारा 12कक की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन ग्राहक के स्वामित्व और वित्तीय हैसियत की पहचान करने की रीति;

(ञञग) धारा 12कक की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन संव्यवहार करने वाले पक्षकारों के बीच विनिर्दिष्ट संव्यवहार करने के पीछे का प्रयोजन और उनके बीच संबंधों की आशयित प्रकृति को लेखबद्ध करने के लिए अतिरिक्त उपाय;

(ञञघ) धारा 12कक की उपधारा (3) के अधीन भावी मानीटरी में अभिवृद्धि करने की रीति;"।

भाग 14

वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2004 का संशोधन

2004 के अधिनियम संख्यांक 23 का संशोधन ।

203. वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2004 की धारा 99 में, 1 सितंबर, 2019 से,—

(I) खंड (क) के उपखंड (ii) में, "तय की गई कीमत" शब्दों के स्थान पर, "अंतरस्थ मूल्य" शब्द रखे जाएंगे;

(II) परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'**स्पष्टीकरण**—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "अंतरस्थ मूल्य" पद से तय की गई कीमत और तय पाई जाने वाली (स्ट्राइक) कीमत के बीच का अंतर अभिप्रेत है ।'।

भाग 15

संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 का संशोधन

2007 के अधिनियम संख्यांक 51 का संशोधन ।

204. संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 10 के पश्चात् निम्नलिखित धारा 1 नवंबर, 2019 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

बैंक इत्यादि द्वारा संदाय के इलैक्ट्रानिक ढंगों के उपयोग के लिए प्रभार अधिरोपित नहीं किया जाना ।

"10क. इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई बैंक या प्रणाली प्रदाता, आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 269धप के अधीन विहित इलैक्ट्रानिक संदाय के ढंगों का उपयोग करके कोई संदाय करने या प्राप्त करने वाले व्यक्ति पर कोई प्रभार, चाहे प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से, अधिरोपित नहीं करेगा ।"। 1961 का 43

भाग 16

काला धन (अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 का संशोधन

धारा 2 का संशोधन ।

205. काला धन (अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 (जिसे इस भाग में इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 के खंड (2) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा और 1 जुलाई, 2015 से रखा गया समझा जाएगा, अर्थात् :— 2015 का 22

'(2) "निर्धारिती" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है,—

(क) जो पूर्ववर्ष में आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 6 के अर्थांतर्गत भारत में निवासी है; 1961 का 43

(ख) जो पूर्ववर्ष में आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 6 के खंड (6) के अर्थांतर्गत भारत में निवासी नहीं है या साधारण निवासी नहीं है किन्तु उस पूर्ववर्ष में भारत में निवासी था, 1961 का 43

जिससे धारा 4 में निर्दिष्ट आय संबंधित है; या उस पूर्ववर्ष में, जिसमें भारत के बाहर स्थित अप्रकटित आस्ति अर्जित की गई थी:

परन्तु भारत से बाहर अप्रकटित आस्ति के अर्जन की दशा में पूर्ववर्ष का अवधारण धारा 72 के खंड (ङ) के उपबंधों को प्रभावी किए बिना किया जाएगा;'।

धारा 10 का संशोधन ।

206. मूल अधिनियम की धारा 10 में,—

(i) उपधारा (3) में, "निर्धारण" शब्द के पश्चात् "या पुनर्निर्धारण" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे और 1 जुलाई, 2015 से अंतःस्थापित किए गए समझे जाएंगे;

(ii) उपधारा (4) में, "निर्धारण" शब्द के पश्चात् "या पुनर्निर्धारण" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे और 1 जुलाई, 2015 से अंतःस्थापित किए गए समझे जाएंगे ।

धारा 17 का संशोधन ।

207. मूल अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के खंड (ख) में, "रद्द कर सकेगा" शब्दों के स्थान पर, "रद्द कर सकेगा या शास्ति में अभिवृद्धि या कमी करने के लिए ऐसे आदेश में फेरफार कर सकेगा" शब्द 1 सितंबर, 2019 से रखे जाएंगे।

धारा 84 का संशोधन ।

208. मूल अधिनियम की धारा 84 में, "धारा 138," शब्द और अंकों के स्थान पर, "धारा 138, धारा 144क," शब्द, अंक और अक्षर 1 सितंबर, 2019 से रखे जाएंगे ।

भाग 17

वित्त अधिनियम, 2016 का संशोधन

धारा 187 का संशोधन ।

2016 का 28

209. वित्त अधिनियम, 2016 (जिसे इस भाग में इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 187 की उपधारा (1) में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा और 1 जून, 2016 से अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु जहां कर, उपकर और शास्ति का संदाय इस उपधारा के अधीन अधिसूचित देय तारीख के भीतर नहीं किया गया है, वहां केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा व्यक्तियों के ऐसे वर्ग को विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जो उस तारीख को, या उससे पहले जो केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, ऐसी रकम, देय तारीख के ठीक पश्चात् प्रारंभ होने वाले और ऐसे संदाय की तारीख को समाप्त होने वाले प्रत्येक मास या मास के भाग के लिए एक प्रतिशत की दर से ऐसी रकम पर ब्याज सहित संदाय कर सकेंगे ।"।

धारा 191 का संशोधन ।

210. मूल अधिनियम की धारा 191 में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा और 1 जून, 2016 से अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा व्यक्तियों के ऐसे वर्ग को विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिन्हें इस स्कीम के अधीन कर, उपकर और शास्ति की संदेय रकम से अधिक रकम का संदाय प्रतिदेय होगा ।"।

भाग 18

वित्त अधिनियम, 2018 का संशोधन

2018 के अधिनियम संख्यांक 13 का संशोधन।

211. वित्त अधिनियम, 2018 की छठीं अनुसूची में, मद सं0 1 और मद सं0 2 के सामने स्तंभ (3) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "दस रुपए प्रति लीटर" प्रविष्टि रखी जाएगी ।

निरसन।

2019 का 7

212. वित्त अधिनियम, 2019 की धारा 2 का निरसन किया जाता है और यह कभी अधिनियमित नहीं की गई समझी जाएगी।

पहली अनुसूची

(धारा 2 देखिए)

भाग 1

आय-कर

पैरा क

(I) इस पैरा की मद (II) और मद (III) में निर्दिष्ट व्यष्टि से भिन्न प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि निकाय की, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जो ऐसी दशा नहीं है, जिसमें इस भाग का कोई अन्य पैरा लागू होता है,—

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 2,50,000 रु0 से अधिक नहीं है	**कुछ नहीं ;**
(2) जहां कुल आय 2,50,000 रु0 से अधिक है, किंतु 5,00,000 रु0 से अधिक नहीं है	उस रकम का 5 प्रतिशत, जिससे कुल आय 2,50,000 रु0 से अधिक हो जाती है ;
(3) जहां कुल आय 5,00,000 रु0 से अधिक है, किंतु 10,00,000 रु0 से अधिक नहीं है	12,500 रु0 **धन** उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 5,00,000 रु0 से अधिक हो जाती है ;
(4) जहां कुल आय 10,00,000 रु0 से अधिक है	1,12,500 रु0 **धन** उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,00,000 रु0 से अधिक हो जाती है ।

(II) प्रत्येक ऐसे व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी है और जो पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय साठ वर्ष या अधिक किंतु अस्सी वर्ष से कम आयु का है —

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 3,00,000 रु0 से अधिक नहीं है	**कुछ नहीं ;**
(2) जहां कुल आय 3,00,000 रु0 से अधिक है किंतु 5,00,000 रु0 से अधिक नहीं है	उस रकम का 5 प्रतिशत, जिससे कुल आय 3,00,000 रु0 से अधिक हो जाती है ;
(3) जहां कुल आय 5,00,000 रु0 से अधिक है किंतु 10,00,000 रु0 से अधिक नहीं है	10,000 रु0 **धन** उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 5,00,000 रु0 से अधिक हो जाती है ;
(4) जहां कुल आय 10,00,000 रु0 से अधिक है	1,10,000 रु0 **धन** उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,00,000 रु0 से अधिक हो जाती है ।

(III) प्रत्येक ऐसे व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी है और जो पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय अस्सी वर्ष या अधिक आयु का है —

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 5,00,000 रु0 से अधिक नहीं है	**कुछ नहीं ;**
(2) जहां कुल आय 5,00,000 रु0 से अधिक है किंतु 10,00,000 रु0 से अधिक नहीं है	उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 5,00,000 रु0 से अधिक हो जाती है ;
(3) जहां कुल आय 10,00,000 रु0 से अधिक है	1,00,000 रु0 **धन** उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,00,000 रु0 से अधिक हो जाती है ।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 या धारा 112क के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, ऐसे प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि निकाय की, चाहे वह निगमित हो या नहीं या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में,—

(क) जिसकी कुल आय पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से ; और

(ख) जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के पन्द्रह प्रतिशत की दर से,

परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु ऊपर उल्लिखित व्यक्तियों की दशा में,—

(क) जिसकी कुल आय पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, पचास लाख रुपए की कुल आय पर, आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के पचास लाख रुपए से अधिक है, आधिक्य में है;

(ख) जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल आय पर, आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है ।

पैरा ख

प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में,—

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 10,000 रु0 से अधिक नहीं है	कुल आय का 10 प्रतिशत ;
(2) जहां कुल आय 10,000 रु0 से अधिक है किंतु 20,000 रु0 से अधिक नहीं है	1,000 रु0 **धन** उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,000 रु0 से अधिक हो जाती है ;
(3) जहां कुल आय 20,000 रु0 से अधिक है	3,000 रु0 **धन** उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 20,000 रु0 से अधिक हो जाती है ।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 या धारा 112क के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, ऐसी प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु ऊपर उल्लिखित सहकारी सोसाइटी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल रकम पर, आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है ।

पैरा ग

प्रत्येक फर्म की दशा में,—

आय-कर की दर

संपूर्ण कुल आय पर 30 प्रतिशत ।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 या धारा 112क के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, ऐसी प्रत्येक फर्म की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु ऊपर उल्लिखित फर्म की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल रकम पर, आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है ।

पैरा घ

प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में,—

आय-कर की दर

संपूर्ण कुल आय पर 30 प्रतिशत ।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 या धारा 112क के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, ऐसे प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु ऊपर उल्लिखित स्थानीय प्राधिकारी की दशा में, जिनकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल रकम पर, आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है ।

पैरा ङ

किसी कंपनी की दशा में,—

आय-कर की दरें

I. देशी कंपनी की दशा में,—

(i) जहां पूर्ववर्ष 2016-17 में इसका कुल आवर्त या कुल प्राप्तियां दो सौ पचास करोड़ रुपए से अधिक न हो — कुल आय का 25 प्रतिशत;

(ii) मद (i) में निर्दिष्ट के सिवाय — कुल आय का 30 प्रतिशत।

II. देशी कंपनी से भिन्न कंपनी की दशा में,—

(i) कुल आय के उतने भाग पर, जो निम्नलिखित के रूप में है,—

(क) उसके द्वारा 31 मार्च, 1961 के पश्चात्, किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व सरकार या किसी भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में उस सरकार या भारतीय समुत्थान से प्राप्त रायल्टियों ; अथवा

(ख) उसके द्वारा 29 फरवरी, 1964 के पश्चात्, किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व सरकार या किसी भारतीय समुत्थान से किए गए किसी करार के अनुसरण में तकनीकी सेवाएं प्रदान करने के लिए उस सरकार या भारतीय समुत्थान से प्राप्त फीस,

और जहां, ऐसा करार दोनों में से प्रत्येक दशा में, केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है — 50 प्रतिशत ;

(ii) कुल आय के अतिशेष पर, यदि कोई हो — 40 प्रतिशत ।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 या धारा 112क के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में निम्नलिखित दर से,—

(i) प्रत्येक देशी कंपनी की दशा में,—

(क) जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के सात प्रतिशत की दर से; और

(ख) जिसकी कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से ;

(ii) देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में,—

(क) जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के दो प्रतिशत की दर से; और

(ख) जिसकी कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के पांच प्रतिशत की दर से,

परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु प्रत्येक ऐसी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है :

परंतु यह और कि प्रत्येक ऐसी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, दस करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय उस रकम से, उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के दस करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है ।

भाग 2

कतिपय दशाओं में स्रोत पर कर की कटौती की दरें

ऐसी प्रत्येक दशा में, जिसमें आय-कर अधिनियम की धारा 193, धारा 194, धारा 194क, धारा 194ख, धारा 194खख, धारा 194घ, धारा 194ठखक, धारा 194ठखख, धारा 194ठखग और धारा 195 के उपबंधों के अधीन कर की कटौती प्रवृत्त दरों से की जानी है, आय में से कटौती निम्नलिखित दरों पर कटौती के अधीन रहते हुए की जाएगी :—

	आय-कर की दर
1. कंपनी से भिन्न व्यक्ति की दशा में,—	
(क) जहां व्यक्ति भारत में निवासी है,—	
(i) "प्रतिभूतियों पर ब्याज" से भिन्न ब्याज के रूप में आय पर	10 प्रतिशत ;
(ii) लाटरी, वर्ग पहेली, ताश के खेल और किसी प्रकार के अन्य खेल से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(iii) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(iv) बीमा कमीशन के रूप में आय पर	5 प्रतिशत ;
(v) निम्नलिखित पर संदेय ब्याज के रूप में आय पर—	10 प्रतिशत ;
(अ) किसी केंद्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्वारा स्थापित किसी स्थानीय प्राधिकरण या निगम द्वारा या उसकी ओर से धन के लिए पुरोधृत किए गए कोई डिबेंचर या प्रतिभूतियां ;	
(आ) किसी कंपनी द्वारा पुरोधृत किए गए कोई डिबेंचर, जहां ऐसे डिबेंचर, भारत में मान्यताप्राप्त किसी स्टाक एक्सचेंज में प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) और उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के अनुसार सूचीबद्ध हैं ;	
(इ) केंद्रीय या राज्य सरकार की कोई प्रतिभूति ;	
(vi) किसी अन्य आय पर	10 प्रतिशत ;
(ख) जहां व्यक्ति भारत में निवासी नहीं है,—	
(i) किसी अनिवासी भारतीय की दशा में,—	
(अ) विनिधान से किसी आय पर	20 प्रतिशत ;
(आ) धारा 115ङ या धारा 112 की उपधारा (1) के खंड (ग) के उपखंड (iii) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर	10 प्रतिशत ;
(इ) धारा 112क में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर	10 प्रतिशत ;
(ई) धारा 112क में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में (एक लाख रुपए से अधिक की) अन्य आय पर, जो [धारा 10 के खंड (33) और खंड (36) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ नहीं हैं]	20 प्रतिशत ;
(उ) धारा 111क में निर्दिष्ट अल्पकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर	15 प्रतिशत ;
(ऊ) सरकार या किसी भारतीय समुत्थान द्वारा विदेशी करेंसी में उधार लिए गए धन या उपगत ऋण पर सरकार या किसी भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय ब्याज के रूप में आय पर (जो धारा 194ठख या धारा 194ठग में निर्दिष्ट ब्याज के रूप में आय नहीं है)	20 प्रतिशत ;
(ऋ) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय रायल्टी के रूप में आय पर, जहां ऐसी रायल्टी, भारतीय समुत्थान को आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के पहले परंतुक में निर्दिष्ट किसी विषय की किसी पुस्तक में प्रतिलिप्यधिकार के संबंध में अथवा भारत में निवासी किसी व्यक्ति को आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के दूसरे परंतुक में निर्दिष्ट किसी कम्प्यूटर साफ्टवेयर के संबंध में सभी या किन्हीं अधिकारों के (जिनके अंतर्गत अनुज्ञप्ति देना है) अंतरण के प्रतिफल के रूप में है	10 प्रतिशत ;
(ए) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ है, वहां वह करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है या जहां वह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित किसी विषय से संबंधित है, वहां	10 प्रतिशत ;

	आय-कर की दर
वह करार उस नीति के अनुसार है, सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय रायल्टी के रूप में [जो उपमद (ख)(i)(ऋ) में निर्दिष्ट प्रकृति की रायल्टी नहीं है], आय पर	
(ऐ) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ है, वहां वह करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है या जहां वह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित किसी विषय से संबंधित है, वहां वह करार उस नीति के अनुसार है, उस सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा तकनीकी सेवाओं के लिए संदेय फीस के रूप में आय पर	10 प्रतिशत;
(ओ) लाटरी, वर्ग पहेली, ताश के खेल और किसी प्रकार के अन्य खेल से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत;
(औ) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत;
(अं) अन्य सम्पूर्ण आय पर	30 प्रतिशत;
(ii) किसी अन्य व्यक्ति की दशा में,—	
(अ) सरकार या किसी भारतीय समुत्थान द्वारा विदेशी करेंसी में उधार लिए गए धन या उपगत ऋण पर सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय ब्याज के रूप में आय पर (जो धारा 194ठख या धारा 194ठग में निर्दिष्ट ब्याज के रूप में आय नहीं है)	20 प्रतिशत ;
(आ) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, उस सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय रायल्टी के रूप में आय पर, जहां ऐसी रायल्टी, भारतीय समुत्थान को आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के पहले परंतुक में निर्दिष्ट किसी विषय की किसी पुस्तक में प्रतिलिप्यधिकार के संबंध में अथवा भारत में निवासी किसी व्यक्ति को आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के दूसरे परंतुक में निर्दिष्ट किसी कम्प्यूटर साफ्टवेयर के संबंध में सभी या किन्हीं अधिकारों के (जिनके अंतर्गत अनुज्ञप्ति देना है) अंतरण के प्रतिफल के रूप में है	10 प्रतिशत;
(इ) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ है, वहां करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है या जहां यह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित किसी विषय से संबंधित है, वहां वह करार उस नीति के अनुसार है, सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय रायल्टी के रूप में [जो उपमद (ख)(ii)(आ) में निर्दिष्ट प्रकृति की रायल्टी नहीं है], आय पर	10 प्रतिशत;
(ई) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ है, वहां वह करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है या जहां वह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित किसी विषय से संबंधित है, वहां वह करार उस नीति के अनुसार है, उस सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा प्रत्येक तकनीकी सेवाओं के लिए संदेय फीस के रूप में आय पर	10 प्रतिशत;
(उ) लाटरी, वर्ग पहेली, ताश के खेल और किसी प्रकार के अन्य खेल से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत;
(ऊ) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत;
(ऋ) धारा 111क में निर्दिष्ट अल्पकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर	15 प्रतिशत;
(ए) धारा 112 की उपधारा (1) के खंड (ग) के उपखंड (iii) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर	10 प्रतिशत;
(ऐ) धारा 112क में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में एक लाख रुपए से अधिक की आय पर	10 प्रतिशत ;
(ओ) अन्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर [जो धारा 10 के खंड (33) और खंड (36) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ नहीं है]	20 प्रतिशत;
(औ) अन्य सम्पूर्ण आय पर	30 प्रतिशत।
2. किसी कंपनी की दशा में,—	
(क) जहां कंपनी देशी कंपनी है,—	
(i) "प्रतिभूतियों पर ब्याज" से भिन्न ब्याज के रूप में आय पर	10 प्रतिशत;

	आय-कर की दर
(ii) लाटरी, वर्ग पहेली, ताश के खेल और किसी प्रकार के अन्य खेल से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत;
(iii) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत;
(iv) किसी अन्य आय पर	10 प्रतिशत;
(ख) जहां कंपनी देशी कंपनी नहीं है,—	
(i) लाटरी, वर्ग पहेली, ताश के खेल और किसी प्रकार के अन्य खेल से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत;
(ii) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत;
(iii) सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा विदेशी करेंसी में उधार लिए गए धन या उपगत ऋण पर सरकार या किसी भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय ब्याज के रूप में आय पर (जो धारा 194ठख या धारा 194ठग में निर्दिष्ट ब्याज के रूप में आय नहीं है)	20 प्रतिशत;
(iv) उसके द्वारा 31 मार्च, 1976 के पश्चात् सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में उस सरकार या किसी भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय रायल्टी के रूप में आय पर, जहां ऐसी रायल्टी, भारतीय समुत्थान को आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के पहले परंतुक में निर्दिष्ट विषय की किसी पुस्तक में प्रतिलिप्यधिकार के संबंध में अथवा भारत में निवासी किसी व्यक्ति को आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के दूसरे परंतुक में निर्दिष्ट किसी कंप्यूटर साफ्टवेयर के संबंध में सभी या किन्हीं अधिकारों के (जिनके अंतर्गत अनुज्ञप्ति देना है) अंतरण के प्रतिफल के रूप में है	10 प्रतिशत;
(v) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ है, वहां वह करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है अथवा जहां वह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित विषय से संबंधित है, वहां वह करार उस नीति के अनुसार है, उस सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय रायल्टी के रूप में आय पर [जो उपमद (ख)(iv) में निर्दिष्ट प्रकृति की रायल्टी नहीं है]—	
(अ) जहां करार 31 मार्च, 1961 के पश्चात्, किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व किया गया है	50 प्रतिशत;
(आ) जहां करार 31 मार्च, 1976 के पश्चात् किया गया है	10 प्रतिशत;
(vi) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ है, वहां वह करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है अथवा जहां वह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित विषय से संबंधित है, वहां वह करार उस नीति के अनुसार है, उस सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा, तकनीकी सेवाओं के लिए, संदेय फीस के रूप में आय पर,—	
(अ) जहां करार 29 फरवरी, 1964 के पश्चात् किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व किया गया है	50 प्रतिशत;
(आ) जहां करार 31 मार्च, 1976 के पश्चात् किया गया है	10 प्रतिशत;
(vii) धारा 111क में निर्दिष्ट अल्पकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर	15 प्रतिशत;
(viii) धारा 112 की उपधारा (1) के खंड (ग) के उपखंड (iii) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर	10 प्रतिशत;
(ix) धारा 112क में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में ऐसी आय पर, जो एक लाख रुपए से अधिक है	10 प्रतिशत
(x) अन्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर [जो धारा 10 के खंड (33) और खंड (36) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ नहीं है]	20 प्रतिशत;
(xi) किसी अन्य आय पर	40 प्रतिशत।

स्पष्टीकरण — इस भाग की मद 1(ख)(i) के प्रयोजनों के लिए, "विनिधान से आय" और "अनिवासी भारतीय" के वही अर्थ हैं, जो आय-कर अधिनियम के अध्याय 12क में उनके हैं ।

आय-कर पर अधिभार

निम्नलिखित उपबंधों के अनुसार कटौती की गई आय-कर की रकम में,—

(i) इस भाग की मद 1 के उपबंधों के अनुसार, संघ के प्रयोजनों के लिए,—

(क) प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (iii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में,—

(I) ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से, जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य आय या ऐसी आयों का योग और कटौतियों के अधीन रहते हुए पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है ;

(II) ऐसे कर के पंद्रह प्रतिशत की दर से, जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य आय या ऐसी आयों का योग और कटौतियों के अधीन रहते हुए एक करोड़ रुपए से अधिक है किन्तु दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है ;

(III) ऐसे कर के पच्चीस प्रतिशत की दर से, जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य आय या ऐसी आयों का योग और कटौतियों के अधीन रहते हुए दो करोड़ रुपए से अधिक है, किन्तु पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है ; और

(IV) ऐसे कर के सैंतीस प्रतिशत की दर से, जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य आय या ऐसी आयों का योग और कटौतियों के अधीन रहते हुए पांच करोड़ रुपए से अधिक है ;

(ख) प्रत्येक सहकारी सोसाइटी या फर्म, जो अनिवासी है, की दशा में, ऐसे कर के बारह प्रतिशत की दर से, जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य ऐसी आयों का योग और कटौतियों के अधीन रहते हुए एक करोड़ रुपए से अधिक है ;

(ii) इस भाग की मद 2 के उपबंधों के अनुसार, संघ के प्रयोजनों के लिए, किसी देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में,—

(क) जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य और कटौती के अधीन रहते हुए, आय अथवा ऐसी आयों का योग, एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के दो प्रतिशत की दर से ; और

(ख) जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य और कटौती के अधीन रहते हुए, आय अथवा ऐसी आयों का योग दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के पांच प्रतिशत की दर से,

परिकलित अधिभार, बढ़ा दिया जाएगा ।

भाग 3

कतिपय दशाओं में आय-कर के प्रभारण, "वेतन" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय से आय-कर की कटौती और "अग्रिम कर" की संगणना के लिए दरें

उन दशाओं में, जिनमें आय-कर, प्रवृत्त दर या दरों से, आय-कर अधिनियम की धारा 172 की उपधारा (4) या उक्त अधिनियम की धारा 174 की उपधारा (2) या धारा 174क या धारा 175 या धारा 176 की उपधारा (2) के अधीन प्रभारित किया जाना है अथवा "वेतन" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय में से उक्त अधिनियम की धारा 192 के अधीन काटा जाना है या उस पर संदाय किया जाना है अथवा जिसमें उक्त अधिनियम के अध्याय 17ग के अधीन संदेय "अग्रिम कर" की संगणना की जानी है, यथास्थिति, ऐसा आय-कर या "अग्रिम कर" [जो आय-कर अधिनियम के अध्याय 12 या अध्याय 12क या धारा 115ञख या धारा 115ञग या अध्याय 12चक या अध्याय 12चख या धारा 161 की उपधारा (1क) या धारा 164 या धारा 164क या धारा 167ख के अधीन, उस अध्याय या धारा में विनिर्दिष्ट दरों पर कर से प्रभार्य किसी आय के संबंध में "अग्रिम कर" नहीं है या धारा 115क या धारा 115कख या धारा 115कग या धारा 115कगक या धारा 115कघ या धारा 115ख या धारा 115खक या धारा 115खख या धारा 115खखक या धारा 115खखग या धारा 115खखघ या धारा 115खखघक या धारा 115खखङ या धारा 115खखच या धारा 115खखछ या धारा 115ङ या धारा 115ञख या धारा 115ञग के अधीन कर से प्रभार्य किसी आय के संबंध में ऐसे "अग्रिम कर" पर अधिभार नहीं है] निम्नलिखित दर या दरों से, प्रभारित किया जाएगा, काटा जाएगा या संगणित किया जाएगा :—

पैरा क

(I) इस पैरा की मद (II) और मद (III) में निर्दिष्ट व्यष्टि से भिन्न प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि निकाय की, चाहे वह निगमित हो या नहीं या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जो ऐसी दशा नहीं है, जिसे इस भाग का कोई अन्य पैरा लागू होता है,—

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 2,50,000 रु0 से अधिक नहीं है	**कुछ नहीं ;**
(2) जहां कुल आय 2,50,000 रु0 से अधिक है, किंतु 5,00,000 रु0 से अधिक नहीं है	उस रकम का 5 प्रतिशत, जिससे कुल आय 2,50,000 रु0 से अधिक हो जाती है ;

(3) जहां कुल आय 5,00,000 रु0 से अधिक है, किंतु 10,00,000 रु0 से अधिक नहीं है	12,500 रु0 **धन** उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 5,00,000 रु0 से अधिक हो जाती है ;
(4) जहां कुल आय 10,00,000 रु0 से अधिक है	1,12,500 रु0 **धन** उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,00,000 रु0 से अधिक हो जाती है ।

(II) प्रत्येक ऐसे व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी है और जो पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय साठ वर्ष या अधिक, किंतु अस्सी वर्ष से कम आयु का है—

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 3,00,000 रु0 से अधिक नहीं है	**कुछ नहीं ;**
(2) जहां कुल आय 3,00,000 रु0 से अधिक है, किंतु 5,00,000 रु0 से अधिक नहीं है	उस रकम का 5 प्रतिशत, जिससे कुल आय 3,00,000 रु0 से अधिक हो जाती है ;
(3) जहां कुल आय 5,00,000 रु0 से अधिक है, किंतु 10,00,000 रु0 से अधिक नहीं है	10,000 रु0 **धन** उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 5,00,000 रु0 से अधिक हो जाती है ;
(4) जहां कुल आय 10,00,000 रु0 से अधिक है	1,10,000 रु0 **धन** उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,00,000 रु0 से अधिक हो जाती है ।

(III) प्रत्येक ऐसे व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी है और जो पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय अस्सी वर्ष या अधिक आयु का है—

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 5,00,000 रु0 से अधिक नहीं है	**कुछ नहीं ;**
(2) जहां कुल आय 5,00,000 रु0 से अधिक है, किन्तु 10,00,000 रु0 से अधिक नहीं है	उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 5,00,000 रु0 से अधिक हो जाती है ;
(3) जहां कुल आय 10,00,000 रु0 से अधिक है	1,00,000 रु0 **धन** उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,00,000 रु0 से अधिक हो जाती है।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 या धारा 112क के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, ऐसे प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, —

(क) जिसकी कुल आय पचास लाख रुपए से अधिक है किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से;

(ख) जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किन्तु दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के पन्द्रह प्रतिशत की दर से;

(ग) जिसकी कुल आय दो करोड़ रुपए से अधिक है, किन्तु पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के पच्चीस प्रतिशत की दर से; और

(घ) जिसकी कुल आय पांच करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के सैंतीस प्रतिशत की दर से,

परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु ऊपर उल्लिखित व्यक्तियों की दशा में, जिनकी कुल आय, —

(क) पचास लाख रुपए से अधिक है किन्तु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, पचास लाख रुपए की कुल रकम पर, आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के पचास लाख रुपए से अधिक है, आधिक्य में है;

(ख) एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम एक करोड़ रुपए की कुल रकम पर, आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी जो आय की उस रकम के एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है;

(ग) दो करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम दो करोड़ रुपए की कुल रकम पर, आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी जो आय की उस रकम के दो करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है ;

(घ) पांच करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम पांच करोड़ रुपए की कुल रकम पर, आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी जो आय की उस रकम के पांच करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है ;

पैरा ख

प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में,—

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 10,000 रु0 से अधिक नहीं है	कुल आय का 10 प्रतिशत ;
(2) जहां कुल आय 10,000 रु0 से अधिक है, किंतु 20,000 रु0 से अधिक नहीं है	1,000 रु0 **धन** उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,000 रु0 से अधिक हो जाती है ;
(3) जहां कुल आय 20,000 रु0 से अधिक है	3,000 रु0 **धन** उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 20,000 रु0 से अधिक हो जाती है ।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 या धारा 112क के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, ऐसी प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु ऊपर उल्लिखित प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल रकम पर आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है ।

पैरा ग

प्रत्येक फर्म की दशा में,—

आय-कर की दर

संपूर्ण कुल आय पर	30 प्रतिशत ।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 या धारा 112क के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम को, ऐसी प्रत्येक फर्म की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु ऊपर उल्लिखित फर्म की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल रकम पर आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है ।

पैरा घ

प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में,—

आय-कर की दर

संपूर्ण कुल आय पर	30 प्रतिशत ।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 या धारा 112क के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, ऐसे प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु ऊपर उल्लिखित प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल रकम पर आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है ।

पैरा ङ

कंपनी की दशा में,—

आय-कर की दरें

I. देशी कंपनी की दशा में,—

(i) जहां पूर्ववर्ष 2017-18 में उसका कुल आवर्त या सकल प्राप्तियां चार सौ करोड़ रुपए से अधिक नहीं है — कुल आय का 25 प्रतिशत;

(ii) मद (i) में निर्दिष्ट से भिन्न — कुल आय का 30 प्रतिशत ;

II. देशी कंपनी से भिन्न कंपनी की दशा में,—

(i) कुल आय के उतने भाग पर, जो निम्नलिखित के रूप में है,—

(क) उसके द्वारा 31 मार्च, 1961 के पश्चात, किन्तु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व सरकार या किसी भारतीय समुत्थान से किए गए किसी करार के अनुसरण में सरकार या भारतीय समुत्थान से प्राप्त रायल्टियां; या

(ख) उसके द्वारा 29 फरवरी, 1964 के पश्चात् किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व सरकार या किसी भारतीय समुत्थान से किए गए किसी करार के अनुसंरण में तकनीकी सेवाएं प्रदान करने के लिए सरकार या भारतीय समुत्थान से प्राप्त फीस,

और जहां, ऐसा करार दोनों में से प्रत्येक दशा में, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है — 50 प्रतिशत ;

(ii) कुल आय के अतिशेष पर, यदि कोई हो — 40 प्रतिशत ।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 या धारा 112क के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में निम्नलिखित दर से,—

(i) प्रत्येक देशी कंपनी की दशा में,—

(क) जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के सात प्रतिशत की दर से ; और

(ख) जिसकी कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से ;

(ii) देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में,—

(क) जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के दो प्रतिशत की दर से ; और

(ख) जिसकी कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के पांच प्रतिशत की दर से,

परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु प्रत्येक ऐसी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है :

परंतु यह और कि प्रत्येक ऐसी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, दस करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के दस करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है।

भाग 4

[धारा 2(13)(ग) देखिए]

शुद्ध कृषि-आय की संगणना के नियम

नियम 1—आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (1क) के उपखंड (क) में निर्दिष्ट प्रकृति की कृषि-आय इस प्रकार संगणित की जाएगी मानो वह उस अधिनियम के अधीन "अन्य स्रोतों से आय" शीर्ष के अधीन आय-कर से प्रभार्य आय हो और उस अधिनियम की धारा 57 से धारा 59 के उपबंध, जहां तक हो सके, तदनुसार लागू होंगे :

परंतु धारा 58 की उपधारा (2) इस उपांतरण के साथ लागू होगी कि उसमें धारा 40क के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उसके अंतर्गत धारा 40क की उपधारा (3), उपधारा (3क) और उपधारा (4) के प्रतिनिर्देश सम्मिलित नहीं हैं।

नियम 2—आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (1क) के उपखंड (ख) या उपखंड (ग) में निर्दिष्ट प्रकृति की कृषि-आय [जो ऐसी आय से भिन्न है, जो ऐसे भवन से प्राप्त होती है, जिसकी उक्त उपखंड (ग) में निर्दिष्ट भाटक या आमदनी के पाने वाले को या खेतिहर को या वस्तु रूप में भाटक के पाने वाले को निवास-गृह के रूप में आवश्यकता हो] इस प्रकार संगणित की जाएगी मानो वह उस अधिनियम के अधीन "कारोबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन आय-कर से प्रभार्य आय हो और आय-कर अधिनियम की धारा 30, धारा 31, धारा 32, धारा 36, धारा 37, धारा 38, धारा 40, धारा 40क [उसकी उपधारा (3), उपधारा (3क) और उपधारा (4) से भिन्न] धारा 41, धारा 43, धारा 43क, धारा 43ख और धारा 43ग के उपबंध, जहां तक हो सके, तदनुसार लागू होंगे।

नियम 3—आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (1क) के उपखंड (ग) में निर्दिष्ट प्रकृति की कृषि-आय, जो ऐसी आय है, जो ऐसे भवन से प्राप्त होती है, जिसकी उक्त उपखंड (ग) में निर्दिष्ट भाटक या आमदनी के पाने वाले को या खेतिहर को या वस्तु रूप में भाटक के पाने वाले को निवास-गृह के रूप में आवश्यकता हो, इस प्रकार संगणित की जाएगी मानो वह उस अधिनियम के अधीन "गृह संपत्ति से आय" शीर्ष के अधीन आय-कर से प्रभार्य आय हो और उस अधिनियम की धारा 23 से धारा 27 के उपबंध, जहां तक हो सके, तदनुसार लागू होंगे।

नियम 4—इन नियमों के किन्हीं अन्य उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, उस दशा में—

(क) जहां निर्धारिती को, भारत में उसके द्वारा उपजाई गई और विनिर्मित चाय के विक्रय से आय व्युत्पन्न होती है, ऐसी आय, आय-कर नियम, 1962 के नियम 8 के अनुसार संगणित की जाएगी और ऐसी आय के साठ प्रतिशत भाग को, निर्धारिती की कृषि-आय समझा जाएगा;

(ख) जहां निर्धारिती को, भारत में उसके द्वारा उगाए गए रबड़ के पौधों से उसके द्वारा विनिर्मित या प्रसंस्कृत तकनीकी रूप से विनिर्दिष्ट ब्लाक रबड़ के सेंट्रीफ्यूज लेटेक्स या सिनेक्स या क्रेप्स पर आधारित लेटेक्स (जैसे पेल लेटेक्स क्रेप) या ब्राउन क्रेप (जैसे एस्टेट ब्राउन क्रेप, रिमिल्ड क्रेप, स्मार्क्ड ब्लेन्केट क्रेप या फ्लेट बार्क क्रेप) के विक्रय से आय व्युत्पन्न होती है, ऐसी आय, आय-कर नियम, 1962 के नियम 7क के अनुसार संगणित की जाएगी और ऐसी आय के पैंसठ प्रतिशत भाग को, निर्धारिती की कृषि-आय समझा जाएगा ;

(ग) जहां निर्धारिती को, भारत में उसके द्वारा उपजाई गई और विनिर्मित कॉफी के विक्रय से आय व्युत्पन्न होती है, ऐसी आय, आय-कर नियम, 1962 के नियम 7ख के अनुसार संगणित की जाएगी और ऐसी आय के, यथास्थिति, साठ प्रतिशत या पचहत्तर प्रतिशत भाग को, निर्धारिती की कृषि-आय समझा जाएगा।

नियम 5—जहां निर्धारिती किसी ऐसे व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय (हिन्दू अविभक्त कुटुंब, कंपनी या फर्म से भिन्न) का सदस्य है, जिसकी पूर्ववर्ष में आय-कर अधिनियम के अधीन कर से प्रभार्य या तो कोई आय नहीं है या जिसकी कुल आय किसी व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय (हिंदू अविभक्त कुटुंब, कंपनी या फर्म से भिन्न) की दशा में कर से प्रभार्य न होने वाली अधिकतम रकम से अधिक नहीं है किंतु जिसकी कोई कृषि-आय भी है, वहां उस संगम या निकाय की कृषि-आय या हानि, इन नियमों के अनुसार संगणित की जाएगी और इस प्रकार संगणित कृषि-आय या हानि में निर्धारिती के अंश को, निर्धारिती की कृषि-आय या हानि समझा जाएगा।

नियम 6—जहां कृषि-आय के किसी स्रोत के संबंध में पूर्ववर्ष के लिए संगणना का परिणाम हानि है, वहां ऐसी हानि, कृषि-आय के किसी अन्य स्रोत से उस पूर्ववर्ष के लिए निर्धारिती की आय के प्रति, यदि कोई हो, मुजरा की जाएगी :

परंतु जहां निर्धारिती किसी व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय का सदस्य है और, यथास्थिति, संगम या निकाय की कृषि-आय में निर्धारिती का अंश हानि है, वहां ऐसी हानि, कृषि-आय के किसी अन्य स्रोत से निर्धारिती की किसी आय के प्रति मुजरा नहीं की जाएगी।

नियम 7—राज्य सरकार द्वारा कृषि-आय पर उद्‌गृहीत किसी कर मद्धे निर्धारिती द्वारा संदेय राशि की, कृषि-आय की संगणना करने में, कटौती की जाएगी ।

नियम 8—(1) जहां निर्धारिती की, 2019 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष में कोई कृषि-आय है और 2011 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2012 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2013 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2014 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2015 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2016 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2017 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2018 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्षों से सुसंगत पूर्ववर्षों में से किसी एक या अधिक के लिए निर्धारिती की कृषि-आय की संगणना का शुद्ध परिणाम हानि है, वहां इस अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए,—

(i) 2011 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2012 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2013 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2014 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2015 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2016 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2017 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2018 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(ii) 2012 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2013 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2014 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2015 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2016 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2017 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2018 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(iii) 2013 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2014 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2015 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2016 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2017 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2018 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(iv) 2014 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2015 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2016 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2017 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2018 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(v) 2015 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2016 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2017 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2018 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(vi) 2016 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2017 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2018 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(vii) 2017 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2018 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(viii) 2018 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि,

2019 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए निर्धारिती की कृषि-आय के प्रति मुजरा की जाएगी।

(2) जहां निर्धारिती की, 2020 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष में या, यदि आय-कर अधिनियम के किसी उपबंध के आधार पर, आय-कर उस पूर्ववर्ष से भिन्न किसी अवधि की आय के संबंध में प्रभारित किया जाना है तो, ऐसी अन्य अवधि में, कोई कृषि-आय है और 2012 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2013 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2014 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2015 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2016 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2017 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2018 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2019 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्षों से सुसंगत पूर्ववर्षों में से किसी एक या अधिक के लिए निर्धारिती की कृषि-आय की संगणना का शुद्ध परिणाम हानि है, वहां इस अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (10) के प्रयोजनों के लिए,—

(i) 2012 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2013 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2014 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2015 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2016 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2017 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2018 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2019 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(ii) 2013 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2014 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2015 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2016 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2017 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2018 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2019 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से

सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(iii) 2014 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2015 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2016 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2017 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2018 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2019 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(iv) 2015 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2016 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2017 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2018 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2019 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(v) 2016 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2017 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2018 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2019 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(vi) 2017 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2018 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2019 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(vii) 2018 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2019 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(viii) 2019 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि,

2020 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए निर्धारिती की कृषि-आय के प्रति मुजरा की जाएगी।

(3) जहां किसी स्रोत से कृषि-आय प्राप्त करने वाले व्यक्ति का, कोई अन्य व्यक्ति, विरासत से भिन्न रीति से, उसी हैसियत में उत्तराधिकारी हो गया है, वहां उपनियम (1) या उपनियम (2) की कोई बात, हानि उठाने वाले व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति को, यथास्थिति, उपनियम (1) या उपनियम (2) के अधीन मुजरा कराने का हकदार नहीं बनाएगी।

(4) इस नियम में किसी बात के होते हुए भी, ऐसी हानि, जिसे निर्धारण अधिकारी द्वारा इन नियमों के या वित्त अधिनियम, 2011 (2011 का 8) की पहली अनुसूची या वित्त अधिनियम, 2012 (2012 का 23) की पहली अनुसूची या वित्त अधिनियम, 2013 (2013 का 17) की पहली अनुसूची या वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2014 (2014 का 25) की पहली अनुसूची या वित्त अधिनियम, 2015 (2015 का 20) की पहली अनुसूची या वित्त अधिनियम, 2016 (2016 का 28) की पहली अनुसूची या वित्त अधिनियम, 2017 (2017 का 7) की पहली अनुसूची या वित्त अधिनियम, 2018 (2018 का 13) की पहली अनुसूची में अंतर्विष्ट नियमों के उपबंधों के अधीन अवधारित नहीं किया गया है, यथास्थिति, उपनियम (1) या उपनियम (2) के अधीन मुजरा नहीं की जाएगी।

नियम 9—जहां इन नियमों के अनुसार की गई संगणना का अंतिम परिणाम हानि है, वहां इस प्रकार संगणित हानि पर ध्यान नहीं दिया जाएगा और शुद्ध कृषि-आय को शून्य समझा जाएगा।

नियम 10—आय-कर अधिनियम के निर्धारण की प्रक्रिया से संबंधित उपबंध (जिनके अंतर्गत आय के पूर्णांकन से संबंधित धारा 288क के उपबंध भी हैं) आवश्यक उपांतरणों सहित, निर्धारिती की शुद्ध कृषि-आय की संगणना के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे, जैसे वे कुल आय के निर्धारण के संबंध में लागू होते हैं।

नियम 11—निर्धारिती की शुद्ध कृषि-आय की संगणना करने के प्रयोजनों के लिए, निर्धारण अधिकारी को वही शक्तियां होंगी, जो उसे कुल आय के निर्धारण के प्रयोजनों के लिए आय-कर अधिनियम के अधीन हैं।

दूसरी अनुसूची

[धारा 83(1) देखिए]

अधिसूचना सं0 और तारीख	संशोधन	संशोधन के प्रभाव की अवधि
(1)	(2)	(3)
सा.का.नि. 423(अ), तारीख 1 जून, 2011 (46/2011-सीमाशुल्क, तारीख 1 जून, 2011)	उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रम सं0 443 पर, स्तंभ (2) में, "3823 11 90", अंकों के स्थान पर "3823 11 00" अंक रखे जाएंगे।	31 मार्च, 2017 से 14 सितंबर, 2017
सा.का.नि. 499(अ), तारीख 1 जुलाई, 2011 (53/2011-सीमाशुल्क, तारीख 1 जुलाई, 2011)	उक्त अधिसूचना की सारणी में क्रम सं0 476 पर, स्तंभ (2) में, "3823 11 90", अंकों के स्थान पर "3823 11 00" अंक रखे जाएंगे।	31 मार्च, 2017 से 14 सितंबर, 2017
सा.का.नि. 185(अ), तारीख 17 मार्च, 2012 (12/2012-सीमाशुल्क, तारीख 17 मार्च, 2012)	उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रम सं0 230 और 230क पर, स्तंभ (2) में, "3823 11 90", अंकों के स्थान पर "3823 11 00" अंक रखे जाएंगे।	31 मार्च, 2017 से 30 जून, 2017

तीसरी अनुसूची

[धारा 84(1) देखिए]

अधिसूचना सं0 और तारीख	संशोधन	संशोधन के प्रभाव की अवधि
(1)	(2)	(3)
सा.का.नि. 785(अ), तारीख 30 जून, 2017 (50/2017-सीमाशुल्क, तारीख 30 जून, 2017)	(i) उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रम सं0 251 और 252 पर के सामने स्तंभ (2) में, "**3823** 11 90", अंकों के स्थान पर "**3823** 11 00" अंक रखे जाएंगे ।	1 जुलाई, 2017 से 14 सितंबर, 2017

चौथी अनुसूची

[धारा 88(क) देखिए]

सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची में,—

(1) अध्याय 39 में, शीर्ष 3918 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(2) अध्याय 68 में, शीर्ष 6813 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(3) अध्याय 69 में, शीर्ष 6905 और 6907 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(4) अध्याय 70 में, शीर्ष 7009 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(5) अध्याय 71 में,—

(i) शीर्ष 7106, 7108, 7110 और 7112 की सभी टैरिफ मदों के सामने स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर 12.5% प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) टैरिफ मद 7107 00 00, 7109 00 00 और 7111 00 00 के सामने स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर 12.5% प्रविष्टि रखी जाएगी;

(6) अध्याय 83 में,—

(i) टैरिफ मद 8301 20 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) शीर्ष 8302 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(7) अध्याय 84 में,—

(i) टैरिफ मद 8415 90 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) टैरिफ मद 8421 23 00, 8421 31 00, 8421 39 20 और 8421 39 90 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(8) अध्याय 85 में,—

(i) टैरिफ मद 8512 10 00, 8512 20 10, 8512 20 20, 8512 20 90, 8512 30 10, 8512 30 90 और 8512 40 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) टैरिफ मद 8512 90 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iii) टैरिफ मद 8518 21 00 और 8518 22 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iv) टैरिफ मद 8521 90 90 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(v) टैरिफ मद 8525 80 10, 8525 80 20, 8525 80 30 और 8525 80 90 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(vi) टैरिफ मद 8539 10 00, 8539 21 20 और 8539 29 40 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(9) अध्याय 87 में, शीर्ष 8706 और 8707 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(10) अध्याय 90 में, टैरिफ मद 9001 10 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(11) अध्याय 98 में, टिप्पण 6 के पश्चात्, निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"7. शीर्ष 9804 को मुद्रित पुस्तकों को लागू नहीं होने के रूप में लिया जाएगा ।"।

पांचवीं अनुसूची

[धारा 88(ख) देखिए]

सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची में,—

टैरिफ मद	माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर	
			मानक	अधिमानी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

(1) अध्याय 1 में, टैरिफ मद 0106 20 00 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"- सरीसृप (जिसके अंतर्गत सर्प और कछुए भी है)";

(2) अध्याय 2 में,—

(i) शीर्ष 0201 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा , अर्थात् :—

"गोकुलीय प्राणियों का मांस, ताजा और द्रुतशीतित";

(ii) शीर्ष 0207 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा , अर्थात् :—

"शीर्ष 0105 के कुक्कुट का मांस और खाद्य अवशिष्ट, ताजा, द्रुतशीतित या हिमशीतित";

(3) अध्याय 3 में, —

(i) शीर्ष 0303 में,—

(क) टैरिफ मद 0303 14 00 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि में, "आंकोरहाइनकस क्लार्की" शब्दों के स्थान पर, "आंकोरहाइनकस क्लार्की" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) टैरिफ मद 0303 19 00 के सामने आने वाली प्रविष्टि के पश्चात् आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि में, "कार्प (साइप्रिनस कार्पियो, केरासियस केरासियस, सिटेनोफेरिंगोडोन इडेलुस, हाइपोफाथाइमिस्थिस सभी जातियां, सिरहिनस सभी जातियां, मिलोफेरिंगोडोन सभी जातियां, पाइसियस केटला केटला, लेबियो सभी जातियां, आस्टियो हेस्सलती, लेप्टो बारबस होवेनी मेगलोब्रोमा सभी जातियां)," शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर, "कार्प (साइप्रिनस सभी जातियां, केरासियस सभी जातियां, सिटेनोफेरिंगोडोन इडेलुस, हाइपोफाथाइमिस्थिस सभी जातियां, सिरहिनस सभी जातियां, मिलोफेरिंगोडोन पाइसियस, केटला केटला, लेबियो सभी जातियां, आस्टियो हेस्सलती, लेप्टो बारबस होवेनी मेगलोब्रामा सभी जातियां)," शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे ;

(ग) टैरिफ मद 0303 25 00 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि में,—

(i) "साइप्रिनस कार्पियो, केरासियस केरासियस" शब्दों के स्थान पर, "साइप्रिनस सभी जातियां, केरासियस सभी जातियां" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) "मेग्लोब्रोमा" शब्द के स्थान पर "मेग्लोब्रामा" शब्द रखा जाएगा ;

(घ) टैरिफ मद 0303 31 00 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि में, "हिप्पोग्लोसाईडया", शब्द के स्थान पर, "हिप्पोग्लोसोइडेस" शब्द रखा जाएगा ;

(ङ) टैरिफ मद 0303 49 00 के सामने आने वाली प्रविष्टि के पश्चात् आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि में, "स्केड (डेकाप्टस्स्प)", शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर, "स्केड (डेकाप्टप्टीज्ञन सभी जातियां)" शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे ;

(च) टैरिफ मद 0303 59 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"0303 59	--	अन्य:			
0303 59 10	---	भारतीय माकरेल (रासट्रेल्लिगर सभी जातियां)	कि.ग्रा.	30%	-
0303 59 90	---	अन्य	कि.ग्रा.	30%	-";

(ii) शीर्ष 0304 में, टैरिफ मद 0304 42 00 और 0304 82 00 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि में, "आंकोरहाइनकस क्लार्की" शब्दों के स्थान पर, "आंकोरहाइनस क्लार्कि" शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) शीर्ष 0305 में,—

(क) टैरिफ मद 0305 32 00 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि में, "इदूक्लिचथिडिए" शब्द के स्थान पर, "ईदूक्लिचथिडिए" शब्द रखा जाएगा ;

(ख) टैरिफ मद 0305 43 00 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि में, "आकोरहाइनकस क्लार्की" शब्दों के स्थान पर, "आंकोरहाइनस क्लार्कि" शब्द रखे जाएंगे ;

(iv) शीर्ष 0306 में, टैरिफ मद 0306 17 19 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"0306 17 20	- - -	वन्नामेयी झींगा (लेटोपनाइस वन्नामेयी)	कि.ग्रा.	30%	-
0306 17 30	- - -	भारतीय सफेद झींगा (फेन्नेरोपेनिसस इडिकस)	कि.ग्रा.	30%	-
0306 17 40	- - -	काली टिगर झींगा (पेनियस मोनाडोन)	कि.ग्रा.	30%	-
0306 17 50	- - -	फ्लावर झींगा (पेनियस सेमीसुलक्टस)	कि.ग्रा.	30%	-";

(v) शीर्ष 0308 में,—

(क) शीर्ष 0308 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि में, "मोलस्क, जीवित, ताजा, शीतित, शुष्कित, लवणित या जलवण जल में रखी" शब्दों के स्थान पर, "मोलस्क, जीवित, ताजा, शीतित, द्रुतशीतित, शुष्कित, लवणित या अलवणित जल में रखी" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) टैरिफ मद 0308 90 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा , अर्थात् :—

"0308 90 00	-	अन्य	कि.ग्रा.	30%	-";

(4) अध्याय 4 के शीर्ष 0406 में,—

(i) टैरिफ मद 0406 10 00 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा , अर्थात् :—

"- ताजा (अपक्व या असंसाधित) पनीर, जिसके अंतर्गत छेना पानी है और दही";

(ii) टैरिफ मद 0406 30 00 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा , अर्थात्:—

"- प्रसंस्कृत पनीर, जो घर्षित या चूर्णित नहीं है";

(5) अध्याय 5 में, शीर्ष 0506 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि में, "अजिलेटिवीकृत चूर्ण", शब्दों के स्थान पर, "अजिलेटिवीकृत; चूर्ण" शब्द रखे जाएंगे ;

(6) अध्याय 7 में,—

(i) टिप्पण 2 में, "माजोराना हेर्टसिस", शब्दों के स्थान पर, "माजोराना होर्टसिस", शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) शीर्ष 0705 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि में, "लैक्टूकासैटाइल" शब्द के स्थान पर, "लैक्टूका सैटीवा" शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) टैरिफ मद 0709 93 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा , अर्थात् :—

"0709 93	- -	कद्दू, स्कवैश और गुअर्डस (कुकुरबिता सभी जातियां):			
0709 93 10	- - -	कद्दू	कि.ग्रा.	30%	20%
0709 93 20	- - -	स्कवैश	कि.ग्रा.	30%	20%
0709 93 30	- - -	करेला	कि.ग्रा.	30%	20%
0709 93 40	- - -	लौकी	कि.ग्रा.	30%	20%
0709 93 50	- - -	चिचिंडा	कि.ग्रा.	30%	20%
0709 93 60	- - -	कुंदरू	कि.ग्रा.	30%	20%
0709 93 90	- - -	अन्य	कि.ग्रा.	30%	20%";

(iv) टैरिफ मद 0709 99 20 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"0709 99 30	- - - ओकरा/भिंडी	कि.ग्रा.	30%	20%";

(v) टैरिफ मद 0713 10 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"0713 10	- मटर (पाइसम सेटाइवम):			
0713 10 10	- - - सूखी मटर	कि.ग्रा.	50%	40%
0713 10 20	- - - हरी मटर	कि.ग्रा.	50%	40%
0713 10 90	- - - अन्य	कि.ग्रा.	50%	40%";

(7) अध्याय 8 में,—

(i) टैरिफ मद 0804 50 20 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

	"- - -आम, ताजाः			
0804 50 21	- - - -अल्फांजो (हापुस)	कि.ग्रा.	30%	20%
0804 50 22	- - - -बंगापाल्ली	कि.ग्रा.	30%	20%
0804 50 23	- - - -चौसा	कि.ग्रा.	30%	20%
0804 50 24	- - - -दसहरी	कि.ग्रा.	30%	20%
0804 50 25	- - - -लंगडा	कि.ग्रा.	30%	20%
0804 50 26	- - - -केसर	कि.ग्रा.	30%	20%
0804 50 27	- - - -तोतापुरी	कि.ग्रा.	30%	20%
0804 50 28	- - - -मल्लिका	कि.ग्रा.	30%	20%
0804 50 29	- - - -अन्य	कि.ग्रा.	30%	20%";

(ii) टैरिफ मद 0807 19 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"0807 19	- - *अन्यः*			
0807 19 10	- - - खरबूजा	कि.ग्रा.	30%	20%
0807 19 90	- - - अन्य	कि.ग्रा.	30%	20%";

(iii) शीर्ष 0809 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि में, "खुबानी और सोल्स" शब्दों के स्थान पर, "खुबानी और स्लोस" शब्द रखे जाएंगे ;

(8) अध्याय 9 में, उपशीर्ष 0906 19 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"- - *अन्यः*";

(9) अध्याय 10 में, टैरिफ मद 1005 90 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"1005 90	- *अन्यः*			
	- - - डेन्ट मक्का (जेया मायस वार. इनडेनटा):			
1005 90 11	- - - - पीला	कि.ग्रा.	60%	-
1005 90 19	- - - - अन्य	कि.ग्रा.	60%	-
1005 90 20	- - - फ्लिंट मक्का (जेया मायस वार. इनडरटा)	कि.ग्रा.	60%	-
1005 90 30	- - - पाप कार्न (जेया मायस वार. इवर्टा)	कि.ग्रा.	60%	-
1005 90 90	- - - अन्य	कि.ग्रा.	60%	-";

(10) अध्याय 11 में, टैरिफ मद 1102 90 10 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

	"- - - *चावल का आटा :*			
1102 90 21	- - - -ब्राउनचावल का आटा	कि.ग्रा.	30%	-
1102 90 22	- - - -सफेद चावल का आटा	कि.ग्रा.	30%	-
1102 90 29	- - - -अन्य	कि.ग्रा.	30%	-";

(11) अध्याय 12 में, शीर्ष 1212 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि में, "साइकोरियम इंटाइब्स सेटिवम" शब्दों के स्थान पर, "साइकोरियम इंटाइब्स सेटिवम" शब्द रखे जाएंगे ;

(12) अध्याय 15 में,—

(i) टैरिफ मद 1512 19 30 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा , अर्थात् :—

"- - - कुसुंभ का तेल, खाद्य श्रेणी";

(ii) टैरिफ मद 1512 19 40 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा , अर्थात् :—

"- - - कुसुंभ का तेल, गैर खाद्य श्रेणी";

(13) अध्याय 21 में, शीर्ष 2103 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि में, "उसके लिए, मिश्रित" शब्दों के स्थान पर, "उसके लिए; मिश्रित" शब्द रखे जाएंगे ;

(14) अध्याय 22 में,—

(i) टिप्पण 1 के खंड (क) में, "इसके अंतर्गत आने वाले उत्पाद" शब्दों के स्थान पर, "इस अध्याय के उत्पाद" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) टैरिफ मद 2206 00 00 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि में, "किण्वत सुपेय और गैर-एल्कोहाली सुपेय का मिश्रण" शब्दों के स्थान पर, "किण्वत सुपेय का मिश्रण तथा किण्वत सुपेय और गैर-एल्कोहाली सुपेय का मिश्रण" शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) शीर्ष 2208 में,—

(क) टैरिफ मद 2208 20 12, टैरिफ मद 2208 20 92 और टैरिफ मद 2208 50 13 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(ख) टैरिफ मद 2208 60 93 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"2208 60 00	- वोडका	लि.	150%	-":

(15) अध्याय 25 के टिप्पण 2 के खंड (ख) में, "पर मापांकित" शब्दों के स्थान पर, "के रूप में मापांकित" शब्द रखे जाएंगे ;

(16) अध्याय 26 में,—

(i) टिप्पण 3 के खंड (क) में, "धातुमल, भस्म और अवशिष्ट नहीं है" शब्दों के स्थान पर, "भस्म और अवशिष्ट नहीं है" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) शीर्ष 2620 में,—

(क) टैरिफ मद 2620 19 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"2620 19	- - *अन्य:*			
2620 19 10	- - - जस्टा ड्रास	कि.ग्रा.	10%	-
2620 19 90	- - - अन्य	कि.ग्रा.	10%	-";

(ख) टैरिफ मद 2620 29 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"2620 29	- - *अन्य:*			
2620 29 10	- - - सीसा ड्रास	कि.ग्रा.	5%	-
2620 29 90	- - - अन्य	कि.ग्रा.	5%	-";

(17) अध्याय 27 में,—

(i) अनुपूरक टिप्पण के स्थान पर, निम्नलिखित अनुपूरक टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :—

"अनुपूरक टिप्पण :

इस अध्याय में, किसी बीआईएस मानक के प्रति निर्देश उस मानक के अंतिम प्रकाशित संस्करण के प्रति निर्देश है । उदाहरण के लिए, आईएसः 1459 का प्रति निर्देश से आईएस 1459 : 2018 होगा, आईएस : 1974 से नहीं ।";

(ii) शीर्ष 2707 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि में, "तारकोल के आसवन के तेल और अन्य उत्पाद, वैसे ही उत्पाद" शब्दों के स्थान पर, "तारकोल के आसवन के तेल और अन्य उत्पाद ; वैसे ही उत्पाद" शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) शीर्ष 2710 में,—

(क) उपशीर्ष 2710 12, टैरिफ मद 2710 12 11 से 2710 12 90, उपशीर्ष 2710 19 और टैरिफ मद 2710 19 10 से 2710 20 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा , अर्थात् :—

"2710 12	- - *हल्का तेल और निमिर्तियां :*			
	- - - *नाप्थाः*			
2710 12 21	- - - -हल्का नाप्था	कि.ग्रा.	10%	-
2710 12 22	- - - -भारी नाप्था	कि.ग्रा.	10%	-
2710 12 29	- - - -नाप्था की संपूर्ण श्रृंखला	कि.ग्रा.	10%	-
	- - - मानक आईएस 1745 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट 60/80 विलायक, 50/120 विलायक और 145/205 विलायक (पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन विलायक) :			
2710 12 31	- - - -60/80 विलायक	कि.ग्रा.	10%	-
2710 12 32	- - - -50/120 विलायक	कि.ग्रा.	10%	-
2710 12 39	- - - -145/205 विलायक	कि.ग्रा.	10%	-
	- - - *मानक आईएस 2796, आईएस 17021 या आईएस 17026 के अनुरूप मोटर गैसोलीन :*			
2710 12 41	- - - -*मानक आईएस 2796 के अनुरूप मोटर गैसोलीन*	कि.ग्रा.	10%	-
2710 12 42	- - - -मानक आईएस 17021 के अनुरूप ई20 ईंधन	कि.ग्रा.	10%	-
2710 12 49	- - - -मानक आईएस 17026 के अनुरूप एम15 ईंधन	कि.ग्रा.	10%	-
2710 12 50	- - - *मानक आईएस 1604 के अनुरूप उड्डयन गैसोलीन*	कि.ग्रा.	10%	-
2710 12 90	- - - अन्य	कि.ग्रा.	10%	-
2710 19	- - *अन्यः*			
2710 19 20	- - - 125/240 विलायक (पैट्रोलियम हाइड्रोकार्बन विलायक) मानक आईएस 1745 के अधीन यथाविनिर्दिष्ट	कि.ग्रा.	10%	-
	- - - *मध्यवर्ती केरोसिन और मध्यवर्ती केरोसिन से अभिप्राप्त तेलः*			
2710 19 31	- - - -*मध्यवर्ती केरोसिन*	कि.ग्रा.	10%	-
2710 19 32	- - - -मानक आईएस 1459 के अनुरूप मध्यवर्ती केरोसिन	कि.ग्रा.	10%	-
2710 19 39	- - - -उड्डयन टर्बाइन ईंधन, मानक आईएस 1571 के अनुरूप केरोसिन प्रकार	कि.ग्रा.	10%	-
	- - - गैस तेल और गैस तेल से अभिप्राप्त तेल :			
2710 19 41	- - - -गैस तेल	कि.ग्रा.	10%	-
2710 19 42	- - - -वैकुम गैस तेल	कि.ग्रा.	10%	-

2710 19 43	- - - -मानक आईएस 15770 के अनुरूप हल्का डीजल तेल	कि.ग्रा.	10%	-
2710 19 44	- - - -मानक आईएस 1460 के अनुरूप, स्वचालित डीजल ईंधन, जिसमें बायो डीजल नहीं है,	कि.ग्रा.	10%	-
2710 19 49	- - - -मानक आईएस 16861 के अनुरूप उच्च दीप्ति उच्च गति डीजल ईंधन	कि.ग्रा.	10%	-
	- - - मानक आईएस 1593 के अनुरूप ईंधन तेल :			
2710 19 51	- - - -श्रेणी एलवी	कि.ग्रा.	10%	-
2710 19 52	- - - -श्रेणी एमवी 1	कि.ग्रा.	10%	-
2710 19 53	- - - -श्रेणी एमवी 2	कि.ग्रा.	10%	-
2710 19 59	- - - -श्रेणी एचवी	कि.ग्रा.	10%	-
	- - - मानक आईएस 16731के अनुरूप ईंधन (वर्ग एफ) या समुद्री ईंधन :			
2710 19 61	- - - -आसुत तेल	कि.ग्रा.	10%	-
2710 19 69	- - - -अवशिष्ट तेल	कि.ग्रा.	10%	-
	- - - बेस तेल और स्नेहक तेलः			
2710 19 71	- - - -बेस तेल	कि.ग्रा.	10%	-
2710 19 72	- - - -मानक आईएस 13656 के अनुरूप ईंजन तेल (आंतरिक ज्वलन ईंजन क्रेंकेस तेल)	कि.ग्रा.	10%	-
2710 19 73	- - - -मानक आईएस 14234 के अनुरूप ईंजन तेल	कि.ग्रा.	10%	-
2710 19 74	- - - -मानक आईएस 1118 के अनुरूप स्वचालित गैयर तेल	कि.ग्रा.	10%	-
2710 19 75	- - - -मानक आईएस 8406 के अनुरूप औद्योगिक गैयर तेल	कि.ग्रा.	10%	-
2710 19 76	- - - -मानक आईएस 493 के अनुरूप साधारण प्रयोजन मशीनरी और स्पैंडल तेल	कि.ग्रा.	10%	-
2710 19 77	- - - -मानक आईएस 1012 के अनुरूप टरबाईन स्नेहक तेल	कि.ग्रा.	10%	-
2710 19 78	- - - -अन्य स्नेहक तेल, किसी अन्य बीआईएस मानक के अनुरूप	कि.ग्रा.	10%	-
2710 19 79	- - - -अन्य स्नेहक तेल, जो किसी अन्य बीआईएस मानक के अनुरूप नहीं है	कि.ग्रा.	10%	-
	- - - कटिंग तेल, हाईड्रोलिक तेल, औद्योगिक व्हाइट तेल, जूट बैचिंग तेल, प्रसाधन उद्योग के लिए खनिज तेल, ट्रांसफार्मर तेलः			
2710 19 81	- - - -मानक आईएस 1115 के अनुरूप कटिंग तेल	कि.ग्रा.	10%	-
2710 19 82	- - - -मानक आईएस 3065 के अनुरूप कटिंग तेल (स्वच्छ)	कि.ग्रा.	10%	-
2710 19 83	- - - -मानक आईएस 3098 या आईएस 11656 के अनुरूप हाईड्रोलिक तेल	कि.ग्रा.	10%	-
2710 19 84	- - - -मानक आईएस 1083 के अनुरूप औद्योगिक व्हाइट तेल	कि.ग्रा.	10%	-
2710 19 85	- - - -मानक आईएस 335 या आईएस 12463 के अनुरूप ट्रांसफार्मर और परिपथ अवरोधक के लिए विद्युतरोधित तेल (ट्रांसफार्मर और परिपथ अवरोधक तेल)	कि.ग्रा.	10%	-
2710 19 86	- - - -मानक आईएस 7299 के अनुरूप प्रसाधन उद्योग के लिए खनिज तेल	कि.ग्रा.	10%	-
2710 19 87	- - - -मानक आईएस 1758 के अनुरूप जूट बैचिंग तेल	कि.ग्रा.	10%	-
2710 19 88	- - - -किसी अन्य बीआईएस मानक के अनुरूप अन्य कटिंग तेल, हाईड्रोलिक तेल, औद्योगिक व्हाइट तेल, जूट बैचिंग तेल, खनिज तेल प्रसाधन उद्योग के लिए, ट्रांसफार्मर तेल	कि.ग्रा.	10%	-

2710 19 89	- - - -	अन्य कटिंग तेल, हाईड्रोलिक तेल, औद्योगिक व्हाइट तेल, जूट बैचिंग तेल, खनिज तेल प्रसाधन उद्योग के लिए, ट्रांसफार्मर तेल, जो किसी बीआईएस मानक के अनुरूप नहीं है	कि.ग्रा.	10%	-
2710 19 90	- - -	अन्य	कि.ग्रा.	10%	-
2710 20	- -	*पैट्रोलियम तेल और बिटुमनी खनिजों से अभिप्राप्त तेल (कच्चे तेल से भिन्न) और ऐसी निर्मितियां, जो अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं हैं या सम्मिलित नहीं हैं, जिनमें पैट्रोलियम तेल और बिटुमनी खनिजों से अभिप्राप्त तेल का भार में 70% या अधिक है, जब ये तेल उन निर्मितियों के मूल संघटक हैं, जिनमें बायो डीजल हो,* अवशिष्ट *तेल से भिन्न :*			
2710 20 10	- - -	मानक आईएस 1460 के अनुरूप स्वचालित डीजल ईंधन, जिनमें बायो डीजल अंतर्विष्ट हों	कि.ग्रा.	10%	-
2710 20 20	- - -	मानक आईएस 16531 के अनुरूप डीजल ईंधन मिश्रण (बी6 से बी20)	कि.ग्रा.	10%	-
2710 20 90	- - -	अन्य	कि.ग्रा.	10%	-";

(ख) टैरिफ मद 2710 99 00 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा :—

	"- -	अन्य"

(iv) शीर्ष 2711 में, टैरिफ मद 2711 19 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"2711 19	- -	*अन्य:*			
2711 19 10	- - -	मानक आईएस 4576 के अनुरूप एलपीजी (अस्वचालित प्रयोजनों के लिए)	कि.ग्रा.	10%	-
2711 19 20	- - -	मानक आईएस 14861 के अनुरूप एलपीजी (स्वचालित प्रयोजनों के लिए)	कि.ग्रा.	10%	-
2711 19 90	- - -	अन्य	कि.ग्रा.	10%	-";

(v) शीर्ष 2713 में, टैरिफ मद 2713 11 00 और 2713 12 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"2713 11	- -	अनिष्तापित:			
2713 11 10	- - -	मानक आईएस 17049 के अनुरूप एल्युमीनियम उद्योग में एनोड बनाने के लिए कच्चा पैट्रोलियम कोक	कि.ग्रा.	10%	-
2713 11 90	- - -	अन्य	कि.ग्रा.	10%	-
2713 12	- -	निष्तापित:			
2713 12 10	- - -	मानक आईएस 17049 के अनुरूप एल्युमीनियम उद्योग में एनोड बनाने के लिए निष्तापित पेट काक	कि.ग्रा.	10%	-
2713 12 90	- - -	अन्य	कि.ग्रा.	10%	-";

(18) अध्याय 28 में,—

(i) टिप्पण 3 के खंड (i) में, "शीर्ष 3813 के" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "शीर्ष 3813 के" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(ii) टैरिफ मद 2836 30 00 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा ;

"-	सोडियम हाइड्रोजनकार्बोनेट (सोडियम बाईकार्बोनेट)";

(19) अध्याय 29 में,—

(i) टिप्पण 5 के खंड (इ) के पैरा (1) में, "वर्गीकृत किया जाएगा ; और" शब्दों के स्थान पर, "वर्गीकृत किया जाएगा ;" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) टिप्पण 7 में, "थीयोएल्डीहाइड के चक्रीय बहुलक" शब्दों के स्थान पर, "थीयोएल्डीहाइड, चक्रीयबहुलक" शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) टैरिफ मद 2901 29 20 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"2901 29 30	- - - डाई हाइड्रो मायक्रीन	कि.ग्रा.	10%	-
2901 29 40	- - - टेट्राडेसेन	कि.ग्रा.	10%	-";

(iv) शीर्ष 2902 में,—

(क) टैरिफ मद 2902 19 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा , अर्थात् :—

"2902 19	- - अन्यः			
2902 19 10	- - - साइक्लो प्रोपेल एक्टेटलिन	कि.ग्रा.	10%	-
2902 19 90	- - - अन्य	कि.ग्रा.	10%	-";

(ख) टैरिफ मद 2902 90 50 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"2902 90 60	- - - एन-प्रोपेल बेनजेन	कि.ग्रा.	10%	-";

(v) शीर्ष 2904 में, टैरिफ मद 2904 10 40 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(vi) शीर्ष 2905 में,—

(क) टैरिफ मद 2905 22 40 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"2905 22 50	- - - डाइहाइड्रोमायरसिनोल	कि.ग्रा.	10%	-";

(ख) टैरिफ मद 2905 39 10 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"2905 39 20	- - - हेक्सलेन ग्लायकोल	कि.ग्रा.	10%	-";

(vii) शीर्ष 2907 में, टैरिफ मद 2907 29 10 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"2907 29 20	- - - ट्रिस (पी-हाइड्रॉक्सी फिनायल) इथेन	कि.ग्रा.	10%	-
2907 29 30	- - - टर्टियरी ब्यूलाइल हाइड्रोक्विनोन	कि.ग्रा.	10%	-";

(viii) शीर्ष 2909 में,—

(क) टैरिफ मद 2909 19 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा , अर्थात् :—

"2909 19	- - अन्यः			
2909 19 10	- - - टेरीटियरी अमाइल मिथायल इथर	कि.ग्रा.	10%	-
2909 19 20	- - - मिथायल टेरीटियरी बुटाइल इथर (एमटीबीई)	कि.ग्रा.	10%	-
2909 19 90	- - - अन्य	कि.ग्रा.	10%	-";

(ख) टैरिफ मद 2909 41 00 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"- -	2,2'-आक्सीडिथनोल (डिथट्रलेन क्लिकोल, डिजोल)";

(ग) टैरिफ मद 2909 49 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"2909 49	- - अन्यः			
2909 49 10	- - - फिनोक्सी इथानोल	कि.ग्रा.	10%	-
2909 49 20	- - - 1-(4-फिनोक्सीफिनोक्सी) प्रोपेन-2-ओएल	कि.ग्रा.	10%	-
2909 49 30	- - - मेटाफिनाक्सी बेन्जाइल अल्कोहल (एमपीबीए)	कि.ग्रा.	10%	-
2909 49 90	- - - अन्य	कि.ग्रा.	10%	-"

(घ) टैरिफ मद 2909 50 30 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"2909 50 40	- - - 4-मेथोक्सी फिनाल (हाइड्रोकुनेन का मोनो मिथायल इथर)	कि.ग्रा.	10%	-";
"2909 50 50	- - - बूटीलेटिड हाइड्रोक्सीएनीसोल (बीएचए)	कि.ग्रा.	10%	-";

(ix) शीर्ष 2912 में, टैरिफ मद 2912 29 20 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

2912 29 30	- - - हेक्सेल सिनेमिक एल्डिहाइड	कि.ग्रा.	10%	-";

(x) शीर्ष 2914 में,—

(क) टैरिफ मद 2914 29 22 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"2914 29 30	- - - पेंटापल-2-साइक्लोपेंटेलन-1-एक	कि.ग्रा.	10%	-
2914 29 40	- - - साइक्लोहैक्साने डिओन	कि.ग्रा.	10%	-
2914 29 50	- - - 7-एस्टेल, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-आक्टाहाइड्रो, 1, 1, 6, 7-टेट्रा मिथायल नेफ्थालेन / 1-(2, 3, 8, 8-टेट्रामिथयल —1,2,3,4,5,6,7,8-आक्टाहाइड्रोनेफ्थालेन -2-वाईएल) इथोनान	कि.ग्रा.	10%	-";

(ख) टैरिफ मद 2914 79 20 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"2914 79 30	- - - टेरी फ्लोरो मिथायल एसीटोफेनन	कि.ग्रा.	10%	-
2914 79 40	- - - क्लोरो-4-(4-क्लोरो फेनाक्सी) एसिटोफेनन	कि.ग्रा.	10%	-
2914 79 50	- - - डाईक्लोरोएसिटोफिनान	कि.ग्रा.	10%	-";

(xi) शीर्ष 2915 में,—

(क) टैरिफ मद 2915 39 60 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"2915 39 70	- - - आर्थो टेरटेरी ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेल ऐसीटेट	कि.ग्रा.	10%	-
2915 39 80	- - - परा टेरटेरी ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेल ऐसीटेट	कि.ग्रा.	10%	-";

(ख) टैरिफ मद 2915 39 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

	"- - - *अन्यः*			
2915 39 91	- - - -मिथायल साइक्लोहेक्सेल एसीटेट	कि.ग्रा.	10%	-
2915 39 92	- - - -एथेलिन ग्लाकोल मोनो इथिल इथर एसीटेट	कि.ग्रा.	10%	-
2915 39 99	- - - -अन्य	कि.ग्रा.	10%	-";

(ग) टैरिफ मद 2915 90 20 से 2915 90 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"2915 90 40	- - - पिअलोयल क्लोराइड	कि.ग्रा.	10%	-
2915 90 50	- - - एन-वैलिरल क्लोराइड	कि.ग्रा.	10%	-
2915 90 60	- - - एन-आक्आनायल क्लोराइड	कि.ग्रा.	10%	-
2915 90 70	- - - नियोडिकेनोयल क्लोराइड	कि.ग्रा.	10%	-
	"- - - *अन्यः*			
2915 90 91	- - - -हेक्सोइक अम्ल (कैप्रोइक अम्ल)	कि.ग्रा.	10%	-
2915 90 92	- - - -ऑक्टोइक अम्ल (केप्रिलिक अम्ल)	कि.ग्रा.	10%	-
2915 90 93	- - - -ट्राई फ्लूरो एसेटिक अम्ल	कि.ग्रा.	10%	-

2915 90 94	- - - -इथायल डिफ्लूरो एसीटेट	कि.ग्रा.	10%	-
2915 90 95	- - - -इथायल ट्राइफ्लेरो एसीटेट	कि.ग्रा.	10%	-
2915 90 99	- - - -अन्य	कि.ग्रा.	10%	-";

(xii) शीर्ष 2916 में,—

(क) टैरिफ मद 2916 19 60 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"2916 19 70	- - - इरूसिक अम्ल	कि.ग्रा.	10%	-";

(ख) टैरिफ मद 2916 20 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"2916 20	- साइक्लेनिक, साइक्लिनिक या साइक्लोटेरेपिनिक मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, उनके एनहाइड्राइडेस, हैलाइडस प्रोक्साइड्ड, पेरोक्सी अम्ल और उनकी व्युपत्तियां :			
2916 20 10	- - - डी. वी. अम्ल क्लोराइड	कि.ग्रा.	10%	-
2916 20 90	- - - अन्य	कि.ग्रा.	10%	-";

(ग) टैरिफ मद 2916 39 50 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"2916 39 60	- - - डाइक्लोरो फिनाइल एसीटाइल क्लोराइड	कि.ग्रा.	10%	-";

(xiii) शीर्ष 2917 में 2917,—

(क) टैरिफ मद 2917 13 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"2917 13	- - ऐसेलइक अम्ल, सेबसिक अम्ल, उनके लवण और एस्टर :			
2917 13 10	- - - सेबसिक अम्ल	कि.ग्रा.	10%	-
2917 13 90	- - - अन्य	कि.ग्रा.	10%	-";

(ख) टैरिफ मद 2917 20 00 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि में, "पालीकारोक्सीलिक" शब्द के स्थान पर, "पालीकार्बोक्सीलिक" शब्द रखा जाएगा ;

(xiv) शीर्ष 2918 में,—

(क) उपशीर्ष 2918 19 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा , अर्थात् :—

	"- - अन्य:";			

(ख) टैरिफ मद 2918 19 10 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"2918 19 20	- - - कालिक अम्ल	कि.ग्रा.	10%	-
2918 19 30	- - - रिसिनोलेइक अम्ल	कि.ग्रा.	10%	-";

(ग) टैरिफ मद 2918 23 30 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"2918 23 40	- - - बेंजिल सैलीसिलेट	कि.ग्रा.	10%	-";

(घ) टैरिफ मद 2918 30 40 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"2918 30 50	- - - फ्लूओरो बेंजोयल ब्यूट्रिक अम्ल	कि.ग्रा.	10%	-";

(ङ) टैरिफ मद 2918 99 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा , अर्थात् :—

"2918 99	- - अन्य:			
2918 99 10	- - - सोडियम फिनोक्सी एसीटेट	कि.ग्रा.	10%	
2918 99 20	- - - मिथाइल (ई)-2-[2-(क्लोरो मिथाइल) फिनाइल] -3-मेथोक्सीएक्सायक्रीलेट	कि.ग्रा.	10%	
2918 99 90	- - - अन्य	कि.ग्रा.	10%	-";

(xv) शीर्ष 2920 में, टैरिफ मद 2920 90 99 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"2920 90 00	- अन्य	कि.ग्रा.	10%	-";

(xvi) शीर्ष 2921 में,—

(क) टैरिफ मद 2921 42 15 से 2921 42 24 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

2921 42 15	- - - -2-4-5 हाइक्लोरोलिनील			
	"- - - एन-बेंजील-एन-एथीलेनिलिन, एन, एन-डाइथेलेनिलिन, एन, एन -डिमेथेलेनिलिन, मेटा नाइट्रोऐनिलिन, पैरा नाइट्रोएनिलिन :			
2921 42 21	- - - -एन -बेंजील-एन -एथीलेनिलिन	कि.ग्रा.	10%	-
2921 42 22	- - - -एन, एन-डाइथेलेनिलिन	कि.ग्रा.	10%	-
2921 42 23	- - - -एन,एन -डिमेथेलेनिलिन	कि.ग्रा.	10%	-
2921 42 24	- - - -एन-एथीलेनिलिन	कि.ग्रा.	10%	-";

(ख) टैरिफ मद 2921 43 10 से 2921 43 20 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"2921 43 10	- - - *एन, एन-डाइथाइल टोलूडाइन*	कि.ग्रा.	10%	-
2921 43 20	- - - *एन, एन-डाइथाइल टोलूडाइन*	कि.ग्रा.	10%	-";

(ग) टैरिफ मद 2921 49 10 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"2921 49 20	- - - पैरा क्यूमिडाइन	कि.ग्रा.	10%	-";

(घ) टैरिफ मद 2921 59 30 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"2921 59 40	- - - डायमिनोस्टिलबेन 2,2-डाइसल्फोनिक अम्ल (डास्डा)	कि.ग्रा.	10%	-";

(xvii) शीर्ष 2922 में,—

(क) उपशीर्ष 2922 11 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा , अर्थात् :—

"- -	मोनोइथेनोलामाइन और उसके लवण:"

(ख) टैरिफ मद 2922 29 26 के सामने आने वाली प्रविष्टि के पश्चात् आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि में, "पिक्रामिक अम्ल(टी-श्रेणी)" शब्दों और कोष्ठकों के पश्चात्, ", पैरा क्रिसीडाइन आर्थो सल्फोनिक अम्ल" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ग) टैरिफ मद 2922 29 35 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"2922 29 36	- - - -पैरा क्रिसीडाइन आर्थो सल्फोनिक अम्ल	कि.ग्रा.	10%	-";

(xviii) शीर्ष 2930 में, टैरिफ मद 2930 90 97 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"2930 90 98	- - - -डाईक्लोरो डाईफिनायल सल्फोन	कि.ग्रा.	10%	-";

(xix) शीर्ष 2932 में, टैरिफ मद 2932 99 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"2932 99	- - *अन्य:*			
2932 99 10	- - - सिनेआल	कि.ग्रा.	10%	-
2932 99 90	- - - अन्य	कि.ग्रा.	10%	-";

(xx) शीर्ष 2933 में,—

(क) टैरिफ मद 2933 19 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

	"- - - अन्य:			
2933 19 91	- - - -फ्लूओरो-3-(डाइफ्लूओरोमिथाइल)-1-मिथाइल-1 एच-पायराजोल-4-कार्बोनिल फ्लोराइड	कि.ग्रा.	10%	-
2933 19 99	- - - -अन्य	कि.ग्रा.	10%	-";

(ख) टैरिफ मद 2933 39 17 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(ग) टैरिफ मद 2933 69 10 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"2933 69 20	- - - 4-[4,6-बिस (2,4-डाइमेथिलफिनायल)-1,3,5-ट्रायजिन-2-वाई]-1,3-बेंजीनेडिमाल	कि.ग्रा.	10%	-
2933 69 30	- - - ट्रिस (2-हाइड्रोक्सीथाइल) आइसोसायनरेट	कि.ग्रा.	10%	-
2933 69 40	- - - एथीलहैक्साइलट्रायजोन	कि.ग्रा.	10%	-
2933 69 50	- - - 2,4,6-ट्राई(2,4-डाईहाइड्रोक्सिल-3-मेथिलफिनायल)-1,3,5-ट्राइजिन	कि.ग्रा.	10%	-";

(घ) टैरिफ मद 2933 79 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"2933 79	- - अन्य:			
2933 79 10	- - - एन-मिथिल-2-पाइरोलाइडान	कि.ग्रा.	10%	-
2933 79 20	- - - एन-एथिल-2-पाइरोलाइडान	कि.ग्रा.	10%	-
2933 79 90	- - - अन्य	कि.ग्रा.	10%	-";

(ङ) टैरिफ मद 2933 91 00 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि में, "फ्लूनिट्राजेपम(आईएनएन), फ्लूराजपम (आईएनएन), हालाजेपम (आईएनएन)", शब्दों के स्थान पर, "फ्लूनिट्राजेपम(आईएनएन), फ्लूराजपम (आईएनएन), हालाजेपम (आईएनएन)" शब्द रखे जाएंगे ;

(ढ) टैरिफ मद 2933 99 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"2933 99	- - अन्य:			
2933 99 10	- - - इमिडाजो पाइरिडाइन मिथाइल एमीन	कि.ग्रा.	10%	-
2933 99 90	- - - अन्य	कि.ग्रा.	10%	-";

(xxi) शीर्ष 2934 में,—

(क) टैरिफ मद 2934 91 00 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि में, "क्लैक्सजोलम" शब्द के स्थान पर, "क्लोक्साजोलम" शब्द रखा जाएगा;

(ख) टैरिफ मद 2934 99 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा , अर्थात् :—

"2934 99	- - अन्य:			
2934 99 10	- - - क्लोरो थायाफिन-2-कार्बोक्सलिक अम्ल	कि.ग्रा.	10%	-
2934 99 20	- - - मोर्फोलिन	कि.ग्रा.	10%	-
2934 99 90	- - - अन्य	कि.ग्रा.	10%	-";

(xxii) शीर्ष 2937 में, टैरिफ मद 2937 21 00 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि में, "प्रेडनाइसोन, (डिहाइड्रोकोर्टीसोन)", शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर, "प्रेडनाइसोन(डिहाइड्रोकोर्टीसोन)" शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे ;

(xxiii) शीर्ष 2939 में,—

(क) टैरिफ मद 2939 19 00 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि में, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

	"- - अन्य";			

(ख) टैरिफ मद 2939 79 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"2939 79	- -	अन्यः			
2939 79 10	- - -	निकोटिन	कि.ग्रा.	10%	-
2939 79 90	- - -	अन्य	कि.ग्रा.	10%	-";

(20) अध्याय 30 में,—

(i) शीर्ष 3004 में, टैरिफ मद 3004 20 99 की प्रविष्टि के पश्चात् आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि में, "हारमोन्स और अन्य उत्पाद" शब्दों के स्थान पर, "हारमोन्स या अन्य उत्पाद" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) शीर्ष 3006 में, उपशीर्ष 3006 60 में के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि में, "हारमोन्स, या अन्य उत्पाद" शब्दों के स्थान पर, "हारमोन्स, अन्य उत्पाद पर" शब्द रखे जाएंगे ;

(21) अध्याय 31 के टिप्पण 1 के खंड (ग) में, "(शीर्ष 3824 के, आप्टिकल तत्वों से भिन्न, जिनका प्रत्येक का भार 2.5 ग्राम से कम है)" शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर, "शीर्ष 3824 के, आप्टिकल तत्वों से भिन्न, जिनका प्रत्येक का भार 2.5 ग्राम से कम है (आप्टिकल तत्वों से भिन्न)" शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे ;

(22) अध्याय 32 में,—

(i) शीर्ष 3204 में, उपशीर्ष 3204 15 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि में, "उन पर निर्मितियां" शब्दों के स्थान पर, "उन पर आधारित निर्मितियां" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) शीर्ष 3207 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि में, "चीनी मिट्टी इनेमल" शब्दों के स्थान पर, "चीनी मिट्टी, इनेमेलिंग" शब्द रखे जाएंगे ;

(23) अध्याय 33 में,—

(i) शीर्ष 3301 में, टैरिफ मद 3301 30 10 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा ;

"- - -	अन्यः"

(ii) शीर्ष 3307 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि में, "सम्मिलित, निर्मित किया गया" शब्दों के स्थान पर, "सम्मिलित ; निर्मित किया गया" शब्द रखे जाएंगे ;

(24) अध्याय 34 के शीर्ष 3402 में,—

(i) शीर्ष 3402 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि में, "(साबुन से भिन्न)," शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर, "(साबुन से भिन्न);" शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे ;

(ii) उपशीर्ष 3402 90 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा ;

"-	अन्यः"

(25) अध्याय 37 के शीर्ष 3703 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि में, "टेक्सटाइल्स सुग्राहीकृत" शब्दों के स्थान पर "टेक्सटाइल्स, सुग्राहीकृत" शब्द रखे जाएंगे ;

(26) अध्याय 38 में,—

(i) उपशीर्ष टिप्पण 3 में, "(पी क्लोरोफेनाइल) इथेन" कोष्ठकों और शब्दों के स्थान पर, "(पी-क्लोरोफेनाइल) इथेन" कोष्ठक और शब्द रखे जाएंगे;

(ii) अनुपूरक टिप्पण का लोप किया जाएगा ;

(iii) शीर्ष 3804 में,—

(क) शीर्ष 3804 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि में, "के लिए लाइज" शब्दों के स्थान पर, "से लाइज" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उपशीर्ष 3804 00 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि में, "के लिए लाइज" शब्दों के स्थान पर, "से लाइज" शब्द रखे जाएंगे ;

(iv) शीर्ष 3808 में,—

(क) उपशीर्ष 3808 92 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"- -	कवकनाशीः";

(ख) उपशीर्ष 3808 93 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि में, "पादपवृद्धि विनियामक" शब्दों के स्थान पर, "पादपवृद्धि किया गया विनियामक" शब्द रखे जाएंगे ;

(v) शीर्ष 3824 में,—

(क) टैरिफ मद 3824 88 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"-		अन्यः";			

(ख) उपशीर्ष 3824 99 और टैरिफ मद 3824 99 11 से 3824 99 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"3824 99 00	- -	अन्य	कि.ग्रा.	10%	-";

(27) अध्याय 39 में,—

(i) शीर्ष 3901 में,—

(क) टैरिफ मद 3901 10 10 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"3901 10 10	- - -	रैखिक मध्य घनत्व पालिएथिलीन (एलएलडीपीई), जिसमें एथिलीन मोनोमर यूनिट कुल पालिमर अंश के भार के अनुसार 95% है या उससे अधिक है	कि.ग्रा.	10%	-
3901 10 20	- - -	रैखिक मध्य घनत्व पालिएथिलीन (एलएलडीपीई)	कि.ग्रा.	10%	-";

(ख) टैरिफ मद 3901 40 00, उपशीर्ष 3901 90 और टैरिफ मद 3901 90 10 से 3901 90 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"3901 40	-	ऐथालीन-एल्फा-ओलेफिन कोपोलिमर्स, जिनका विनिर्दिष्ट गुरुत्व 0.94 से कम है :			
3901 40 10	- - -	रैखिक मध्य घनत्व पालिएथिलीन (एलएलडीपीई), जिसमें एथिलीन मोनोमर यूनिट कुल बहुलक अंतर्वस्तु के भार के अनुसार 95% से कम है	कि.ग्रा.	10%	-
3901 40 90	- - -	अन्य	कि.ग्रा.	10%	-
3901 90 00	-	अन्य	कि.ग्रा.	10%	-";

(ii) शीर्ष 3904 में,—

(क) टैरिफ मद 3904 40 00 से 3904 50 10 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

3904 40 00	-	अन्य विनाइल क्लोराइड कोपालिमर	कि.ग्रा.	10%	-
"3904 50	-	विनाइलिडीन क्लोराइड बहुलकः";			
3904 50 10	- - -	एक्रीलोनाइट्राइट के साथ विनाइलिडीन क्लोराइड के समबहुलक 4 माइक्रोमीटर या अधिक किंतु 20 माइक्रोमीटर से अधिक नहीं व्यास के प्रसारणीय मनके	कि.ग्रा.	10%	-

(ख) टैरिफ मद 3904 90 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"3904 90	-	अन्यः			
3904 90 10	- - -	क्लोरीनकृत पालि विनाइल क्लोराइड (सीपीवीसी) रेजिन	कि.ग्रा.	10%	-
3904 90 90	- - -	अन्य	कि.ग्रा.	10%	-";

(iii) शीर्ष 3906 में, टैरिफ मद 3906 90 10 से 3906 90 30 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"3906 90 40	- - -	पालि (एक्रिलिक अम्ल)	कि.ग्रा.	10%	-
3906 90 50	- - -	पालिएक्रीलोनाइट्राइल (पीएएन)	कि.ग्रा.	10%	-
3906 90 60	- - -	एक्रीलोनाइट्राइल के समबहुलक	कि.ग्रा.	10%	-
3906 90 70	- - -	सोडियम पालिएक्रीलेट	कि.ग्रा.	10%	-";

(iv) शीर्ष 3907 में,—

(क) टैरिफ मद 3907 61 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"3907 61	- -	78 एमएल/जी या उससे अधिक की यानता संख्या वाली		
3907 61 10	- - -	पीईटी फ्लेक (चिप्स)	कि.ग्रा.	10% -
3907 61 90	- - -	अन्य प्राथमिक रूप	कि.ग्रा.	10% -";

(ख) टैरिफ मद 3907 69 10 से 3907 69 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"3907 69 30	- - -	पीईटी फ्लेक (चिप्स)	कि.ग्रा.	10% -
3907 69 90	- - -	अन्य प्राथमिक रूप	कि.ग्रा.	10% -";

(ग) उपशीर्ष 3907 99 और टैरिफ मद 3907 99 10 से 3907 99 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"3907 99 00	- -	अन्य	कि.ग्रा.	10% ";

(v) शीर्ष 3908 में, टैरिफ मद 3908 10 10 से 3908 10 90, उपशीर्ष 3908 90 और टैरिफ मद 3908 90 10 से 3908 90 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

	"- - -	पालिएमाइड -6 (नायलान-6):		
3908 10 11	- - - -	-फ्लेक (चिप्स)	कि.ग्रा.	10% -
3908 10 19	- - - -	-अन्य प्राथमिक रूप	कि.ग्रा.	10% -
	- - -	पालिएमाइड -11 (नायलान -11):		
3908 10 21	- - - -	-फ्लेक (चिप्स)	कि.ग्रा.	10% -
3908 10 29	- - - -	-अन्य प्राथमिक रूप	कि.ग्रा.	10% -
	- - -	पालिएमाइड -12 (नायलान -12):		
3908 10 31	- - - -	-फ्लेक (चिप्स)	कि.ग्रा.	10% -
3908 10 39	- - - -	-अन्य प्राथमिक रूप	कि.ग्रा.	10% -
	- - -	पालिएमाइड -6,6 (नायलान -6,6):		
3908 10 41	- - - -	-फ्लेक (चिप्स)	कि.ग्रा.	10% -
3908 10 49	- - - -	-अन्य प्राथमिक रूप	कि.ग्रा.	10% -
	- - -	पालिएमाइड -6,9 (नायलान -6,9):		
3908 10 51	- - - -	-फ्लेक (चिप्स)	कि.ग्रा.	10% -
3908 10 59	- - - -	-अन्य प्राथमिक रूप	कि.ग्रा.	10% -
	- - -	पालिएमाइड -6,10 (नायलान -6,10):		
3908 10 61	- - - -	-फ्लेक (चिप्स)	कि.ग्रा.	10% -
3908 10 69	- - - -	-अन्य प्राथमिक रूप	कि.ग्रा.	10% -
	- - -	पालिएमाइड -6,12 (नायलान -6,12):		
3908 10 71	- - - -	-फ्लेक (चिप्स)	कि.ग्रा.	10% -
3908 10 79	- - - -	-अन्य प्राथमिक रूप	कि.ग्रा.	10% -
3908 90 00	-	अन्य	कि.ग्रा.	10% -";

(vi) शीर्ष 3911 में, उपशीर्ष 3911 10 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि में, "पेट्रोलियम रेजिन, कौमारोन-इण्डीन", शब्दों के स्थान पर, "पेट्रोलियम रेजिन, कौमारोन, इण्डीन" शब्द रखे जाएंगे ;

(vii) शीर्ष 3920 में, उपशीर्ष 3920 91 और टैरिफ मद 3920 91 11 से 3920 91 19 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

	"- •	अन्य प्लास्टिक के :			
3920 91	- -	पालि (विनाइल व्यूटीरल)के :			
3920 91 10	- - -	दृढ़, सपाट	कि.ग्रा.	10%	-
3920 91 20	- - -	नम्य, सपाट	कि.ग्रा.	10%	-
3920 91 90	- - -	अन्य	कि.ग्रा.	10%	-";

(28) अध्याय 40 में,—

(i) टिप्पण 5 के खंड (ख), पैरा (iii) में, "वल्कनीकृत" शब्द के स्थान पर "स्टेबिलाइजर" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) शीर्ष 4010 में,—

(क) उपशीर्ष 4010 31 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा , अर्थात् :—

"- - समलंबी अनुप्रस्थ काट (वी पट्टा) का सिराहीन संचारन पट्टा (वी-धारीदार), का 60 से.मी. से अधिक किंतु 180 से.मी. से अनधिक बाहरी परिधि का :";

(ख) उपशीर्ष 4010 33 के सामने आने वाले खंड स्तंभ (2) के सामने की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"- - समलंबी अनुप्रस्थ काट (वी पट्टा) का सिराहीन संचारन पट्टा (वी-धारीदार), का 180 से.मी. से अधिक किंतु 240 से.मी. से अनधिक बाहरी परिधि का :";

(29) अध्याय 42 में, टिप्पण 2 के खंड (च) में, "घोड़े के चाबुक" शब्दों के स्थान पर, "घुड़सवारी चाबुक" शब्द रखे जाएंगे ;

(30) अध्याय 44 में,—

(i) टिप्पण 1 के खंड (ड) में, "अनुभाग 17" शब्द और अंकों के स्थान पर, "अनुभाग 18" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(ii) अनुपूरक टिप्पण 1 में, "आईएस : 710-1976" अक्षरों और अंकों के स्थान पर, "आईएस : 710" अक्षर और अंक रखे जाएंगे;

(iii) अनुपूरक टिप्पण 2 में, "आईएस : 709-1974 और आईएस : 4859-1968" अक्षरों और अंकों के स्थान पर, "आईएस : 709 और आईएस : 4859" अक्षर और अंक रखे जाएंगे ;

(iv) शीर्ष 4402 में, उपशीर्ष 4402 10 और टैरिफ मद 4402 10 10 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा , अर्थात् :—

"4402 10 00	-	बांस के	एमटी	5%	-";

(31) अध्याय 46 के शीर्षक 4601 में, टैरिफ मद 4601 29 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

	"-	अन्य:";			

(32) अध्याय 48 में,—

(i) शीर्ष 4818 में, टैरिफ मद 4818 20 00 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि में, "निर्मलन" शब्द के स्थान पर, "निर्मलन" शब्द रखा जाएगा ;

(ii) शीर्ष 4820 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि में, "उत्पाद-शुल्क पुस्तिकाएं" शब्दों के स्थान पर, "अभ्यास पुस्तिकाएं" शब्द रखे जाएंगे;

(33) अध्याय 53 में, शीर्ष 5310 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि में, "बेस फाइबर" शब्दों के स्थान पर, "बास्ट फाइबर" शब्द रखे जाएंगे;

(34) अध्याय 55 में,—

(i) शीर्ष 5502 में,—

(क) उपशीर्ष 5502 10 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"- सेल्यूलोज ऐसिटेट के :";

(ख) उपशीर्ष 5502 90 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"- अन्य:";

(ii) शीर्ष 5504 में, टैरिफ मद 5504 10 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"5504 10	-	विसकोस रेयन के :			
5504 10 10	- - -	बांस से भिन्न काष्ठ से अभिप्राप्त	कि.ग्रा.	20%	-
5504 10 20	- - -	बांस से अभिप्राप्त	कि.ग्रा.	20%	-
5504 10 90	- - -	अन्य	कि.ग्रा.	20%	-";

(35) अध्याय 56 में, शीर्ष 5605 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि में, "जिम्प जो टैक्सटाइल सूत है" शब्दों के स्थान पर, "जिम्प नहीं, जो टैक्सटाइल सूत है" शब्द रखे जाएंगे ;

(36) अध्याय 57 में,—

(i) शीर्ष 5701 में, टैरिफ मद 5701 10 00, उपशीर्ष 5701 90 और टैरिफ मद 5701 90 10 से 5701 90 20 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"5701 10	-	ऊन या सूक्ष्म प्राणी रोम के :			
5701 10 10	- - -	हस्तनिर्मित	व.मी.	25%	-
5701 10 90	- - -	अन्य	व.मी.	25%	-
5701 90	-	अन्य टैक्सटाइल सामग्रियों के :			
	- - -	सूत :			
5701 90 11	- - - -	हस्तनिर्मित	व.मी.	25%	-
5701 90 19	- - - -	अन्य	व.मी.	25%	-
5701 90 20	- - -	कयर के, जिसमें जियो टैक्सटाइल भी है	व.मी.	25%	-
	- - -	रेशम के :			
5701 90 31	- - - -	हस्तनिर्मित	व.मी.	25%	-
5701 90 39	- - - -	अन्य	व.मी.	25%	-";

(ii) शीर्ष 5702 में,—

(क) उपशीर्ष 5702 50 के सामने आने वाली प्रविष्टि के पश्चात्, स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"- - - मानव निर्मित टैक्सटाइल सामग्रियों के :";

(ख) टैरिफ मद 5702 50 29 के सामने आने वाली प्रविष्टि के पश्चात्, स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"- - - अन्य टैक्सटाइल सामग्रियों के :";

(37) अध्याय 59 के शीर्ष 5907 में टैरिफ मद 5907 00 19 के सामने आने वाली प्रविष्टि के पश्चात्, स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"- - - अन्य:";

(38) अध्याय 60 में, उपशीर्ष टिप्पण के पश्चात्, निम्नलिखित अनुपूरक टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"अनुपूरक टिप्पणः

टैरिफ मद 6001 91 00, 6001 92 00 और उपशीर्ष 6001 99 में फैब्रिक के उत्पादन के दौरान या उसके पश्चात् लूपों की कटाई के माध्यम से उत्पादित कट फाईल फैब्रिक सम्मिलित है ।";

(39) अध्याय 61 में,—

(i) शीर्ष 6103 में, टैरिफ मद 6103 10 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

	"- *जोड़ा* :";			

(ii) शीर्ष 6115 में, टैरिफ मद 6115 30 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

	"- *अन्यः*";			

(40) अध्याय 62 में,—

(i) टिप्पण 3 के खंड (ख) में, "संगत आकार के समनुरूप में", शब्दों के स्थान पर, "समनुरूप या संगत आकार में" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) टिप्पण 9 के पश्चात्, निम्नलिखित अनुपूरक टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"अनुपूरक टिप्पण :

इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए, "खादी" से निम्नलिखित अभिप्रेत है,—

(क) परिधान की वस्तुएं या कपड़ों के उपसाधन, जो सूत, रेशम या भारत में हाथ से कते हुए ऊनी सूत से या ऐसे किन्हीं दो या सभी सूतों के मिश्रण से भारत में हथकरघों पर बुना हुआ कोई वस्त्र निर्मित है ; और

(ख) खादी ग्राम उद्योग आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 61) की धारा 4 के अधीन स्थापित खादी ग्राम आयोग द्वारा प्रमाणित या मान्यताप्राप्त व्यक्ति द्वारा उत्पादित है ।";

(iii) शीर्ष 6203 में,—

(क) टैरिफ मद 6203 29 00 से 6203 31 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"6203 29	- - अन्य टैक्सटाइल सामग्रियों के :			
	- - - *रेशम के :*			
6203 29 11	- - - -खादी	इ.	25% या 145 रु. प्रति नग, जो भी उच्चतर हो	-
6203 29 19	- - - -अन्य	इ.	25% या 145 रु. प्रति नग, जो भी उच्चतर हो	-
6203 29 90	- - - अन्य	इ.	25% या 145 रु. प्रति नग, जो भी उच्चतर हो	-
	- *जैकिट और ब्लेजर :*			
6203 31	- - ऊन या सूक्ष्म प्राणी रोम के :			
6203 31 10	- - - खादी	इ.	25% या 815 रु. प्रति नग, जो भी उच्चतर हो	-
6203 31 90	- - - अन्य	इ.	25% या 815 रु. प्रति नग, जो भी उच्चतर हो	-";

(ख) टैरिफ मद 6203 39 10 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :— :

	"- - - रेशम के :			
6203 39 11	- - - -खादी	इ.	25% या 755 रु. प्रति नग, जो भी उच्चतर हो	-
6203 39 19	- - - -अन्य	इ.	25% या 755 रु. प्रति नग, जो भी उच्चतर हो	-";

(ग) टैरिफ मद 6203 42 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा अर्थात् :—

"6203 42	- - *सूत के :*			
6203 42 10	- - - हस्तकरघा के	इ.	25% या 135 रु. प्रति नग, जो भी उच्चतर हो	-
6203 42 90	- - - अन्य	इ.	25% या 135 रु. प्रति नग, जो भी उच्चतर हो	-";

(iv) शीर्ष 6204 में,—

(क) टैरिफ मद 6204 29 11 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"6204 29 12	- - - -खादी	इ.	25%	-";

(ख) टैरिफ मद के स्थान पर 6204 31 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"6204 31	- - ऊन या सूक्ष्म प्राणी रोम के :			
6204 31 10	- - - खादी	इ.	25% या 370 रु. प्रति नग, जो भी उच्चतर हो	-
6204 31 90	- - - अन्य	इ.	25% या 370 रु. प्रति नग, जो भी उच्चतर हो	-";

(ग) टैरिफ मद 6204 39 11 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"6204 39 12	- - - -खादी	इ.	25% या 350 रु. प्रति नग, जो भी उच्चतर हो	-";

(घ) टैरिफ मद 6204 42 20 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"- - - हस्तकरघा के";

(ङ) टैरिफ मद 6204 62 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"6204 62	- - सूत के:			
6204 62 10	- - - हस्तकरघा के		25% या 135 रु. प्रति नग, जो भी उच्चतर हो	-
6204 62 90	- - - अन्य		25% या 135 रु. प्रति नग, जो भी उच्चतर हो	-";

(v) शीर्ष 6205 में,—

(क) टैरिफ मद 6205 20 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

6205 20	- *सूत के :*			
6205 20 10	- - - हस्तकरघा के	इ.	25% या 85 रु. प्रति नग, जो भी उच्चतर हो	-
6205 20 90	- - - अन्य	इ.	25% या 85 रु. प्रति नग, जो भी उच्चतर हो	-";

(ख) टैरिफ मद के स्थान पर, 6205 90 10 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

	- - - *रेशम के :*			
6205 90 11	- - - -खादी	इ.	25% या 95 रु. प्रति नग, जो भी उच्चतर हो	-
6205 90 19	- - - -अन्य	इ.	25% या 95 रु. प्रति नग, जो भी उच्चतर हो	-";

(vi) शीर्ष 6206 में, टैरिफ मद 6206 30 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"6206 30	-	*सूत के:*			
6206 30 10	- - -	हस्तकरघा के	इ.	25% या 95 रु. प्रति नग, जो भी उच्चतर हो	-
6206 30 90	- - -	अन्य	इ.	25% या 95 रु. प्रति नग, जो भी उच्चतर हो	-";

(vii) शीर्ष 6207 में, टैरिफ मद 6207 19 90 से 6207 22 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"6207 19 90	- - -	अन्य	इ.	25% या 30 रु. प्रति नग, जो भी उच्चतर हो	-
	-	*नाइट शर्ट और पायजामा :*			
6207 21	- -	सूत के:			
6207 21 10	- - -	हस्तकरघा के	इ.	25%	-
6207 21 90	- - -	अन्य	इ.	25%	-
6207 22 00	- -	मानव निर्मित फैब्रिकों के	इ.	25%	-";

(viii) शीर्ष 6208 में, टैरिफ मद 6208 21 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"6208 21	- -	*सूत के :*			
6208 21 10	- - -	हस्तकरघा के	इ.	25%	-
6208 21 90	- - -	अन्य	इ.	25%	-";

(ix) शीर्ष 6209 में, टैरिफ मद 6209 20 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"6209 20	-	*सूत के:*			
6208 20 10	- - -	हस्तकरघा के	इ.	25%	-
6208 20 90	- - -	अन्य	इ.	25%	-";

(x) शीर्ष 6211 में,—

(क) टैरिफ मद 6211 39 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"6211 39	- -	अन्य टैक्सटाइल सामग्रियों के :			
	- - -	*रेशम के :*			
6211 39 11	- - - -	हस्तकरघा के	इ.	25%	-
6211 39 19	- - - -	अन्य	इ.	25%	-
6211 39 90	- - -	अन्य	इ.	25%	-";

(ख) टैरिफ मद 6211 49 10 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

	"- - -	*रेशम के :*			
6211 49 21	- - - -	खादी	इ.	25%	-
6211 49 29	- - - -	अन्य	इ.	25%	-";

(xi) शीर्ष 6214 में, टैरिफ मद 6214 20 20 और 6214 20 30 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

	"- - -	*स्कार्फ :*			
6214 20 21	- - - -	खादी	इ.	25% या 180 रु. प्रति नग, जो भी उच्चतर हो	-

6214 20 29	- - - -अन्य	इ.	25% या 180 रु. प्रति नग, जो भी उच्चतर हो	-
	- - - मफलर :			
6214 20 31	- - - -खादी	इ.	25% या 180 रु. प्रति नग, जो भी उच्चतर हो	-
6214 20 39	- - - -अन्य	इ.	25% या 180 रु. प्रति नग, जो भी उच्चतर हो	-";

(xii) शीर्ष 6215 में, टैरिफ मद 6215 10 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"6215 10	- *रेशम या रेशम अपशिष्ट के :*			
6215 10 10	- - - खादी	इ.	25% या 55 रु. प्रति नग, जो भी उच्चतर हो	-
6215 10 90	- - - अन्य	इ.	25% या 55 रु. प्रति नग, जो भी उच्चतर हो	-";

(41) अध्याय 68 में,—

(i) टिप्पण 1 के खंड (ख) में, "अभ्रक चूर्ण विलेपित कागज" शब्दों के स्थान पर, "अभ्रक चूर्ण विलेपित कागज और पेपरबोर्ड" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) शीर्ष 6813 में, उपशीर्ष 6813 20, टैरिफ मद 6813 20 10 से 6813 89 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"6813 20	- जिसमें ऐसबेस्टास है :			
6813 20 10	- - - ब्रेक लाइनिंग और पैड	कि.ग्रा.	15%	-
6813 20 90	- - - ऐसबेस्टास की घर्षण सामग्री	कि.ग्रा.	15%	-
	- जिसमें ऐसबेस्टास नहीं है :			
6813 81 00	- - ब्रेक लाइनिंग और पैड	कि.ग्रा.	15%	-
6813 89 00	- - अन्य	कि.ग्रा.	15%	-";

(42) अध्याय 70 में,—

(i) उपशीर्ष टिप्पण में, "7013 91" अंकों के स्थान पर, "7013 91 00" अंक रखे जाएंगे ;

(ii) शीर्ष 7005 में, उपशीर्ष 7005 21 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि में, "मास(बाडी टिन्टिड) ओपेसिफाइड", शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर, "मास(बाडी टिन्टिड), ओपेसिफाइड" शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे ;

(iii) शीर्ष 7018 मे, शीर्ष 7018 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि में, "आभूषण, कांच" शब्दों के स्थान पर, "आभूषण; कांच" शब्द रखे जाएंगे ;

(43) अध्याय 71 में,—

(i) शीर्ष 7103 में, उपशीर्ष 7103 10 और टैरिफ मद 7103 10 11 से 7103 99 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"7103 10	- अकर्तित या मात्र कर्तित या स्थूल रूप से आकारित :			
	- - - *खनिजीय प्रजातियों "बेरिल" और "क्रायसोबेरिल" के मूल्यवान या कम मूल्यवान रत्न :*			
7103 10 31	- - - -रत्न पन्ना	कि.ग्रा.	10%	-
7103 10 32	- - - -पीला/स्वर्ण/गुलाबी/लाल/हरा बेरिल	कि.ग्रा.	10%	-
7103 10 33	- - - -क्राईसोबेरिल (जिसमें क्राईसोबेरिल लहसुनिया भी है)	कि.ग्रा.	10%	-
7103 10 34	- - - -एलेक्जेन्ड्राइट (जिसमें एलेक्जेन्ड्राइट लहसुनिया भी है)	कि.ग्रा.	10%	-

7103 10 39	- - - -अन्य	कि.ग्रा.	10%	-
	- - - *खनिजीय प्रजातियों "कोरंडम" और "फेल्डसपर" के मूल्यवान या कम मूल्यवान रत्न :*			
7103 10 41	- - - -माणिक्य	कि.ग्रा.	10%	-
7103 10 42	- - - -नीलम	कि.ग्रा.	10%	-
7103 10 43	- - - -मूनस्टोन	कि.ग्रा.	10%	-
7103 10 49	- - - -अन्य	कि.ग्रा.	10%	-
	- - - *"गार्नेट" और "लजुराईट" खनिजीय प्रजातियों के मूल्यवान या कम मूल्यवान रत्न :*			
7103 10 51	- - - -गार्नेट	कि.ग्रा.	10%	-
7103 10 52	- - - -लेपिस-लजूली	कि.ग्रा.	10%	-
7103 10 59	- - - -अन्य	कि.ग्रा.	10%	-
	- - - *"प्रेन्हाइट" और "क्वार्टज" खनिजीय प्रजातियों के मूल्यवान या कम मूल्यवान रत्न :*			
7103 10 61	- - - -प्रेन्हाइट	कि.ग्रा.	10%	-
7103 10 62	- - - -अगेट	कि.ग्रा.	10%	-
7103 10 63	- - - -एवेन्चराइन	कि.ग्रा.	10%	-
7103 10 64	- - - -चोलेइडीनी	कि.ग्रा.	10%	-
7103 10 69	- - - -अन्य	कि.ग्रा.	10%	-
	- - - *खनिजीय प्रजातियों "टूरमेलाइन" और "जायसाइट" के मूल्यवान या कम मूल्यवान रत्न :*			
7103 10 71	- - - -टूरमेलाइन	कि.ग्रा.	10%	-
7103 10 72	- - - -टेन्जनाइट	कि.ग्रा.	10%	-
7103 10 79	- - - -अन्य	कि.ग्रा.	10%	-
7103 10 90	- - - अन्य	कि.ग्रा.	10%	-
	- *अन्यथा निर्मित :*			
7103 91	- - माणिक्य, नीलम और रत्न पन्ना :			
7103 91 10	- - - माणिक्य	सी/के	10%	-
7103 91 20	- - - नीलम	सी/के	10%	-
7103 91 30	- - - रत्न पन्ना	सी/के	10%	-
7103 99	- - अन्यः			
	- - - *"रत्न पन्ना" से भिन्न, "बेरिल" और "क्राईसोबेरिल" खनिजीय प्रजातियों के मूल्यवान या कम मूल्यवान रत्न :*			
7103 99 11	- - - -पीला/स्वर्ण/गुलाबी/लाल/हरा बेरिल	सी/के	10%	-
7103 99 12	- - - -क्राईसोबेरिल (जिसमें क्राईसोबेरिल लहसुनिया है)	सी/के	10%	-
7103 99 13	- - - -अलेक्जेन्ड्राइट (जिसमें अलेक्जेन्ड्राइट लहसुनिया है)	सी/के	10%	-
7103 99 19	- - - -अन्य	सी/के	10%	-
	- - - "माणिक्य" और "नीलम"से भिन्न, "कोरंडम" और "फेल्डसपर" खनिजीय प्रजातियों के मूल्यवान या कम मूल्यवान रत्न :			
7103 99 21	- - - -मूनस्टोन	सी/के	10%	-

7103 99 29	- - - -अन्य	सी/के	10%	-
	- - - "गार्नेट" और "लैजुराइट" खनिजीय प्रजातियों के मूल्यवान या कम मूल्यवान रत्न :			
7103 99 31	- - - -गार्नेट	सी/के	10%	-
7103 99 32	- - - -लेपिस-लजूली	सी/के	10%	-
7103 99 39	- - - -अन्य	सी/के	10%	-
	- - - मूल्यवान या कम मूल्यवान रत्न दृढ "प्रेन्हाइट" और "क्वार्टज" खनिजीय प्रजातियां :			
7103 99 41	- - - -प्रेन्हाइट	सी/के	10%	-
7103 99 42	- - - -अगेट	सी/के	10%	-
7103 99 43	- - - -एवेन्चराइन	सी/के	10%	-
7103 99 44	- - - -चोलेइडीनी	सी/के	10%	-
7103 99 49	- - - -अन्य	सी/के	10%	-
	- - - *खनिजीय प्रजातियों "टूरमेलाइन" और "जायसाइट" के मूल्यवान या कम मूल्यवान रत्न :*			
7103 99 51	- - - -टूरमेलाइन	सी/के	10%	-
7103 99 52	- - - -टेन्जनाइट	सी/के	10%	-
7103 99 59	- - - -अन्य	सी/के	10%	-
7103 99 90	- - - अन्य	सी/के	10%	-";

(ii) शीर्ष 7104 में, टैरिफ मद 7104 20 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"7104 20	- अन्य, अकर्तित या मात्र कर्तित या सपूल रूप से आकारित :			
7104 20 10	- - - प्रयोगशाला निर्मित या प्रयोगशाला में वर्धित या मानवनिर्मित या कल्चरी या संश्लिष्ट हीरा	कि.ग्रा.	10%	-
7104 20 90	- - - अन्य	कि.ग्रा.	10%	-";

(iii) शीर्ष 7106 में,—

(क) टैरिफ मद 7106 91 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"7106 91	- - *अनगढ़ :*			
7106 91 10	- - - दाने	कि.ग्रा.	12.5%	-
7106 91 90	- - - अन्य	कि.ग्रा.	12.5%	-";

(ख) टैरिफ मद 7106 92 10 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"7106 92 20	- - - छड़	कि.ग्रा.	12.5%	-";

(44) अध्याय 72 के शीर्ष 7222 में, टैरिफ मद 7222 20 19 के सामने वाली प्रविष्टि के पश्चात्, आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"- - - अन्यः";

(45) अध्याय 73 में, शीर्ष 7304 में,—

(i) टैरिफ मद 7304 22 00 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"- - स्टेनलेस इस्पात की ड्रिल पाइप";

(ii) टैरिफ मद 7304 23 90 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा , अर्थात् :—

"- - - अन्य:";

(iii) टैरिफ मद 7304 49 00 के सामने की प्रविष्टि के पश्चात् आने वाली स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"- अन्य, वृत्ताकार अनुप्रस्थ काट के, मिश्रधातु के :";

(46) अध्याय 74 में, शीर्ष 7404 में,—

(i) टैरिफ मद 7404 00 21 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा , अर्थात् :—

"7404 00 21	- - - -सभी बोर और आकारों के खाली या नष्ट कारतूस, जिसमें निम्नलिखित हैं : आईएसआरआई कोड शब्द 'लेक' के अंतर्गत आने वाले स्वच्छ जीवित 70/30 पीतल कवच मुक्त बुलैटस, लोहा और अन्य कोई विजातीय पदार्थ ; आईएसआरआई कोड शब्द 'लैम्ब' के अंतर्गत आने वाले स्वच्छ मफल्ड (पोपड) 70/30 पीतल कवच मुक्त बुलैटस, लोहा और अन्य कोई विजातीय पदार्थ ;	कि.ग्रा.	5%	-";

(ii) टैरिफ मद 7404 00 22 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि में, "मैगनीज कांस्य के ठोस" शब्दों से प्रारंभ होने वाले और "कोड शब्द 'लैम्ब'" पर समाप्त होने वाले भाग का लोप किया जाएगा;

(iii) टैरिफ मद 7404 00 23 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"7404 00 24	- - - -कांस्य स्क्रैप, जिसमें निम्नलिखित हैं : आई.एस.आर.आई. कोड शब्द 'पर्च' के अंतर्गत आने वाले मैगनीज कांस्य के ठोस ; आई.एस.आर.आई. कोड शब्द 'इलीस' के अंतर्गत आने वाले उच्च लैड कांस्य ठोस और बोरिंग्स	कि.ग्रा.	5%	-
7404 00 25	- - - -ताम्र निकल स्क्रैप, जिसमें निम्नलिखित हैं : आई.एस.आर.आई. कोड़ शब्द 'डांडी' के अंतर्गत आने वाले नए कुरपो निकल क्लिप और ठोस ; आई.एस.आर.आई. कोड शब्द 'डॉन्ट' के अंतर्गत आने वाले कुरपो निकल ठोस ; आई.एस.आर.आई. कोड शब्द 'डेल्टा' के अंतर्गत आने वाला सोल्डीकृत कुरपो निकल ठोस ; आई.एस.आर.आई. कोड शब्द 'डिकॉय' के अंतर्गत आने वाली कुरपो निकल स्पिनिंग्स, टर्निंग्स, बोरिंग्स	कि.ग्रा.	5%	-";

(47) अध्याय 75 में, शीर्ष 7503 में, टैरिफ मद 7503 00 10 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि में, "नए कुरपो निकल क्लिप" शब्दों से प्रारंभ होने वाले और "कोड शब्द डेथ" पर समाप्त होने वाले भाग का लोप किया जाएगा ;

(48) अध्याय 76 में, शीर्ष 7602 में, टैरिफ मद 7602 00 10 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि में,—

(i) "आई.एस.आर.आई. कोड शब्द 'थ्रोब' के अंतर्गत आने वाला स्वेदित एलुमिनियम ;' शब्दों का लोप किया जाएगा; और

(ii) "आई.एस.आर.आई. कोड शब्द 'थिर्ल' के अंतर्गत आने वाले एलुमिनियम ड्रास, स्पेटनर्स, स्पेलिंग्स, स्किमंग्स और स्वीपिंग्स ;" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(49) अध्याय 78 में, शीर्ष 7802 में, टैरिफ मद 7802 00 10 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि में,—

(i) "आई.एस.आर.आई. कोड शब्द 'रिले' के अंतर्गत आने वाला कवच आच्छादित केबल रहित सीसा आच्छादित तांबा केबल ;" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ii) "सीसा बैटरी प्लेटें" शब्दों से प्रारंभ होने वाले और "कोड शब्द 'रेन्टस' " शब्दों पर समाप्त होने वाले भाग का लोप किया जाएगा;

(50) अध्याय 79 में, शीर्ष 7902 में, टैरिफ मद 7902 00 10 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि में,—

(i) "आईएसआरआई शब्द कोड 'स्कल' के अंतर्गत आने वाली रुपदा ढलवां सिल्पी या पिग जस्त ;", शब्दों और अक्षरों का लोप किया जाएगा ;

(ii) "गर्म निमज जस्तदारक" शब्दों से प्रारंभ होने वाले तथा "संक्षारण या आक्सीकरण" शब्दों पर समाप्त होने वाले भाग का लोप किया जाएगा ;

(51) अध्याय 85 में,—

(i) शीर्ष 8517 में,—

(क) टैरिफ मद 8517 12 10 और 8517 12 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

	"- - - सेलुलर नेटवर्क के लिए टेलीफोन :			
8517 12 11	- - - -पुश बटन टाइप से भिन्न मोबाइल फोन	इ.	20%	-
8517 12 19	- - - -मोबाइल फोन, पुश बटन टाइप	इ.	20%	-
8517 12 90	- - - अन्य बेतार नेटवर्क के लिए टेलीफोन	इ.	20%	-";

(ख) टैरिफ मद 8517 69 30 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(ii) शीर्ष 8525 में, उपशीर्ष 8525 60 और टैरिफ मद 8525 60 11 से 8525 60 99 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"8525 60 00	- पारेषण उपकरण, जो ग्रहण उपकरण को समाविष्ट करते हैं	इ.	निःशुल्क	-";

(iii) शीर्ष 8527 में, उपशीर्ष 8527 99 और टैरिफ मद 8527 99 11 से 8527 99 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"8527 99 00	- - अन्य	इ.	10%	-";

(52) अध्याय 90 में, शीर्ष 9018 में, टैरिफ मद 9018 90 29 से 9018 90 33 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"9018 90 29	- - - -अन्य	इ.	10%	-
	- - - कृत्रिम गुर्दे (डायलासिस) उपकरण, रक्त ट्रांसफ्यूजन उपकरण :			
9018 90 31	- - - -कृत्रिम गुर्दे (डायलासिस) उपकरण	इ.	10%	-
9018 90 32	- - - -रक्त ट्रांसफ्यूजन उपकरण	इ.	10%	-"।

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2019

(2019 का अधिनियम संख्यांक 27)

[6 अगस्त, 2019]

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 का संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2019 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

धारा 2 का संशोधन।

2008 का 27

2. भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 के खंड (झ) में, "15 लाख" अंकों और शब्द के स्थान पर, "पैंतीस लाख" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 13 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 13 में, उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(1क) उपधारा (1) और उपधारा (2) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्राधिकरण किसी विमानपत्तन या उसके किसी भाग के संबंध में टैरिफ या टैरिफ संरचनाओं या विकास फीस की रकम का अवधारण नहीं करेगा, यदि ऐसे टैरिफ या टैरिफ संरचनाओं या विकास फीस की रकम को, बोली लगाए जाने वाले ऐसे दस्तावेज में सम्मिलित किया गया है, जो उस विमानपत्तन की प्रचालनशीलता को प्रदान किए जाने का आधार है:

परंतु प्राधिकरण से ऐसे टैरिफ, टैरिफ संरचनाओं या विकास फीस की रकम के, जिसे उक्त बोली लगाए जाने वाले दस्तावेज में सम्मिलित किए जाने का प्रस्ताव है, संबंध में अग्रिम में परामर्श किया जाएगा और ऐसे टैरिफ, टैरिफ संरचना या विकास फीस की रकम को राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा।"।

विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन अधिनियम, 2019

(2019 का अधिनियम संख्यांक 28)

[8 अगस्त, 2019]

विधिविरुद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 का और संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन अधिनियम, 2019 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

धारा 2 का संशोधन।

1967 का 37

2. विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 की उपधारा (1) में,—

(i) खंड (घ) में "धारा 21" शब्द और अंकों के स्थान पर, "धारा 22" शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(ii) खंड (जक) में, "अनुसूची से इस अधिनियम की अनुसूची अभिप्रेत हैं" शब्दों के स्थान पर "अनुसूची से इस अधिनियम की कोई अनुसूची अभिप्रेत हैं" शब्द रखे जाएंगे;

(iii) खंड (ड) में, "अनुसूची" शब्द के स्थान पर, "पहली अनुसूची" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 25 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (1) में, "जिसमें ऐसी संपत्ति स्थित है, पुलिस महानिदेशक के लिखित में पूर्व अनुमोदन से ऐसी संपत्ति अभिग्रहण करने का आदेश करेगा" शब्दों के स्थान पर "जिसमें ऐसी संपत्ति स्थित है, पुलिस महानिदेशक के लिखित में पूर्व अनुमोदन से या जहां अन्वेषण, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण के किसी अधिकारी द्वारा किया जाता है, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण के महानिदेशक के पूर्व अनुमोदन से ऐसी संपत्ति अभिग्रहण करने का आदेश करेगा" शब्द रखे जाएंगे।

अध्याय 6 के शीर्ष का संशोधन।

4. मूल अधिनियम के अध्याय 6 में, अध्याय शीर्ष के स्थान पर निम्नलिखित अध्याय शीर्ष रखा जाएगा, अर्थात्:—

"आतंकवादी संगठन और व्यष्टि"।

धारा 35 का संशोधन।

5. मूल अधिनियम की धारा 35 में,—

(i) उपधारा (1) में,—

(अ) खंड (क) में, "किसी संगठन को" शब्दों के पश्चात् "या चौथी अनुसूची में किसी व्यष्टि का नाम" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(आ) खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(ख) अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद का सामना करने के लिए पहली अनुसूची में किसी ऐसे संगठन को भी जोड़ सकेगी, जिसके बारे में यह पता चलता है कि वह संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अध्याय 7 के अधीन सुरक्षा परिषद् द्वारा अंगीकृत संकल्प में आतंकवादी संगठन है या चौथी अनुसूची में किसी व्यष्टि का नाम जोड सकेगी; या;

(इ) खंड (ग) में, "किसी संगठन को" शब्दों के पश्चात् "या चौथी अनुसूची से किसी व्यष्टि का नाम" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(ई) खंड (घ) में, "पहली अनुसूची" शब्दों के पश्चात् "या चौथी अनुसूची" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(ii)उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(2) केंद्रीय सरकार किसी संगठन या किसी व्यष्टि के संबंध में उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन अपनी शक्ति का प्रयोग तभी कर सकेगी जब उसे यह विश्वास हो जाता है कि कोई संगठन या कोई व्यष्टि आतंकवाद में संलिप्त है।"।

(iii) उपधारा (3) के आरंभिक भाग में, "किसी संगठन को आंतकवाद में संलिप्त समझा जाएगा, यदि वह" शब्दों के स्थान पर, "किसी संगठन या किसी व्यष्टि को आतंकवाद में संलिप्त समझा जाएगा, यदि ऐसा संगठन या व्यष्टि" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 36 का संशोधन।

6. मूल अधिनियम की धारा 36 में,—

(i) पार्श्व शीर्ष में "किसी आतंकवादी संगठन" शब्दों के स्थान पर, "आतंकवादी संगठन या व्यष्टि" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उपधारा (1) में, "किसी संगठन को अनुसूची से" शब्दों के स्थान पर, "यथास्थिति, किसी संगठन को पहली अनुसूची से या किसी व्यष्टि का नाम चौथी अनुसूची से" शब्द रखे जाएंगे;

(iii) उपधारा (2) में,—

(अ) खंड (ख) में, "आतंकवादी संगठनों के रूप में अनुसूची में सम्मिलित किए जाने से

प्रभावित किसी व्यक्ति द्वारा'' शब्दों के स्थान पर, ''आतंकवादी संगठन के रूप में पहली अनुसूची में सम्मिलित किए जाने से प्रभावित किसी व्यक्ति द्वारा, या'' शब्द रखे जाएंगे;

(आ) खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''(ग) चौथी अनुसूची में आतंकवादी के रूप में किसी व्यक्ति का नाम सम्मिलित किए जाने से प्रभावित व्यक्ति द्वारा,'';

(iv) उपधारा (5) में, ''अनुसूची से किसी संगठन को'' शब्दों के स्थान पर, ''पहली अनुसूची से किसी संगठन को या चौथी अनुसूची से किसी व्यष्टि के नाम को'' शब्द रखे जाएंगे;

(v) उपधारा (6) में, ''किसी संगठन'' शब्दों के पश्चात्, ''या किसी व्यष्टि'' शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(vi) उपधारा (7) में, ''अनुसूची से'' शब्दों के स्थान पर, ''पहली अनुसूची से या किसी व्यष्टि का नाम चौथी अनुसूची से'' शब्द रखे जाएंगे।

धारा 38 का संशोधन।

7. मूल अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (1) के परंतुक के खंड (ख) में, ''अनुसूची'' शब्द के स्थान पर, ''पहली अनुसूची'' शब्द रखे जाएंगे।

धारा 43 का संशोधन।

8. मूल अधिनियम की धारा 43 में,—

(i) खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''(खक) राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की दशा में, निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का है;'';

(ii) खंड (ग) में, ''या खंड (ख)'' शब्दों, कोष्ठकों और अक्षर के पश्चात् ''या खंड (खक)'' शब्द, कोष्ठक और अक्षर अंत:स्थापित किए जाएंगे।

धारा 45 का संशोधन।

9. मूल अधिनियम की धारा 45 की उपधारा (1) के खंड (ii) में, ''जहां'' शब्द के स्थान पर, ''यदि'' शब्द रखा जाएगा।

पहली अनुसूची का संशोधन।

10. मूल अधिनियम की पहली अनुसूची में, ''धारा 2(1)(ड) और धारा 35 देखिए'' शब्दों, अंकों, कोष्ठकों और अक्षर के स्थान पर ''धारा 2(1)(ड), धारा 35, धारा 36 और धारा 38(1) देखिए'' शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे।

दूसरी अनुसूची का संशोधन।

11. मूल अधिनियम की दूसरी अनुसूची में,—

(क) मद (v) के आरंभ में, ''न्यूक्लीय पदार्थ'' शब्दों से पहले ''समय-समय पर यथा संशोधित'' शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(ख) मद (ix) के पश्चात् निम्नलिखित मद अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

''(x) न्यूक्लीय आतंकवाद के कार्यों का दमन करने संबंधी अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय (2005)।''।

चौथी अनुसूची का जोड़ा जाना।

12. मूल अधिनियम की तीसरी अनुसूची के पश्चात् निम्नलिखित अनुसूची को जोड़ा जाएगा, अर्थात्:—

''चौथी अनुसूची

[धारा 35(1) और धारा 36 देखिए]

क्र०सं०	व्यष्टि का नाम

''।

निरसन और संशोधन अधिनियम, 2019

(2019 का अधिनियम संख्यांक 31)

[8 अगस्त, 2019]

कतिपय अधिनियमितियों का निरसन और कतिपय
अन्य अधिनियमितियों का संशोधन
करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम निरसन और संशोधन अधिनियम, 2019 है।

कतिपय अधिनियमितियों का निरसन।

2. पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियों को इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

कतिपय अधिनियमितियों का संशोधन।

3. दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियों को इसके द्वारा उसके चौथे स्तंभ में विनिर्दिष्ट विस्तार तक तथा रीति से संशोधित किया जाता है।

व्यावृतियां।

4. किसी अधिनियमिति का इस अधिनियम द्वारा निरसित किया जाना, किसी अन्य ऐसी अधिनियमिति को प्रभावित नहीं करेगा जिसमें निरसित अधिनियमिति को लागू, सम्मिलित या निर्दिष्ट किया गया है;

और इस अधिनियम का प्रभाव, पहले की गई या हुई किसी बात या पहले से अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत किसी अधिकार, हक, बाध्यता या दायित्व अथवा उसके संबंध में किसी उपचार या कार्यवाही या किसी ऋण, शास्ति, बाध्यता, दायित्व, दावे या मांग के या उससे कोई निर्मोचन या उन्मोचन या पहले से अनुदत्त किसी क्षतिपूर्ति या किसी पूर्व कार्य या बात के सबूत की विधिमान्यता, अविधिमान्यता, उसके प्रभाव या परिणामों पर नहीं पड़ेगा;

और न ही, इस अधिनियम का प्रभाव विधि के किसी सिद्धान्त या नियम या स्थापित अधिकारिता, अभिवचन के प्ररूप या अनुक्रम, पद्धति या प्रक्रिया, या विद्यमान प्रथा, रूढि, विशेषाधिकार, निर्बंधन, छूट, पद या नियुक्ति पर किसी ऐसी बात के होते हुए भी पड़ेगा कि वह इसके द्वारा निरसित किसी अधिनियमिति द्वारा, उसमें या उससे किसी रीति से क्रमशः पुष्ट या मान्य या व्युत्पन्न हुआ हो;

और न ही, इस अधिनियम द्वारा किसी अधिनियमिति के, जो अब विद्यमान या प्रवृत्त नहीं है, निरसन से कोई अधिकारिता, पद, रूढ़ि, दायित्व, अधिकार, हक, विशेषाधिकार, निर्बंधन, छूट, प्रथा, पद्धति, प्रक्रिया या अन्य विषय या बात पुनरूज्जीवित या प्रत्यावर्तित होगी।

पहली अनुसूची

(धारा 2 देखिए)

निरसन

वर्ष	अधिनियम संख्यांक	संक्षिप्त नाम
(1)	(2)	(3)
1850	12	लोक लेखापाल चूक अधिनियम, 1850
1881	11	नगरपालिका कराधान अधिनियम, 1881
1892	10	प्राइवेट संपदा सरकारी प्रबंध अधिनियम, 1892
1956	69	रेल यात्री सीमा कर अधिनियम, 1956
1958	56	हिमाचल प्रदेश विधान सभा (गठन और कार्यवाहियां) विधिमान्यकरण अधिनियम, 1958
1960	22	कपास परिवहन (कपास) अधिनियम, 1960
1963	1	हिन्दी साहित्य सम्मेलन (संशोधन) अधिनियम, 1963
1963	35	नाट्य प्रदर्शन (दिल्ली निरसन) अधिनियम, 1963
1964	10	लोक नियोजन (निवास के रूप में अपेक्षा) संशोधन अधिनियम, 1964
1968	49	दिल्ली और अजमेर किराया नियंत्रण (नसीराबाद कैंटोनमेंट निरसन) अधिनियम, 1968
1973	56	एलकाक एशडाउन कंपनी लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन) अधिनियम, 1973
1976	55	लौह-अयस्क खान, मैंगनीज-अयस्क खान और क्रोम-अयस्क खान श्रम कल्याण उपकर अधिनियम, 1976
1976	61	लौह-अयस्क खान, मैंगनीज-अयस्क खान और क्रोम-अयस्क खान श्रम कल्याण उपकर अधिनियम, 1976
1976	62	बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1976
1980	68	चाय (संशोधन) अधिनियम, 1980
1981	62	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1981
1982	63	सड़क परिवहन निगम (संशोधन) अधिनियम, 1982
1983	41	ट्रांसफार्मर एंड स्विचगियर लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1983
1988	22	तमिलनाडु कृषि सेवा सहकारी सोसाइटी (विशेष अधिकारियों की नियुक्ति) संशोधन अधिनियम, 1988
1999	3	उच्च मूल्य बैंक नोट (विमुद्रीकरण) संशोधन अधिनियम, 1998
2001	39	मोटर यान (संशोधन) अधिनियम, 2001
2001	48	रजिस्ट्रीकरण और अन्य संबंधित विधियां (संशोधन) अधिनियम, 2001
2002	16	प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2002
2002	43	दिल्ली विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2002
2007	3	डालमिया दादरी सीमेंट लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) संशोधन अधिनियम, 2006
2007	28	केन्द्रीय सड़क निधि (संशोधन) अधिनियम, 2007

(1)	(2)	(3)
2009	21	धन-शोधन निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2009
2009	22	केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (संशोधन) अधिनियम, 2009
2009	38	केन्द्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2009
2010	3	नागरिक सुरक्षा (संशोधन) अधिनियम, 2009
2011	6	बन्दी संप्रत्यावर्तन (संशोधन) अधिनियम, 2011
2011	14	सीमाशुल्क (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2011
2012	28	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2012
2012	34	प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2012
2014	8	राज्यपाल (उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार) संशोधन अधिनियम, 2014
2014	9	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2014
2014	19	आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) अधिनियम, 2014
2014	20	भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2014
2014	31	वाणिज्य पोत परिवहन (संशोधन) अधिनियम, 2014
2014	32	वाणिज्य पोत परिवहन (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2014
2014	39	दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) दूसरा (संशोधन) अधिनियम, 2014
2015	2	सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभागियों की बेदखली) संशोधन अधिनियम, 2015
2015	3	मोटर यान (संशोधन) अधिनियम, 2015
2015	5	बीमा विधि (संशोधन) अधिनियम, 2015
2015	10	खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015
2015	12	आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) अधिनियम, 2015
2015	14	प्रादेशिक ग्रामीण बैंक (संशोधन) अधिनियम, 2015
2015	16	भाण्डागारण निगम (संशोधन) अधिनियम, 2015
2015	21	कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2015
2016	10	निर्वाचन विधि (संशोधन) अधिनियम, 2016
2016	13	उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) (संशोधन) अधिनियम, 2016
2016	25	खान और खनिज (विकास और विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2016
2016	42	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2016
2016	45	केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2016
2016	48	कराधान कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2016
2017	19	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2017
2017	21	सांख्यिकीय संग्रहण (संशोधन) अधिनियम, 2017
2017	25	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2017

दूसरी अनुसूची

(धारा 3 देखिए)

संशोधन

वर्ष	अधिनियम संख्यांक	संक्षिप्त नाम	संशोधन
(1)	(2)	(3)	(4)
1961	43	आय-कर अधिनियम, 1961	हिन्दी पाठ में संशोधन की आवश्यकता नहीं है।
2017	33	भारतीय प्रबंध संस्थान अधिनियम, 2017	(i) हिन्दी पाठ में संशोधन की आवश्यकता नहीं है। (ii) हिन्दी पाठ में संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2019

(2019 का अधिनियम संख्यांक 33)

[9 अगस्त, 2019]

माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996
का और संशोधन
करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2019 है।

(2) इस अधिनियम में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, यह अधिनियम उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत की जाए और इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और ऐसे किसी उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह इस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रति निर्देश है।

धारा 2 का संशोधन।

2. माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) 1996 का 26
की धारा 2 में,—

(i) उपधारा (1) में,—

(अ) खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'(गक) "माध्यस्थम् संस्था" से इस अधिनियम के अधीन उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय द्वारा पदाभिहित कोई माध्यस्थम् संस्था अभिप्रेत है;';

(आ) खंड (ज) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

'(झ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ञ) "विनियमों" से इस अधिनियम के अधीन परिषद् द्वारा बनाए गए विनियम अभिप्रेत हैं।';

(ii) उपधारा (2) के परंतुक में, "खंड (क)" शब्द, कोष्ठकों और अक्षर के स्थान पर "खंड (ख)" शब्द, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे।

धारा 11 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 11 में,—

(i) उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(3क) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास समय-समय पर ऐसी माध्यस्थम् संस्थाओं को पदाभिहित करने की शक्ति होगी, जिन्हें इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 43झ के अधीन परिषद् द्वारा श्रेणीकृत किया गया है:

परंतु ऐसी उच्च न्यायालय अधिकारिताओं के संबंध में, जहां कोई श्रेणीकृत माध्यस्थम् संस्था उपलब्ध नहीं है, वहां संबद्ध उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति, माध्यस्थम् संस्था के कृत्यों और कर्त्तव्यों के निर्वहन के लिए मध्यस्थों का एक पैनल बनाए रख सकेगा और मध्यस्थ के संबंध में किसी प्रतिनिर्देश को इस धारा के प्रयोजनों के लिए एक माध्यस्थम, संस्था समझा जाएगा और इस प्रकार किसी पक्षकार द्वारा नियुक्त मध्यस्थ चौथी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट ऐसी दर पर फीस के लिए हकदार होगा:

परंतु यह और कि संबद्ध उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति, समय-समय पर मध्यस्थों के पैनल का पुनर्विलोकन कर सकेगा।";

(ii) उपधारा (4) की दीर्घ पंक्ति में, "तो नियुक्ति" शब्दों से आरंभ होने तथा "द्वारा की जाएगी" पर समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"तो नियुक्ति, किसी पक्षकार द्वारा आवेदन किए जाने पर, यथास्थिति, किसी अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम् की दशा में उच्चतम न्यायालय द्वारा पदाभिहित माध्यस्थम् संस्था द्वारा या अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम् से भिन्न अन्य माध्यस्थमों की दशा में उच्च न्यायालय द्वारा पदाभिहित माध्यस्थम् संस्था द्वारा की जाएगी।";

(iii) उपधारा (5) में, "तो नियुक्ति," शब्दों से आरंभ होने वाले तथा "द्वारा की जाएगी" पर समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"तो नियुक्ति, किसी पक्षकार द्वारा आवेदन किए जाने पर उपधारा (4) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार की जाएगी।";

(iv) उपधारा (6) की दीर्घ पंक्ति में, "वहां कोई पक्षकार," शब्दों से आरंभ होने वाले तथा "या संस्था से" पर समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"वहां नियुक्ति, किसी पक्षकार द्वारा आवेदन किए जाने पर, यथास्थिति, किसी अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम् की दशा में उच्चतम न्यायालय द्वारा पदाभिहित माध्यस्थम् संस्था द्वारा या अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम् से भिन्न अन्य माध्यस्थमों की दशा में उच्च न्यायालय द्वारा पदाभिहित माध्यस्थम् संस्था द्वारा की जाएगी";

(v) उपधारा (6क) और उपधारा (7) का लोप किया जाएगा;

(vi) उपधारा (8) में, "यथास्थिति, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या ऐसे न्यायालय द्वारा पदाभिहित व्यक्ति या संस्था" शब्दों के स्थान पर, "उपधारा (4); उपधारा (5) और उपधारा (6) में निर्दिष्ट माध्यस्थम् संस्था" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे;

(vii) उपधारा (9) में, "उच्चतम न्यायालय या उस न्यायालय द्वारा पदाभिहित व्यक्ति या संस्था" शब्दों के स्थान पर "उच्चतम न्यायालय द्वारा पदाभिहित माध्यस्थम् संस्था" शब्द रखे जाएंगे;

(viii) उपधारा (10) का लोप किया जाएगा;

(ix) उपधारा (11) से उपधारा (14) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात्:—

"(11) जहां उपधारा (4) या उपधारा (5) या उपधारा (6) के अधीन भिन्न-भिन्न माध्यस्थम् संस्थाओं को एक से अधिक अनुरोध किए गए हैं, वहां ऐसी माध्यस्थम् संस्था, जिसे सुसंगत उपधारा के अधीन सबसे पहले अनुरोध किया गया है, नियुक्ति के लिए सक्षम होगी।

(12) जहां उपधारा (4), उपधारा (5), उपधारा (6) और उपधारा (8) में निर्दिष्ट कोई मामला किसी अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम् या किसी अन्य माध्यस्थम् में उद्भूत होता है, वहां उन उपधाराओं में माध्यस्थम् संस्था के प्रति किसी निर्देश को उपधारा (3क) के अधीन पदाभिहित माध्यस्थम् संस्था के प्रतिनिर्देश समझा जाएगा।

(13) इस धारा के अधीन किसी मध्यस्थ या मध्यस्थों की नियुक्ति के लिए किए गए किसी आवेदन को, माध्यस्थम् संस्था द्वारा, विरोधी पक्षकार पर नोटिस की तामील की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर निपटाया जाएगा।

(14) माध्यस्थम् संस्था, चौथी अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों के अधीन रहते हुए माध्यस्थम् अधिकरण की फीसों और उसे उसके संदाय की रीति का अवधारण करेगी।

स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि यह उपधारा अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम् और ऐसे माध्यस्थमों (अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम् से भिन्न), जहां पक्षकारों ने माध्यस्थम् संस्था के नियमों के अनुसार फीस के अवधारण के लिए सहमति दी है, को लागू नहीं होगी।"।

धारा 17 का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) में, "या माध्यस्थम् पंचाट के किए जाने के पश्चात् किंतु धारा 36 के अनुसार उसे प्रवर्तित किए जाने के पूर्व, किसी समय" शब्दों और अंकों का लोप किया जाएगा।

धारा 23 का संशोधन।

5. मूल अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(4) इस धारा के अधीन दावे और प्रतिरक्षा का विवरण, उस तारीख से, जिसको यथास्थिति, मध्यस्थ या सभी मध्यस्थों को, उनकी नियुक्ति का लिखित में नोटिस प्राप्त होता है, छह मास की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा।"।

धारा 29क का संशोधन।

6. मूल अधिनियम की धारा 29क में,—

(क) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(1) अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम् से भिन्न मामलों में, माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा पंचाट, धारा 23 की उपधारा (4) के अधीन अभिवाकों के पूरा होने की तारीख से बारह मास की अवधि के भीतर किया जाएगा:

परंतु अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम् के मामले में पंचाट को यथा संभव शीघ्रता से किया जाएगा और मामले को धारा 23 की उपधारा (4) के अधीन अभिवाकों के पूरा होने की तारीख से बारह मास की अवधि के भीतर निपटाने का प्रयास किया जाएगा।";

(ख) उपधारा (4) में, परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

"परंतु यह और कि जहां उपधारा (5) के अधीन कोई आवेदन लंबित है, वहां मध्यस्थ का अधिदेश उक्त आवेदन के निपटारे तक जारी रहेगा:

परंतु यह भी कि मध्यस्थ को, फीस में कमी किए जाने से पूर्व सुनवाई का एक अवसर दिया जाएगा।"।

धारा 34 का संशोधन।

7. मूल अधिनियम की धारा 34 की उपधारा (2) के खंड (क) में, "यह सबूत देता है कि" शब्दों के स्थान पर "मध्यस्थ अधिकरण के अभिलेख के आधार पर यह सिद्ध करता है कि" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 37 का संशोधन।

8. मूल अधिनियम की धारा 37 की उपधारा (1) में, "निम्नलिखित आदेशों" शब्दों के स्थान पर "तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, निम्नलिखित आदेशों" शब्द रखे जाएंगे।

नई धारा 42क और 42ख का अंत:स्थापन।

9. मूल अधिनियम की धारा 42 के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

सूचना की गोपनीयता।

"42क. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, किसी माध्यस्थम् करार से संबंधित मध्यस्थ, माध्यस्थम् संस्था और पक्षकार, सभी माध्यस्थम् कार्यवाहियों की गोपनीयता पंचाट के और उस समय के सिवाय जहां उनका प्रकटन पंचाट के कार्यान्वयन और प्रवर्तन के प्रयोजन के लिए आवश्यक हो बनाए रखेंगे।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण।

42ख. इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या किए जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाहियां किसी मध्यस्थ के विरुद्ध, नहीं होगी।"।

नए भाग का अंत:स्थापन।

10. मूल अधिनियम के भाग 1 के पश्चात् निम्नलिखित भाग अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

भाग 1क

भारतीय माध्यस्थम् परिषद्

परिभाषाएं।

43क. इस भाग में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अध्यक्ष" से धारा 43ग की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन नियुक्त किया गया भारतीय माध्यस्थम् परिषद् का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(ख) "परिषद्" से धारा 43ख के अधीन स्थापित भारतीय माध्यस्थम् परिषद् अभिप्रेत है;

(ग) "सदस्य" से परिषद् के सदस्य अभिप्रेत हैं और इसके अंतर्गत अध्यक्ष भी है।

भारतीय माध्यस्थम् परिषद् की स्थापना और उसका निगमन।

43ख. (1) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए भारतीय माध्यस्थम् परिषद् नामक एक परिषद् की स्थापना करेगी, जो इस अधिनियम के अधीन कर्त्तव्यों का पालन और कृत्यों का निर्वहन करेगी।

(2) परिषद् पूर्वोक्त नाम की शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा वाली एक निगमित निकाय होगी और जिसे इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए चल और अचल दोनों प्रकार की सम्पत्ति का अर्जन, धारण और व्ययन करने की और संविदा करने की शक्ति होगी और वह उक्त नाम से वाद ला सकेगी और उस पर वाद लाया जा सकेगा।

(3) परिषद् का प्रधान कार्यालय दिल्ली में होगा।

(4) परिषद्, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, भारत में अन्य स्थानों पर कार्यालय स्थापित कर सकेगी।

परिषद् की संरचना।

43ग. (1) परिषद् निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी; अर्थात्:—

(क) कोई व्यक्ति, जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रहा है या किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति रहा है या किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा है या वह कोई ऐसा विख्यात व्यक्ति है, जिसके पास माध्यस्थम् के संचालन या प्रशासन का विशेष ज्ञान या अनुभव है, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से नियुक्त किया जाए—अध्यक्ष;

(ख) कोई विख्यात माध्यस्थम् व्यवसायी, जिसके पास घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय, दोनों प्रकार के संस्थागत माध्यस्थम् में सारवान् ज्ञान और अनुभव है, जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए—सदस्य;

(ग) कोई विख्यात शिक्षाविद्, जिसके पास माध्यस्थम् और वैकल्पिक विवाद समाधान विधियों के क्षेत्र में अनुसंधान और अध्यापन का अनुभव है, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अध्यक्ष के परामर्श से नियुक्त किया जाए—सदस्य;

(घ) भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय के विधि कार्य विभाग का सचिव या संयुक्त सचिव से अन्यून पंक्ति का उसका कोई प्रतिनिधि—सदस्य, पदेन;

(ङ) भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग का सचिव या संयुक्त सचिव से अन्यून पंक्ति का उसका कोई प्रतिनिधि—सदस्य, पदेन;

(च) केन्द्रीय सरकार द्वारा चक्रानुक्रम के आधार पर चुना गया किसी मान्यताप्राप्त वाणिज्य और उद्योग निकाय का एक प्रतिनिधि—अंशकालिक सदस्य; और

(छ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी—सदस्य सचिव, पदेन।

(2) पदेन सदस्यों से भिन्न परिषद् का अध्यक्ष और सदस्य, उनके द्वारा पद ग्रहण किए जाने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए उस रूप में पद धारण करेंगे;

परंतु पदेन सदस्यों से भिन्न परिषद् का अध्यक्ष और कोई सदस्य, अध्यक्ष की दशा में सत्तर वर्ष और सदस्य की दशा में सड़सठ वर्ष की आयु पूरा करने के पश्चात् उस रूप में पद धारण नहीं करेगा।

(3) उपधारा (1) के खंड (ख) और खंड (ग) में निर्दिष्ट परिषद् के अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं।

(4) अंशकालिक सदस्य ऐसे यात्रा और अन्य भत्तों के लिए हक़दार होगा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं।

परिषद् के कर्त्तव्य और कृत्य।

43घ. (1) परिषद् का यह कर्त्तव्य होगा कि वह माध्यस्थम्, मध्यकता, सुलह या किसी अन्य वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र का संवर्धन और उसका प्रोत्साहन करने के लिए ऐसे सभी उपाय करे, जो आवश्यक हों और उस प्रयोजन के लिए नीति की विरचना तथा स्थापन, प्रचालन और माध्यस्थम् से संबंधित सभी विषयों के संबंध में एकसमान वृत्तिक मानक बनाए रखने के लिए दिशानिर्देशों की विरचना करे।

(2) इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों के निष्पादन और कृत्यों के निर्वहन के प्रयोजनों के लिए परिषद्—

(क) माध्यस्थम् संस्थाओं के श्रेणीकरण को शासित करने के लिए नीति की विरचना कर सकेगी;

(ख) मध्यस्थों को प्रत्यायन उपलब्ध कराने वाली वृत्तिक संस्थानों को मान्यता प्रदान कर सकेगी;

(ग) माध्यस्थम् संस्थाओं और मध्यस्थों के श्रेणीकरण का पुनर्विलोकन कर सकेगी;

(घ) विधि फर्मों, विधि विश्वविद्यालयों और माध्यस्थम् संस्थाओं के सहयोग से माध्यस्थम् के क्षेत्र में प्रशिक्षण, कार्यशालाओं और पाठ्यक्रमों का आयोजन कर सकेगी;

(ङ) माध्यस्थम् और सुलह के समाधानप्रद स्तर को सुनिश्चित करने के लिए सन्नियमों की विरचना, उनका पुनर्विलोकन और उन्हें अद्यतन कर सकेगी;

(च) भारत को घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम् और सुलह का एक उत्तम केन्द्र बनाने हेतु एक मंच का सृजन करने के लिए अपनाए जाने वाले अभिमतों और तकनीकों के आदान-प्रदान के लिए एक मंच के रूप में कार्य कर सकेगी;

(छ) केन्द्रीय सरकार को, वाणिज्यिक विवादों के सुगम समाधान के लिए उपबंध करने के लिए अपनाए जाने वाले विभिन्न उपायों के संबंध में सिफारिश कर सकेगी;

(ज) माध्यस्थम् संस्थाओं को सुदृढ़ बनाकर संस्थागत माध्यस्थम् का संवर्धन कर सकेगी;

(झ) माध्यस्थम् और सुलह से संबंधित विभिन्न विषयों पर परीक्षा और प्रशिक्षण का संचालन कर सकेगी और उनसे संबंधित प्रमाणपत्रों को प्रदान कर सकेगी;

(ञ) भारत में किए गए माध्यस्थम् पंचाटों के निक्षेपागार की स्थापना कर सकेगी और उसे बनाए रखेगी;

(ट) माध्यस्थम् संस्थाओं के कार्मिकों, प्रशिक्षण और अवसंरचना के संबंध में सिफारिशें कर सकेगी; और

(ठ) ऐसे अन्य कृत्य कर सकेगी, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिश्चित किए जाएं।

रिक्तियों, आदि से परिषद् की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना।

43ङ. परिषद् का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं होगी कि—

(क) परिषद् में कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है;

(ख) परिषद् के सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि है; या

(ग) परिषद् की प्रक्रिया में कोई ऐसी अनियमितता है, जो मामले के गुणागुण पर प्रभाव नहीं डालती है।

सदस्यों का त्यागपत्र।

43च. अध्यक्ष या पूर्णकालिक या अंशकालिक सदस्य, केन्द्रीय सरकार को संबोधित लिखित में अपने हस्ताक्षर सहित सूचना देकर अपने पद से त्यागपत्र दे सकेगा:

परन्तु अध्यक्ष या पूर्णकालिक सदस्य, जब तक उसको केन्द्रीय सरकार द्वारा पहले ही अपना पद त्याग करने के लिए अनुज्ञात नहीं कर दिया जाता है, ऐसी सूचना के प्राप्त होने की तारीख से तीन मास के अवसान तक या जब तक उसके उत्तरवर्ती के रूप में सम्यक्त: नियुक्त व्यक्ति अपना पदभार ग्रहण नहीं कर लेता है या अपनी पदावधि समाप्त होने तक, इनमें से जो भी पूर्वत्तर हो, अपना पद धारण करता रहेगा।

सदस्य का हटाया जाना।

43छ. (1) केन्द्रीय सरकार, किसी सदस्य को उसके पद से हटा सकेगी, यदि—

(क) वह कोई अननुन्मोचित दिवलिया है; या

(ख) वह अपनी पदावधि के दौरान किसी भी समय (अंशकालिक सदस्य को छोड़ कर) किसी सवेतन नियोजन में नियोजित हुआ है; या

(ग) वह किसी ऐसे अपराध में सिद्धदोष ठहराया गया है, जिसमें केन्द्रीय सरकार की राय में नैतिक अधमता अन्तर्वलित है; या

(घ) उसने ऐसे वित्तीय और अन्य हित अर्जित कर लिए हैं, जिनके कारण सदस्य के रूप

में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है; या

(ङ) सदस्य के रूप में उसने अपने पद का ऐसा दुरुपयोग किया है जिसके कारण उसका पद पर बने रहना लोकहित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला है; या

(च) वह सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए शारीरिक या मानसिक रूप से असमर्थ हो गया है।

(2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी भी सदस्य को उस उपधारा के खंड (घ) और खंड (ङ) में विनिर्दिष्ट आधारों पर उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा, जब तक कि उच्चतम न्यायालय ने, केन्द्रीय सरकार द्वारा उसके इस निमित्त प्रतिनिर्देश किए जाने पर, उच्चतम न्यायालय द्वारा ऐसी प्रक्रिया के अनुसार जो इस निमित्त विहित की जाए उसके द्वारा की गई जांच के आधार पर यह रिपोर्ट न की गई हो कि सदस्य को ऐसे आधार या आधारों पर हटाया जाना चाहिए।

विशेषज्ञों की नियुक्ति और उनकी समितियों का गठन।

43ज. परिषद्, विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाने वाले ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, ऐसे विशेषज्ञों की नियुक्ति और विशेषज्ञों की ऐसी समितियों का गठन कर सकेगी, जैसा कि वह अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक समझे।

माध्यस्थम् संस्थाओं के श्रेणीकरण के लिए साधाराण सन्नियम।

43झ. परिषद् ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, अवसंरचना, मध्यस्थों की गुणवत्ता और सक्षमता, घरेलू या अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम् के लिए कार्यपालन और समय-सीमा के अनुपालन से संबंधित मानदंडों के आधार पर माध्यस्थम् संस्थाओं का श्रेणीकरण करेगी।

प्रत्यायन के लिए सन्नियम।

43ञ. मध्यस्थों के प्रत्यायन के लिए अर्हताएं, अनुभव और सन्नियम वे होंगे, जो आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट किए जाएं:

परन्तु केन्द्रीय सरकार, परिषद् से परामर्श के पश्चात्, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा आठवीं अनुसूची का संशोधन कर सकेगी और तदुपरि आठवीं अनुसूची को तद्नुसार संशोधित समझा जाएगा।

पंचाटों का निक्षेपागार।

43ट. परिषद् भारत में किए गए माध्यस्थम् पंचाटों और उनसे संबंधित अन्य अभिलेखों का, ऐसी रीति में जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, एक इलैक्ट्रानिक निक्षेपागार बनाए रखेगी।

परिषद् की विनियम बनाने की शक्ति।

43ठ. परिषद् इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन और कर्तव्यों के पालन हेतु, केन्द्रीय सरकार के परामर्श से, इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों से सुसंगत विनियम बना सकेगी।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी।

43ड. (1) परिषद् का एक मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा, जो परिषद् के दिन-प्रतिदिन के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होगा।

(2) मुख्य कार्यपालक अधिकारी की अर्हताएं, नियुक्ति और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं।

(3) मुख्य कार्यपालक अधिकारी ऐसे कृत्यों का निर्वहन और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

(4) परिषद् का एक सचिवालय होगा, जो उतनी संख्या में अधिकारियों और कर्मचारियों से मिलकर बनेगा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए।

(5) परिषद् के कर्मचारियों और अन्य अधिकारियों की अर्हताएं, नियुक्ति और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं।'।

धारा 45 का संशोधन।

11. मूल अधिनियम की धारा 45 में, "उसका यह निष्कर्ष होता है कि" शब्दों के स्थान पर "उसका प्रथमदृष्ट्या यह निष्कर्ष होता है कि" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 50 का संशोधन।

12. मूल अधिनियम की धारा 50 की उपधारा (1) में, "ऐसे किसी आदेश" शब्दों के स्थान पर "तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे किसी आदेश" शब्द रखे जाएंगे।

नई धारा 87 का अंत:स्थापन।

13. मूल अधिनियम की धारा 86 के पश्चात् निम्नलिखित नई धारा अंत:स्थापित की जाएगी और वह 23 अक्तूबर, 2015 से अंत:स्थापित की गई समझ जाएगी, अर्थात्:—

23 अक्तूबर, 2015 से पूर्व आरंभ की गई माध्यस्थम् और संबद्ध न्यायालय कार्यवाहियों का प्रभाव।

"87. जब तक कि पक्षकार अन्यथा करार न करें, तब तक माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 द्वारा इस अधिनियम में किए गए संशोधन,— 2016 का 3

(क) निम्नलिखित को लागू नहीं होंगे,—

(i) माध्यस्थम् औरा सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 से पूर्व आरंभ की गई माध्यस्थम् कार्यवाहियों; 2016 का 3

(ii) इस बात को ध्यान में न रखते हुए कि कोई न्यायालय कार्यवाहियां माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 के आरंभ से पूर्व या उसके पश्चात् आरंभ की गई थी, ऐसी माध्यस्थम् कार्यवाहियों से उद्भूत होने वाली या उनसे संबंधित न्यायालय कार्यवाहियों; 2016 का 3

(ख) माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 के आरंभ पर या उसके पश्चात् आरंभ की गई माध्यस्थम् कार्यवाहियों को और ऐसी माध्यस्थम् कार्यवाहियों से उदभूत होने वाली या उनसे संबंधित न्यायालय कार्यवाहियों को ही लागू होंगे।"। 2016 का 3

नई अनुसूची का अंत:स्थापन।

14. मूल अधिनियम की सातवीं अनुसूची के पश्चात् निम्नलिखित अनुसूची अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"आठवीं अनुसूची

(धारा 43ञ देखिए)

मध्यस्थ की अर्हताएं और अनुभव

कोई व्यक्ति मध्यस्थ होने के लिए तभी अर्हित होगा जब वह,—

(i) अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के अर्थान्तर्गत कोई ऐसा अधिवक्ता है, जिसके पास अधिवक्ता के रूप में व्यवसाय का न्यूनतम दस वर्ष का अनुभव है; या 1961 का 25

(ii) चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 के अर्थान्तर्गत कोई ऐसा चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जिसके पास चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में दस वर्ष का व्यवसाय का अनुभव है; या 1949 का 38

(iii) लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 के अर्थांतर्गत कोई ऐसा लागत लेखापाल है, जिसके पास लागत लेखापाल के रूप में दस वर्ष का व्यवसाय का अनुभव है; या 1959 का 23

(iv) कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 के अर्थांतर्गत कोई ऐसा कंपनी सचिव है, जिसके पास कंपनी सचिव के रूप में दस वर्ष का व्यवसाय का अनुभव है; या 1980 का 56

(v) भारतीय विधिक सेवा का अधिकारी रहा हो; या

(vi) विधि में डिग्री रखने वाला कोई ऐसा अधिकारी रहा हो, जिसके पास सरकार, स्वायत्त निकाय, पब्लिक सेक्टर उपक्रम में विधिक मामलों में या प्राइवेट सेक्टर में वरिष्ठ स्तर की प्रबंधकीय हैसियत में दस वर्ष का अनुभव हो; या

(vii) इंजीनियरी में डिग्री रखने वाला कोई ऐसा अधिकारी रहा हो, जिसके पास सरकार, स्वायत्त निकाय, पब्लिक सेक्टर उपक्रम में इंजीनियर के रूप में या प्राइवेट सेक्टर में वरिष्ठ स्तर की प्रबंधकीय हैसियत में दस वर्ष का अनुभव हो या वह दस वर्ष से स्व:नियोजित हो; या

(viii) केन्द्रीय या राज्य सरकार में प्रशासन का वरिष्ठ स्तर का अनुभव रखने वाला कोई

अधिकारी रहा हो या जिसके पास पब्लिक सेक्टर उपक्रम, किसी सरकारी कंपनी या किसी विख्यात प्राइवेट कंपनी में वरिष्ठ स्तर पर प्रबंध का अनुभव हो; या

(ix) किसी अन्य दशा में ऐसा व्यक्ति है, जिसके पास डिग्री स्तर की शैक्षणिक अर्हता हो और साथ ही, जिसके पास दूरसंचार, सूचना प्रौद्योगिकी, बौद्धिक संपदा अधिकारों या अन्य विशेषीकृत क्षेत्रों में वैज्ञानिक या तकनीकी क्षेत्र में, यथास्थिति, सरकार, स्वायत्त निकाय, पब्लिक सेक्टर उपक्रम में दस वर्ष का अनुभव हो या वह प्राइवेट सेक्टर में वरिष्ठ स्तर की प्रबंधकीय हैसियत रखता हो।

मध्यस्थ को लागू साधारण सन्नियम

(i) मध्यस्थ ऐसा व्यक्ति होगा, जिसकी निष्पक्षता, ईमानदारी में साधारण ख्याति हो और जो विवादों के निपटान में वस्तुनिष्ठता को अनुप्रयुक्त करने में समर्थ हो;

(ii) मध्यस्थ को निष्पक्ष और तटस्थ होना चाहिए और उसे ऐसे किसी वित्तीय कारबार या किसी अन्य संबंध से दूर रहना चाहिए जिससे उसकी निष्पक्षता के प्रभावित होने की संभावना हो या जो पक्षकारों के बीच पक्षपात या पूर्वाग्रह की युक्तियुक्त संभावना सृजित करता हो;

(iii) मध्यस्थ को किसी विधिक कार्यवाही में संलिप्त नहीं होना चाहिए और उसे उसके द्वारा मध्यस्थ के रूप में निपटाए जाने वाले किसी विवाद से संबंधित किसी संभाव्य विरोध से बचना चाहिए;

(iv) मध्यस्थ को नैतिक अधमता अंतर्वलित करने वाले किसी अपराध या किसी आर्थिक अपराध में सिद्धदोष नहीं ठहराया गया हो;

(v) मध्यस्थ भारत के संविधान, नैसर्गिक न्याय, समानता के सिद्धांतों, सामान्य तथा रूढिजन्य विधियों, वाणिज्यिक विधियों, श्रम विधियों, अपकृत्य विधियों तथा माध्यस्थम् पंचाटों को तैयार करने और उन्हें प्रवर्तित किए जाने से सुपरिचित होगा;

(vi) मध्यस्थ के पास माध्यस्थम् संबंधी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय विधिक प्रणाली की उत्तम समझ और उनके संबंध में सर्वोत्तम अंतरराष्ट्रीय व्यवहारों का ज्ञान होना चाहिए;

(vii) मध्यस्थ सिविल और वाणिज्यिक विवादों में संविदाकारी बाध्यताओं के प्रमुख तत्वों को समझने में समर्थ होना चाहिए और साथ ही वह विवाद के अधीन किसी परिस्थिति में विधिक सिद्धांतों को लागू करने और माध्यस्थम् से संबंधित किसी मामले में न्यायिक निर्णयों को लागू करने में भी समर्थ होना चाहिए;

(viii) मध्यस्थ, उसके समक्ष न्यायनिर्णयन हेतु आने वाले किसी विवाद में एक युक्तियुक्त और प्रवर्तनीय माध्यस्थम् पंचाट के संबंध में सुझाव देने, सिफारिश करने और उसे लेखबद्ध करने में समर्थ होना चाहिए।

15. माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 की धारा 26 का लोप किया जाएगा और 23 अक्तूबर, 2015 से लोप किया गया समझा जाएगा। 2016 के अधिनियम सं॰ 3 का संशोधन।

16. मूल अधिनियम की चौथी अनुसूची में "[धारा 11(14) देखिए]" कोष्ठकों, शब्दों और अंकों के स्थान पर "[धारा 11(3क) देखिए]" कोष्ठक, शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे। चौथी अनुसूची का संशोधन।

सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) संशोधन अधिनियम, 2019

(2019 का अधिनियम संख्यांक 36)

[9 अगस्त, 2019]

सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 का और संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) संशोधन अधिनियम, 2019 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

धारा 2 का संशोधन।

1971 का 40

2. सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 के खंड (चक) और खंड (चख) को क्रमश: खंड (चख) और खंड (चग)के रूप में पुन:संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुन:संख्यांकित खंड (चख) से पहले निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'(चक) किसी सरकारी स्थान के संबंध में "निवास स्थान का अधिभोग" से किसी व्यक्ति द्वारा, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार, किसी राज्य सरकार, किसी संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या किसी कानूनी प्राधिकरण

के प्राधिकार के अधीन बनाए गए नियमों और इस संबंध में जारी अनुदेशों के अनुसार किसी नियत अवधि के लिए या उसके पद धारण करने की किसी अवधि के लिए किसी आबंटन आदेश के आधार पर ऐसे स्थान के अधिभोग के लिए उसे दी गई अनुज्ञप्ति के आधार पर अधिभोग अभिप्रेत है;'।

नई धारा 3ख का अंत:स्थापन।

3. मूल अधिनियम की धारा 3क के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:-—

निवास स्थान से बेदखली।

"3ख. (1) धारा 4 या धारा 5 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि संपदा अधिकारी के पास इस बात की सूचना है कि कोई ऐसा व्यक्ति, जिसे निवास स्थान अधिभोग के लिए दिया गया था, उक्त निवास स्थान के अप्राधिकृत अधिभोग में है, तो वह—

(क) तत्काल एक लिखित सूचना जारी करेगा, जिसमें ऐसे व्यक्ति से अपेक्षा की जाएगी कि वह तीन कार्य दिवस की अवधि के भीतर कारण दर्शित करे कि बेदखली का आदेश क्यों नहीं किया जाना चाहिए;

(ख) उस सूचना को उक्त निवास स्थान के बाहरी द्वार या किसी अन्य सहजदृश्य भाग पर लगाकर और अन्य ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, उसकी तामील कराएगा और तब यह माना जाएगा कि ऐसे व्यक्ति पर सूचना की तामील हो गई है।

(2) संपदा अधिकारी, ऐसे व्यक्ति द्वारा, जिस पर उपधारा (1) के अधीन सूचना की तामील की गई है, दर्शित कारण, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात् और ऐसी जांच करने के पश्चात्, जो वह मामले की परिस्थितियों में समीचीन समझे, ऐसे कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाए, ऐसे व्यक्ति की बेदखली का आदेश करेगा।

(3) यदि ऐसा व्यक्ति, जो अप्राधिकृत अधिभोग में है, उपधारा (2) में निर्दिष्ट बेदखली के आदेश का पालन करने से इंकार करता है या उसका पालन करने में असफल रहता है तो संपदा अधिकारी, ऐसे व्यक्ति को निवास स्थान से बेदखल कर सकेगा और उसका कब्जा ले सकेगा तथा उस प्रयोजन के लिए उतने बल का प्रयोग कर सकेगा, जितना आवश्यक हो।"।

धारा 7 का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(3क) यदि ऐसा व्यक्ति जो निवास स्थान के अप्राधिकृत अधिभोग में है धारा 3ख की उपधारा (2) के अधीन सम्पदा अधिकारी द्वारा पारित बेदखली के आदेश को किसी न्यायालय में चुनौती देता है तो वह प्रत्येक मास के लिए उसके द्वारा धारित निवास स्थान के लिए नुकसानी का संदाय करेगा।"।

उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीश संख्या) संशोधन अधिनियम, 2019

(2019 का अधिनियम संख्यांक 37)

[9 अगस्त, 2019]

उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीश संख्या) अधिनियम, 1956 का और संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-—

संक्षिप्त नाम।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीश संख्या) संशोधन अधिनियम, 2019 है।

धारा 2 का संशोधन।

1956 का 55

2. उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीश संख्या) अधिनियम, 1956 की धारा 2 में, "तीस" शब्द के स्थान पर, "तैंतीस" शब्द रखा जाएगा।

जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक (संशोधन) अधिनियम, 2019

(2019 का अधिनियम संख्यांक 39)

[5 दिसम्बर, 2019]

जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक अधिनियम, 1951
का और संशोधन
करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक (संशोधन) अधिनियम, 2019 है।

धारा 4 का संशोधन।

1951 का 25

2. जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक अधिनियम, 1951 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 4 की उपधारा (1) में,—

(i) खंड (ख) का लोप किया जाएगा;

(ii) खंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(घ) लोक सभा में इस रूप में मान्यताप्राप्त विरोधी दल का नेता या जहां ऐसा कोई विरोधी दल का नेता नहीं है, वहां उस सदन में सबसे बड़े एकल विरोधी दल का नेता;"।

धारा 5 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 5 में निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परंतु केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (छ) के अधीन नामनिर्देशित किसी न्यासी की पदावधि को पांच वर्ष की अवधि के अवसान से पहले समाप्त किया जा सकेगा।"।

विशेष संरक्षा ग्रुप (संशोधन) अधिनियम, 2019

(2019 का अधिनियम संख्यांक 43)

[9 दिसंबर, 2019]

विशेष संरक्षा ग्रुप अधिनियम, 1988
का और संशोधन
करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम विशेष संरक्षा ग्रुप (संशोधन) अधिनियम, 2019 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

धारा 4 का संशोधन।

1988 का 34

2. विशेष संरक्षा ग्रुप अधिनियम, 1988 की धारा 4 में,—

(i) उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(1) (क) प्रधानमंत्री और उसके साथ उसके शासकीय निवास पर निवास करने वाले अव्यवहित कुटुंब के सदस्यों की; और

(ख) किसी भूतपूर्व प्रधानमंत्री और उसके अव्यवहित कुटुंब के ऐसे सदस्यों की, जो उसके साथ उन्हें आबंटित निवास स्थान पर निवास करते हैं, उस तारीख से, जिसको वह प्रधानमंत्री पद पर नहीं रह जाता है, पांच वर्ष की अवधि तक,

निकट सुरक्षा की व्यवस्था करने के लिए संघ का एक सशस्त्र बल होगा, जिसे विशेष संरक्षा ग्रुप कहा जाएगा।";

(ii) उपधारा (1क) में, खंड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(ख) जहां किसी भूतपूर्व प्रधानमंत्री से निकट सुरक्षा हटा ली जाती है, वहां ऐसी निकट सुरक्षा ऐसे भूतपूर्व प्रधानमंत्री के अव्यवहित कुटुंब के सदस्यों से भी हट जाएगी।"।

दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव (संघ राज्यक्षेत्रों का विलयन) अधिनियम, 2019

(2019 का अधिनियम संख्यांक 44)

[9 दिसंबर, 2019]

दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्रों के विलयन और उससे संबंधित मामलों का उपबंध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

भाग 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव (संघ राज्यक्षेत्रों का विलयन) अधिनियम, 2019 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "नियत दिन" से वह दिन अभिप्रेत है, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे;

(ख) "विद्यमान संघ राज्यक्षेत्र" से नियत दिन के ठीक पूर्व यथाविद्यमान दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र अभिप्रेत है;

(ग) "विधि" के अन्तर्गत विद्यमान संपूर्ण संघ राज्यक्षेत्र या उसके किसी भाग में नियत दिन के ठीक पूर्व विधि का बल रखने वाली कोई अधिनियमिति, अध्यादेश, विनियम, आदेश, उपविधि, नियम, स्कीम, अधिसूचना या अन्य लिखत है।

भाग 2

संघ राज्यक्षेत्रों का विलयन

दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र का निर्माण।

3. नियत दिन से ही, दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र नाम से ज्ञात नए संघ राज्यक्षेत्र का गठन किया जाएगा, जो विद्यमान संघ राज्यक्षेत्रों के निम्नलिखित क्षेत्रों से मिलकर बनेगा, अर्थात्:—

दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव,

और तत्पश्चात् उक्त संघ राज्यक्षेत्र विद्यमान संघ राज्यक्षेत्रों के भाग नहीं रहेंगे।

संविधान के अनुच्छेद 240 का संशोधन।

4. संविधान के अनुच्छेद 240 के खंड (1) में,—

(i) प्रविष्टि (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(ग) दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव";

(ii) प्रविष्टि (घ) का लोप किया जाएगा।

संविधान की पहली अनुसूची का संशोधन।

5. नियत दिन से ही, संविधान की पहली अनुसूची में, "2. संघ राज्यक्षेत्र" शीर्ष के अधीन, प्रविष्टि 4 और प्रविष्टि 5 तथा उससे संबंधित तत्स्थानी प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्—

नाम	विस्तार
"4. दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव"	वह राज्यक्षेत्र, जो 11 अगस्त, 1961 से ठीक पहले स्वतंत्र दादरा और नागर हवेली में समाविष्ट था तथा वे राज्यक्षेत्र जो गोवा, दमण और दीव पुनर्गठन अधिनियम, 1987 की धारा 4 में विनिर्दिष्ट हैं।"। 1987 का 18

भाग 3

लोक सभा में प्रतिनिधित्व

लोक सभा में स्थानों का आबंटन।

6. नियत दिन से ही, लोक सभा में दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र के लिए दो स्थान आबंटित किए जाएंगे और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की प्रथम अनुसूची तद्नुसार संशोधित की गई समझी जाएगी। 1950 का 43

आसीन सदस्यों के बारे में उपबंध।

7. (1) किसी संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का जो नियत दिन को धारा 5 के उपबंधों के आधार पर सीमाओं में परिवर्तन के साथ या उसके बिना आबंटित किया जाता है, प्रतिनिधित्व करने वाला लोक सभा का प्रत्येक आसीन सदस्य, उस निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन के लिए निर्वाचित समझा जाएगा।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र" का वही अर्थ होगा, जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 में है। 1950 का 43

(2) ऐसे सदस्यों की पदावधि अपरिवर्तित रहेगी।

भाग 4

उच्च न्यायालय

बाम्बे उच्च न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार।

8. नियत दिन से ही, बाम्बे उच्च न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र तक रहेगा।

भाग 5

आस्तियां और दायित्व

भूमि और माल।

9. इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, विद्यमान संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा नियत दिन के ठीक पूर्व धारित सभी भूमि और सभी सामान, वस्तुएं तथा अन्य माल उस दिन से ही, दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र में निहित हो जाएंगे।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "भूमि" शब्द के अन्तर्गत प्रत्येक प्रकार की स्थावर संपत्ति और ऐसी संपत्ति में या उस पर के कोई अधिकार सम्मिलित हैं और "माल" शब्द के अन्तर्गत सिक्के, बैंक नोट और करेंसी नोट नहीं हैं।

नकद अतिशेष।

10. विद्यमान संघ राज्यक्षेत्रों के सभी खजानों, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक और अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक में नियत दिन के ठीक पूर्व कुल नकद अतिशेष का दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र में विलयन हो जाएगा।

कर के बकाए।

11. (1) विद्यमान संघ राज्यक्षेत्रों में स्थित किसी संपत्ति पर किसी कर या शुल्क के बकायों (जिसके अंतर्गत भू-राजस्व के बकाए भी हैं) की वसूली का अधिकार दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र में निहित रहेगा।

(2) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट कर या शुल्क से भिन्न, किसी कर या शुल्क के बकायों की वसूली का अधिकार, दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र का होगा।

उधार और अग्रिमों को वसूल करने का अधिकार।

12. विद्यमान संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा किसी स्थानीय निकाय, सोसाइटी, कृषक या अन्य व्यक्ति को नियत दिन के पूर्व दिए गए किन्हीं उधारों या अग्रिमों को वसूल करने का अधिकार, दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र का होगा।

संघ राज्यक्षेत्र उपक्रमों की आस्तियां और दायित्व।

13. विद्यमान संघ राज्यक्षेत्रों के किन्हीं वाणिज्यिक उपक्रमों से संबंधित आस्तियां और दायित्व, दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र में निहित हो जाएंगे।

आधिक्य में वसूल किए गए करों का प्रतिदाय।

14. संघ का—

(क) संपत्ति पर आधिक्य में वसूल किए गए किसी कर या शुल्क के जिसके अंतर्गत भू-राजस्व भी है, प्रतिदाय करने का दायित्व दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र का होगा;

(ख) आधिक्य में वसूल किए गए किसी अन्य कर या शुल्क के, प्रतिदाय करने का दायित्व दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र का होगा।

भाग 6

सेवाओं के संबंध में उपबंध

अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित उपबंध।

15. अखिल भारतीय सेवाओं में से प्रत्येक के ऐसे सदस्य, जो नियत दिन के ठीक पूर्व विद्यमान संघ राज्यक्षेत्रों के काडर में थे, विद्यमान संघ राज्यक्षेत्र की उसी सेवा के काडर में बने रहेंगे, जिसमें वे नियत दिन के पूर्व आबंटित किए जाते हैं।

अन्य सेवाओं के संबंध में उपबंध।

16. (1) प्रत्येक व्यक्ति जो विद्यमान संघ राज्यक्षेत्र में, नियत दिन के ठीक पूर्व, विद्यमान संघ राज्यक्षेत्र के कार्यकलाप के संबंध में नियोजित है और सेवा कर रहा है, उस दिन से ही,—

(क) दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र के कार्यकलाप के संबंध में सेवा करता रहेगा, और

(ख) दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र के कार्यकलाप के संबंध में सेवा करने के लिए अंतिम रूप से आबंटित किया गया समझा जाएगा:

परन्तु खंड (ख) की कोई बात ऐसे व्यक्ति को, जिसको धारा 15 के उपबंध लागू होते हैं या किसी राज्य से प्रतिनियुक्ति पर किसी व्यक्ति को, लागू नहीं होगी।

(2) नियत दिन के पश्चात् यथाशक्यशीघ्र, केन्द्रीय सरकार, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, यह अवधारित करेगी कि क्या उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यक्ति दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र के कार्यकलाप के संबंध में संघ के अधीन सेवा के लिए अंतिम रूप से आबंटित होगा और वह तारीख, जिससे ऐसा आबंटन प्रभावी होगा या प्रभावी हुआ समझा जाएगा, अवधारित करेगी।

(3) केन्द्रीय सरकार द्वारा उपधारा (2) के निबंधनों के अनुसार किसी कर्मचारी को अंतिम रूप से आबंटित करने वाले आदेश पारित करने के पश्चात् यथाशक्यशीघ्र, दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र, ऐसे विशेष या साधारण आदेशों या अनुदेशों के अनुसार, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त समय-समय पर जारी किए जाएं, अपने नियंत्रण के अधीन सेवाओं में उसे एकीकृत करने के उपाय करेगी।

(4) केन्द्रीय सरकार इस धारा के उपबंधों द्वारा प्रभावित सभी व्यक्तियों के साथ ऋजु और साम्यापूर्ण व्यवहार सुनिश्चित करने और ऐसे व्यक्तियों द्वारा किए गए किसी अभ्यावेदन पर उचित विचार करने के संबंध में अपनी सहायता के प्रयोजनार्थ आदेश द्वारा एक या अधिक सलाहकार समितियां स्थापित कर सकेगी:

परंतु तत्समय प्रवृत्त किसी विधि या नियम में उसके प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन सेवाओं के विभाजन और एकीकरण से उद्भूत होने वाले विषयों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित किए गए किसी आदेश के विरुद्ध ऐसे आदेश के प्रकाशन या तामील की तारीख से, जो भी पूर्ववर्ती हो, तीन मास की समाप्ति पर कोई अभ्यावेदन नहीं होगा:

परन्तु यह और कि पूर्ववर्ती परंतुक में किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार, स्वप्रेरणा से या अन्यथा और उनके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, किसी मामले पर पुन: विचार कर सकेगी और उस पर ऐसे आदेश पारित कर सकेगी जो उसे समुचित प्रतीत हों, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि किसी प्रभावित कर्मचारी के संबंध में घोर अन्याय का निवारण करने के लिए ऐसा करना आवश्यक है।

(5) इस धारा की कोई बात नियत दिन को या उसके पश्चात् दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र के कार्यकलाप के संबंध में सेवा करने वाले व्यक्तियों की सेवा की शर्तों के अवधारण के संबंध में संविधान के भाग 14 के अध्याय 1 के उपबंधों के प्रवर्तन पर प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जाएगी:

परंतु उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति के मामले को नियत दिन के ठीक पूर्व लागू सेवा की शर्तों में केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उसके लिए कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

(6) विद्यमान संघ राज्यक्षेत्रों के कार्यकलाप के संबंध में उपधारा (2) के अधीन आबंटित किसी व्यक्ति द्वारा नियत दिन के पूर्व की गई सभी सेवा, उसकी सेवा की शर्तों की बाबत नियमो के प्रयोजनों के लिए दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र के जिसको वह अंतिम रूप से आबंटित किया गया है, कार्यकलापों के संबंध में की गई समझी जाएगी।

(7) उपधारा (1) के खंड (क) से भिन्न इस धारा के उपबंध किसी ऐसे व्यक्ति के संबंध में, जिसे धारा 16 के उपबंध लागू होते हो, लागू नहीं होंगे।

भाग 7

विधिक और प्रकीर्ण उपबंध

विधियों का विस्तार।

17. नियत दिन से ठीक पूर्व विद्यमान संघ राज्यक्षेत्रों में विस्तारित या प्रवृत्त सभी विधियां, नियत दिन से, उन क्षेत्रों में, जहां वे ऐसी नियत दिन से ठीक पहले प्रवृत्त थी, प्रवृत्त रहेंगी।

विधियों के अर्थान्वयन की शक्ति।

18. धारा 17 द्वारा दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र को विस्तारित विधि को प्रवृत्त करने के लिए अपेक्षित या सशक्त कोई न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकरण दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में उसको लागू करने को सुकर बनाने के प्रयोजन के लिए उस विधि का अर्थान्वयन ऐसी रीति से कर सकेगा, जो उसके सार पर प्रभाव न डालती हो और जो ऐसे न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकरण के समक्ष किसी विषय के संबंध में आवश्यक या उचित प्रतीत हो।

विधियों के अनुकूलन की शक्ति।

19. दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव के संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में किसी विधि के लागू करने को सुकर बनाने के प्रयोजन के लिए, केन्द्रीय सरकार, नियत दिन से दो वर्ष की समाप्ति के पूर्व, आदेश द्वारा, ऐसी विधि में निरसन या संशोधन के रूप में ऐसे अनुकूलन और उपांतरण कर सकेगी जो आवश्यक या समीचीन हो और तब ऐसी प्रत्येक विधि इस प्रकार किए गए अनुकूलनों और उपांतरणों के अधीन रहते हुए तब तक प्रभावी रहेगी जब तक उसे सक्षम विधान-मंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा परिवर्तित, निरसित या संशोधित नहीं कर दिया जाता है।

विधिक कार्यवाहियां।

20. जहां, इस अधिनियम के अधीन दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र को नियत दिन के ठीक पहले अंतरित किसी संपत्ति, अधिकारों या दायित्वों के संबंध में विद्यमान संघ राज्यक्षेत्र किन्हीं विधिक कार्यवाहियों में पक्षकार है तो दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र उन कार्यवाहियों में पक्षकार के रूप में विद्यमान संघ राज्यक्षेत्र के स्थान पर, यथास्थिति, प्रतिस्थापित किया गया समझा जाएगा या उसमें पक्षकार के रूप में जोड़ा जाएगा और तद्नुसार कार्यवाहियां जारी रह सकेंगी।

लंबित कार्यवाहियों का अंतरण।

21. (1) नियत दिन से ठीक पहले किसी क्षेत्र में, जो उस दिन को विद्यमान संघ राज्यक्षेत्रों के भीतर आता है, किसी न्यायालय (उच्च न्यायालय से भिन्न), अधिकरण, प्राधिकरण या अधिकारी के समक्ष लंबित प्रत्येक कार्यवाही, दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र के तत्स्थानी न्यायालय, अधिकरण, प्राधिकरण या अधिकारी को अंतरित हो जाएगी।

(2) इस धारा में—

(क) "कार्यवाही" में वाद, मामले या अपील सम्मिलित हैं; और

(ख) "तत्स्थानी न्यायालय, अधिकरण, प्राधिकरण या अधिकारी" से दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र में निम्नलिखित अभिप्रेत हैं:—

(i) न्यायालय, अधिकरण, प्राधिकरण या अधिकारी, जिसमें या जिसके समक्ष कार्यवाहियां प्रस्तुत की गई होती, यदि नियत दिन के पश्चात् कार्यवाहियां संस्थित की जाती, या

(ii) संदेह की दशा में, नियत दिन के पश्चात् दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासक द्वारा या नियत दिन से पहले विद्यमान संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा, उस संघ राज्यक्षेत्र के लिए ऐसे न्यायालय, अधिकरण, प्राधिकरण या अधिकारी, जो अवधारित किए जाएं, तत्स्थानी न्यायालय, अधिकरण, प्राधिकरण या अधिकारी होंगे।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए "प्रशासक" से संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक अभिप्रेत है।

अन्य विधियों से असंगत उपबंधों का प्रभावी होना।

22. इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात से असंगत होते हुए भी प्रभावी होंगे।

कठिनाइयां दूर करने की शक्ति।

23. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो राष्ट्रपति राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगा, जो इस अधिनियम के प्रयोजनों से असंगत न हों और जो कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों:

परंतु ऐसा कोई भी आदेश, नियत दिन से तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

आयुध (संशोधन) अधिनियम, 2019

(2019 का अधिनियम संख्यांक 48)

[13 दिसम्बर, 2019]

आयुध अधिनियम, 1959 का और संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम आयुध (संशोधन) अधिनियम, 2019 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

धारा 2 का संशोधन।

1959 का 54

2. आयुध अधिनियम, 1959 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में, खंड (ङ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'(ङक) "अनुज्ञप्ति" से इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार जारी कोई अनुज्ञप्ति अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत इलैक्ट्रानिक रूप में जारी कोई अनुज्ञप्ति भी है;'।

धारा 3 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) में,—

(i) "तीन अग्न्यायुधों" शब्दों के स्थान पर, "दो अग्न्यायुध" शब्द रखें जाएंगे;

(ii) परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखे जाएंगे, अर्थात्:—

"परंतु कोई व्यक्ति, जिसके कब्जे में आयुध (संशोधन) अधिनियम 2019 के प्रारंभ पर दो से अधिक अग्न्यायुध हैं, अपने पास ऐसे अग्न्यायुधों में से कोई दो प्रतिधारित कर सकेगा और शेष

अग्न्यायुध को ऐसे प्रारंभ से एक वर्ष के भीतर निकटतम पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के पास या धारा 21 की उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए विहित शर्तों के अध्यधीन अनुज्ञप्तिधारी व्यौहारी के पास अथवा जहां ऐसा व्यक्ति संघ के सशस्त्र बलों का सदस्य है, वहां उस उपधारा में निर्दिष्ट किसी यूनिट शस्त्रागार में जमा करेगा, जिसके पश्चात् पूर्वोक्त एक वर्ष की अवधि के अवसान की तारीख से नब्बे दिन के भीतर उसकी अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया जाएगा:

परंतु यह और कि उत्तराधिकार या विरासत के आधार पर आयुध अनुज्ञप्ति अनुदत्त करते समय, दो अग्न्यायुध की सीमा को पार नहीं किया जाएगा।''।

धारा 5 का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (क) में, ''विनिर्माण करेगा'' शब्दों के स्थान पर, ''विनिर्माण करेगा, अभिप्राप्त करेगा या उपाप्त करेगा'' शब्द रखे जाएंगे।

धारा 6 का संशोधन।

5. मूल अधिनियम की धारा 6 में, ''किसी नकली अग्न्यायुध को अग्न्यायुध में संपरिवर्तित'' शब्दों के पश्चात् ''या आयुध नियम, 2016 में उल्लिखित अग्न्यायुधों के किसी प्रवर्ग से अग्न्यायुधों के किसी अन्य प्रवर्ग में संपविर्तित'' शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे।

धारा 8 का संशोधन।

6. मूल अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) में, ''अग्न्यायुध'' शब्द के स्थान पर, ''अग्न्यायुध या गोलाबारूद'' शब्द रखे जाएंगे।

धारा 13 का संशोधन।

7. मूल अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (3) के खंड (क) के उपखंड (ii) में,''प्वांइट 22 बोर राइफल या हवाई राइफल'' शब्दों के स्थान पर, ''अग्न्यायुध'' शब्द रखा जाएगा।

धारा 15 का संशोधन।

8. मूल अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (1) में,—

(क) ''तीन वर्ष की कालावधि'' शब्दों के स्थान पर, ''पांच वर्ष की कालावधि'' शब्द रखे जाएंगे;

(ख) परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''परन्तु यह और कि धारा 3 के अधीन अनुदत्त अनुज्ञप्ति धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (क) के उपखंड (ii) और उपखंड (iii) में विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्यधीन होगी और अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञप्ति को उस तारीख से, जिसको यह अनुदत्त या नवीकृत की जाए, प्रत्येक पांच वर्ष के पश्चात् अनुज्ञापन प्राधिकारी के समझ अग्न्यायुध या गोलाबारूद और संबंधित दस्तावेज सहित पेश करेगा।''।

धारा 25 का संशोधन।

9. मूल अधिनियम की धारा 25 में,—

(i) उपधारा (1) में,—

(क) खंड (क) में, ''विनिर्माण'' शब्द के स्थान पर, ''विनिर्माण, अभिप्राप्त, उपाप्त,'' शब्द रखे जाएंगे;

(ख) खंड (ख) में, ''नकली अग्न्यायुध को अग्न्यायुध में संपरिवर्तित'' शब्दों के पश्चात्, ''या आयुध नियम, 2016 में उल्लिखित अग्न्यायुधों के किसी प्रवर्ग से अग्न्यायुधों के किसी अन्य प्रवर्ग में संपरिवर्तित'' शब्द और अंक अंत: स्थापित किए जाएंगे;

(ग) दीर्घ पंक्ति में ''जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम नहीं होगी, किंतु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी'' शब्दों के स्थान पर, ''जिसकी अवधि सात वर्ष से कम की नहीं होगी; किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी'' शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उपधारा (1 क) में,—

(क) ''जिसकी अवधि पांच वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो दस वर्ष तक ही हो सकेगी'' शब्दों के स्थान पर, ''जिसकी अवधि सात वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो चौदह वर्ष तक की हो सकेगी'' शब्द रखे जाएंगे;

(ख) निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परंतु न्यायालय, निर्णय में लेखबद्ध किए जाने वाले किन्हीं पर्याप्त और विशेष कारणों से सात वर्ष से कम की अवधि के कारावास का कोई दंड अधिरोपित कर सकेगा।";

(iii) उपधारा (1क) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(1कख) जो कोई बल का प्रयोग करके पुलिस या सशस्त्र बलों से अग्न्यायुध छीन लेता है, ऐसे कारावास से दंडनीय होगा, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी और जुर्माने का भी दायी होगा।";

(iv) उपधारा (1कक) में, "सात वर्ष" शब्दों के स्थान पर, "दस वर्ष" शब्द रखे जाएंगे;

(v) उपधारा (1ख) में,—

(क) दीर्घ पंक्ति में, "एक वर्ष से कम नहीं होगी, किंतु जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी" शब्दों के स्थान पर, "दो वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) परंतुक में, "एक वर्ष" शब्दों के स्थान पर, "दो वर्ष" शब्द रखे जाएंगे;

(vi)उपधारा (5) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधाराएं अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

(6) यदि किसी संगठित अपराध संघ का कोई सदस्य या उसकी ओर से कोई भी व्यक्ति किसी भी समय अध्याय 2 के किसी उपबंध के उल्लंघन में कोई आयुध या गोलाबारूद अपने कब्जे में रखता है या लेकर चलता है, तो वह ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा।

(7) जो कोई, किसी संगठित अपराध संघ के किसी सदस्य की ओर से या कोई व्यक्ति उसकी ओर से,—

(i) धारा 5 के उल्लंघन में किसी आयुध या गोलाबारूद का विनिर्माण करता है, अभिप्राप्त करता है, उपाप्त करता है, उसका विक्रय करता है या अंतरण करता है, उसको संपरिवर्तित करता है, उसकी मरम्मत करता है, उसकी परख करता है या उसे परिसिद्ध करता है या अभिदर्शित करता है या विक्रय या अंतरण, संपरिवर्तन, मरम्मत, परख या परिसिद्धि के लिए प्रस्थापित करता है; या

(ii) धारा 6 के उल्लंघन में किसी अग्न्यायुध की बैरल को छोटा करता है या किसी नकली अग्न्यायुध को अग्न्यायुध में संपरिवर्तित करता है या आयुध नियम, 2016 में उल्लिखित किसी प्रवर्ग के अग्न्यायुध को किसी अन्य प्रवर्ग के अग्न्यायुध में संपरिवर्तित करता है; या

(iii) धारा 11 के उल्लंघन में किसी वर्ग या विवरण के किसी भी आयुध या गोलाबारूद को भारत में लाता है या भारत से बाहर ले जाता है,

तो वह ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा।

स्पष्टीकरण—उपधारा (6) और उपधारा (7) के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "संगठित अपराध" से किसी व्यक्ति द्वारा अकेले या सामूहिक रूप से, किसी संगठित अपराध संघ के सदस्य के रूप में या ऐसे संघ की ओर से हिंसा या हिंसा की धमकी या अभित्रास या प्रपीड़न या अन्य विधिविरुद्ध साधनों का प्रयोग करके, धनीय फायदे प्राप्त करने या स्वयं के लिए या किसी व्यक्ति के लिए असम्यक् आर्थिक या अन्य लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से, कोई भी निरंतर विधिविरुद्ध क्रियाकलाप अभिप्रेत है;

(ख) "संगठित अपराध संघ" से दो या अधिक व्यक्तियों का ऐसा समूह अभिप्रेत है, जो किसी संघ या गैंग के रूप में अकेले या सामूहिक रूप से किसी संगठित अपराध के क्रियाकलापों में लिप्त होते हैं।

(8) जो कोई धारा (3), धारा (5), धारा (6), धारा (7) और धारा (11) के उल्लंघन में अग्न्यायुध और गोलाबारूद के अवैध व्यापार में सम्मिलित होता है या उसमें सहायता करता है, तो वह ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "अवैध व्यापार" से भारत के राज्यक्षेत्र में, उससे या उसके भीतर अग्न्यायुध या गोलाबारूद का आयात, निर्यात, अर्जन, विक्रय, परिदान, संचलन या अंतरण अभिप्रेत है, यदि अग्न्यायुध या गोलाबारूद इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार चिह्नित नहीं हैं या जिनका इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में दुर्व्यापार किया गया है, जिसके अंतर्गत तस्करी किए गए, विदेश में बने अग्न्यायुध या प्रतिषिद्ध आयुध और प्रतिषिद्ध गोलाबारूद भी हैं।

(9) जो कोई उतावलेपन या उपेक्षा से कोई अनुष्ठानिक गोलाबारी का उपयोग करता है जिससे मानव जीवन या किन्हीं अन्य की वैयक्तिक सुरक्षा संकटापन्न हो जाए, वह कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए "अनुष्ठानिक गोलाबारी" से जन सभाओं, धार्मिक स्थानों, विवाह समारोहों या अन्य उत्सवों में गोलाबारी करने के लिए अग्न्यायुध का प्रयोग करना अभिप्रेत है।'।

धारा 27 का संशोधन।

10. मूल अधिनियम की धारा 27 की उपधारा (3) में, "मृत्युदंड से दंडनीय होगा" शब्दों के स्थान पर, "मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 44 का संशोधन।

11. मूल अधिनियम की धारा 44 की उपधारा (2) के खंड (च) में,—

(क) "वह रीति, जिससे" शब्दों के स्थान पर, "वह रीति, जिसमें अग्न्यायुध या गोलाबारूद को खोज निकालने के लिए उनके" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "खोज निकालने" से अवैध विनिर्माण और अवैध व्यापार का पता लगाने, अन्वेषण करने और विश्लेषण करने के प्रयोजन के लिए विनिर्माता से क्रेता तक, अग्न्यायुध और गोलाबारूद की योजनाबद्ध खोज अभिप्रेत है;'।

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2020

(2020 का अधिनियम संख्यांक 4)

[19 मार्च, 2020]

कर्नाटक राज्य में अनुसूचित जनजातियों की सूची को उपांतरित करने के लिए संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 का और संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2020 है।

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 का संशोधन।

संo आo 22

2. संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 की अनुसूची के भाग 6— कर्नाटक में,—

(क) प्रविष्टि 38 में, "नायकडा, नायक" शब्दों के स्थान पर, "नायकडा, नायक (जिसके अंतर्गत परिवारा और तलवारा भी हैं)" शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे;

(ख) प्रविष्टि 50 में, "(उत्तर कन्नड़ जिले में)" कोष्ठकों और शब्दों के स्थान पर, "(बेलागवी, धारवाड़ और उत्तर कन्नड़ जिले में)" कोष्ठक और शब्द रखे जाएंगे।

डा० जी० नारायण राजू,
सचिव, भारत सरकार।

UPLOADED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI–110002
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI–110054.

MGIPMRND—1340GI—11-08-2021.